



पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका

अक्टूबर 2018

दस्तावेज 19 - संस्करण 1



भारत निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली -110001

"कोई भी मतदाता न छूटे"

"कोई भी मतदाता न छूटे"

दस्तावेज 19, संस्करण 1

पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका

अक्टूबर 2018



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

"कोई भी निर्वाचक न छूटे"

यह दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट <https://eci.gov.in/> पर भी उपलब्ध है

"कोई भी मतदाता न छूटे"

ओ.पी. रावत

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

O.P. RAWAT

Chief Election Commissioner of India



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India



संदेश

भारतीय निर्वाचनों की सफलता सबसे निचली इकाई, अर्थात् बूथ स्तर के अधिकारियों और मतदान केंद्र की प्रभावशीलता और कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में, पीठासीन अधिकारी की भूमिका, जो मतदान करवाने वाले दलों का प्रमुख होता है और मतदान केंद्र पर प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है, को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अपनी टीम के साथ पीठासीन अधिकारी, न केवल चुनावी लोकतंत्र जहां उसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, का कार्यसंचालन सुनिश्चित करता है, बल्कि वह स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय निर्वाचन के लिए, मतदान केंद्र के भीतर अनुकूल वातावरण बनाने में साहस, आचरण और अखंडता सत्यनिष्ठा भी प्रदर्शित करता है।

चूंकि पीठासीन अधिकारी क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, अनुदेशों और अन्य संबंधित सामग्रियों की जानकारी हों। आयोग मतदान दल की क्षमता बढ़ाने को अत्यधिक महत्व देता है, और इस उद्देश्य के लिए उनके लिए व्यापक तौर पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए, निर्वाचन कराने के दौरान पीठासीन अधिकारी के लिए यह पुस्तिका एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेगी। मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तिका आगामी निर्वाचनों में देश भर के सभी पीठासीन अधिकारियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी।

(ओ.पी.रावत)

सुनील अरोड़ा

भारत के निर्वाचन आयुक्त

SUNIL ARORA

Election Commissioner of India



भारत निर्वाचन आयोग

Election Commission of India



मतदान केंद्र हमारी निर्वाचन प्रक्रिया की आधारशिला है, जहाँ देश के हर कोने में हमारे निर्वाचक वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। इससे यह भी निर्धारित होता है कि जमीनी स्तर पर निर्वाचन मशीनरी अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ताकि निर्वाचक बिना किसी परेशानी के स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकें। आयोग मतदान दलों के प्रशिक्षण की आवश्यकता के प्रति काफी संवेदनशील है, और उसने पीठासीन अधिकारी और उनकी टीम के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस तरह से डिज़ाइन किया है, कि वे निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन कराने में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें।

मुझे विश्वास है कि पीठासीन अधिकारी के लिए यह पुस्तिका मतदान दलों के लिए एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शिका साबित होगी, जो पूरे देश में एक मिलियन से अधिक स्थानों पर, अत्यधिक विविध और कई बार बहुत मुश्किल परिस्थितियों में, जिनमें बर्फबारी और रेगिस्तानी क्षेत्र भी शामिल हैं, अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। मैं अपने बहादुर और निर्वाचन के लिए समर्पित सैनिकों, अर्थात् पीठासीन अधिकारियों और मतदान टीमों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

(सुनील अरोड़ा)

अशोक लवासा

भारत के निर्वाचन आयुक्त

ASHOK LAVASA

Election Commissioner of India



"कोई भी मतदाता न छूटे"



भारत निर्वाचन आयोग

Election Commission of India



संदेश

भारतीय निर्वाचनों के संचालन के संदर्भ में, पीठासीन अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों की उनकी टीम संवैधानिक दायित्वों और आयोग के निर्देशों को वास्तविक तौर पर एक मतदान केंद्र में रूपांतरित करते हैं, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुदृढ़ निर्वाचन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके। आयोग की यह कोशिश रही है कि मतदान दल के प्रत्येक सदस्य की क्षमता का निर्माण एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए, ताकि वे अपना कार्य अधिदेश के अनुसार पूरा कर सकें।

मुझे यह जानकर खुशी है कि मतदान केंद्र के भीतर चुनावी गतिविधियों और प्रक्रियाओं से संबंधित आयोग के सभी सांविधिक प्रावधानों और निर्देशों को पीठासीन अधिकारी के लिए इस पुस्तिका के रूप में संकलित किया गया है। मुझे आशा है कि यह पुस्तिका सभी मतदान टीमों के लिए उपयोगी साबित होगी, और जिससे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मदद मिलेगी और साथ ही मतदाताओं का भरोसा और आयोग का विश्वास अर्जित होगा।

(अशोक लवासा)

चन्द्र भूषण कुमार, भा.प्र.से.

उप निर्वाचन आयुक्त

CHANDRA BHUSHAN KUMAR, IAS

Deputy Election Commissioner



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India



प्रस्तावना

पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका हमारे पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस नए संस्करण में अगस्त 2018 के अनुसार मतदान केन्द्रों से संबंधित निर्वाचन नियमों और प्रक्रियाओं की अद्यतन जानकारी शामिल है। आयोग का यह प्रयास है कि मतदान अधिकारियों को जानकारी, प्रशिक्षण और कार्यान्वयन योग्य दक्षता प्रदान की जाए। जमीनी स्तर पर मतदान दल आयोग के प्रतिनिधि हैं, और जैसा कि भारत के माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपनी प्रस्तावना में कहा है कि उन्हें अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में साहस, आचरण और सत्यनिष्ठा प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

इस पुस्तिका को श्री कुणाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गोवा की देखरेख में तैयार किया गया है, जिन्होंने अन्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और उनकी टीमों से मूल्यवान जानकारी प्राप्त की हैं। भारत निर्वाचन आयोग में सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी विषयवस्तु व सामग्री का पुनरीक्षण करने में सहयोग दिया है। हमारे दस्तावेजीकरण प्रभाग ने इस पूरे कार्य में संपूर्ण समन्वय प्रदान किया है। इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। इस प्रकार के किसी भी कार्य में सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है। हम इसके सभी उपयोगकर्ताओं से सुझावों/टिप्पणियों का स्वागत करते हैं।

जैसा कि भारत के माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय द्वारा अपनी प्रस्तावना में कहा गया है, हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि निर्वाचन के संचालन में पीठासीन अधिकारियों हेतु यह पुस्तिका बहुत ही उपयोगी और आवश्यक साबित होगी। हालांकि, किसी भी प्रकार की शंका के मामले में, उन्हें मूल दस्तावेज को देखना चाहिए अथवा अपने जिले के निर्वाचन अधिकारियों के साथ-साथ रिटर्निंग अधिकारियों से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

(चंद्र भूषण कुमार)

संक्षिप्त और परिवर्णी शब्द

एसी	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
एएसडी	अनुपस्थित, प्रतिस्थापित और मृत
बीईएल	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
बीएलओ	बूथ स्तर के अधिकारी
बीयू	बैलेट यूनिट (मतदान इकाई)
ईसीआई	भारत निर्वाचन आयोग
सीपीएफ	केंद्रीय पुलिस बल
सीएसवी	वर्गीकृत सेवा मतदाता
सीयू	कंट्रोल यूनिट (नियंत्रण इकाई)
डीईओ	जिला निर्वाचन अधिकारी
ईसीआईएल	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ईपीआईसी	निर्वाचक फोटो पहचान पत्र
ईवीएम	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
एम2	मॉडल 2
एम3	मॉडल 3
नोटा	उपरोक्त में से कोई नहीं
पीसी	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
पीईआर	फोटो निर्वाचक नामावली
पीपीएस	गुलाबी पेपर सील
पीएस	मतदान केंद्र
पीवी	प्रॉक्सी मतदाता
आरओ	रिटर्निंग ऑफिसर
वीएबी	निर्वाचक सहायता बूथ
वीवीपीएटी	वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल
वीएसडीयू	वीवीपीएटी स्थिति प्रदर्शन इकाई

विषय-सूची

1. प्रस्तावना	1
1.1 परिचय	1
1.2 ईवीएम तथा वीवीपीएटी का संक्षिप्त परिचय	2
1.3 विधिक प्रावधान	4
1.4 कर्तव्यों की व्यापक रूपरेखा	4
2. मतदान दल का गठन और प्रशिक्षण	11
2.1 मतदान दल	11
2.2 मतदान प्रशिक्षण	11
2.3 डाक मतपत्र हेतु आवेदन	12
3. वोटिंग मशीन और मतदान सामग्री का संग्रह	13
3.1 मतदान सामग्री	13
3.2 ईवीएम और वीवीपीएटी की जाँच	13
3.3 मतदान सामग्री की जाँच करना	16
4. फोटो निर्वाचक नामावली	18
4.1 फोटो निर्वाचक नामावली	18
5. ईवीएम एवं वीवीपीएटी का परिचय	19
5.1 ईवीएम का परिचय	19
5.2 एम2 ईवीएम का डिस्प्ले	20
5.3 एम3 ईवीएम का डिस्प्ले	23
5.4 वीवीपीएटी का परिचय	28
6. मतदान केन्द्रों की स्थापना	33
6.1 मतदान केन्द्र पर पहुँचना	33
6.2 मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति	33

6.3	एकल निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र की स्थापना	33
6.4	एक ही समय में होने वाले निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना	36
6.5	अन्य सावधानियां	38
6.6	नोटिस प्रदर्शित करना	38
6.7	एक ही समय में होने वाले निर्वाचनों के लिए मतदान प्रक्रिया	39
6.8	हेल्प डेस्क	40
6.9	क्षेत्र अधिकारी	40
7.	मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था	41
8.	मतदान अधिकारियों को कर्तव्य सौंपना	43
8.1.	एकल निर्वाचन में मतदान अधिकारियों के कर्तव्य	43
8.1.1.	प्रथम मतदान अधिकारी	43
8.1.2.	द्वितीय मतदान अधिकारी	43
8.1.4.	तृतीय मतदान अधिकारी	44
8.1.7.	चतुर्थ मतदान अधिकारी (यदि एम2 वीवीपीएटी का उपयोग होता है तो वीएसडीयू के प्रभारी)	45
8.2.	समकालिक निर्वाचन में मतदान अधिकारियों के कर्तव्य	45
8.2.1.	प्रथम मतदान अधिकारी	45
8.2.2.	द्वितीय मतदान अधिकारी	45
8.2.3.	तृतीय मतदान अधिकारी	45
8.2.4.	चतुर्थ मतदान अधिकारी	45
8.2.5.	पंचम मतदान अधिकारी	45
8.2.6.	चतुर्थ एवं पंचम मतदान अधिकारियों के महत्वपूर्ण कर्तव्य	46
8.3.	संक्षेप में पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्य	46
8.4.	मतदान समाप्ति	48

8.5.	सुक्ष्म-प्रेक्षक	48
8.6.	निर्वाचक सहायता बूथ (वीएबी)	49
8.7.	डिजिटल कैमरा पर्सन	49
9.	मतदान केन्द्र में प्रवेश और बैठने की व्यवस्था का विनियम	51
9.1.	मतदान केन्द्रों में प्रवेश के लिए अधिकृत व्यक्ति	51
9.2.	केन्द्रीय पुलिस बल कर्मी	53
9.3.	मतदान अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्ति पत्रों को प्रस्तुत किया जाना	53
9.4.	मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति	54
9.5.	मतदान अभिकर्ताओं के लिए पास	54
9.6.	मतदान केन्द्र में मतदान अभिकर्ताओं की बैठने की व्यवस्था	55
9.7.	मतदान केन्द्र में धूम्रपान निषेध	56
9.8.	मतदान केन्द्र में प्रेस प्रतिनिधियों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों के लिये सुविधाएं	56
9.9.	आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों के लिए सुविधाएं	57
9.10.	निर्वाचन क्षेत्र पर्यवेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करने के लिए 16 बिन्दुओं पर आधारित एक अतिरिक्त सूचना रिपोर्ट	59
9.11.	मतदान केन्द्र के भीतर बैज इत्यादि को लगाये रखना	59
10.	मतदान के प्रारम्भ होने से पूर्व ईवीएम एवं वीवीपीएटी को तैयार करना	61
10.1.	मतदान के पूर्व की तैयारी	61
10.2.	बैलेट यूनिट तैयार करना	61
10.3.	बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी का परस्पर संयोजन	62
10.4.	वीवीपीएटी की तैयारी	64
11.	कंट्रोल यूनिट (नियंत्रण इकाई) की तैयारी	66
11.1.	कंट्रोल यूनिट की जाँच	66

11.2. कंट्रोल यूनिट की तैयारी करना	66
11.3. कंट्रोल यूनिट (सीयू), बैलेट यूनिट (बीयू) और वीवीपीएट को जोड़ना	66
11.4. कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करना	66
11.5. कंट्रोल यूनिट के पिछले कंपार्टमेंट को बंद करना	67
12. छद्म मतदान का आयोजन	68
12.1. ई वी एम और वी वी ए पी टी को 'क्लियर' करने का प्रदर्शन	68
12.2. छद्म मतदान	69
12.3. ईवीएम के प्रतिस्थापन के मामले में छद्म मतदान	73
12.4. वीवीपीएटी के प्रतिस्थापन की स्थिति में छद्म मतदान	74
12.5. मतदान प्रारंभ और मतदान समाप्ति की तारीख व समय की रिकॉर्डिंग	74
13. कंट्रोल यूनिट में ग्रीन पेपर सील का लगाया जाना	75
13.1. ग्रीन पेपर सील लगाना	75
13.2. पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर	76
13.3. पेपर सील का लेखा	76
14. कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपीएटी को बंद और सीलबंद करना	77
14.1. विशेष एड्रेस टैग	77
14.2. कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बंद और सीलबंद करना	78
14.3. स्ट्रिप सील	79
14.4. स्ट्रिप सील से ईवीएम को सील करने की विधि	81
14.5. स्ट्रिप सील के साथ सीलबंद करने के दौरान सावधानी	84
14.6. वास्तविक मतदान के पूर्व के वीवीपीएटी ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग का प्रयोग करते हुए धागे से सीलबंद करना	85
14.7. वास्तविक मतदान के लिए तैयार ई वी एम तथा वीवीपीएटी	85
15. मतदान का प्रारंभ	86

15.1. मतदान का प्रारंभ	86
15.2. मतदान की गोपनीयता के बारे में चेतावनी	86
15.3. अमिट स्याही के लिए सावधानियाँ	86
15.4. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति	87
15.5. मतदान केन्द्र में मतदाताओं के प्रवेश का विनियमन	87
15.6. मतदान केन्द्र के भीतर प्रविष्ट करने वाले व्यक्ति	88
16. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिये सुरक्षा के उपाय	89
16.1. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों के रूप में पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं	89
16.2. नई वोटिंग मशीन के उपयोग के समय पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया	89
17. मतदान केन्द्र में और इसके आस-पास निर्वाचन विधि का प्रवर्तन	91
17.1. निष्पक्षता एवं मर्यादा बनाये रखना	91
17.2. प्रचार पर रोक	91
17.3. अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ	91
17.4. मतदान केन्द्र में या इसके निकट विच्छृंखल आचरण	92
17.5. उपद्रवियों को हटाना	92
17.6. मतदाताओं के परिवहन के लिए वाहनों को अवैध रूप से भाड़े पर देना	92
17.7. मतदान केन्द्र से वोटिंग मशीन को हटाया जाना एक अपराध होगा	93
17.8. निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पदीय कर्तव्यों की अवहेलना	93
17.9. मतदान केन्द्र में या इसके निकट सशस्त्र जाने पर प्रतिबंध	93
17.10. मतदान केन्द्र में सेल्युलर फोन, कॉर्डलैस फोन, वायरलैस सेट्स आदि का प्रतिबन्ध	93
18. निर्वाचक की पहचान का सत्यापन और चुनौती के मामले में प्रक्रिया	94
18.1. निर्वाचक की पहचान का सत्यापन	94

18.2. मृत, अनुपस्थित और अभिकथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची	96
18.3. चुनौती युक्त मत	96
18.4. निर्वाचक की पहचान को चुनौती देना	97
18.5. चुनौती फीस	97
18.6. संक्षिप्त जाँच	97
18.7. चुनौती फीस को लौटाना या जब्त करना	98
18.8. नामावली में लिपिकीय और मुद्रण संबंधी गलतियों की अनदेखी करना	98
18.9. किसी निर्वाचक के नामांकन के तथ्य पर प्रश्न न उठाना	99
18.10. निर्वाचक की अपनी आयु के बारे में घोषणा	99
19. निर्वाचक को अपना मत देने की अनुमति देने से पूर्व अमिट स्याही का लगाया जाना और उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेना	100
19.1. निर्वाचक की बायीं तर्जनी का निरीक्षण और अमिट स्याही का लगाया जाना	100
19.2. नये सिरे से मतदान (पुनःमतदान)/प्रत्यादिष्ट मतदान में अमिट स्याही का प्रयोग	101
19.3. निर्वाचक की बायीं तर्जनी न होने की स्थिति में अमिट स्याही का लगाया जाना	101
19.4. मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचकों की निर्वाचक नामावली संख्या का अभिलेख	101
19.5. निर्वाचक के हस्ताक्षर की परिभाषा	102
19.6. निर्वाचक के अंगूठे का निशान	103
19.7. दृष्टिबाधित या अशक्त या कुष्ठ रोगी निर्वाचकों द्वारा 'मतदाताओं के रजिस्टर' पर हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	104
19.8. निर्वाचक को निर्वाचक पर्ची जारी करना	104
20. मत डालना एवं मतदान प्रक्रिया	106
20.1. मत डालना	106

20.2. निर्वाचक को मत डालने की अनुमति देना	106
20.3. मतदान प्रक्रिया	107
20.4. डाले गये मतों की संख्या का समय-समय पर मिलान करना	108
20.5. मतदान के दौरान मतदान कंपार्टमेंट में पीठासीन अधिकारी को प्रवेश करने का अधिकार	109
21. निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना	111
21.1. मतदान प्रक्रिया का कड़ाई से निरीक्षण करना	111
21.2. मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इंकार	111
22. दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान	112
23. मत न डालने का निर्णय करने वाला मतदाता	114
24. लोक सेवकों द्वारा निर्वाचन झूटी पर मतदान	115
25. प्रोक्सी द्वारा मतदान	117
26. निविदत्त मत	118
26.1. निविदत्त मत	118
26.2. निविदत्त मत पत्र की रूपरेखा	118
26.3. निविदत्त मत पत्रों का लेखा	119
26.4. उन मतदाताओं का रिकॉर्ड जिन्हें निविदत्त मत पत्र जारी किये गये	119
27. दंगा, बूथ पर कब्जा इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन/रोका जाना	120
27.1. दंगा, बूथ पर कब्जा इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन	120
27.2. स्थगित मतदान को पूर्ण किया जाना	121
27.3. ईवीएम की विफलता, बूथ पर कब्जा इत्यादि के कारण मतदान का रोका जाना	122
27.4. बूथ पर कब्जे के मामले में वोटिंग मशीन का बंद किया जाना	123
28. मतदान की समाप्ति	125
28.1. मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान	125

28.2. मतदान बंद करना	125
29. रिकार्ड किये गये मतों का लेखा	128
29.1. रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करना	128
29.2. मतदान अभिकर्ताओं को रिकार्ड किये गये मतों के लेखों की अनुप्रमाणित प्रतियों का दिया जाना	128
29.3. मतदान की समाप्ति पर की जानी वाली घोषणा	129
30. मतदान की समाप्ति के पश्चात ईवीएम एवं वीवीपीएटी का सीलबंद किया जाना	130
30.1. ईवीएम एवं वीवीपीएटी को सीलबंद करना	130
31. निर्वाचन दस्तावेजों का सीलबंद किया जाना	132
31.1. निर्वाचन दस्तावेजों को पैकटों में सीलबंद करना	132
31.2. सांविधिक और असांविधिक लिफाफों तथा निर्वाचन सामग्री को पैक करना	133
31.3. लिफाफों को सीलबंद करना	134
32. डायरी तैयार करना और वोटिंग मशीन तथा निर्वाचन पत्रों को संग्रह केंद्रों पर सौंपना	136
32.1. डायरी तैयार करना	136
32.2. रिटर्निंग ऑफिसर को ईवीएम, वीवीपीएटी और निर्वाचन पत्रों का सम्प्रेषण	136
33. पीठासीन अधिकारियों/मतदान अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन	139
अनुलग्नक 1	148
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से उद्धरण	148
अनुलग्नक 2	162
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से उद्धरण	162
अनुलग्नक 3	180

पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा	180
अनुलग्नक 4	187
प्रारूप एम21- मतदान के पश्चात् निर्वाचन रिकार्ड एवं सामग्रियों की वापसी की रसीद	187
अनुलग्नक 5	190
पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा	190
अनुलग्नक 6	198
थाना अधिकारी को शिकायती पत्र	198
अनुलग्नक 7	200
निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप	200
अनुलग्नक 8	201
रसीद पुस्तिका	201
अनुलग्नक 9	202
निर्धारित आयु से कम आयु वाले निर्वाचकों की सूची	202
अनुलग्नक 10	204
दृष्टिहीन या अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा	204
अनुलग्नक 11	205
प्रारूप 17ग	205
अनुलग्नक 12	210
पीठासीन अधिकारी की डायरी	210
अनुलग्नक 13	215
पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के माइक्रो ऑब्जर्वर व निर्वाचन क्षेत्र प्रेक्षक या रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी का प्रपत्र	215

अनुलग्नक 14	216
छद्म मतदान प्रमाण पत्र	216
अनुलग्नक 15	219
नियम 49डक के तहत घोषणा	219
अनुलग्नक 16	221
निर्वाचक का घोषणापत्र, जिनका नाम अनुपस्थित / स्थानांतरित / मृत सूची में है	221
अनुलग्नक 17	222
मतदान अभिकर्ता/स्थानापन्न अभिकर्ता गतिविधि शीट	222
अनुलग्नक 18	223
मतदान के दौरान सीयू-बीयू-वीवीपीएटी की विफलताओं/त्रुटियों का निराकरण	223
अनुलग्नक 19	226
उस मतदान केन्द्र के लिए मतदान सामग्रियों की सूची जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपीएटी को उपयोग में लाया गया है	226
अनुलग्नक 20	232
पीठासीन अधिकारियों के लिए चैक मैमो	232

कार्यों की संक्षिप्त रूपरेखा

प्रशिक्षण के दौरान

- भारत निर्वाचन आयोग के कानूनों, प्रावधानों और नवीनतम निर्देशों की पूरी समझ
- ईवीएम / वीवीपीएटी कार्यकरण की उचित समझ।
- मतदान करना।
- विभिन्न सांविधिक और गैर-सांविधिक प्ररूपों को कैसे भरें।

डिस्पैच सेंटर में

- सूची के अनुसार सामग्री और ईवीएम / वीवीपीएटी मशीनों का संग्रह।
- मदों पर विशेष ध्यान दें: निविदत्त मतपत्र, ब्रेल बैलट, मतदाता रजिस्टर (फॉर्म) 17क), निर्वाचक सूची की चिह्नित प्रतिलिपि, फॉर्म 17ग, पीठासीन अधिकारी डायरी, टैग, सील, एएसडी, सीएसवी सूचियां

मतदान से पहले

- मतदान केंद्र की स्थापना
- ईवीएम और वीवीपीएटी पर छद्म मतदान का संचालन
- छद्म मतदान के दौरान ईवीएम परिणामों और वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के परिणामों का मिलान करना
- ईवीएम / वीवीपीएटी छद्म मतदान परिणामों को क्लियर करना
- वीवीपीएटी पेपर पर्चियों को काले लिफाफे के पिछले हिस्से में स्टैप लगाकर सील करना
- ईवीएम/वीवीपीएटी मशीनों को सील करना

मतदान के दौरान

- अभ्यर्थियों / मतदान अभिकर्ताओं को मतों की गोपनीयता के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना
- उंची आवाज में और स्पष्ट तौर पर मतदान की घोषणा पढ़ना और अभ्यर्थियों / मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करना
- प्ररूप 17क में प्रविष्टियां, ईवीएम/वीवीपीएटी मशीनों के सुचारु कार्य को दर्ज करना
- समय-समय पर प्ररूप 17क के साथ कुल का मिलान करना और मतदान की स्थिति से आरओ को अवगत कराना
- पीठासीन अधिकारी डायरी में घटनाओं को दर्ज करना

मतदान बंद करने का समय

- मतदान समाप्त करने के पूर्व पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को संख्यांकित पर्चियां प्रदान करना
- पंक्तियों में खड़े सभी व्यक्तियों के मत डालने के उपरान्त बंद बटन को दबाना
- ईवीएम / वीवीपीएटी मशीनों को उचित डिब्बों में रखकर सील करना
- सांविधिक, गैर-सांविधिक दस्तावेजों को सील करना
- प्ररूप 17ग के भाग 1 में सभी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करना और इसकी प्राधिकृत प्रतियां सभी मतदान अभिकर्ताओं को प्रदान करना
- प्राप्त केंद्र पर सभी निर्वाचन सामग्री जमा करने के लिए सुरक्षा काफिले के साथ जाएं

छद्म मतदान का संचालन

मतदान केंद्र स्थापित करना

- पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारियों, मतदान अभिकर्ताओं की बैठने की व्यवस्था
- मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो, वोटिंग कंपार्टमेंट का अंदरूनी हिस्सा किसी को दिखाई न दे।

मतदान प्रकोष्ठ (वोटिंग कंपार्टमेंट)

- डिब्बे पर कोई सीधी रोशनी न पड़े
- खिड़की से सीधी रोशनी न पड़े
- बीयू की दृश्यता के लिए पर्याप्त प्रकाश सुनिश्चित करें
- गोपनीयता का कोई उल्लंघन नहीं होगा, किसी को कमरे में या खिड़की से मतदान प्रकोष्ठ के अंदर दिखाई नहीं देगा

ईवीएम/वीवीपीएटी की सेटिंग

- बीयू, वीवीपीएटी को वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए। वीवीपीएटी को पहली बीयू के बाईं ओर रखा जाएगा
- केबलों को छिपाया नहीं जाएगा लेकिन निर्वाचक उसमें फंसना/उलझना नहीं चाहिए
- सीयू को तीसरे मतदान अधिकारी के साथ होना चाहिए, वीएसडीयू को चौथे मतदान अधिकारी के साथ होना चाहिए (एम2 वीवीपीएटी के मामले में)
- कनेक्टर्स को उचित पिन और रंग कोड के साथ जोड़ें।


छद्म मतदान

- सीयू पर क्लियर प्रेस करें, यह सभी अभ्यर्थियों के लिए 0 दिखाएगा
- वीवीपीएटी ड्रॉप बॉक्स दिखाएँ कि यह खाली है
- वोटिंग कंपार्टमेंट में पोलिंग एजेंट के साथ एक मतदान अधिकारी उपस्थित होगा
- प्रत्येक अनमास्क बटन के लिए कम से कम 50 वोट एक वोट के साथ डाले जाने चाहिए
- क्लोज , फिर परिणाम बटन दबाएं
- वीवीपीएटी पेपर स्लिप कंपार्टमेंट को खाली करें
- सीयू रिजल्ट और वीवीपीएटी पेपर स्लिप की तुलना करें
- सीयू पर क्लियर बटन दबाएँ
- छद्म मतदान प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करें

मशीनों की सीलिंग

- सीयू में ग्रीन पेपर सील, पेपर सील पर पीठासीन अधिकारियों और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लें
- पेपर सील का हिसाब रखें
- विशेष टैग से सीयू का आंतरिक कवर सील करें
- एड्रेस टैग से सीयू का ऊपरी कवर सील करें
- सीयू के बाहरी आवरण के लिए स्ट्रिप सील करें
- वीवीपीएटी को पेपर स्लिप ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग से सील करें

छद्म मतदान



विशेष परिस्थितियां में कार्रवाई

वीवीपीएटी पेपर स्लिप पर गलत प्रिंट

मतदाता, बैलेट यूनिट पर उसके द्वारा दबाए गए बटन के सापेक्ष वीवीपीएटी पर गलत प्रिंट की शिकायत कर सकते हैं।

- नियम 49डक ऐसे मामले में प्रत्युत्तर प्रदान करता है
- निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षर की गई घोषणा प्राप्त करें
- पीठासीन अधिकारी उस निर्वाचक से संबंधित द्वितीय प्रविष्टि प्ररूप 17क में करें।
- निर्वाचक को पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में परीक्षण मत को प्रलेखित करने की अनुमति दें और पेपर पर्ची का अवलोकन करें
- यदि आरोप सही पाया जाए, तो मतदान रोक दें और रिटर्निंग अधिकारी को इसकी सूचना दें।
- यदि आरोप गलत है, तो इसका उल्लेख प्ररूप 17क में करें, इसके लिए उम्मीदवार की क्रम संख्या और नाम दर्ज करें जिसके लिए ऐसे परीक्षण मत को डाला गया है
- निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान टिप्पणी पर प्राप्त करें
- ऐसे परीक्षण मत की प्रविष्टि प्ररूप 17ग के भाग 1 में करें

खराब ईवीएम / वीवीपीएटी

कंट्रोल इकाई, बैलेट इकाई, वीवीपीएटी खराब हो सकते हैं और इस हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जरूरत हो सकती है

- यदि कंट्रोल इकाई/बैलेट यूनिट ठीक से कार्य नहीं कर रही है, तो पूरी कंट्रोल इकाई, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को बदल दें, नोटा को शामिल करते हुए प्रत्येक उम्मीदवार से एक-एक मत डलवाकर कर छद्म मतदान करें और छद्म मतदान की सभी प्रक्रिया का पालन करें
- यदि वीएसडीयू बैटरी कम चार्ज दिखा रहा है, तो कंट्रोल इकाई को बंद करने के बाद वीवीपीएटी के पावर पैक को बदल दें। पावरपैक को संस्थापित करने के बाद कंट्रोल इकाई ऑन करें।
- वीएसडीयू में प्रदर्शित होने वाली अन्य खराबी के लिए, वीवीपीएटी को बदलने की जरूरत हो सकती है। ऐसे मामले में कोई भी छद्म मतदान आवश्यक नहीं है।

एसडी सूची से वोटर

फील्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार ईआरओ/आरओ द्वारा अनुपस्थित, स्थान परिवर्तित और मृत निर्वाचक की सूची तैयार की जाती है

- निर्वाचक को ईपीआईसी अथवा अनुमत्य फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, पीठासीन अधिकारी इसे व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करेंगे
- निर्वाचक के रजिस्टर में हस्ताक्षर के अलावा अंगूठे का निशान प्राप्त करें (प्ररूप 17क)
- पीठासीन अधिकारी रिकॉर्ड रखेगा और मतदान के अंत में, एसडी सूची से अनुमत निर्वाचकों के बारे में एक प्रमाण पत्र देगा।

एसडी सूची से वोटर

निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवार अथवा अभिकर्ता किसी निर्वाचक को गैर-सरकारी पहचान पर्ची प्रदान कर सकता है

- यदि गैर-सरकारी पहचान पर्ची में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम और/या पार्टी और/या प्रतीक शामिल है, तो ऐसे उल्लंघन को समाप्त करने के लिए संबंधित मतदान अभिकर्ता को निर्देश दें
- निरक्षर निर्वाचक के मामले में, प्रथम मतदान अधिकारी को निर्वाचक की क्रम संख्या पढ़नी चाहिए और निर्वाचक से उसे नाम बताने के लिए कहना चाहिए, ताकि वास्तविकता का पता लगाया जा सके
- प्रतिरूपण के मामले में, संबंधित व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए
- बड़ी संख्या में महिला निर्वाचकों के मामले में, विशेषकर 'पर्दानशीन' (बुर्का पहने) महिलाओं के मामले में, एक महिला मतदान अधिकारी एक अलग खंड में, उपरोक्त कर्तव्यों का पालन करेंगे

चुनौती दिया गया मत

मतदान अभिकर्ता 2 रु. की राशि पीठासीन अधिकारी को जमा करके किसी निर्वाचक की पहचान को चुनौती दे सकते हैं

- पीठासीन अधिकारी ऐसी चुनौती के संबंध में संक्षिप्त जांच कर सकते हैं
- संक्षिप्त जांच के बाद, यदि चुनौती सही नहीं पाई जाती है, तो निर्वाचक को वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- यदि चुनौती सही पाई जाती है, तो निर्वाचक को मतदान करने से रोक दिया जाएगा और लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

निर्वाचक की अपने उम्र के बारे में घोषणा

यदि पीठासीन अधिकारी किसी निर्वाचक को निर्धारित आयु से कम का पाता है

- निर्वाचक की पहचान के बारे में खुद को संतुष्ट करें
- निर्वाचक सूची के लिए, संदर्भ वर्ष की 1 जनवरी को, उसकी आयु के बारे में उचित प्रारूप में एक घोषणा प्राप्त करें। उसे दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी दें।
- उन मतदाताओं की एक सूची तैयार करें, जिनसे आपने अनुलग्नक 9 के भाग I और भाग II में ऐसी घोषणाएँ प्राप्त की हैं।

जब निर्वाचक मत नहीं डालने का निर्णय ले


कोई निर्वाचक, जिनका विवरण प्ररूप 17क में प्रलेखित किया जा चुका है और उसके हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान लिए जा चुके हैं, अपना मत दर्ज नहीं करने का निर्णय लेता है, तो उसे उसको मत डालने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा

- मतदाताओं के रजिस्टर में, 'मत डालने से मना किया' टिप्पणी लिखें और पीठासीन अधिकारी उस टिप्पणी के नीचे हस्ताक्षर करेगा।
- फॉर्म 17ग के भाग I में, मद 3 में नियम 49-ओ के अंतर्गत, 'बिना मत डाले चले जाना' अथवा 'मत डालने से मना किया' समाविष्ट किया जाएगा।
- यदि कंट्रोल इकाई पर बैलेट बटन को दबाया गया है तो अगले निर्वाचक को मतदान करने के लिए सीधे निर्देशित करें।

निविदत वोट

यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र में आता है और वास्तविक निर्वाचक के रूप में मतदान करना चाहता है जिसका मत पहले ही डाला जा चुका है

- उस व्यक्ति की पहचान के बारे में संतुष्ट हो जाएं कि वह संबंधित निर्वाचक है
- यदि संतुष्ट हैं, तो ऐसे व्यक्ति को निविदत मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की अनुमति दें, ईवीएम द्वारा नहीं।
- निविदत मतपत्रों का हिसाब रखें
- ऐसे निर्वाचकों की जानकारी प्ररूप 17ख में प्रलेखित करें



Toll Free No. 1950

f @CEOGOA

t @CEO_Goa



OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER, GOA

प्रस्तावना

1.1. परिचय

- 1.1.1. इस पुस्तिका का उद्देश्य पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्वाचन का संचालन करने में आपको सूचना एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है, ताकि आप प्रभावशाली ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। हालांकि यह पुस्तिका (हैण्डबुक) न तो पहलुओं का सम्पूर्ण संग्रह है न ही निर्वाचन के संचालन से संबंधित निर्वाचन कानून के विभिन्न प्रावधानों का वैकल्पिक संदर्भ है। इसलिए आपको आवश्यकता पड़ने पर इन विधिक प्रावधानों के संदर्भ में **अनुलग्नक 1 तथा 2** की सहायता लेनी होगी।
- 1.1.2. आपकी नियुक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 26 तथा 28क में यथाउल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में की गई है। किसी भी निर्वाचन के संचालन हेतु नामित अन्य अधिकारियों की भांति, आपकी प्रतिनियुक्ति निर्वाचन अधिसूचना जारी होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक की अवधि हेतु निर्वाचन आयोग में की जाती है। तदनुसार ऐसे अधिकारी के रूप में उक्त अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण एवं अनुशासन का निर्वहन करेंगे। पीठासीन अधिकारी होने के नाते आप मतदान केन्द्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। मतदान केन्द्र में मतदान कराने के लिए आपको काफी महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। आपको मतदान केन्द्र में मतदान प्रक्रिया संचालन एवं प्रभाराधीन मतदान केन्द्र की कार्यवाही को नियंत्रित करने हेतु सम्पूर्ण विधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। साथ ही साथ मतदान केन्द्र में घटित होने वाली समस्त गतिविधियों के प्रति आप पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं। यह आपका प्रथम कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है कि आप अपने मतदान केन्द्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करें। इसके लिए आवश्यक है कि आप निर्वाचन संचालन से संबंधित कानून एवं प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोग के अनुदेशों एवं दिशा-निर्देशों से भली-भांति परिचित हों।
- 1.1.3. अब प्रत्येक मतदान केन्द्र में ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) तथा वीवीपीएटी (वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) का उपयोग किया जाता है। मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी के रूप में आपको मतदान प्रक्रिया एवं नियमों तथा ईवीएम और वीवीपीएटी से भली-भांति परिचित होना चाहिए। मतदान केन्द्र में मतदान के संचालन में ईवीएम एवं वीवीपीएटी के परिचालन की प्रत्येक प्रक्रिया से भी आपको क्रमवार अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। आपको वीवीपीएटी के प्रयोग से मतों की रिकॉर्डिंग प्रक्रिया की अच्छी समझ होनी चाहिए। ईवीएम तथा वीवीपीएटी के उपयोग

पर व्यक्तिगत रूप से करके देखा गया व्यावहारिक प्रशिक्षण होना चाहिए। एक छोटी सी भूल या गलती या विधि या नियमों को दोषपूर्ण तरीके से लागू किया जाना या ईवीएम तथा वीवीपीएटी की विभिन्न क्रियाओं का अपर्याप्त ज्ञान आपके मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया को दोषपूर्ण बना सकता है।

1.2. ईवीएम तथा वीवीपीएटी का संक्षिप्त परिचय

- 1.2.1. ईवीएम तथा वीवीपीएटी का विनिर्माण दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नामतः इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूर द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में ईवीएम के दो मॉडल्स - एम2 मॉडल तथा एम3 मॉडल उपलब्ध हैं। इन दोनों मॉडलों में अंतर को इस पुस्तिका में आगे के अध्यायों में स्पष्ट किया गया है। वीवीपीएटी के दो मॉडल हैं - एक वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (वीएसडीयू) के साथ जिनका उपयोग एम2 मॉडल ईवीएम के साथ किया जाता है, और दूसरा बिना वीएसडीयू के। वीएसडीयू के बिना प्रयुक्त मॉडल का उपयोग एम3 मॉडल ईवीएम के साथ किया जाता है।
- 1.2.2. ईवीएम 7.5 वोल्ट बैटरी से संचालित होती है तथा इसे कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह छेड़छाड़ से सुरक्षित, त्रुटि-मुक्त तथा संचालन में आसान है। ईवीएम में दो इकाईयाँ होती हैं - नियंत्रण इकाई तथा मतदान इकाई। मशीन की दोनों यूनिटों की दो अलग-अलग बक्सों में रखकर आपूर्ति की जाती है, जो आसानी से परिवहनीय होती हैं। ईवीएम में एक बार रिकॉर्ड की गई जानकारी उसकी मेमोरी में रहेगी, चाहे बैटरी निकाल दी जाए।
- 1.2.3. वीवीपीएटी 22.5 वोल्ट बैटरी से संचालित होती है और इसका अब हर मतदान केन्द्र में सभी निर्वाचन में उपयोग किया जा रहा है। वीवीपीएटी पेपर स्लिप (कागज की पर्ची) की प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थर्मल पेपर केवल 1500 पेपर स्लिप प्रिंट कर सकते हैं, जिनमें से लगभग 100 पेपर स्लिप वीवीपीएटी को आरंभ किए जाने के दौरान तथा मतदान केन्द्र में मॉक पोल के दौरान मुद्रित की जाती हैं। इसलिए किसी भी मतदान केन्द्र को दी जाने वाली अधिकतम पेपर स्लिप संख्या 1400 है। (51/8/वीवीपीएटी/2017-ईएमएस दिनांक 17.10.2017)
- 1.2.4. निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम 2013, में संशोधन कर नियम 49क के बाद यह प्रावधान जोड़ा गया कि ईसीआई द्वारा अनुमोदित डिजाइन के ड्रॉप बॉक्स युक्त प्रिंटर को ईवीएम के साथ वोट के पेपर ट्रेल को प्रिंट करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्रों या ईसीआई के निर्देशानुसार जोड़ा जा सकता है।

- 1.2.5. डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट), ईवीएम मतपत्र, के साथ-साथ डाले गए तथा ब्रेल मतपत्रों के लिए मतपत्र पर अंतिम अभ्यर्थी के नाम और विवरण वाले पैनल के बाद अंतिम पैनल में 'इनमें से कोई नहीं' (नोटा) लिखा हुआ एक अन्य पैनल होगा, जो उन मतदाताओं के लिए होगा, जो किसी भी अभ्यर्थी के लिए मतदान न करने का विकल्प चाहते हों। ये शब्द उसी भाषा अथवा भाषाओं में लिखे जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम लिखे हों। पैनल का आकार अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर होगा।
- 1.2.6. मतदान इकाई में निर्वाचन की विशिष्टियाँ, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की फोटो, क्रम संख्या, नाम और उन्हें आबंटित क्रमशः प्रतीकों से युक्त मतपत्र प्रदर्शित करने की व्यवस्था है। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने एक नीला बटन है। इस नीले बटन को दबाकर मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी के लिए अपना वोट दर्ज कर सकता है। इस बटन के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक लैम्प है। जब वोट रिकार्ड होता है, तब लैम्प लाल रंग में जलेगा। वीवीपीएटी, क्रम संख्या (सीरियल नंबर), अभ्यर्थी का नाम और संबंधित प्रतीक वाली पेपर स्लिप पर मतदाता की पसंद को प्रिंट करता है, जो पारदर्शी विंडो के माध्यम से 7 सेकंड के लिए प्रदर्शित होता है और स्वचालित रूप से कट जाता है। इसके उपरान्त, बीप की आवाज भी सुनाई देगी। एक मतदान इकाई में अधिकतम 16 बटन की व्यवस्था होती है। यदि 15 अभ्यर्थी हैं, तो अंतिम बटन नोटा के लिए होगा। एम2 मॉडल के ईवीएम में अधिकतम 4 तथा एम3 मॉडल के ईवीएम में अधिकतम 24 मतदान इकाई जोड़ी जा सकती हैं।
- 1.2.7. एक कंट्रोल यूनिट एम2 ईवीएम में अधिकतम 64 तथा एम3 ईवीएम में अधिकतम 384 अभ्यर्थियों के लिए वोट रिकॉर्ड कर सकता है। इस कार्य हेतु एम2 ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट से आपस में जुड़ी 4 बैलेट यूनिट को कनेक्ट किया जाता है। कंट्रोल यूनिट के सबसे ऊपरी भाग पर विभिन्न जानकारीयों और मशीन में रिकॉर्ड किए गए आंकड़े प्रदर्शित करने की व्यवस्था है, जैसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, डाले गए कुल वोटों की संख्या, प्रत्येक अभ्यर्थियों को प्राप्त वोट इत्यादि। इस भाग को सरल भाषा में नियंत्रण यूनिट का 'प्रदर्शन भाग' (डिस्प्ले सेक्शन) कहा जाता है। प्रदर्शन भाग के नीचे, बैटरी लगाने के लिए एक कक्ष है जिससे मशीन चलती है। इस कंपार्टमेंट के दायीं ओर एक और कंपार्टमेंट है जिसमें किसी निश्चित मतदान के लिए अभ्यर्थियों की संख्या सेट करने के लिए बटन होता है। इस बटन को "कैंड सेट" बटन कहा जाता है और इन कक्षों से मिलकर बने नियंत्रण यूनिट के सम्पूर्ण भाग को "कैंडिडेट सेट सेक्शन" कहा जाता है। कैंडिडेट सेट सेक्शन के नीचे कंट्रोल यूनिट का 'रिजल्ट सेक्शन' है। इस भाग में (i) मतदान बन्द करने के लिए बायीं ओर "क्लोज"

बटन (ii) मध्य में 'रिजल्ट' एवं 'प्रिंट' दो बटन। 'रिजल्ट' बटन परिणाम जानने के लिए एवं 'प्रिंट' बटन विस्तृत परिणाम के प्रिंट-आउट के लिए होता है (इस कार्य हेतु एक विशेष उपकरण सीयू में जोड़ा जाता है), और (iii) मशीन में रिकार्ड किये गये आंकड़ों की जब आवश्यकता न हो तब उन्हें मिटाने के लिए "क्लीयर" बटन दायीं ओर होता है। कंट्रोल यूनिट के निचले हिस्से में दो बटन हैं। एक पर "बैलेट" तथा दूसरे पर "टोटल" अंकित है। 'बैलेट' बटन दबाने पर वोट रिकार्ड करने के लिए मतदान इकाई तैयार हो जाती है तथा 'टोटल' बटन दबाने पर उस स्थिति में रिकार्ड किये गये कुल मत (बिना अभ्यर्थी मतों के) प्रदर्शित होते हैं। कंट्रोल यूनिट के इस भाग को 'बैलेट सेक्शन' कहा जाता है।

1.3. विधिक प्रावधान

- 1.3.1. वैधानिक उपबन्ध, जिसका संबंध पीठासीन अधिकारी के रूप में आपके कर्तव्यों से है, अनुलग्नक 1 और 2 में उद्धृत किये गये हैं।

1.4. कर्तव्यों की व्यापक रूपरेखा

- 1.4.1. इस पुस्तिका के विभिन्न अध्यायों में विस्तृत निर्देश और अनुदेश समाहित हैं, फिर भी आपके मार्गदर्शन के लिए आपके कर्तव्यों के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण पहलू नीचे दिये गये हैं।
- 1.4.2. आपको ईवीएम और वीवीपीएटी के द्वारा मतदान के संचालन के लिए विहित नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में नवीनतम स्थिति में स्वयं को भली-भाँति अवगत होना चाहिए।
- 1.4.3. आपको वीवीपीएटी के साथ ईवीएम के संचालन की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उपलब्ध विभिन्न बटन और स्विच की प्रक्रियाओं से स्वयं को पूरी तरह से परिचित होना चाहिए। (इस उपर्युक्त पैरा 2 में वर्णित किया गया है)।
- 1.4.4. आपको आयोग के समस्त अनुदेशों को अपने पास सुलभ संदर्भ के लिए रखना होगा।
- 1.4.5. आपको किसी भी प्रशिक्षण कक्ष में अनुपस्थित नहीं होना चाहिए, ऐसा न हो कि आप विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में अनभिज्ञ रहें।
- 1.4.6. निर्वाचन सामग्री संग्रहीत करते समय, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त वस्तुएं आपको सौंप दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हैं (1) वीवीपीएटी के साथ ईवीएम (2) निविदत्त मतपत्र (3) ब्रेल मतपत्र (4) मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 17क) (5) निर्वाचक-नामावली की चिन्हित प्रति (6) प्ररूप 17ग और (7) नामावली की

अतिरिक्त प्रतियां ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, विशेष टैग्स, एड्रेस टैग्स, संवैधानिक प्ररूप, सीलिंग मोम और अमिट स्याही, एसडी, एआईएस तथा सीएसवी सूची, काले लिफाफे, प्लास्टिक बक्से।

- 1.4.7. मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर, आपको समुचित मतदान केन्द्र की स्थापना के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं, विशेषतः मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने, मतदाताओं की पंक्ति का विनियमन करना, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त मतदान कार्यवाहियों का संरक्षण इत्यादि का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। वितरण केन्द्र पर आने के बाद, यह सुनिश्चित कर लें कि आपके मतदान केन्द्र पर सीपीएफ या पुलिस व्यवस्था है। यह भी कि माइक्रो आब्जर्वर तथा डिजिटल कैमरा/वेब कास्टिंग/विडियो कैमरा मतदान केन्द्र पर तैनात हैं।
- 1.4.8. मतदान शुरू होने से पहले, वीवीपीएटी के साथ ईवीएम को मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया जाना चाहिए, जो मतदान केन्द्र पर मौजूद हैं ताकि उन्हें संतुष्ट किया जा सके कि कोई वोट पहले से रिकॉर्ड नहीं किया गया है और मशीन सही काम करने की स्थिति में है। इन उद्देश्यों के लिए, एक छद्म मतदान अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाएगा ताकि मतदान अभिकर्ताओं को निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी हेतु यादृच्छिक रूप से कुछ वोट दर्ज किए जा सकें और उसके बाद परिणाम का मिलान किया जा सके। आयोग का नवीनतम दिशानिर्देश उल्लेख करता है कि छद्म मतदान में कम से कम 50 वोट डाले जाएंगे, और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कम से कम एक वोट डाला जाएगा।
- 1.4.9. आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आयोग के निर्देशानुसार यदि छद्म मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं की जाती, तो उस केन्द्र पर मतदान नहीं होगा।
- 1.4.10. छद्म मतदान आयोजित करने के पश्चात् ऐसे मॉक पोल में रिकार्ड किये गये मत मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट से हटा दिए जाएंगे, ताकि छद्म मतदान से संबंधित कोई भी आंकड़ा मशीन की स्मृति में शेष नहीं रहे, साथ ही छद्म मतदान के बाद वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से पेपर स्लिप निकाल कर खाली कर लिया जाए। मतदान मशीन की नियंत्रण इकाई को तब, उसमें उपलब्ध स्थान पर, ग्रीन पेपर सील लगाकर मुहरबंद और सुरक्षित किया जाये। वीवीपीएटी के ड्राप बाक्स को भी वास्तविक मतदान शुरू होने के पूर्व एड्रेस टैग से अनिवार्य तौर पर सील किया जाना चाहिए। इस सीलिंग की प्रक्रिया को अध्याय 13 और 14 में विस्तारपूर्वक समझाया गया है।

- 1.4.11. मतदान, निर्वाचन आयोग द्वारा नियत समय पर प्रारंभ किया जाना चाहिए। मतदान प्रारंभ करने के पूर्व, उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं और मतदान अधिकारियों को मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए चेतावनी दी जानी चाहिए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंध पढ़े जाने चाहिये तथा उनके संज्ञान में लाये जाने चाहिए।
- 1.4.12. मतदान प्रारंभ होने पर, ऊंची आवाज में घोषणा पढ़नी होगी ताकि पॉलिंग स्टेशन में उपस्थित सभी व्यक्ति इसे सुन सकें तथा घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे और उपस्थित मतदान अभिकर्ता जो अपना हस्ताक्षर करना चाहते हैं, उनसे इस पर हस्ताक्षर लेने होंगे। यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो पीठासीन अधिकारी को बिना किसी घोषणा के ऐसे मतदान अभिकर्ता का नाम दर्ज करना चाहिए और मतदान मशीन के प्रदर्शन, मतदाता सूची की चिह्नित प्रति और मतदाताओं के रजिस्टर के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा करनी चाहिए और ऐसे अभ्यर्थियों या उनके पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए।
- 1.4.13. आयोग के निर्देशों के अनुसार, सभी निर्वाचक, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किए गए हैं, ऐसे पहचान पत्र को सभी साधारण और उप निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। निर्वाचक के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र न होने की स्थिति में, आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी वैकल्पिक दस्तावेज के माध्यम से पहचान सत्यापित की जाएगी, जिसमें मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी मतदाता पर्ची भी शामिल है। इसके अलावा, यदि मतदाता किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है और उसका नाम यदि आपके मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में है, तो उसे वोट देने का अवसर दिया जाये, जहाँ वह वोट डालने के लिए उपस्थित हुआ है।
- 1.4.14. मतदाता की पहचान प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि, निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र, निर्वाचक नामावली में मतदाता का फोटो (यदि वह एक ऐसा मतदान केन्द्र है, जहाँ फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियाँ उपलब्ध कराई गई हैं) या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए किसी अन्य वैकल्पिक दस्तावेज को ध्यान में रखकर उचित रूप से की जायेगी। निर्वाचक की पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग समय-समय पर अन्य पहचान दस्तावेज हेतु निर्देश जारी करता है। किसी मतदाता द्वारा लायी गई अनाधिकारिक पहचान पर्ची मान्य नहीं होगी।

- 1.4.15. किसी निर्वाचक की, निर्वाचक नामावली में उसकी प्रविष्टि के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित दस्तावेजों की मदद से पहचान होने के पश्चात् दूसरा मतदान अधिकारी उसके बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही चिन्हित करेगा। (बायें हाथ की तर्जनी पर चिन्ह की कार्यवाही अध्याय 8 में वर्णित है।)
- 1.4.16. निर्वाचक की क्रम संख्या (नाम नहीं) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17क) में नोट करें।
- 1.4.17. निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17क) पर प्राप्त किया जाना चाहिए, इससे पहले कि उसे अपना वोट डालने की अनुमति दी जाए। यदि कोई निर्वाचक, मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान देने से इंकार करता है तो उसे 'मत देने की अनुमति नहीं' दी जायेगी और इसकी प्रविष्टि 'वोट देने से मना किया', टिप्पणी के साथ मतदाता रजिस्टर में की जाएगी। आपको उक्त टिप्पणी के नीचे अपने हस्ताक्षर करने होंगे। यदि मतदाता सूची में रजिस्टर में लिख दिया गया है और उसने हस्ताक्षर कर दिये हैं या अंगूठे का निशान भी लगा दिया है और फिर भी मत देना नहीं चाहता तो उसके नाम के आगे 'वोट देने से मना किया/वोट नहीं डाला' लिखें व मतदाता से उस स्थान पर प्ररूप 17क में मतदाता का हस्ताक्षर लें या अंगूठे का निशान लगवायें। ऐसे मामले में, मतदाता रजिस्टर के क्रमांक 1 (17क) के कॉलम 1 में निर्वाचक की क्रम संख्या या उसके बाद आने वाले किसी भी अन्य निर्वाचनकर्ता के क्रम में कोई बदलाव करना आवश्यक नहीं होगा। यदि कंट्रोल यूनिट का 'बैलेट' बटन दबाने के बाद भी कोई मतदाता मतदान करने से मना करता है, तो पीठासीन अधिकारी/ तीसरा मतदान अधिकारी सीधे अगले मतदाता को मतदान के लिए कक्ष में बुलायें। एक विकल्प के रूप में, कंट्रोल यूनिट के प्रभारी अधिकारी को कंट्रोल यूनिट का पॉवर स्विच को 'ऑफ' स्थिति में रखना चाहिए, और अगले मतदाता के आने पर पुनः 'ऑन' स्थिति में करके 'बैलेट' बटन दबाएं और अपना वोट रिकॉर्ड करने के लिए अगले मतदाता को मतदान कक्ष में जाने के लिए निर्देशित करना चाहिए।
- 1.4.18. एक और परिस्थिति में जब कंट्रोल यूनिट का "बैलेट" बटन वोट देने के लिए चालू कर दिया जाता है और अंतिम निर्वाचक द्वारा बैलेट यूनिट पर मतदान करने से मना कर दिया जाए तब पीठासीन/तृतीय पोलिंग अधिकारी, जो भी प्रकोष्ठ की कंट्रोल यूनिट के प्रभारी हों, कंट्रोल यूनिट के "पावर" बटन को बंद करके कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपीएटी के सम्पर्क को विच्छेद कर देंगे। कंट्रोल यूनिट से मतदान इकाई एवं वीवीपीएटी को

अलग करने के बाद पुनः कंट्रोल यूनिट का पावर बटन चालू कर देंगे। अब 'बिजी' लैम्प बंद हो जायेगा और मतदान समाप्त करने हेतु 'क्लोज' बटन चालू हो जायेगा।

- 1.4.19. मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेने के बाद उसके बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से निशान लगायें, और उसे क्रम संख्या दिखाते हुए मतदाता पर्ची जारी करें (निर्धारित प्रपत्र में), जिस पर उससे संबंधित प्रविष्टि मतदाता सूची में दर्ज की गई है।
- 1.4.20. मतदाताओं को, उसी मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि मतदाता पर्चियों के क्रम के आधार पर ही मतदान मशीन में मत रिकार्ड करने के लिए अनुमति दी जायेगी, जिसमें उनके नाम दर्ज किए गए हैं।
- 1.4.21. मतदाता अपने द्वारा डाले गए वोट से संबंधित मुद्रित कागज़ की पर्ची को वीवीपीएटी की पारदर्शी खिड़की के माध्यम से 7 सेकेंड के लिए देख सकता है, जिसमें उसके द्वारा वोट किए गए अभ्यर्थी का क्रमांक, नाम व निर्वाचन चिन्ह प्रदर्शित होगा, और फिर यह कट कर वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगा।
- 1.4.22. यदि आप यह समझते हैं कि कोई व्यक्ति मतदाता की न्यूनतम आयु अर्थात् 18 वर्ष से काफी कम है, किन्तु आप उसकी पहचान और निर्वाचक नामावली में उसका नाम सम्मिलित होने के तथ्य से संतुष्ट हैं, तो आपको उससे उसकी आयु के सम्बन्ध में **अनुलग्नक-7** में दिये गए प्रारूप में एक घोषणा प्राप्त करनी चाहिए।
- 1.4.23. किसी भी प्रांसगिक घटना को उसी समय पीठासीन अधिकारी की डायरी में रिकॉर्ड करना आपका महत्वपूर्ण दायित्व होगा।
- 1.4.24. यदि आपको शंका है कि पर्दे से घिरे मतदान कक्ष की बैलेट यूनिट ठीक से कार्य नहीं कर रही या किसी मतदाता ने जो मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश कर चुका है, उसके साथ छेड़-छाड़ की है या किसी वस्तु को उसके अन्दर डाला है या सेलोटैप या माचिस या च्युइंगम को नीले बटन पर चिपकाया है या मतदाता अनावश्यक रूप से अधिक समय तक उसमें रहा है तो आपको नियम 49थ के तहत यह अधिकार होगा कि आप स्वयं मतदान कक्ष में जाकर कार्यवाही करें एवं ऐसा कदम उठाएं कि यह सुनिश्चित हो कि बैलेट यूनिट के साथ छेड़-छाड़ न की जाये व मतदान सुचारु रूप से तथा नियमानुसार चलता रहे। ध्यान रखें जब भी कक्ष में जाएं, अकेले न जायें। साथ में एक या दो मतदान अभिकर्ता जो मतदान केन्द्र में उपस्थित हों, को ले जायें।

- 1.4.25. यदि मतदान केन्द्र पर कोई घटना घटती है और उसकी सूचना आपके द्वारा न दी जाये और किसी अन्य स्रोत से आयोग की जानकारी में आये तो आयोग इसे गंभीरता से लेगा और आपके विरुद्ध गंभीर कार्यवाही की जायेगी।
- 1.4.26. आपको मतदान के शांतिपूर्वक और निर्बाध संचालन के लिए मतदान केन्द्र की कार्यवाहियों का विनियमित करना होगा। आपको व्यवहारकुशल किन्तु दृढ़ और निष्पक्ष होना चाहिए।
- 1.4.27. आप आवधिक रूप से डाले गये मतों की कुल संख्या एक निश्चित घंटे तक की 'टोटल बटन' दबाकर जाँचते रहें।
- 1.4.28. यदि किसी कारण से मतदान देर से प्रारंभ हुआ हो तो भी आपको निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत समय पर मतदान बंद करना चाहिए। फिर भी मतदान की समाप्ति के समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित समस्त मतदाताओं को मत डालने के लिए अनुमति दी जायेगी, चाहे मतदान कुछ और समय तक चलता रहे। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान समाप्ति के समय के पश्चात् कोई व्यक्ति मतदाताओं की पंक्ति में नहीं आने पाये। उस प्रयोजन के लिए आपको पंक्ति में खड़े समस्त मतदाताओं को पंक्तियाँ वितरित करना चाहिए, यह कार्य पंक्ति खड़े में अंतिम मतदाता से प्रारंभ किया जाना चाहिए। जब सभी मतदाता मत डाल लें और कोई शेष न बचें तब मतदान अधिकारी अंतिम प्रविष्टि के बाद लाल लाइन खींचेंगे और हस्ताक्षर कर समय तथा तारीख लिखेंगे। कतार में सभी मतदाताओं के वोट डालने के बाद कंट्रोल यूनिट का 'क्लोज' बटन दबाएं।
- 1.4.29. मतदान की समाप्ति पर आपसे प्रारूप 17ग के भाग-1 में "रिकॉर्ड मतों का लेखा" तैयार करना तथा उस पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेने अपेक्षित हैं। ऐसे रिकॉर्ड मतों के लेखे की अधिप्रमाणित प्रतियाँ प्रत्येक अभ्यर्थी के अभिकर्ताओं को देने की अपेक्षा की जाती है। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं को ऐसी प्रतियाँ देने संबंधी घोषणा करें।
- 1.4.30. मतदान की समाप्ति पर वीवीपीएटी के साथ मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्रादि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित रीति से मुहरबंद और सुरक्षित रखने चाहिए। उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को भी, यदि ऐसा करना चाहें, आपकी मुहर के साथ-साथ मतदान मशीन, वीवीपीएटी और निर्वाचन पत्रों पर उनकी मुहर लगाने के लिए अनुमति देना है। आपको मतदान मशीन, वीवीपीएटी और निर्वाचन पत्रों को

मुहरबंद तथा सुरक्षित रखने के बारे में सुसंगत अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अनुसरण करना चाहिए।

- 1.4.31. यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सम्यक रूप से मुहरबंद और सुरक्षित मतदान मशीन, वीवीपीएटी मशीन और समस्त निर्वाचन पत्रादि को अधिकृत अधिकारी को सौंपकर रसीद ले लें।
- 1.4.32. विभिन्न स्तरों पर आपके कर्तव्य, आपकी सुविधा के लिए पाँच विभिन्न शीर्षकों के अधीन **अनुलग्नक 3** में संक्षेप में दिये गये हैं।
- 1.4.33. चेक मेमो: यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचन के संबंध में विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं की आपने पूर्ति कर ली है, निर्वाचन आयोग ने आपके लिए एक चैक मेमो बनाया है, जो **अनुलग्नक 20** में दिया गया है। उक्त चैक मेमो आपके द्वारा समुचित रूप से भरा जाना चाहिए।

2. मतदान दल का गठन और प्रशिक्षण

2.1. मतदान दल

- 2.1.1. आमतौर पर एक मतदान दल में पीठासीन अधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारी होंगे। यदि वीवीपीएटी स्टेट्स डिस्प्ले यूनिट (वीएसडीयू) के साथ एम2 वीवीपीएटी उपलब्ध कराया गया है, तो एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी भी उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान दल की नियुक्ति करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी आपके दल के किसी मतदान अधिकारी को मतदान केन्द्र पर अपरिहार्य कारणों से पीठासीन अधिकारी के कार्य न कर पाने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों को वहन करने के लिए प्राधिकृत करेगा।
- 2.1.2. दो समानांतर निर्वाचन प्रक्रिया संचालित होने की स्थिति में दल में एक पीठासीन अधिकारी और पाँच मतदान अधिकारी होंगे।

2.2. मतदान हेतु प्रशिक्षण

- 2.2.1. जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी आपके एवं मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रबंध करेंगे। आपको और सभी मतदान अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों से संबंधित समस्त शंकाओं को दूर कर लेना चाहिए।
- 2.2.2. प्रशिक्षण कक्षाओं रिहर्सल को गंभीरता से लें। भले ही आप पूर्व में पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं जहां ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग हुआ हो, तब भी इन प्रशिक्षण कक्षाओं / रिहर्सल में भाग लेना चाहिए क्योंकि आपको वीवीपीएटी और कानून के कुछ नए तथ्यों / निर्देशों / प्रावधानों के बारे में जानकारी मिल सकती है। निर्वाचन नियम तथा प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित होती है। अतः यह आवश्यक है कि आप इन प्रशिक्षणों / रिहर्सल में आकर नवीनतम नियम, कानून व निर्देशों आदि से संबंधित प्रावधानों की जानकारी लें। इसके अलावा, यदि नियमों तथा प्रक्रिया में परिवर्तन न भी हो, तो भी यह आवश्यक है कि आप अपनी स्मृति को ताजा करें। प्रशिक्षण की समाप्ति पर आपको ईवीएम एवं वीवीपीएटी संचालन, हरी सील लगाना, स्पेशल टैग लगाना, स्ट्रिप सील लगाना तथा सीलिंग की पूरी प्रक्रिया, तथा मतदान केन्द्र में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सांविधिक और गैर-सांविधिक प्रपत्रों की पूरी जानकारी हो जाएगी।

2.3. डाक मतपत्र हेतु आवेदन

- 2.3.1. आप और आपके मतदान अधिकारी उसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हो सकते हैं जहाँ आपको इयूटी पर या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र पर लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर आपके पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति का आदेश दो प्रतियों में जारी करेंगे और इस आदेश के साथ, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर आपको पर्याप्त संख्या में प्ररूप 12 और 12ए भेजेंगे ताकि आप और अन्य मतदान अधिकारी डाक मतपत्रों और निर्वाचन इयूटी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकें। यदि आप में से कोई भी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हैं, तो आप रिटर्निंग ऑफिसर को प्ररूप 12ए में निर्वाचन इयूटी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप में से कोई, निर्वाचन इयूटी पर लगाये गये निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं, तो आपको प्ररूप 12 भरना होगा और डाक मतपत्र के लिए आवेदन करना होगा। इस संबंध में प्रशिक्षण सत्रों के दौरान डाक मतदान की प्रक्रिया की व्यवस्था की जाएगी। यह भी ध्यान रखा जाए कि यदि आपको एक बार डाक मतपत्र जारी किया गया है तो आप डाक मतपत्र से ही वोट करेंगे, भले ही आप किसी भी कारण से निर्वाचन इयूटी पर तैनात न हों।
- 2.3.2. प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक की निर्वाचक नामावली की एक प्रति प्रशिक्षण केन्द्रों पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी जायेगी ताकि आप निर्वाचक नामावली संख्यांक से संबंधित अपना विवरण नोट कर सकें, जिसे आपको डाक मतपत्र के लिए अपने आवेदन में प्रस्तुत करना होगा।

3. वोटिंग मशीन और मतदान सामग्री का संग्रह

3.1. मतदान सामग्री

- 3.1.1. मतदान के दिन से पहले वाले दिन, या मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करने के दिन, आपको सारी निर्वाचन सामग्री प्रदान की जाएगी, जिनकी एक सूची **अनुलग्नक-19** में प्रदान की गई है। अपने मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपने समस्त सामग्री प्राप्त कर ली हैं।

3.2. ईवीएम और वीवीपीएटी की जाँच करना

- 3.2.1. यह जाँच लें कि कंट्रोल यूनिट (सीयू), बैलेट यूनिट (बीयू) और वीवीपीएटी वही है, जो आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग हेतु निर्धारित है। इनकी जाँच, उक्त यूनिटों से संलग्न एड्रेस टैग के संदर्भ में की जानी चाहिए, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्येक एड्रेस टैग पर मतदान केन्द्र की संख्या और नाम प्रदर्शित किये जायेंगे।
- 3.2.2. जाँच लें कि कंट्रोल यूनिट का 'कैंडिडेट सेट सेक्शन' विधिवत रूप से सीलबंद किया गया है और उसके साथ एड्रेस टैग मजबूती से बंधा है।
- 3.2.3. यह जाँच लें कि कंट्रोल यूनिट (सीयू) में लगी बैटरी पूर्णतः कार्यरत है। इसकी जाँच पिछले हिस्से में उपलब्ध पॉवर स्विच को 'ऑन' करके की जा सकती है। **उक्त जाँच के पश्चात् पॉवर स्विच को 'ऑफ' स्थिति में कर देना चाहिए।**
- 3.2.4. यह जाँच लें कि मतदान दल को यह निर्देश दिया गया है कि वितरण के समय या छद्म मतदान के पूर्व **वीवीपीएटी को किसी भी स्थिति में टेस्ट न किया जाये**, क्योंकि उन्हें जारी किए गए वीवीपीएटी की पहले से ही जाँच की जा चुकी है। (51/8/वीवीपीएटी 2017 -ईएमएस दिनांक 16 अक्टूबर, 2017)
- 3.2.5. यह जाँच लें कि आपको अपेक्षित संख्या में 'बैलेट यूनिट' दी गयी है और उनमें से प्रत्येक पर मतपत्र स्क्रीन के अंदर बैलेट पेपर सम्यक रूप से लगा दिये गये हैं। आपको दी जाने वाली बैलेट यूनिटों की संख्या आपके निर्वाचन क्षेत्र में लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी।
- 3.2.6. **एम2 ईवीएम बैलेट यूनिट में स्लाइड स्विच पोजीशन की जाँच करें:** यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3 और 16 (नोटा सहित) के बीच है, तो केवल एक बैलेट यूनिट दी जायेगी और बैलेट यूनिट के दायीं ओर सबसे ऊपर विन्डो से दिखने वाला स्लाइड स्विच रिटर्निंग आफिसर द्वारा '1' स्थिति में सेट किया जाएगा। यदि

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 17 और 32 (नोटा सहित) के बीच है तो आपको दो बैलेट यूनिटें दी जायेगी। पहली बैलेट यूनिट, जिसमें उपर्युक्त उल्लिखित स्लाइड स्विच '1' स्थिति में सेट किया जायेगा, में मतपत्र में क्र. सं. 1 से 16 पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के नाम होंगे। दूसरी मतदान यूनिट 17 से आगे (और 32 तक नोटा सहित) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों से युक्त मतपत्र की दूसरी शीट प्रदर्शित करेगी और उस यूनिट में स्लाइड स्विच '2' स्थिति में सेट किया जायेगा। इसी तरह यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 33 से 48 (नोटा सहित) के बीच हो तो तीन बैलेट मशीनें दी जायेंगी और यदि अभ्यर्थियों की संख्या 47 से अधिक और 64 (नोटा सहित) तक हो वहाँ ऐसी चार यूनिटें होंगी। तीसरी मतदान यूनिट में मतपत्र में क्र. सं. 33 से आगे (48 तक नोटा सहित) अभ्यर्थियों के नाम होंगे और इसका स्लाइड स्विच '3' स्थिति में सेट किया जायेगा। चौथी मतदान यूनिट में उसमें लगे मतपत्र पर क्रम सं. 49 से आगे (64 तक नोटा सहित) के अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित होंगे और इसका स्लाइड स्विच स्थिति '4' दर्शित करेगा। स्लाइड स्विच पर 1,2,3 तथा 4 अंकित होगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्विच को 1, 2, 3 अथवा 4 की स्थिति में रखना चाहिए। स्विच की स्थिति को बैलेट यूनिट के ऊपर की दायीं ओर छोटी विंडो के माध्यम से देखा जा सकता है।

- 3.2.7. **एम 3 ईवीएम बैलेट यूनिट पर थम्बव्हील स्विच सेटिंग की जाँच:** थम्बव्हील स्विच विंडो बैलेट यूनिट के ऊपर दायीं ओर होता है तथा इसमें दो थम्बव्हील होते हैं। संख्या '0', '1', '2', '3' से '9' तक को विंडो में प्रकट करने के लिए दाएँ थम्बव्हील को बैलेट यूनिट के अंदर से संचालित किया जा सकता है। केवल संख्या '0', '1' और '2' को विंडो में प्रकट करने के लिए बायें थम्बव्हील को संचालित किया जा सकता है। जब केवल एक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है, संख्या '1' को दिखाने के लिए दायें थम्बव्हील को संचालित किया जाता है और संख्या '0' को दिखाने के लिए बाएँ थम्बव्हील को संचालित किया जाता है। जब दूसरे बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है, संख्या '2' को दिखाने के लिए दायें थम्बव्हील को संचालित किया जाता है और संख्या '0' को दिखाने के लिए बाएँ थम्बव्हील को संचालित किया जाता है। जब चौबीस बैलेट यूनिट (मतपत्र इकाइयों) का उपयोग किया जाता है, तो संख्या '4' को दिखाने के लिए बाएँ थम्बव्हील को संचालित किया जाता है और संख्या '2' को दिखाने के लिए बाएँ थम्बव्हील को संचालित किया जाता है। यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3 से 16 (नोटा सहित) के बीच है तो केवल एक बैलेट यूनिट प्रदान किया जायेगा और थम्बव्हील को रिटर्निंग ऑफीसर के द्वारा पोजिशन '01' पर

सेट किया जायेगा व इसे बैलेट यूनिट के दायें ऊपरी विंडो में देखा जा सकेगा। यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 से 32 के बीच है तो आपको दो बैलेट यूनिट प्रदान किये जायेंगे। प्रथम बैलेट यूनिट जिसमें ऊपर उल्लिखित थम्बव्हील को पोजीशन '01' पर सेट किया जाएगा, में बैलेट पेपर में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों का नाम, अभ्यर्थी सूची, क्रमांक 1 से 16 तक होगा। दूसरा बैलेट यूनिट, दूसरी बैलेट शीट को प्रदर्शित करेगी, जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम 17 से आगे (और 32 तक नोटा सहित) होगा तथा इस यूनिट में थम्बव्हील पोजिशन '02' पर सेट होगा। इसी प्रकार यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 33 से 48 के बीच है तो तीन बैलेट यूनिट प्रदान की जायेगी। तीसरी बैलेट यूनिट में बैलेट पेपर में अभ्यर्थियों का नाम क्रमांक 33 से आगे (48 तक नोटा सहित) होगा और इसके थम्बव्हील '03' की पोजिशन पर सेट किया जायेगा। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 49 से ज्यादा और 64 तक (नोटा सहित) होगी, तो इसी प्रकार की चार यूनिटें होगी। चौथे बैलेट यूनिट में लगायी गयी बैलेट शीट पर अभ्यर्थियों के नाम, क्रमांक 49 से आगे (64 तक नोटा सहित) प्रदर्शित होंगे तथा इसका थम्बव्हील पोजिशन '04' दिखायेगा। यदि पाँचवां बैलेट यूनिट होगा तो पाँचवी बैलेट यूनिट लगाए गए बैलेट पेपर में अभ्यर्थियों का नाम क्रमांक 65 से आगे (80 तक नोटा सहित) प्रदर्शित करेगी तथा इसका थम्बव्हील पोजिशन '05' दिखायेगा। इसी प्रकार से 24 बीयू का उपयोग करते समय, मतपत्र पर चौबीस बैलेट यूनिट पर अभ्यर्थियों का नाम क्रमांक 368 से आगे (384 तक नोटा सहित) प्रदर्शित होगा तथा इसका थम्बव्हील पोजिशन '24' को दिखाएगा। ध्यान दें कि एम3 ईवीएम में कंट्रोल यूनिट से 24 बैलेट यूनिट जोड़े जा सकते हैं।

- 3.2.8. यदि आप स्लाईड स्विच या थम्बव्हील लगाने में कोई विसंगति पायें तो तत्काल अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग ऑफीसर को सूचित करें। परंतु किसी भी परिस्थिति में आप या आपके मतदान अधिकारी स्लाईड स्विच/थम्बव्हील को न छेड़ें।
- 3.2.9. यह सुनिश्चित करें कि बैलेट यूनिट में जो बैलेट पेपर लगाया गया है वह उचित ढंग से पंक्तिबद्ध हो ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम तथा प्रतीक चिन्ह उसके लेंप तथा बटन की पंक्ति में हो और बैलेट पेपर अभ्यर्थियों के पैनल को विभाजित करने वाली मोटी रेखाएँ व बैलेट यूनिट में उनके खाँचे एक पंक्ति में हों।
- 3.2.10. जाँच लें कि बैलेट यूनिट पर दिखायी देने वाली अभ्यर्थियों की अनावृत नीली बटनों की संख्या अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर हो तथा यदि कोई बटन शेष हो तो वह ढकी हुई होनी चाहिए।

- 3.2.11. जाँच लें कि प्रत्येक बैलेट यूनिट अच्छी तरह से सीलबंद हो तथा दो स्थानों पर अर्थात् दाहिने ऊपरी भाग व दाहिने निचले भाग में रिटर्निंग ऑफिसर की सील से सुरक्षित हो, और यह कि उस पर एड्रेस टैग्स मजबूती से लगा हो।

3.3. मतदान सामग्री की जाँच करना:

- 3.3.1. जाँच लें कि आपको दी गयी 10 सीसी की दो शीशियों में, प्रत्येक में, पर्याप्त मात्रा में अमिट स्याही हो, क्योंकि बायें हाथ की तर्जनी पर नाखून के टॉप से उंगली के प्रथम जोड़ के बॉटम तक लाइन के रूप में स्याही लगानी है तथा यह भी जांच कर लें कि स्टैम्प पेड सूखे हुए न हों।
- 3.3.2. जाँच लें कि निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की तीनों प्रतियाँ (एक साथ मतदान की स्थिति में पाँच प्रति) पूर्ण और सभी तरह से समान हैं और, विशेष रूप से कि -
- 3.3.3. आपको दिया गया सुसंगत भाग उसी क्षेत्र का है जिसके लिए मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है और यह कि उसकी प्रत्येक प्रति अनुपूरक सूची सहित सभी प्रकार से पूर्ण है;
- 3.3.4. अनुपूरक सूचियों के अनुसार सभी प्रतियों में से नाम काट दिये गये हैं और लिपिकीय या अन्य गलतियों से संबंधित शुद्धियाँ सम्यक् रूप से कर दी गयी हैं;
- 3.3.5. निर्वाचक नामावली की प्रत्येक वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ पाण्डुलिपि के अनुसार क्रम संख्या 1 से शुरू होकर आगे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित है;
- 3.3.6. मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या को स्याही से या अन्य प्रकार से ठीक नहीं किया गया है और उनके स्थान पर नये क्रम प्रतिस्थापित नहीं किये गये हैं।
- 3.3.7. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति (निर्वाचक नामावली की प्रति का उपयोग वोट देने हेतु अनुमति प्राप्त निर्वाचकों के नाम 'चिन्हित करने हेतु) में डाक मतपत्र जारी करने (जैसे- 'PB', 'EDC') के अलावा किसी प्रकार का कोई रिमार्क अंकित नहीं है। यदि नामावली के अनुपूरक में कोई विलोपन होगा तो मूल सूची की पुनः मुद्रित प्रति में संबंधित निर्वाचक के विवरण बॉक्स में "D E L E T E D" शब्द अंकित होगा ।
- 3.3.8. निर्वाचक नामावली सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और एक अन्य अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली पर हस्ताक्षर होने चाहिए।
- 3.3.9. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के रूप में उपयोग किए जाने हेतु इस प्रति के मुखपृष्ठ पर रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।

- 3.3.10. जाँच लें कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के साथ अनुपस्थिति, अन्यत्र स्थानांतरित निर्वाचक, यदि कोई हों, की सूची आपको मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को चिन्हित करने में सुविधा की दृष्टि दे दी गई है।
- 3.3.11. जाँच लें कि आपको उपलब्ध कराए गए निविदत मतपत्र उसी निर्वाचन क्षेत्र के हैं जिसमें आपको सौंपा गया मतदान केन्द्र स्थित है और ये जांच भी कर लें कि ये मतपत्र आपके मतदान केन्द्र में किसी भी दृष्टि से दोषपूर्ण नहीं हैं। आप यह भी जाँच कर लें कि क्रम संख्याएं आपको उपलब्ध कराए गए विवरण से मेल खाती हैं।
- 3.3.12. यदि किसी प्रकार से आप वोटिंग मशीन या अन्य मतदान सामग्री में किसी प्रकार की खराबी पाएँ तो इस खराबी को ठीक करने के लिए आप तत्काल मतदान मशीन/मतदान सामग्री वितरण करने वाले अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर के ध्यान में लाएं।
- 3.3.13. यह भी जाँच करें कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूनों की छाया प्रतियाँ आपको दी गई हैं। मतदान केन्द्र पर इससे आपको, अभ्यर्थियों/उसके मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र हेतु हस्ताक्षर की वैधता को सत्यापित करने में सहायता प्राप्त होगी।

4. फोटो निर्वाचक नामावली

4.1. फोटो निर्वाचक नामावली

- 4.1.1. सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में अब फोटो निर्वाचक नामावली (फोटो इलेक्टोरल रोल्स) उपलब्ध है। यह मतदान के दिन निर्वाचक की पहचान करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये बनायी गयी है।
- 4.1.2. फोटो निर्वाचक नामावली में मौजूदा नामावली में निगमित सभी सूचनाओं के साथ सभी निर्वाचकों के फोटो दिए होते हैं। इससे मतदान के दिन मतदान केन्द्र में निर्वाचकों की पहचान करने में आसानी होती है।
- 4.1.3. निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) का प्रयोग मतदान केन्द्र में निर्वाचक की पहचान निर्धारित करने के लिए होता है। हालाँकि, ईपीआईसी न होने पर निर्वाचक की पहचान आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य वैकल्पिक दस्तावेज से की जाती है। हर निर्वाचन के लिए इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किये जाएंगे।
- 4.1.4. जहाँ तक ईपीआईसी से निर्वाचक की पहचान के सत्यापन का संबंध है, यदि निर्वाचक किसी अन्य निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करता है, ऐसे पहचान पत्र की स्थिति में यह ध्यान रखा जाएगा कि जहाँ निर्वाचक मतदान हेतु उपस्थित हुआ है, वहाँ के मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली में उसका नाम है। परन्तु ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्वाचक दो स्थानों पर मतदान न करें, इस हेतु निर्वाचक के बांये हाथ की तर्जनी जांच की जाए कि उस पर किसी प्रकार की अमिट स्याही का निशान तो नहीं है, तथा उसकी बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाकर उसे मत देने हेतु मान्य किया जाए।
- 4.1.5. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्र में की मतदान के समय विदेशी मतदाताओं की पहचान केवल उनके द्वारा प्रस्तुत मूल (ओरिजनल) पासपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

5. ईवीएम एवं वीवीपीएटी का परिचय

5.1. ईवीएम का परिचय



- 5.1.1. एक ईवीएम में दो यूनिट होती हैं: कंट्रोल यूनिट (सीयू) तथा बैलेट यूनिट (बीयू) और दोनों को जोड़ने के लिए एक केबल (5 मीटर लम्बी) होती है। एक बैलेट यूनिट नोटा सहित 16 अभ्यर्थियों (नोटा सहित) के लिए पर्याप्त होता है।
- 5.1.2. **एम2 ईवीएम:** 2006 के बाद के ईवीएम को एम2 ईवीएम कहा जाता है। एम2 ईवीएम में, 4 (चार) बैलेट यूनिट आपस में जोड़कर अधिकतम 64 अभ्यर्थियों (नोटा सहित) को एक साथ समायोजित किया जा सकता है, और इनका संचालन एक कंट्रोल यूनिट के माध्यम से किया जा सकता है।
- 5.1.3. **एम3 ईवीएम:** 2013 के बाद के ईवीएम को एम3 ईवीएम कहा जाता है। एम3 ईवीएम में, 24 (चौबीस) बैलेट यूनिट आपस में जोड़कर अधिकतम 384 अभ्यर्थियों (नोटा सहित) को एकसाथ समायोजित किया जा सकता है। यदि 4 (चार) से अधिक बीयू प्रयुक्त किए गए हैं, तो बैटरी 5वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं तथा 21वीं बीयू में लगाए जाने का प्रावधान होता है। 01 से 24 बीयू क्रमांक को सेट करने के लिए बीयू के दायीं तरफ शीर्ष में दो थम्बव्हील (Thumbwheels) लगे होते हैं। डिस्प्ले पैनल दो पंक्तियों में आंकड़े, प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर, प्रदर्शित करता है। एम3 ईवीएम में 'कैंडीडेट सेट सेक्शन' बैटरी सेक्शन से एक बाहरी द्वार से पृथक रहता है, जो दायीं से बायीं तरफ खुलती है।


- 5.1.4. बीईएल बेंगलूरू तथा ईसीआईएल, हैदराबाद द्वारा निर्मित ईवीएम का स्वरूप और इसकी विशेषताएं लगभग एक से ही होते हैं। व्यक्तियों की सुविधा के लिए प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए नीले बटन के दायीं ओर बैलेट यूनिट (बीयू) के शीर्ष कवर पर ब्रेल साइनेज (1-16) प्रदान किया गया है।
- 5.1.5. रिजल्ट सेक्शन के शीर्ष कवर में एक अंडाकार एपर्चर होता है, जो बायीं ओर एक फ्लैप (flap) द्वारा ढका जाता है, जिसके नीचे की ओर 'Close' बटन होता है। भीतरी प्रकोष्ठ के द्वार में दो अंडाकार एपर्चर होते हैं; जिसमें दो पीले रंग के बटन होते हैं, जिन पर 'रिजल्ट' तथा 'प्रिंट' अंकित होता है, अर्थात् एम3 ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के भीतरी द्वार को अंगूठे एवं एक ऊंगली 'रिजल्ट' तथा 'प्रिंट' बटन के ऊपर दोनों एपर्चर में घुसा कर तथा उसी समय भीतरी लैचेज (latches) को थोड़ा अंदर की ओर दबाकर खोला जा सकता है, इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए किसी भी स्थिति में भीतरी द्वार को बिना लैचेज को छोड़े, बलपूर्वक न खोलकर ऊपर बताए गए तरीके से ही खोला जाना चाहिए। एम3 ईवीएम के मामले में, इसे बाहर से खोला जा सकता है।

5.2. एम2 ईवीएम डिस्प्ले


- 5.2.1. एम2 ईवीएम का डिस्प्ले पैनल दो पंक्तियों में आंकड़े प्रदर्शित करता है और प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। एम2 ईवीएम के डिस्प्ले पैनल में दिखाई देने वाले विभिन्न प्रकार के डिस्प्ले तथा उनके अर्थ निम्नलिखित हैं:-
- 5.2.2. "लिंग एरर-1" प्रथम बीयू का 'लिंग एरर' दर्शाता है, अर्थात् इन्टरकनेक्टिंग केबल गायब है, खींच लिया गया हो अथवा जब केवल एक ही बैलेट यूनिट प्रयुक्त किया गया हो और उस यूनिट में 'स्टाईड स्विच' को स्थिति 1 पर सेट नहीं किया गया है अथवा जब एक से अधिक बैलेट यूनिट प्रयुक्त हों और वे सही क्रम में जोड़े न गए हों।
- 5.2.3. "प्रेस एरर-1" यह दर्शाता है कि प्रथम बैलेट यूनिट में किसी अभ्यर्थी का बटन दबा हुआ या जाम हो गया है।
- 5.2.4. "एरर" दर्शाता है कि कंट्रोल यूनिट उपयोग के योग्य नहीं है।
- 5.2.5. "इनवैलिड" दर्शाता है कि कंट्रोल यूनिट का कोई बटन क्रमानुसार दबाया गया है।
- 5.2.6. "सीयू एरर" दर्शाता है कि कंट्रोल यूनिट को बदल दिया जाये।
- 5.2.7. "बीयू-1 एरर" दर्शाता है कि बैलेट यूनिट-1 को बदल दिया जाये।

- 5.2.8. "क्लॉक एरर" रियल टाइम क्लॉक (आरटीसी) में गड़बड़ी है।
- 5.2.9. 'क्लियर' तथा 'रिजल्ट' बटन दबाएं जाने के बाद "एंड" डिस्प्ले सिक्वेस (प्रदर्शन अनुक्रम) की समाप्ति को दर्शाता है।
- 5.2.10. "फुल" दर्शाता है कि अधिकतम वोट (2000), जिसके लिए मशीन को डिजाईन किया गया है, डाले जा चुके हैं। मशीन मेमोरी 2000 वोट स्टोर किए जाने के लिए तैयार की गई है।
- 5.2.11. "कैंडिडेट्स 64" दर्शाता है कि मशीन 64 अभ्यर्थियों (नोटा सहित) के लिए सेट है। अभ्यर्थी संख्या नोटा सहित 03 से 64 के बीच हो सकती है।
- 5.2.12. "टोटल पोल्ड वोट्स 1150" दर्शाता है कि दिए गए कुल वोटों की संख्या 1150 हैं।
- 5.2.13. "कैंडिडेट-05 वोट्स 512" दर्शाता है कि अभ्यर्थी क्रमांक 05 को 512 वोट प्राप्त हुए हैं।
- 5.2.14. "-----" दर्शाता है कि पॉवर पैक कमजोर है।
- 5.2.15. "चेंज बैटरी" पॉवर पैक को बदलने का संकेत है, क्योंकि बैटरी बदले जाने की स्थिति में है।
- 5.2.16. "बैटरी हाई" दर्शाता है कि बैटरी की क्षमता उच्च है।
- 5.2.17. "बैटरी मीडियम" दर्शाता है कि बैटरी क्षमता मध्यम है।
- 5.2.18. "बैटरी लो" दर्शाता है कि बैटरी क्षमता कम है।
- 5.2.19. "डीटीई 16-07-2018 टीएमई 09-10-25" दिनांक और समय दर्शाता है।
- 5.2.20. "एसएल नं. - एच00005" के पिछले भाग में अंकित कंट्रोल यूनिट की आंतरिक क्रम संख्या को दर्शाता है।
- 5.2.21. "कंप्यूटिंग रिजल्ट" दर्शाता है कि परिणाम की गणना की जा रही है।
- 5.2.22. "पीएसटी 07-00-00 PET 18-50-10" मतदान प्रारंभ का समय (पोल रिजल्ट टाइम (पीएसटी)) और मतदान समापन का समय (पोल एंड टाइम (पीईटी)) को दर्शाता है।
- 5.2.23. "पोल रिजल्ट पीडीटी 16-07-18" परिणाम तथा मतदान के दिनांक को दर्शाता है।
- 5.2.24. "प्रिंटिंग" दर्शाता है कि प्रिंटिंग जारी है।
- 5.2.25. "डिलीटिंग पोल्ड वोट्स" किए गए वोटों को सीयू से मिटाया जाना दर्शाता है।

- 5.2.26. जब कंट्रोल यूनिट में पॉवर स्विच को ऊपर की तरफ 'ऑन' स्थिति में दबाया जाता है, यह एक 'बीप' की आवाज करेगा तथा कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सैक्शन पर 'ऑन' लैम्प हरा हो जाएगा तथा डिस्प्ले पैनल में बारी बारी से निम्नांकित डिस्प्ले दिखाई देगा।



- 5.2.27. जब 'क्लियर' बटन दबाने पर समस्त गणनाएं '0' (शून्य) पर सेट हों, तो डिस्प्ले पैनल में निम्नांकित जानकारियाँ क्रम से प्रदर्शित होने लगेंगी।



- 5.2.28. जब 'टोटल' बटन को प्रति घंटे/समय-समय पर डाले गए कुल वोटों की संख्या प्राप्त करने के लिए दबाया जाता है, तो डिस्प्ले पैनल में निम्नांकित डिस्प्ले दिखाई देंगे:

BATTERY HIGH
DTE 16 - 06 - 18 TME 11 - 00 - 25
CANDIDATES 10
TOTAL POLLED VOTES 115

- 5.2.29. मतदान के निर्धारित समय के पश्चात तथा अंतिम निर्वाचक द्वारा वोट दिए जाने के बाद जब ईवीएम को बंद करने के लिए 'क्लोज' बटन को दबाया जाता है, तो डिस्प्ले पैनल में निम्नांकित डिस्प्ले दिखाई देंगे:

CLOSING
DTE 16 - 06 - 18 TME 18 - 10 - 25
SL NO - H00005
CANDIDATES 10
TOTAL POLLED VOTES 1150
POLL CLOSED


5.3. एम3 ईवीएम का डिस्प्ले

- 5.3.1. एम3 ईवीएम के डिस्प्ले पैनल में दिखाई देने वाले विभिन्न प्रकार के डिस्प्ले और उनके अर्थ निम्नानुसार हैं:
- 5.3.2. "पॉवर ऑन एलईडी नॉट ओके" दर्शाता है कि सीयू पॉवर ऑन एलईडी की स्व निदान (self-diagnostics) व्यवस्था ठीक नहीं है।
- 5.3.3. "ब्रजर नॉट ओके" दर्शाता है कि सीयू ब्रजर की स्व निदान व्यवस्था (self-diagnostics) ठीक नहीं है।
- 5.3.4. "बीजी एलईडी नॉट ओके" दर्शाता है कि सीयू बिजी एलईडी स्व निदान (self-diagnostics) व्यवस्था ठीक नहीं है।
- 5.3.5. "डिजिट 02 नॉट ओके" दर्शाता है कि कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले की स्व निदान (self-diagnostics) व्यवस्था ठीक नहीं है।


- 5.3.6. “चेंज बैटरी” दर्शाता है कि सीयू बैटरी निर्धारित सीमा (threshold set) के भीतर नहीं है।
- 5.3.7. “बीयू01 की06 नॉट ओके” दर्शाता है कि बीयू 1 की कैंडीडेट कुंजी 6 ठीक नहीं है।
- 5.3.8. “बीयू01 रेडी एलईडी नॉट ओके” दर्शाता है कि बीयू 1 की रेडी एलईडी ठीक नहीं है।
- 5.3.9. “बीयू05 विदोउट बैटरी” दर्शाता है कि बीयू 05 में बैटरी नहीं है। यदि 5वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं, 21वीं, बीयू में बैटरी न हो तो डिस्प्ले पैनल पर उपर्युक्त डिस्प्ले दिखाई देता है।
- 5.3.10. “बीयूU05 चेंज बैटरी” दर्शाता है कि बीयू की बैटरी ठीक नहीं है।
- 5.3.11. “सैल्फ चैक एन प्रोग्रेस” दर्शाता है कि सीयू की सैल्फ-चैक की स्थिति दर्शाता है। यह सैल्फ-डायग्नोस्टिक के पूर्व तथा सैल्फ-डायग्नोस्टिक पूर्ण होने के पश्चात् डिस्प्ले होगा।
- 5.3.12. “डीटीई 16-07-18 टीएमई 09-10-25” दिनांक को डीडी-एमएम-वाईवाई फार्मेट में तथा समय को एचएच-एमएम-एसएस फार्मेट में दर्शाता है।
- 5.3.13. “एसएल एनयूएम बीसीयूए00001” यह सीयू के पिछले भाग पर दिए गए कंट्रोल यूनिट की भीतरी क्रम संख्या को दर्शाता है।
- 5.3.14. “कैंडिडेट्स 10” दर्शाता है कि मशीन को 10 अभ्यर्थियों के लिए सेट किया गया है। अभ्यर्थी संख्या (नोटा सहित) 03 से 384 के बीच हो सकती है।
- 5.3.15. “बैटरी हाई 95 पर्सेंट” बैटरी के सामयिक उपयोग के आधार पर बैटरी की 'उच्च' स्थिति को दर्शाता है।
- 5.3.16. “बैटरी मीडियम 73 पर्सेंट” बैटरी के सामयिक उपयोग के आधार पर बैटरी की 'मध्यम' स्थिति को दर्शाता है।
- 5.3.17. “बैटरी लो 45 पर्सेंट” बैटरी के सामयिक उपयोग के आधार पर बैटरी की 'निम्न' स्थिति को दर्शाता है।
- 5.3.18. “बैटरी एमएआरजी 26 पर्सेंट” दर्शाता है कि बैटरी सीमांत पर है अर्थात् बहुत ही कम है।
- 5.3.19. “चेंज बैटरी” दर्शाता है कि बैटरी लगभग खत्म हो गई है।
- 5.3.20. “डिस्कवरिंग यूनिट्स” दर्शाता है कि जुड़ी हुई इकाइयों को खोजा जा रहा है।

- 5.3.21. "डिस्कवरिंग बीयू 01" जुड़ी हुई इकाइयों के खोजे जाने के पश्चात दिखाई देता है। यदि एक बीयू जुड़ी हो, तो डिस्प्ले पैनल में उपर्युक्त डिस्प्ले दिखाई देता है।
- 5.3.22. "डिस्कवरिंग बीयू01 बीयू02" जुड़ी हुई इकाइयों के खोजे जाने के पश्चात् दिखाई देता है। यदि दो बीयू जुड़ी हो, तो डिस्प्ले पैनल में उपर्युक्त डिस्प्ले दिखाई देता है।
- 5.3.23. "बीयू01 जीएन1 टैस्टिंग" दर्शाता है कि सीयू बीयू के साथ प्रमाणीकरण कर रहा है।
- 5.3.24. "बीयू01 जीएन1 ओके" दर्शाता है कि सीयू ने बीयू को प्रमाणीकृत कर लिया है।
- 5.3.25. "बीयू01 जीएन1 नॉट ओके" दर्शाता है कि बीयू 01 का प्रमाणीकरण असफल हो गया है (सीयू की कोई भी कुंजी दबाए जाने पर यह संदेश ब्लिंक करता है।)
- 5.3.26. "बीयू01 नॉट रिसपांडिंग" दर्शाता है कि बीयू के साथ कम्यूनिकेशन के दौरान कम्यूनिकेशन टाइम आउट हो गया है या बीयू स्थिति (थंबव्हील स्विच) को ठीक से सेट नहीं किया गया है।
- 5.3.27. "बीयू नॉट कनेक्टेड" दर्शाता है कि सीयू बीयू को खोज नहीं पाया है जब सीयू क्लियर अथवा बैल्ट स्थिति में हों।
- 5.3.28. "नॉ यूनिट्स कनेक्टेड" दर्शाता है कि सीयू से कोई यूनिट नहीं जुड़ी है।
- 5.3.29. जब सीयू क्लियर स्थिति या बैल्ट स्थिति में होता है, यदि जुड़े हुए बीयू की संख्या कैंडीडेट सेट की संख्या से मेल न खा रही हो, तब सीयू निम्नलिखित संदेश "इनकरेक्ट नम्बर ऑफ बीयू" तथा "प्रेस बैल्ट की" प्रदर्शित (डिस्प्ले) करता है।
- 5.3.30. यदि प्रयोक्ता बैल्ट कुंजी (की) को दबाता है या जब बीयू सही संख्या में जोड़ी गई है तब सीयू में "ईवीएम इज रेडी" प्रदर्शित होता है।
- 5.3.31. यदि बीयू पर कुंजी (की) फंस गई हो तब यह संदेश "प्रेसड एरर बीयू01" प्रदर्शित होगा।
- 5.3.32. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 5 सेट की गई है और जोड़े गए बीयू की संख्या दो है तो सीयू "डिस्कनेक्ट बीयू2" संदेश फ्लैश (दर्शाता) करता है।
- 5.3.33. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 26 सेट की गई है तथा केवल 1 बीयू जुड़ा हो तो सीयू "बीयू02 नॉट कनेक्टेड" संदेश फ्लैश करता है।
- 5.3.34. परिणाम प्रक्रिया के पश्चात यदि प्रिंट कुंजी अथवा बैल्ट कुंजी को पीएडीयू से जुड़े बिना दबा दिया गया हों तब सीयू "पीएडीयू नॉट कनेक्टेड" संदेश प्रदर्शित करेगा

- 5.3.35. “इनवैलिड” यह दर्शाता है कि कंट्रोल यूनिट का कोई बटन क्रम से बाहर दबा दिया गया है।
- 5.3.36. “फुल” यह दर्शाता है कि वोटों की अधिकतम संख्या (2000) जिसके लिए मशीन डिजाइन की गई है, डाली जा चुकी है।
- 5.3.37. “प्रिंटिंग” यह दर्शाता है कि प्रिंटिंग (मुद्रण) जारी है।
- 5.3.38. “क्लोक एरर” यह दर्शाता है कि आरटीसी तारीख और समय सही नहीं है।
- 5.3.39. “इनऑपरेटिव” यह दर्शाता है कि कंट्रोल यूनिट को आगे उपयोग नहीं किया जा सकता।
- 5.3.40. “इलेक्शन एक्सिडड” यह दर्शाता है कि ईवीएम (रात को 12 बजे के बाद) में पहला वोट रिकॉर्ड होने के बाद तारीख बदल गई है।
- 5.3.41. “टोटल पोल्ड वोट्स 50” यह दर्शाता है कि डाले गए कुल वोटों की संख्या 50 है।
- 5.3.42. “कैंडिडेट 05 वोट्स 512” यह दर्शाता है कि अभ्यर्थी क्रमांक 05 को 512 वोट डाले गए हैं।
- 5.3.43. “क्नेक्ट एनी सेल यूनिट”. यदि कोई स्लेव यूनिट न जुड़ा हो, तो रिजल्ट कुंजी दबाए जाने पर यह संदेश प्रदर्शित होता है।
- 5.3.44. “कम्पूटिंग रिजल्ट” यह दर्शाता है कि परिणाम की गणना जारी है।
- 5.3.45. “पीटीई 07-13-59 पीईटी 18-30-52” मतदान प्रारंभ का समय एवं मतदान समापन का समय दर्शाता है।
- 5.3.46. “पोल रिजल्ट पीडीटी 16-06-18” परिणाम तथा मतदान के दिनांक को दर्शाता है।
- 5.3.47. “डिलिटिंग पोल्ड वोट्स” किए गए वोटों को सीयू से मिटाया जाना दर्शाता है।
- 5.3.48. जब कंट्रोल यूनिट में पॉवर स्विच को ऊपर की तरफ ‘ऑन’ स्थिति में पुश किया जाता है, तो यह एक ‘बीप’ की आवाज करेगा तथा कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सैक्शन पर ‘ऑन’ लैम्प हरा हो जाएगा तथा डिस्प्ले पैनल में बारी-बारी से निम्नांकित डिस्प्ले दिखाई देगा।



- 5.3.49. जब 'टोटल' बटन को प्रति घंटे/समय-समय पर डाले गए कुल वोटों की संख्या प्राप्त करने के लिए दबाया जाता है, तो डिस्प्ले पैनल में निम्नांकित डिस्प्ले दिखाई देंगे:



- 5.3.50. मतदान के निर्धारित समय के पश्चात तथा अंतिम निर्वाचक द्वारा वोट दिए जाने के बाद जब ईवीएम को बंद करने के लिए 'क्लोज' बटन को दबाया जाता है, तो डिस्प्ले पैनल में निम्नांकित डिस्प्ले दिखाई देंगे:

CLOSING
DTE 16 - 06 - 18 TME 18 - 10 - 25
SL NUM BCUAA00001
CANDIDATES 10
TOTAL POLLED VOTES 1150
POLL CLOSED

5.4. वीवीपीएटी का परिचय

- 5.4.1. वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़ा एक स्वतंत्र प्रिंटर सिस्टम है, जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उनके वोट उनकी इच्छानुसार ही डाले गए हैं। जब बैलेट यूनिट (बीयू) पर बटन दबाकर वोट डाला जाता है, तो वीवीपीएटी प्रिंटर पर एक मतपत्र पर्ची (बैलेट स्लिप) प्रिंट होती है, जिस पर अभ्यर्थी का क्रमांक, नाम व चुनाव चिह्न 7 सेकण्ड के लिए पारदर्शी खिड़की के माध्यम से दिखाई देता रहता है। उसके पश्चात् यह प्रिंटेड पर्ची अपने आप 'कट' जाती है और वीवीपीएटी के सीलबंद ड्रॉप बाक्स में गिर जाती है।
- 5.4.2. वीवीपीएटी दो प्रकार के होते हैं - वीवीपीएटी युक्त वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (वीएसडीयू) का उपयोग एम2 ईवीएम के साथ किया जाता है और वीवीपीएटी रहित वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (वीएसडीयू) का उपयोग एम3 ईवीएम के साथ किया जाता है। वीएसडीयू (इसे एम3 वीवीपीएटी के रूप में जाना जाता है) रहित वीवीपीएटी संबंधी त्रुटियाँ एम3 ईवीएम कंट्रोल यूनिट पर दिखाई देती हैं।
- 5.4.3. वीवीपीएटी 22.5 वोल्ट के पॉवर पैक (बैटरी) से संचालित होती है। कंट्रोल यूनिट और वीएसडीयू (एम2 वीवीपीएटी में) पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी के साथ रखे जाते हैं तथा बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को मतदान-प्रकोष्ठ में रखा जाता है।



- 5.4.4. एम2 वीवीपीएटी प्रणाली के बक्से (कैरिंग केस) में निम्नलिखित मद सूची होती है:
- 5.4.4.1. सीयू से कनेक्ट करने वाली केबल के साथ वीवीपीएटी यूनिट
 - 5.4.4.2. कनेक्टिंग केबल के साथ वीएसडीयू
 - 5.4.4.3. बैटरी पैक (बैटरी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा वीवीपीएटी यूनिट के भीतर बैटरी प्रकोष्ठ में रखा जाता है)
 - 5.4.4.4. पेपर रोल (पेपर रोल को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा वीवीपीएटी यूनिट के भीतर पेपर रोल प्रकोष्ठ में लोड किया जाता है)
- 5.4.5. **वीएसडीयू:** वीएसडीयू एक अलग यूनिट (इकाई) है जो एम2 वीवीपीएटी त्रुटियों के मामले में त्रुटि संदेशों को पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी को दर्शाती है। इसमें एम2 वीवीपीएटी यूनिट के कनेक्शन के लिए एक छोर पर 9-पिन D कनेक्टर के साथ 5-मीटर केबल प्रदान किया जाता है। यह केबल कनेक्टर प्रकोष्ठ में एम2 वीवीपीएटी यूनिट के पीछे की ओर स्थित "**वीएसडीयू इंटरफेस**" से जुड़ा होता है। वीएसडीयू वीवीपीएटी की स्थिति और त्रुटि कोड के रूप में त्रुटि संदेशों तथा की जाने वाली एवं सुधारात्मक कार्यवाहियों के साथ तदनु रूप मूल विषयक संदेशों को प्रदर्शित करने के लिए एक एलईडी डिस्प्ले प्रदान करता है। वीएसडीयू का चित्र नीचे दिया गया है:



- 5.4.6. **एम2 वीवीपीएटी कनेक्शन:** एम2 वीवीपीएटी के कनेक्टर प्रकोष्ठ के अंदर हरे और नीले लैचेज (कुण्डियों) के साथ वीएसडीयू से वीएसडीयू इंटरफ़ेस तक केबल जोड़ें। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एम2 वीवीपीएटी के कनेक्टर प्रकोष्ठ के अंदर लाल और काले लैचेस (कुण्डियों) के साथ बीयू से बीयू इंटरफ़ेस तक केबल जोड़ें:



एम2 ईवीएम के कंट्रोल यूनिट (सीयू) से एम2 वीवीपीएटी के स्थायी केबल को जोड़ा जाता है।

- 5.4.7. पारगमन (ट्रांजिट) के दौरान पेपर रोल को लॉक करने के लिए, एम2 वीवीपीएटी के पिछले हिस्से में पेपर रोल लॉक का उपयोग किया जाता है। एम2 वीवीपीएटी के उपयोग से पहले पेपर रोल को अनलॉक करना चाहिए।
- 5.4.8. पेपर रोल की नाँब को खोलने के लिए लॉक स्थिति से वामावर्त दिशा में घूमाकर अनलॉक स्थिति में लाकर खोला जा सकता है। एम2 वीवीपीएटी के उपयोग से पहले पेपर रोल को अनलॉक करना होगा।
- 5.4.9. **एम3 वीवीपीएटी:** एम3 वीवीपीएटी प्रणाली के बक्से (कैरिंग केस) में निम्नलिखित मद सूची होती है:
- 5.4.9.1. सीयू से जोड़ने वाली कनेक्टिंग केबल के साथ एम3 वीवीपीएटी यूनिट
- 5.4.9.2. बैटरी पैक (बैटरी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा वीवीपीएटी यूनिट के भीतर बैटरी प्रकोष्ठ में पहले ही रख दिया जाता है)

- 5.4.9.3. पेपर रोल (पेपर रोल को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा वीवीपीएटी यूनिट के भीतर पेपर रोल प्रकोष्ठ में पहले ही लोड कर दिया जाता है)
- 5.4.10. **एम3 वीवीपीएटी कनेक्शन:** नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एम3 वीवीपीएटी के कनेक्टर प्रकोष्ठ के अंदर लाल और काले लैचेस (कुण्डियों) के साथ पहले बैलेट यूनिट से बीयू इंटरफ़ेस हेतु स्थायी केबल जोड़ें:




- 5.4.11. नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एम3 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट (सीयू) से एम3 वीवीपीएटी से जुड़े स्थायी केबल को जोड़ा जाता है:



- 5.4.12. पारगमन (ट्रांजिट) के दौरान पेपर रोल को लॉक करने के लिए, एम3 वीवीपीएटी के पिछले हिस्से में पेपर रोल लॉक का उपयोग किया जाता है। जब पेपर रोल लॉक हो जाता है, तो

एम3 वीवीपीएटी ऑफ स्थिति में होता है। एम3 वीवीपीएटी को स्विच ऑन करने के लिए पेपर रोल को अनलॉक किया जाना चाहिए। ध्यान दें कि पेपर रोल लॉक का उपयोग वीवीपीएटी की सीलिंग के बाद पारगमन के दौरान पेपर रोल को लॉक करने के लिए किया जाता है। इसे ऑन/ऑफ स्विच के रूप में उपयोग न करें, और वीवीपीएटी को चालू और बंद करने के लिए कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन और ऑफ करना होगा।

- 5.4.13. लॉक स्थिति से अनलॉक स्थिति में घड़ी की विपरीत दिशा में नॉब को घूमाकर पेपर रोल की नॉब को अनलॉक स्थिति में स्थापित किया जा सकता है। एम3 वीवीपीएटी के उपयोग से पहले पेपर रोल को अनलॉक करना होगा। इसके लिए, पेपर रोल लॉक नॉब को अनलॉक स्थिति में होना चाहिए, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:



- 5.4.14. पीठासीन अधिकारी को वीवीपीएटी पर पावर-ऑन एलईडी की जाँच करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एम3 वीवीपीएटी चालू स्थिति में है, जब सीयू ऑन स्थिति में है।

6. मतदान केन्द्र की स्थापना

6.1. मतदान केन्द्र पर पहुँचना


- 6.1.1. आपको अपने दल के साथ मतदान केन्द्र में आरओ या सेक्टर अधिकारियों के निर्देशानुसार पहुँचना चाहिए। यदि आप मतदान केन्द्र में ऊपर बताए गए समय पर मतदान के दिन पहुँच सकने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप एक दिन पहले भी मतदान केन्द्र पहुँच सकते हैं और मतदान केन्द्र में ही सो सकते हैं। इस स्थिति में ध्यान रखें कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी को न खोलें। इसके अतिरिक्त आपको स्थानीय निवासियों के आतिथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी भी स्थिति में इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग ऑफीसर के निर्देश का कठोरता से पालन करें।

6.2. मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति:

- 6.2.1. कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, यदि आपके मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहता है या अपने कर्तव्य करने में सक्षम न हो, तो पीठासीन अधिकारी के पास मतदान केन्द्र पर उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर मतदान अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार होता है और तदनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। किन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो निर्वाचन में या निर्वाचन संबंध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा कार्य कर रहा है।

6.3. एकल निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र की स्थापना

- 6.3.1 उस स्थान पर अपने पहुँचने पर, जहाँ मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना है, मतदान के प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भवन का निरीक्षण कर लें और सेट-अप की योजना बना लें। यदि वहाँ पहले से ही मतदान केन्द्र की स्थापना हो तो मतदान केन्द्र का ही निरीक्षण कर लें। (एक ही निर्वाचन में तीन अधिकारी के मतदान दल वाले मतदान केन्द्र का ले-आउट दर्शाते हुए, मॉडल मतदान केन्द्र का रेखा-चित्र नीचे दिया गया है)। यदि आवश्यक समझें तो यह आप पर निर्भर है कि आप मतदान केन्द्र की वास्तविक स्थापना में मामूली फेर बदल कर लें किन्तु यह सुनिश्चित कर लें कि-



- 6.3.1.1 मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए काफी जगह है;
- 6.3.1.2 यथासाध्य, पुरुष और महिलाओं के लिए पृथक प्रतीक्षा स्थल हो;
- 6.3.1.3 मतदाताओं के लिए अलग प्रवेश तथा निकास द्वार हो।
- 6.3.1.4 मतदान केन्द्र के कमरे में यदि एक ही दरवाजा है तो दरवाजे के बीच से बांसो और रस्सियों की सहायता से पृथक प्रवेश और निकास की व्यवस्था की जा सकती है।

6.3.2. यह सुनिश्चित करें कि उच्च वोल्टेज वाले उद्दीप्त बल्ब/ट्यूब-लाइट को मतदान कोष्ठ (वोटिंग कम्पार्टमेंट) के ऊपर या सामने नहीं रखा जाना चाहिए। (क्योंकि अतिरिक्त प्रकाश से वीवीपीएटी त्रुटि मोड में जा सकता है) मतदान कोष्ठ को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि -


- 6.3.1.1. मतदान कोष्ठ में पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध हो,

- 6.3.1.2. मतदान कोष्ठ के ऊपर या उसके सामने कोई सीधी प्रकाश व्यवस्था न हो,
- 6.3.1.3. मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया जाना है तथा
- 6.3.1.4. मतदान कोष्ठ को खिड़की या दरवाजे के पास नहीं रखा जाना चाहिए।
- 6.3.3 मतदाता, मतदान केन्द्र में प्रवेश करने से लेकर कक्ष छोड़ने तक आसानी से आ जा सके और उन्हें मतदान केन्द्र के भीतर आड़ा-तिरछा न चलना पड़े;
- 6.3.4 मतदान अभिकर्ताओं को इस ढंग से बैठाया जाना चाहिए कि वे किसी निर्वाचक का चेहरा, उसके मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही देख सके और जब प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा उसकी पहचान की जाती हो ताकि आवश्यकता होने पर वे निर्वाचक की पहचान को चुनौती दे सकें। वे पीठासीन अधिकारी की मेज/तृतीय मतदान अधिकारी की मेज (जहाँ कंट्रोल यूनिट रखी है) की समस्त कार्यवाही को देख सकें और निर्वाचक के पीठासीन अधिकारी की मेज/तृतीय मतदान अधिकारी की मेज से मतदान कक्ष तक और उसके मत रिकार्ड करने के पश्चात् मतदान केन्द्र छोड़ने तक की गतिविधि भी देख सकें। किन्तु वे किसी भी स्थिति में ऐसे स्थान पर नहीं बैठेंगे जहाँ उनको निर्वाचक द्वारा बटन दबाकर अपना मत वास्तविक रूप से रिकार्ड करते हुए देखने का अवसर मिल सकें;
- 6.3.5 समस्त मतदान अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वे ऐसी स्थिति में न हों कि मतदाता को उसके द्वारा विशेष बटन दबाकर अपना मत वास्तविक रूप से रिकार्ड करते हुए देख सकें;
- 6.3.6. जहाँ कंट्रोल यूनिट को रखा जाएगा वहाँ से मतदान कोष्ठ मेज को पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए। वीवीपीएटी एवं कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली केबल लगभग 5 मीटर लम्बी होनी चाहिए। इसलिए मतदान कोष्ठ उपर्युक्त दूरी पर होनी चाहिए। केबल इस तरह लगाई जाना चाहिए कि वे मतदान केन्द्र के अंदर निर्वाचक को आने-जाने में कोई बाधा न हो, और वे उस पर कदम न रखें और न ही उन्हें ठोकर लगे, पूरा केबल दृष्टिगोचर होना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में किसी कपड़े अथवा टेबल के नीचे छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को मतदान कोष्ठ में रखते समय यह अवश्य ही सुनिश्चित किया जाए, कि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो। वीवीपीएटी पहले बैलेट यूनिट के बायीं ओर रखे जाने चाहिए।
- 6.3.7. यह अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान कोष्ठ (वोटिंग कम्पार्टमेंट) नालीदार प्लास्टिक शीट (फ्लेक्स-बोर्ड) स्टील ग्रे रंग (जो कि अपारदर्शी एवं पुनः प्रयोज्य हो) से बना है। मतदान कोष्ठ को तीन बार मोड़ा गया (3 फोल्ड) हो और हर

फोल्ड का आयाम 24"X24"X30" (लंबाई X चौड़ाई X ऊँचाई) हो अगर एक ही बैलेट यूनिट उपयोग में लाया जाता है। यदि मतदान में एक से अधिक बीयू का उपयोग किया जाता है, तो प्रत्येक मतदान कोष्ठ की चौड़ाई अतिरिक्त बैलेट यूनिट के लिए 12" बढ़ाई जा सकती है। इसे खिड़की/दरवाजे से दूर रखा जाना चाहिए।

6.4. एक ही समय में होने वाले निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र की स्थापना

- 6.4.1. मतदान केंद्र की लेआउट योजना, जहाँ ईवीएम और वीवीपीएटी के दो सेटों का उपयोग एक साथ मतदान के लिए किया जाना है (अर्थात् लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन का साथ-साथ) नीचे दिया गया है। लेआउट में, मतदाताओं के प्रवेश और निकास के लिए एक ही दरवाजा दिखाया गया है। हालाँकि, यदि जिस कमरे में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, उसमें दो दरवाजे हैं, तो अलग-अलग दरवाजों से प्रवेश और निकास की व्यवस्था की जा सकती है।



- 6.4.2. दो अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ होंगे - एक लोकसभा निर्वाचन के बीयू और वीवीपीएटी रखने के लिए और दूसरा विधानसभा निर्वाचन के बीयू और वीवीपीएटी को रखने के लिए। प्रत्येक "मतदान कोष्ठ" में बड़े-बड़े अक्षरों में अंकित सूचना "मतदान कोष्ठ-

लोकसभा निर्वाचन" एवं "मतदान कोष्ठ-विधान सभा निर्वाचन" प्रत्येक मतदान कोष्ठ में चिपकाई जाएगी।

- 6.4.3. मतदाताओं को गोपनीय रूप से मतदान करना होगा और इस प्रयोजन के लिए बीयू और वीवीपीएटी को मतदान कोष्ठ में रखने की आवश्यकता है। निर्वाचक प्रकोष्ठ तीन तरफ से ढका होगा। बीयू और वीवीपीएटी मतदान कोष्ठ के अंदर इस तरह रखा जायेगा कि मतदाताओं को अपना मत देने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। मतदान कोष्ठ को, उस मेज जहाँ पर सीयू रखा जायेगा और संचालित किया जायेगा, पर्याप्त दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। वीवीपीएटी और सीयू को जोड़ने वाली केबल मतदान केन्द्र के अंदर मतदाताओं की गतिविधि को बाधित न करें और उन्हें केबल को लांघकर न चलना पड़े, किन्तु केबल की समस्त लंबाई दृष्टिगोचर होनी चाहिए तथा किसी भी स्थिति में किसी कपड़े अथवा टेबल के नीचे छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। इसे मतदान कोष्ठ के पिछले भाग में बने खांचे के माध्यम से मतदान कोष्ठ के पिछले भाग से बाहर आना चाहिए। हालाँकि यह खांचा इतना भी चौड़ा न हो कि मतदान की गोपनीयता भंग हो। बीयू और वीवीपीएटी को मतदान कोष्ठ में रखते समय यह सुनिश्चित करें कि मतदान की गोपनीयता बनाये रखने में कोई चूक न हों। इस प्रयोजन के लिए यह अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह (मतदान कोष्ठ) किसी खिड़की या दरवाजे के निकट न हों। वीवीपीएटी को पहले बैलेट यूनिट के बाईं ओर रखा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाये कि मतदान कोष्ठ नालीदार प्लास्टिक शीट (फ्लेक्स-बोर्ड) स्टील ग्रे रंग (जो कि पारदर्शी एवं पुनः प्रयोज्य हो) से निर्मित हो। मतदान कोष्ठ (वोटिंग कम्पार्टमेंट) जो तीन बार मोड़ा गया हो और हर मोड़ का आयाम 24×24×30 (लंबाई×चैड़ाई×ऊँचाई) हो, अगर एक ही बैलेट यूनिट उपयोग में लाया जा रहा है। यदि मतदान में एक से अधिक बीयू से उपयोग में लाये जा रहे हैं तो मतदान शीट की चैड़ाई के अतिरिक्त बैलेट के लिए 12" बढ़ाई जा सकती है। इसे खिड़की या दरवाजे से दूर रखा जाये किन्तु पर्याप्त रोशनी भी हो ताकि निर्वाचक बीयू के बैलेट को पढ़ सके। यह भी सुनिश्चित कर लें कि वीवीपीएटी सीधे रोशनी के नीचे न रखा हो।

6.5. अन्य सावधानियां

- 6.5.1. यदि आपके मतदान केन्द्र पर अधिक संख्या में पर्दानशीन (बुर्के पहनी) महिला निर्वाचक हों तो आपको उनकी पहचान के लिए और गोपनीयता, गरिमा और शिष्टता को ध्यान में रखते हुए अलग कक्ष में उनकी बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही महिला मतदान अधिकारी द्वारा लगाए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे विशेष कक्ष के रूप में आप स्थानीय उपलब्ध कक्ष का उपयोग कर सकते हैं किन्तु यह व्यवस्था अपनी सूझबूझ से कम खर्चीली योजना से काम में लायें। इसके लिए आप चारपाई या चादर जैसे कपड़े का उपयोग कर सकते हैं।
- 6.5.2. यदि एक ही भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थित हों तो आपको इस बात से सन्तुष्ट हो जाना चाहिए कि बिना भ्रमित हुए मतदाताओं को अलग करने और प्रत्येक मतदान केन्द्र के सामने की जगह में अलग-अलग स्थानों पर उनके प्रतीक्षा करने की आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गयी हैं।
- 6.5.3. यदि मतदान केन्द्र किसी निजी भवन/निजी संस्थान में स्थित हो तो वह भवन और उनके 100 मीटर तक की परिधि का क्षेत्र आपके नियंत्रण में होना चाहिए। भवन के स्वामी से सम्बन्धित को (प्रहरी/गार्ड या किसी भी व्यक्ति) चाहे वह हथियारबन्द हो या नहीं, मतदान केन्द्र पर या इसके आस-पास के 200 मीटर की परिधि के भीतर नहीं रहने दिया जाना चाहिए। मतदान केन्द्र और उपर्युक्त क्षेत्र के भीतर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पूर्णतः आपके नियंत्रण के अधीन, पुलिस की होगी।
- 6.5.4. राजनैतिक दलों के नेताओं के फोटो या ऐसे नारे जिनका सम्बन्ध निर्वाचनों से है, केन्द्र पर प्रदर्शित नहीं किये जाने चाहिए और यदि वे पहले से ही वहाँ प्रदर्शित हो रहे हों तो मतदान समाप्त होने तक इन्हें हटाये रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- 6.5.5. मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी प्रयोजन के लिए खाना पकाने या आग जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6.6. नोटिस प्रदर्शित करना

- 6.6.1. प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करें:-
 - 6.6.1.1 निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केन्द्र के निर्धारित मतदाताओं की सूचना प्रदान करते हुए नोटिस; और
 - 6.6.1.2 प्ररूप-7क में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची।

- 6.6.2. नोटिस की भाषा वही होगी जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में है और नामों का क्रम निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के समान होना चाहिए।
- 6.6.3. निर्वाचक सुविधा पोस्टर प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास बाहरी दीवार पर प्रदर्शित होने चाहिए।

6.7. एक ही समय में होने वाले निर्वाचन के लिए मतदान प्रक्रिया

- 6.7.1. निर्वाचक जब मतदान केन्द्र में प्रवेश करेंगे तब पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाएंगे। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक की पहचान, उसके ईपीआईसी या अन्य दस्तावेजों से, जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट है, करेगा।
- 6.7.2. फिर निर्वाचक दूसरे मतदान अधिकारी के पास जाएगा जो उसके बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा तथा निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान निर्वाचक रजिस्टर में लगवायेगा। अंगूठे का निशान देने पर, मतदान अधिकारी उन्हें अंगूठे की अतिरिक्त स्याही को इस हेतु टेबल पर रखे गीले कपड़े से पोंछने के लिए कहेगा।
- 6.7.3. जब द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही लगाएगा तथा रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले रहा होगा, इसी दौरान तृतीय मतदान अधिकारी दो समान निर्वाचक पर्चियाँ एक सफेद कागज पर तथा दूसरी गुलाबी कागज पर देगा तथा निर्वाचक की उंगली का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगा कि अमिट स्याही ठीक से लगी है या नहीं, तत्पश्चात् दोनों निर्वाचक पर्चियाँ निर्वाचक को देकर चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास भेजेगा।
- 6.7.4. **लोकसभा के निर्वाचन हेतु मतदान:** लोकसभा तथा विधानसभा के लिये मतदान हेतु निर्वाचक दोनों पर्चियाँ लेने के पश्चात् चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास जायेगा जो कि लोकसभा निर्वाचन की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। वह सफेद पर्ची चतुर्थ मतदान अधिकारी को देगा। उसकी बारी सुनिश्चित करने पर चौथा मतदान अधिकारी अपनी मेज पर रखे गए कंट्रोल यूनिट के 'बैलेट' बटन को दबायेगा एवं निर्वाचक को लोकसभा के मतदान कक्ष में मतदान हेतु जाने के लिए निर्देशित करेगा। यह करते समय चतुर्थ मतदान अधिकारी निर्वाचक को सूचित करेगा कि लोकसभा का मतदान करने के पश्चात् उसे विधानसभा में मतदान करने के लिए गुलाबी निर्वाचक पर्ची लेकर पंचम मतदान अधिकारी के पास जाना होगा।
- 6.7.5. लोकसभा निर्वाचन हेतु निर्वाचक मतदान कोष्ठ में पहुंचेगा, तत्पश्चात् अपने पसंद के प्रत्याशी को अंदर रखी बैलेट यूनिट के नीले बटन को दबाकर मतदान करेगा।

- 6.7.6. **विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान:** यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोकसभा मतदान के पश्चात् निर्वाचक पंचम मतदान कर्मों के पास जायेगा जो विधानसभा निर्वाचन के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। निर्वाचक से गुलाबी निर्वाचक पर्ची लेने के पश्चात् तथा यह सुनिश्चित करने के बाद अब मतदान करने की बारी आती है, पंचम मतदान अधिकारी विधानसभा निर्वाचन के कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबायेगा और निर्वाचक को मतदान कोष्ठ में जाकर मत देने के लिए निर्देशित करेगा। पंचम मतदान अधिकारी अमिट स्याही की जाँच कर यह सुनिश्चित करेगा कि वह स्याही समुचित तरीके से लगी हुई है।

6.8. हेल्प डेस्क

- 6.8.1. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डीईओ द्वारा हर मतदान केन्द्र में हेल्प डेस्क इयूटी के लिए नियुक्त बीएलओ के लिए मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं के लिए सुविधाजनक स्थान पर पर्याप्त बैठने की व्यवस्था हो ताकि मतदाताओं को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। यह जहाँ तक संभव हो, मतदान केन्द्र के मुख्य द्वार के करीब ही उनके बैठने के स्थानों की व्यवस्था की जाए ताकि मतदान केन्द्र पर निर्वाचकों के आगमन पर उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके। एक डिस्पले बोर्ड “हेल्प डेस्क-बूथ लेवल अधिकारी, पीएस नं.....” को उनकी सीट के पास प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

6.9. सेक्टर अधिकारी

- 6.9.1. भारत के निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रबंधन के लिए हर 10-12 मतदान केन्द्रों के लिए सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था शुरू की है। आपके मतदान केन्द्र के लिए नामित सेक्टर अधिकारी आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होंगे और उनका कांट्रैक्ट नंबर मतदान सामग्री के वितरण के समय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आपको प्रदान किया जायेगा।

7. मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था

- 7.1 मतदान के दौरान, मतदान के सुचारु रूप से संचालन के लिये निर्वाचन आयोग केन्द्रीय पुलिस बल की तैनाती करता है। निर्वाचनों के दौरान स्थानीय राज्य पुलिस (अन्य बलों के साथ) एवं केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल भारत निर्वाचन आयोग में तैनात किए जाते हैं और वे सभी प्रयोजनों के लिए इसके अधीक्षण एवं नियंत्रण में आते हैं। आयोग, सुचारु रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए इन बलों के कार्मिकों की सेवाओं का उपयोग करता है।
- 7.2 आयोग के निर्देशों के अनुसार जिस मतदान केन्द्र में सीपीएफ जवान तैनात हैं, उनका मतदान केन्द्र के बाहर स्थैतिक बल के रूप में उपयोग किया जाता है।
- 7.3 माननीय उच्चतम न्यायालय के सी ए नं. 2003 का 9228 (जनक सिंह बनाम राम दास राय एवं अन्य) के निर्देशानुसार सीपीएफ कवरेज वाले मतदान केन्द्रों में एक सीपीएफ जवान मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर तैनात रहेगा ताकि वह मतदान केन्द्र में हो रही सभी गतिविधियों पर नजर रख सके, विशेषतः यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति मतदान केन्द्र में प्रवेश न कर पाये या मतदान अधिकारियों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा मतदान के दौरान कोई अनियमितता न की जाए। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीपीएफ जवान मतदान केन्द्र के अन्दर तैनात न किया जाए।
- 7.4 मतदान केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर तैनात सीपीएफ जवान विशेष रूप से निम्न गतिविधियों पर नजर रखेगा:-
 - 7.4.1 मतदान के दौरान कोई भी अनधिकृत व्यक्ति कभी भी मतदान केन्द्र के भीतर उपस्थित न हो।
 - 7.4.2 मतदान दल या अभिकर्ता, मत या मतों को डालने का प्रयास न करे, जब कोई भी निर्वाचक मतदान बूथ में उपस्थित हो।
 - 7.4.3 कोई भी पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी किसी भी निर्वाचक के साथ मतदान प्रकोष्ठ में न जाए।
 - 7.4.4 कोई भी अभिकर्ता या मतदान अधिकारी किसी भी निर्वाचक को डराये धमकाये नहीं या किसी तरह का डराने वाला हाव-भाव प्रदर्शित न करे।
 - 7.4.5 मतदान केन्द्र के भीतर हथियार न ले जाया जा सके।
 - 7.4.6 किसी प्रकार की धांधली न होने पाये।

- 7.5 मतदान केन्द्र के दरवाजे पर तैनात सीपीएफ जवान यदि किसी भी तरह की निर्वाचन प्रक्रिया में उल्लंघन पाता है या मतदान केन्द्र के भीतर कुछ भी असामान्य पाता है, तो वह किसी भी तरह मतदान क्रिया में व्यवधान नहीं करेगा, वरन् अपने प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा या प्रेक्षक को इसकी जानकारी देगा। सीपीएफ का प्रभारी अधिकारी तत्पश्चात् इसे रिटर्निंग ऑफिसर तथा प्रेक्षक के ध्यान में आगामी कार्यवाही हेतु लिखित में लाएगा।
- 7.6 जिन भवनों में एक से अधिक मतदान केन्द्र हो, और जहाँ सीपीएफ कार्मिकों की केवल आधी टुकड़ी ही तैनात हो वहाँ मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर इयूटी के लिए चयनित सीपीएफ जवान को दोनों मतदान केन्द्रों की गतिविधियों पर घूम-घूम कर नजर रखने और यह देखने के लिए कहा जाएगा कि मतदान केन्द्रों में क्या हो रहा है तथा यदि उसके द्वारा कोई अनियमितता पाई जाती है तो वह उसकी रिपोर्ट सीपीएफ पार्टी या प्रेक्षक को देगा।
- 7.7 रिटर्निंग ऑफिसर/प्रेक्षक, सीपीएफ दलों द्वारा दी गई प्रतिकूल रिपोर्टों की सूचना, आगे के निर्देशों के लिए आयोग को देंगे।
- 7.8 स्पष्ट किया जाता है कि सीपीएफ जवान केवल उन्हीं मतदान केन्द्रों के बाहरी द्वार पर तैनात होंगे जहाँ सीपीएफ नियुक्त हो।
- 7.9 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर तैनात सीपीएफ जवान मत डालने के लिए मतदान केन्द्रों में आने वाले किसी भी निर्वाचक की पहचान नहीं करेगा, क्योंकि यह कार्य मतदान कर्मियों का होता है।
- 7.10 निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सीपीएफ जवानों को मतदान केन्द्र के भीतर तैनात नहीं किया जाना चाहिए।
- 7.11 मतदान की समाप्ति के बाद, ईवीएम, वीवीपीएटी एवं पीठासीन अधिकारियों को सीपीएफ की टुकड़ी की अभिरक्षा में रिसेप्शन केन्द्र तक ले जाया जाएगा। इसकी विस्तृत प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेक्षकों के साथ परामर्श करके पहले से ही निश्चित की जाएगी।

8. मतदान अधिकारियों को कर्तव्य सौंपा जाना


8.1. एकल निर्वाचन में मतदान अधिकारियों के कर्तव्य

8.1.1. प्रथम मतदान अधिकारी

प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और निर्वाचक की पहचान के लिये उत्तरदायी होगा। मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर, निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास आयेगा। वह मतदान अधिकारी निर्वाचक की पहचान के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा। प्रत्येक निर्वाचन में, आयोग मतदाताओं के पहचान संबंधी आदेश जारी करता है। पीठासीन अधिकारी को इस आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। निर्वाचक से ईपीआईसी या आयोग के आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

8.1.2. द्वितीय मतदान अधिकारी

द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होगा। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की पहचान होने के पश्चात् द्वितीय मतदान अधिकारी निर्वाचक के बायें हाथ की तर्जनी का यह देखने के लिये निरीक्षण करेगा कि इस पर अमिट स्याही का कोई चिन्ह या संकेत तो नहीं है, फिर निर्वाचक के बाएं हाथ के अग्रभाग पर अमिट स्याही के साथ एक चिह्न लगायेगा। अमिट स्याही से निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी पर ब्रश की सहायता से एक पंक्ति की तरह (आपूर्ति की जाएगी) नाखून के ऊपरी छोर से प्रथम जोड़ के नीचे तक लगाया जाएगा जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है:



- 8.1.3. द्वितीय मतदान अधिकारी प्ररूप 17क में मतदाताओं के रजिस्टर का भी प्रभारी होगा। वह उस रजिस्टर में उन निर्वाचकों का उचित लेखा रखने का भी उत्तरदायी होगा जिनकी पहचान की जा चुकी है और जो मतदान केन्द्र पर मत डालते हैं। वह उस रजिस्टर पर प्रत्येक निर्वाचक से, उसे मत डालने की अनुमति देने से पूर्व, हस्ताक्षर कराएगा या अंगूठे का निशान लेगा। द्वितीय मतदान अधिकारी प्रत्येक निर्वाचक को,

अध्याय 19 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचक रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि कर निर्वाचक स्लिप जारी करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान केन्द्र छोड़ने के पूर्व निर्वाचक की उंगली पर लगी अमिट स्याही सूख जाये। इसके लिए अमिट स्याही लगाने के बाद रजिस्टर में मतदाताओं के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान लिया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदाता द्वारा मतदान केन्द्र छोड़ने से पहले अमिट स्याही का निशान सूख गया हो।

8.1.4. तृतीय मतदान अधिकारी

तृतीय मतदान अधिकारी वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। वह उसी मेज पर बैठेगा, जहाँ द्वितीय मतदान अधिकारी बैठता है। तृतीय मतदान अधिकारी निर्वाचक को मतदान कम्पार्टमेंट में जाने की अनुमति द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी मतदान स्लिप के आधार पर और उस स्लिप में उल्लिखित क्रम सं. के अनुसार देगा। कंट्रोल यूनिट के मतदान प्रभारी अधिकारी, कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाने के पहले यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचक की उँगली का निशान सूख चुका है। वह, अध्याय 20 में विस्तृत रूप से यथावर्णित, कंट्रोल यूनिट के उपर्युक्त 'बैलेट' बटन को दबाकर मतदान कोष्ठ में रखी मतदान यूनिट (यूनिटों) को चालू करेगा। निर्वाचक को मतदान कम्पार्टमेंट में जाने की अनुमति देने के पूर्व, वह यह भी जाँच करेगा कि निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही का स्पष्ट चिह्न है। (यदि अमिट स्याही का निशान मिट गया हो तो बायीं तर्जनी पर फिर से अमिट स्याही लगायें)।

8.1.5. जहाँ किसी मतदान केन्द्र को सौंपे गये मतदाताओं की संख्या कम है, वहाँ तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्यों का पालन पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं किया जा सकता है, इस प्रकार मतदान दलों के गठन में और मितव्ययिता की जा सकती है।

8.1.6. किसी विशेष जिले/निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर्मियों की कमी की स्थिति में ऐसे स्थानों पर मतदान दल में तीन मतदान अधिकारी जो मानक रूप है, के स्थान पर एक पीठासीन अधिकारी और दो मतदान अधिकारी शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्यों में, निर्वाचक की पहचान के पश्चात् निर्वाचक की उँगली पर अमिट स्याही लगाना भी शामिल होगा। ऐसी स्थिति में द्वितीय मतदान अधिकारी प्ररूप 17क (मतदाताओं के रजिस्टर) में प्रविष्टि और उसमें उनके हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान लेने के अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट का प्रभारी भी होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहाँ दो मतदान अधिकारी का उपयोग होगा, वहाँ निर्वाचक क्रम संख्या पर्ची तैयार करना आवश्यक नहीं

है। इसके स्थान पर द्वितीय मतदान अधिकारी 'कंट्रोल यूनिट' को एक्टीवेट करेगा तथा मतदाताओं को मतदान कंपार्टमेंट में उसी क्रम में भेजेगा जिस क्रम में जहां उन्होंने निर्वाचक रजिस्टर (प्रारूप 17क) में हस्ताक्षर किया हो। उन मामलों में यहाँ मतदान अधिकारियों की संख्या दो तक सीमित है, वहां अभ्यर्थियों को इसके बारे में पहले से ही लिखित में सूचित किया जाना चाहिए। दो मतदान अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों को अभ्यर्थियों को समझाया जाना चाहिए।

8.1.7. चतुर्थ मतदान अधिकारी (यदि एम2 वीवीपीएटी का उपयोग होता है तो वीएसडीयू के प्रभारी)

मतदान दल का गठन करते समय एम2 वीवीपीएटी (वीएसडीयू वाले वीवीपीएटी) संभालने के लिए एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी प्रदान किया जाना चाहिए। यह मतदान अधिकारी एम2 वीवीपीएटी इकाई को संभालेगा और साथ ही मतदान प्रक्रिया के दौरान निरन्तर वीएसडीयू को देखेगा ताकि यदि वीएसडीयू में कोई त्रुटि संदेश प्रदर्शित हो तो उसे नोट किया जा सके। यह अधिकारी वीएसडीयू में कोई त्रुटि दिखने पर उसकी सूचना तत्काल पीठासीन अधिकारी को देगा। (51/8/ वीवीपीएटी /2017-ईएमएस दिनांक 16 अक्टूबर, 2017)

एम3 वीवीपीएटी के मामले में एम3 वीवीपीएटी को संभालने के लिए किसी अतिरिक्त मतदान अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एम3 वीवीपीएटी के साथ वीएसडीयू नहीं होता और वीवीपीएटी संबंधी त्रुटियाँ कंट्रोल यूनिट में ही प्रदर्शित होती हैं।

8.2. साथ-साथ होने वाले निर्वाचन में पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्य

8.2.1. प्रथम मतदान अधिकारी

वह निर्वाचकों की पहचान करेगा तथा निर्वाचक नामावली का प्रभारी होगा।

8.2.2. द्वितीय मतदान अधिकारी

वह अमिट स्याही एवं निर्वाचक रजिस्टर का प्रभारी होगा।

8.2.3. तृतीय मतदान अधिकारी

वह निर्वाचक पर्ची का प्रभारी रहेगा।

8.2.4. चतुर्थ मतदान अधिकारी

लोकसभा निर्वाचन के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा।

8.2.5. पंचम मतदान अधिकारी

वह विधान सभा निर्वाचन के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा।

8.2.6. चतुर्थ एवं पंचम मतदान अधिकारियों के महत्वपूर्ण कर्तव्य

ऐसा प्रतीत हो सकता है कि चतुर्थ एवं पंचम मतदान अधिकारियों को काफी आसान कार्य दिया गया है। इसके विपरीत, दो निर्वाचन एक साथ होने पर निर्वाचन की सफलता उनकी सतर्कता पर निर्भर करती है। उनके कार्य केवल 'बैलेट' बटन दबाकर वोटिंग मशीन को सक्रिय (एक्टिव) करना ही नहीं है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि निर्वाचक को दी गई पर्ची में अंकित क्रमांक के अनुसार वह अपनी बारी आने पर मतदान कर सके। उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि निर्वाचक सही मतदान कम्पार्टमेंट में जाकर मतदान करे। यदि अज्ञानतावश निर्वाचक नहीं समझ पाता है कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है, तो यह इन दोनों मतदान अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्वाचक सही प्रक्रिया अपनाये। विशेषतः मतदान के प्रथम घंटे में जब अधिक भीड़ हो तो उन्हें शांत रहते हुए यह देखना चाहिए कि मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती रहे। उन्हें समय मिलने पर या प्रत्येक एक घंटे के मतदान के पश्चात् कुल डाले गये मतों का कुल निर्वाचकों की संख्या जो कि निर्वाचक रजिस्टर में दर्शाई गई है तथा दोनों कंट्रोल यूनिट में दर्शाई गई है का मिलान करना चाहिए।

8.3. संक्षेप में पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्य

पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र का समग्र प्रभारी है तथा संक्षेप में उसके कर्तव्य निम्नलिखित हैं:

- 8.3.1. विनिर्देश के अनुसार मतदान केन्द्र की स्थापना करें। बीयू और वीवीपीएटी को संबंधित मतदान प्रकोष्ठ में रखें। बैलेट यूनिट अथवा कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपीएटी को किसी भी स्थिति में फर्श पर न रखें। इसे मेज पर ही रखा जाना चाहिए;
- 8.3.2. बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को उनकी संबंधित कंट्रोल यूनिट से जोड़ें;
- 8.3.3. सीयू के पावर बटन को चालू करें।;
- 8.3.4. मतदान के वास्तविक रूप से शुरू होने के लिए नियत समय से पूर्व अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं के समक्ष वोटिंग मशीन का प्रदर्शन करें, कि वोटिंग मशीन क्लियर है और इसमें कोई मत नहीं है ;
- 8.3.5. मतदान अभिकर्ता के समक्ष छद्म मतदान कर सुनिश्चित करें कि ईवीएम एवं वीवीपीएटी कार्य करने की सही स्थिति में है। सीयू के परिणाम और वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती का मिलान करें।

- 8.3.6. छद्म मतदान के परिणाम को सीयू से हटा दें और पुष्टि कर लें कि ड्रॉप बाक्स खाली है।
- 8.3.7. मॉक-पोल का प्रमाण-पत्र तैयार करें (अनुलग्नक 14)
- 8.3.8. यह स्पष्ट जान लें कि आयोग के निर्देशानुसार यदि मतदान केन्द्र में मॉक-पोल नहीं हुआ है, तो उस मतदान केन्द्र में मतदान भी नहीं होगा।
- 8.3.9. यह सुनिश्चित करें कि कंट्रोल इकाई पर लगी हरे रंग की पेपर सील लोक सभा का निर्वाचन लड़ रहे लोक सभा निर्वाचन के अभ्यर्थियों अथवा उनके मतदान अभिकर्ताओं के लिए है, जो मतदान केन्द्र में उस समय उपस्थित हों, उनके हस्ताक्षर प्राप्त करें, और इसी प्रकार कंट्रोल यूनिट पर लगी हरे रंग की पेपर सील पर विधानसभा निर्वाचन के लिए केवल विधानसभा निर्वाचन के अभ्यर्थियों अथवा उनके मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर ही उन पर लिए जाएं।
- 8.3.10. ध्यान दें कि मतदान कक्ष को समुचित तौर पर उपयुक्त पोस्टरों को इसके बाहर चस्पा करते हुए ठीक ढंग से व्यवस्थित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जा सके कि बैलेटिंग इकाई और वीवीपीएटी किस निर्वाचन से संबंधित है।
- 8.3.11. यह भी सुनिश्चित करें कि बैलेट यूनिट एवं वीवीपीएटी को कंट्रोल यूनिट से जोड़ने वाला केबल दृष्टिगोचर हो तथा किसी भी प्रकार से केबल को हानि न पहुँचने पाये। मतदान केन्द्र में आवागमन के दौरान मतदाताओं को केबल पार न करना पड़े, और केबल की पूरी लंबाई सब को दिखाई दे, छिपी न रहे। यह भी सुनिश्चित करें कि केबल मतदान कक्ष के नीचे ढीला लटक नहीं रहा हो।
- 8.3.12. यह भी सुनिश्चित करें कि मतदान दल के सभी सदस्य मतदान शुरू होने के पूर्व नियत स्थान पर बैठें तथा, मतदान को सही समय पर शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री एवं रिकार्ड तैयार हैं।
- 8.3.13. मतदान दल के किसी भी सदस्य को, मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में इधर-उधर घूमने न दें तथा उन्हें उनके नियत स्थान पर बैठाएं रखें।
- 8.3.14. मतदान शुरू होने के नियत समय पर ही वास्तविक मतदान शुरू करें।
- 8.3.15. यह भी ध्यान रखें कि निर्वाचक बिना मतदान किये वापस न जा सके तथा मतदान प्रक्रिया के दौरान निर्वाचक की गतिविधियों पर नजर रखें।

- 8.3.16. यह सुनिश्चित करें कि मतदान प्रारंभ होने के प्रथम एक घण्टे में सामान्यतः जब मतदान कार्य अधिक होता है, तब मतदान दल का कोई भी सदस्य अपने निर्धारित कार्य में कोताही न बरतें।
- 8.3.17. दोनों कंट्रोल यूनिट में समय-समय पर डाले गए कुल वोटों की जाँच करें और यह सुनिश्चित करें कि मतदाताओं ने निर्वाचक पर्ची पर दिए गए अपने क्रमांक के अनुसार मतदान किया है।
- 8.3.18. यह सुनिश्चित करें कि साथ-साथ निर्वाचन होने पर लोक सभा निर्वाचन हेतु प्ररूप 17ग की प्रति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता को प्रदान की गई है तथा विधान सभा निर्वाचन हेतु प्ररूप 17ग की प्रति विधान सभा क्षेत्र के अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता को प्रदान की गई है।
- 8.3.19. समय-समय पर बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए करें कि मतदाताओं ने किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की है। जो मतदान के समापन के लिए नियत समय पर पहले से ही कतार में है उन्हें अपना मतदान डालने दिया जाएगा।

8.4. मतदान समाप्ति

- 8.4.1. पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतदान नियत मतदान प्रक्रिया के तहत मतदान के समय की समाप्ति पर विधिवत रूप से समाप्त हो। उपर्युक्त प्रक्रियानुसार आखिरी मतदाता के मत देने के पश्चात् वह कंट्रोल यूनिट के 'क्लोज बटन' को दबा देगा। नियत फार्म को सावधानीपूर्वक और विधिवत भरने के पश्चात् उसे कंट्रोल यूनिट की वीवीपीएटी को स्विच ऑफ करना चाहिए और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट से अलग कर, सीलबंद कर, नियत केस/बाक्स में रखना चाहिए।
- 8.4.2. साथ-साथ होने वाले निर्वाचन में नियत प्रपत्र पृथक रूप से तैयार कर सील करें।
- 8.4.3. साथ-साथ निर्वाचन होने पर पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी इकाईयों के 'केस'/'बाक्स' पर संबंधित निर्वाचन के स्टीकर को बाहर चिपकाया जाये। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपीएटी को उनके निर्धारित बक्से में ही रखा जाए तथा उन पर निर्वाचन पहचान का लेबल भी चिपकाया जाये। इसके अलावा उसे सम्यक रूप से एड्रेस टैग भरकर उनके निर्धारित बक्से पर चिपकाना/लगाना चाहिए।
- 8.4.4. पीठासीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि सभी सीलबंद यूनिटें एवं निर्वाचन रिकार्ड रिटर्निंग ऑफिसर को रिसेप्शन केन्द्र पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सौंप दिया जाये।

8.5. माइक्रो-ऑब्जर्वर (एमओ)

8.5.1. माइक्रो आब्जर्वर ईसीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई एक विशेष जॉब प्रोफाइल है। माइक्रो आब्जर्वर से संबंधित जिम्मेदारियाँ एवं कार्य, निर्वाचन क्षेत्र के जनरल आब्जर्वर को निर्दिष्ट मतदान केन्द्र की मतदान प्रक्रिया में रिपोर्टिंग विचलन (रूझान) के इर्द-गिर्द केन्द्रित है। एमओ की नियुक्ति अति संवेदनशील क्षेत्रों के मानचित्रण में चिन्हित क्षेत्रों में की जाती है।

8.6. मतदान सहायता बूथ (वीएबी)

- 8.6.1. प्रत्येक मतदान केन्द्र परिसर/भवन/स्थान जहाँ मतदान बूथ की संख्या जो भी हो, के लिए निर्वाचक सहायता बूथ स्थापित किया जायेगा। इसका उद्देश्य निर्वाचक को उसके मतदान केन्द्र क्रमांक और निर्वाचक सूची में उसके निर्वाचक क्रमांक प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए भागवार निर्वाचक नामावली को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर अनुसार तैयार किया जाता है। किसी भाग में नामों की वर्णानुक्रमिक व्यवस्था को आगे अनुभाग वार विभाजित नहीं किया जाता है।
- 8.6.2. वर्णानुक्रम सूची के प्रकाशन में अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सिंगल/डबल मतदान केन्द्रों वाले भवनों में निर्वाचक सहायता बूथ या किसी अतिरिक्त टीम की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में निर्वाचक केन्द्र में निर्वाचकों की आसान पहचान के लिए पीठासीन अधिकारी को वर्णानुक्रम निर्वाचक सूची प्रदान की जायेगी। (चिन्हांकित प्रति के अलावा)।
- 8.6.3. प्रत्येक वीएबी के लिए आरओ द्वारा अधिकारियों की एक टीम नियुक्त की जायेगी। यह नियुक्ति केवल मतदान दिवस के लिए होगी। वीएबी कर्मियों के बैठने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए।
- 8.6.4. एक साइनेज बोर्ड, जिस पर लिखा हो 'निर्वाचक सहायता बूथ' को इस तरह लगाया जाना चाहिए कि जब निर्वाचक परिसर/भवन में पहुँचें, तो वह उन्हें सहज रूप से दिखाई दे। प्रत्येक निर्वाचक द्वारा खोजी जा रही ऐसी जानकारी जैसे बूथ नंबर या क्रमांक वीएबी कर्मियों द्वारा प्रदान की जायेगी।

8.7. डिजिटल कैमरा पर्सन

- 8.7.1. माननीय उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर (सिविल अपील सं. 2003 का 9228 जनक सिंह बनाम राम दास राय एवं अन्य में दिनांक 11.01.2005 का निर्णय) मतदान केन्द्रों में डिजिटल फोटोग्राफी का उपयोग शुरू किया गया था। इस प्रक्रिया में मतदान की गोपनीयता के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
- 8.7.2. यह आयोग द्वारा विशेष रूप से निर्देशित मतदान केन्द्रों में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए।
- 8.7.3. डिजिटल कैमरा पर्सन निम्नलिखित की फोटो लेनी होगी: ऐसे मतदान केन्द्रों में मतदान के लिए आये सभी मतदाता, जिनके पास ईपिक (ईपीआईसी) (निर्वाचक पहचान पत्र) या ईसीआई द्वारा अनुमोदित फोटो पहचान पत्र नहीं हो, की फोटो उनके प्रवेश के बाद उसी क्रम में खींची जाएगी जिस क्रम में प्ररूप 17क में प्रविष्टि की गई हैं, प्रवेश के फौरन बाद फोटोग्राफ लिए जाने होंगे। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान कोष्ठ के क्षेत्र की फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।
- 8.7.4. अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ जिनकी फोटो ली जायेगी:
- 8.7.4.1. मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व छद्म मतदान एवं ईवीएम और वीवीपीएटी की सीलिंग।
- 8.7.4.2. मतदान कोष्ठ की स्थिति (कम से कम तीन फोटो जिसमें बैकग्राउंड भी हो)। यह मतदान प्रारंभ होने के पूर्व किया जाएगा।
- 8.7.4.3. मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति दिखाते हुए फोटो।
- 8.7.4.4. अम्पाक्षेपित/निविदत्त मत एएसडी सूची के अनुसार अनुपस्थिति मतदाताओं के संबंध में निर्वाचकों की फोटो।
- 8.7.4.5. मतदान समय की समाप्ति के पश्चात् बाहर इंतजार कर रहे निर्वाचक और पंक्ति के अंतिम मतदाता।
- 8.7.4.6. सेक्टर अधिकारियों, प्रेक्षकों और अन्य निर्वाचन पदाधिकारियों का दौरा
- 8.7.5. मतदान के अन्त में फोटोग्राफर निम्न घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा -
- "मतदान केन्द्र क्र. ---- के दिनांक ----- में मतदान करने वाले सभी निर्वाचकों के फोटो मेरे द्वारा लिए गए हैं और कैमरे में फोटोग्राफ्स की कुल संख्या -----है"

9. मतदान केन्द्र में प्रवेश और बैठने की व्यवस्था का विनियमन

9.1. मतदान केन्द्र में प्रवेश के लिए अधिकृत व्यक्ति

9.1.1. आपके मतदान केन्द्र के लिए नियत निर्वाचकों के अलावा निम्नलिखित व्यक्ति मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सकते हैं:-

9.1.1.1. मतदान अधिकारी;

9.1.1.2. प्रत्येक अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता;

9.1.1.3. आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी;

9.1.1.4. निर्वाचन के सम्बन्ध में इयूटी पर लोक सेवक; (ड) आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक;

9.1.1.5. माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर/संवेदनशील मतदान केन्द्रों के मामलों में वेब-कास्टिंग कर्मी;

9.1.1.6 निर्वाचक के साथ गोद में शिशु/बच्चा हो

9.1.1.7 ऐसे दृष्टिहीन और दिव्यांग निर्वाचक जो बिना सहायता के चल फिर नहीं सकते उनके साथ आने वाले व्यक्ति; और

9.1.1.8 ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें समय-समय पर मतदाताओं की पहचान के लिये या अन्य प्रकार से मतदान में आपकी सहायता करने के प्रयोजन के लिये, आप प्रवेश की अनुमति दें।

9.1.2 रिटर्निंग ऑफिसरों को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उनके फोटोग्राफयुक्त पहचान-पत्र जारी करने को कहा गया है। आवश्यकता होने पर आप मतदान केन्द्र पर उनसे पहचान-पत्र प्रस्तुत करने के लिये कह सकते हैं। उसी प्रकार, अभ्यर्थियों के निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी उनके नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति प्रस्तुत करने के लिये कहा जा सकता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सत्यापित हो और जिस पर निर्वाचन अभिकर्ता की फोटो हो।

9.1.3 आप यह नोट कर लें कि 'निर्वाचन के सम्बन्ध में इयूटी पर लोक सेवक' शब्द में सामान्यतः पुलिस अधिकारी सम्मिलित नहीं हैं। सामान्य नियम के अनुसार ऐसे

अधिकारियों को (चाहे वे वर्दी में हो या सामान्य कपड़ों में) मतदान बूथ के अन्दर प्रवेश नहीं (एक सामान्य नियम के रूप में) करने देना चाहिए। हालाँकि आवश्यकतानुसार कानून और व्यवस्था बनाये रखने या किसी ऐसे ही प्रयोजन से आप उन्हें बुलाने का निर्णय ले सकते हैं। बिना किसी अपरिहार्य कारणों के मतदान बूथ में उनकी उपस्थिति पर कुछ अभ्यर्थियों अथवा दलों द्वारा यह आरोप लगाया जा सकता है कि उनके मतदान अभिकर्ताओं को अनावश्यक रूप से आतंकित किया जा रहा है।

- 9.1.4 इसी प्रकार, निर्वाचक या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता के साथ किसी सुरक्षाकर्मी यदि कोई हो, को मतदान केन्द्र में प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। परंतु जेड+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के आने की दशा में उनके सुरक्षाकर्मी सादे कपड़ों में तथा अपने हथियार को पूरी तरह छिपा कर प्रवेश कर सकते हैं।
- 9.1.5 आप यह भी नोट कर लें कि 'निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर लोक सेवक' अभिव्यक्ति में संघ और राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री सम्मिलित नहीं हैं। आयोग के निर्देशों के अनुसार, संघ और राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री, जिन्हें राज्य के खर्च पर सुरक्षा प्राप्त है, को निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- 9.1.6 स्थायी अनुदेशों के अनुसार किसी मंत्री या राजनीतिक कार्यकर्ता जो मतदान केन्द्र में निर्वाचन अभ्यर्थी या निर्वाचक के रूप में आता है, के सुरक्षा कर्मियों को मतदान कोष्ठ में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वे केन्द्र के बाहर प्रतीक्षा कर सकते हैं किन्तु किसी भी परिस्थिति में वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे मतदान में व्यवधान उत्पन्न हो।
- 9.1.7 उपर्युक्तानुसार व्यक्तियों के प्रवेश को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए; अन्यथा निर्बाध और सुचारू रूप से मतदान संचालन बाधित हो सकता है। आप एक बार में केवल तीन या चार मतदाताओं को ही मतदान बूथ में प्रवेश करने की अनुमति दें।
- 9.1.8 यदि मतदान बूथ पर उपस्थित किसी व्यक्ति के दस्तावेजों के बारे में आपको संदेह है तो आप आवश्यक होने पर उसकी तलाशी करवा सकते हैं, चाहे सम्बन्धित व्यक्ति के पास मतदान बूथ में प्रवेश के लिए प्राधिकार-पत्र ही क्यों न हो।
- 9.1.9 अपने कर्तव्यों के पालन में आप केवल निर्वाचन आयोग के अनुदेशों से आबद्ध हैं। आपको अपने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों या मंत्रियों सहित राजनीतिक नेताओं से कोई आदेश लेकर पक्षपात नहीं दिखाना है। इनके मतदान बूथों में प्रवेश करने के अनुरोध के मामले में भी आपको उन्हें तभी अनुमति देनी चाहिए जब उनके पास निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये विधिमान्य प्राधिकार पत्र हों।

9.1.10 यदि आपने निर्वाचकों की पहचान में सहायता करने के लिये या मतदान कराने में आपकी सहायता करने के लिये किसी स्थानीय अधिकारी या महिला परिचारक को नियुक्त किया है तो उसे सामान्यतः मतदान केन्द्र के प्रवेशद्वार के बाहर ही बिठाया जाना चाहिए। उनको मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति तभी देनी चाहिए, जब किसी विशिष्ट निर्वाचक की पहचान या मतदान के सम्बन्ध में उनकी आवश्यकता हो। किसी भी व्यक्ति को, किसी विशिष्ट तरीके से मत देने के लिये शब्दों या इशारों से प्रभावित करने या प्रभावित करने के प्रयास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

9.2. सीपीएफ कर्मों

9.2.1 सीपीएफ कर्मियों को जैसा कि अध्याय 7 में वर्णित है, मतदान केन्द्रों की कार्यवाही पर निगरानी करनी चाहिए।

9.3. मतदान अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्ति पत्रों को प्रस्तुत किया जाना

9.3.1. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्ता, उसी निर्वाचन क्षेत्र के उसी मतदान बूथ या पड़ोस के मतदान बूथ का निर्वाचक होना चाहिए। इन अभिकर्ताओं के पास अनिवार्य रूप से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या सरकार या सरकारी-एजेन्सी द्वारा जारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र होना चाहिए जिससे उनकी पहचान हो सके।

9.3.2 यदि निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित मतदान अभिकर्ता के पास निर्वाचक फोटो परिचय-पत्र नहीं हो तब रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन एजेंट के लिखित आवेदन पर, उस निर्वाचक को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने हेतु प्रबंध करें। इस बात का ध्यान रखें कि मतदान अभिकर्ता अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र इस प्रकार लगायें ताकि मतदान वाले दिन उनकी पहचान जल्दी एवं सही तरीके से हो सके।

9.3.3 प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप-10 में वह नियुक्ति-पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उसकी नियुक्ति आपके मतदान केन्द्र के लिये की है। जाँच ले कि उसकी नियुक्ति आपके ही मतदान केन्द्र के लिए है। यह सुनिश्चित करने के पश्चात् मतदान अभिकर्ता को तब दस्तावेज को पूर्ण कर और उसमें दी गई घोषणा पर, आपकी उपस्थिति में हस्ताक्षर करने चाहिए और वह मतदान केन्द्र में प्रवेश से पूर्व आपको वह सौंप देगा। इन समस्त नियुक्ति पत्रों को सुरक्षित रखें और मतदान की समाप्ति पर अन्य दस्तावेजों के साथ उन्हें लिफाफे में रखकर रिटर्निंग ऑफिसर को दें।

- 9.3.4 आपके समक्ष किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा प्ररूप 10 में प्रस्तुत किये गए नियुक्ति पत्र की असलियत के बारे में संदेह होने पर, आपको अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षरों का मिलान, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराये गये उनके नमूना हस्ताक्षरों से करना चाहिए।

9.4. मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति

- 9.4.1. अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता को मतदान प्रारंभ होने के कम से कम एक घण्टे पूर्व मतदान केन्द्र पर पहुँचने के लिये कहा जाना चाहिए ताकि जब आप प्रारम्भिक व्यवस्थाएँ कर रहे हों, तो वे उपस्थित रहें। यदि इन प्रारंभिक व्यवस्थाओं का कोई भाग पहले पूरा किया जा चुका है, तो किसी देर से आने वाले व्यक्ति के लिये कार्यवाही को नये सिरे से प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है।
- 9.4.2 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये समय-सीमा से संबंधित कोई विनिर्दिष्ट कानून नहीं है और यदि कोई मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र पर विलम्ब से भी आता है, तो उसे मतदान केन्द्र पर आगे की कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- 9.4.3 प्रत्येक मतदान केन्द्र में 'मतदान अभिकर्ता/स्थानापन्न अभिकर्ता संचलन पत्रक' रखा जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें मतदान केन्द्र में आने व मतदान केन्द्र से जाने के समय को दर्ज किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के साथ ईवीएम रिसेप्शन केन्द्र में मतदान के बाद इस पत्रक को सौंपा जाना चाहिए। 'मतदान अभिकर्ता/स्थानापन्न अभिकर्ता संचलन पत्रक' का प्रतिरूप **अनुलग्नक 17** में उपलब्ध है।
- 9.4.4 रिटर्निंग आफिसर/असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर/मुख्य पुलिस अधिकारी/सेक्टर अधिकारी/नियंत्रण कक्ष- सभी के टेलीफोन नंबर मतदान केन्द्रों में डिस्प्ले किए जाएंगे, ताकि अगर मतदान अभिकर्ताओं को कोई शिकायत हो, तो वे तत्काल हस्तक्षेप के लिए उन्हें बुला सकते हैं।

9.5. मतदान अभिकर्ताओं के लिए पास

- 9.5.1. प्रत्येक अभ्यर्थी, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये एक मतदान अभिकर्ता और दो स्थानापन्न अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। तथापि, एक समय पर किसी अभ्यर्थी के केवल एक ही अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में प्रवेश दिया जाना चाहिए। प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को जिसको मतदान केन्द्र में प्रवेश दिया गया है, एक अनुमति-पत्र या पास दें जिसके प्राधिकार से वह आवश्यकतानुसार मतदान में आ-जा सके। तथापि यह

सुनिश्चित कर लें कि कोई अभिकर्ता निर्वाचक सूची की प्रति केन्द्र के बाहर न ले जा सके। इसके अतिरिक्त मतदान अभिकर्ताओं को लघु शंका अथवा दीर्घ शंका आदि के लिए अपराह्न 3 बजे के बाद मतदान केन्द्रों से बाहर जाने और मतदान केन्द्र के भीतर वापस आने की अनुमति दी जा सकेगी। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी अभ्यर्थी का केवल एक मतदान अभिकर्ता या उसका स्थानापन्न ही एक समय में मतदान केन्द्र के भीतर उपस्थित हो। पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं को ईवीएम की सीलबंदी, घोषणा पर हस्ताक्षर आदि प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए मतदान समाप्त होने तक मतदान केन्द्रों में ही रुकने की हिदायत देगा। निर्वाचन आयोग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार मतदान अभिकर्ताओं को मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी स्थिति में सेलफोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में अभिकर्ता को मतदान कर चुके या मतदान नहीं किए मतदाताओं की क्रम संख्या को दर्शाते हुए कोई पर्ची बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। (464/अनुदेश/2014/ईपीएस दिनांक 5 मई, 2014)

9.6. मतदान केन्द्र में मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था

- 9.6.1 मतदान केन्द्र इस प्रकार बनाया जाये कि मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र के अन्दर बैठ सकें और मतदान के लिये अन्दर आने वाले निर्वाचक को देख सकें और आवश्यकता पड़ने पर पहचान को चुनौती दे सकें। वे मतदान केन्द्र की समस्त गतिविधि जैसे, निर्वाचक का प्रवेश, मतदान कोष्ठ में जाना तथा केन्द्र से निकास देख सकें। परन्तु उन्हें ऐसे स्थान पर नहीं बैठाना चाहिये, जहाँ से वह निर्वाचक को वोट डालते देख सकें और वोट की गोपनीयता भंग हो। इसके लिये मतदान अभिकर्ताओं को निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के प्रभारी मतदान अधिकारी के बिल्कुल पीछे बिठाइए। जहाँ प्रवेश द्वार की स्थिति के कारण ऐसा किया जाना व्यावहारिक न हो, वहाँ उन्हें मतदान अधिकारियों के सामने बिठाया जाये।
- 9.6.2 छोटे मतदान केन्द्रों में जहाँ स्थानों का अभाव हो एवं अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तथा उनके द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्ताओं की संख्या भी अधिक हो तथा मतदान केन्द्र के अन्दर उन्हें समाहित न किया जा सके, उस परिस्थिति में प्रेक्षक से उचित सलाह ली जाएगी और प्रेक्षक की सहमति प्राप्त की जायेगी।
- 9.6.3 निर्वाचन आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार, अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता की मतदान केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकताओं के प्रवर्गों के अनुसार रखी जायेगी, अर्थात्:-

- 9.6.3.1. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी;
- 9.6.3.2. मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी;
- 9.6.3.3. अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय दलों के वे अभ्यर्थी, जिन्हें अपने आरक्षित प्रतीकों को इस निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है;
- 9.6.3.4. पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी; और
- 9.6.3.5. निर्दलीय अभ्यर्थी;

9.7. मतदान केन्द्र में धूम्रपान निषेध

मतदान केन्द्र के अंदर धूम्रपान की अनुमति नहीं है। इसलिए, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपके मतदान केन्द्र के अंदर धूम्रपान न करे।

9.8. प्रेस प्रतिनिधियों और फोटोग्राफरों के लिए सुविधाएं तथा मतदान केन्द्र में वीडियोग्राफी

- 9.8.1. आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया के दौरान संवेदशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर गंभीर घटनाक्रमों की वीडियोग्राफी के लिये पहले ही निर्देश जारी किये जा चुके हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के सुझाव को मान्य करते हुए, निर्वाचन आयोग ने अब अनुदेश दिया है कि मतदान केन्द्रों के अंदर चल रही मतदान प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी प्रेक्षक के साथ विचार-विमर्श करने के बाद की जा सकती है। हालाँकि इस बात का ध्यान रखा जाए कि वीडियोग्राफी के दौरान मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो अर्थात् यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता की मत डालते हुए वीडियोग्राफी न की जाए। हालाँकि, मतदान या मतदान केन्द्र के अंदर वोट की सामान्य व्यवस्था और गोपनीयता बनाए रखने के लिए मीडिया कर्मियों या किसी भी अन्य अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा किसी भी फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 9.8.2. इसी प्रकार, शांति और व्यवस्था को बनाए रखते हुए, किसी फोटोग्राफर द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर लाइन में खड़े मतदाताओं की भीड़ की फोटो लेने में कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि किसी भी परिस्थिति में मतदान कोष्ठ में वास्तविक मतदान करते हुए व्यक्ति की फोटो लेने की अनुमति किसी को भी नहीं होगी। इसके अलावा, किसी भी परिस्थिति

में किसी को भी वोटिंग मशीन की बैलेटिंग यूनिट पर अपना मत रिकॉर्ड करने वाले निर्वाचक की तस्वीर लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 9.8.3. न तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी और न ही रिटर्निंग ऑफिसर को किसी ऐसे व्यक्ति को जो न तो निर्वाचक है और न ही उससे मतदान करवाने में आपकी सहायता की अपेक्षा की जाती है, मतदान केन्द्र में प्रवेश के लिये प्राधिकृत करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य सरकार के प्रचार विभाग के पदाधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति को आयोग के प्राधिकार पत्र के बिना मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

9.9. आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों के लिए सुविधाएं

- 9.9.1. आजकल निर्वाचन आयोग सामान्यतः निर्वाचन के लिये अपने प्रेक्षक नियुक्त करता है। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20ख के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त वैधानिक प्राधिकारी हैं।
- 9.9.2. मतदान के दिन कोई प्रेक्षक आपके मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर सकता है। यह संभव है, कि वह निर्वाचन क्षेत्र के दौरे की शुरुआत आपके केन्द्र से करें और उस समय जब आप मतदान की प्रारम्भिक व्यवस्था पूरी कर रहे हों, वह आपके मतदान केन्द्र का निरीक्षण करे। आपको उसके प्रति सम्यक शिष्टाचार और सम्मान दिखाना चाहिए और ऐसी जानकारी देनी चाहिए जिसकी वह निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजने के लिये आपसे अपेक्षा करे। आप प्रेक्षक को रूटीन जानकारी के अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी भी दे सकते हैं। आपको प्रेक्षक/माइक्रो प्रेक्षक (माइक्रो ऑब्जर्वर) को अनुपस्थित मतदाता, अन्यत्र भेजे गये निर्वाचक तथा मृत निर्वाचक (ए.एस.डी. सूची) की सूची उपलब्ध करानी चाहिये। प्रेक्षकों को पहले से संक्षिप्त में निदेश दिया गया है कि वह केवल आपके मतदान केन्द्र पर कराये जाने वाले मतदान का निरीक्षण करेगा किन्तु आपको कोई निर्देश नहीं देगा। तथापि, यदि वह मतदाताओं को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने या आपके मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने की दृष्टि से कोई सुझाव देता है तो आपको ऐसे सुझाव पर उचित ध्यान देना चाहिए। साथ ही यदि आप मतदान केन्द्र पर किसी विशेष समस्या का सामना कर रहे हों या किसी कठिनाई का अनुभव कर रहे हों तो आपको इसे उनके ध्यान में लाना चाहिए ताकि वह आपकी उस समस्या का निराकरण करने या उस कठिनाई को दूर करने के मामले को रिटर्निंग ऑफिसर या अन्य सम्बन्धित अधिकारी के ध्यान में लाकर सहायता कर सके।
- 9.9.3. प्रेक्षक निर्वाचक आयोग द्वारा जारी किये गये बैज लगाये रहेंगे और आयोग द्वारा जारी किये नियुक्ति-पत्र और प्राधिकार-पत्रों को भी अपने पास रखेंगे। प्रेक्षक से 'विजिट शीट'

पर हस्ताक्षर करने का निवेदन किया जायेगा, जो आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ संलग्न मिलेगी। मतदान के बाद आप इसे पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ जमा करेंगे।

9.9.4. कभी-कभी सामान्य प्रेक्षक के लिए यह संभव नहीं होता कि वह प्रत्येक मतदान केन्द्र का, जो उसे आबंटित किए गए हैं, दौरा कर सके या पूर्ण समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहे, अतः आयोग ने हाल ही में निर्णय लिया है कि मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन कार्य का प्रबंधन माइक्रो प्रेक्षकों की नियुक्ति द्वारा किया जाए ताकि प्रेक्षण का तंत्र मजबूत हो सके। माइक्रो प्रेक्षकों (माइक्रो ऑब्जर्वर) मुख्य प्रेक्षक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेंगे। माइक्रो प्रेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान शुरू होने से एक घंटे पूर्व अर्थात् सुबह सात बजे, मतदान केन्द्र पर पहुँचे तथा पूरे दिन मतदान केन्द्र पर रहे। वे मतदान की तैयारियों का आकलन करें तथा नियमित रूप से महत्वपूर्ण बिन्दुओं को पूर्व में छपे हुए प्रपत्र पर अंकित करते रहें परन्तु किसी भी स्थिति में माइक्रो प्रेक्षकों, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य न करें और उन्हें निर्देश न दें। उनका कार्य केवल अवलोकन करना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कार्य हो रहा है या नहीं। ऐसे भवन जहाँ एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं, वहाँ केवल एक ही माइक्रो प्रेक्षक होंगे जो सभी मतदान केन्द्रों का समय-समय पर दौरा कर अवलोकन करेंगे न कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक माइक्रो प्रेक्षक। सामान्य प्रेक्षक अपने निर्वाचन क्षेत्र के माइक्रो प्रेक्षकों से सम्पर्क बनाए रखेंगे। प्रत्येक माइक्रो प्रेक्षकों के पास डी.ई.ओ. द्वारा जारी फोटो पास एवं परिचय पत्र होना चाहिए ताकि उसे मतदान केन्द्रों में प्रवेश की पात्रता हो।

9.9.5. मतदान के दिन अवलोकन कार्य के तहत माइक्रो प्रेक्षक निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें:-

9.9.5.1. छद्म मतदान प्रक्रिया (मॉक-पोल)

9.9.5.2. मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति और उनसे संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन

9.9.5.3. मतदान केन्द्रों में पहुँच एवं प्रवेश-पत्रों से प्रवेश की प्रक्रिया का अवलोकन

9.9.5.4. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप निर्वाचकों की सही पहचान

9.9.5.5. अनुपस्थित, स्थानांतरित तथा मृत निर्वाचक (ए.एस.डी) होने की स्थिति में पालन की जाने वाली प्रक्रिया

9.9.5.6. अमिट स्याही को लगाना

9.9.5.7. मतदाता रजिस्टर 17-क में निर्वाचकों की जानकारी दर्ज करना

- 9.9.5.8. मतदान की गोपनीयता
- 9.9.5.9. मतदान अभिकर्ता का आचरण एवं उनकी शिकायतें, अगर कोई हो, इत्यादि।
- 9.9.6. मतदान के दौरान यदि सूक्ष्म प्रेक्षक यह महसूस करता है कि किसी कारणवश मतदान दूषित हुआ है तो उसे तुरंत सामान्य प्रेक्षक की जानकारी में किसी भी संचार माध्यम (जो उपलब्ध हो) के द्वारा जैसे फोन या वायरलैस या अन्य द्वारा लाये। मतदान प्रक्रिया के उपरान्त सूक्ष्म प्रेक्षक, मुख्य प्रेक्षक को संग्रहण केन्द्र पर जाकर उस दिन की सम्पूर्ण जानकारी की रिपोर्ट लिफाफे में रख कर स्वयं सौंपे तथा उस दिन घटित किसी भी महत्वपूर्ण घटना का सार संक्षेप में उन्हें दें। प्रेक्षक इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तथा यदि किसी बिन्दु पर स्पष्टीकरण की जरूरत हो तो सूक्ष्म प्रेक्षक को बुलाकर उनसे विस्तृत जानकारी लेना सुनिश्चित करेंगे। इन रिपोर्टों तथा रजिस्टर 17क में दर्ज जानकारीयों के परीक्षण के पश्चात् ही पुनः मतदान कर्मचारियों के विरुद्ध या अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा।

9.10. निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किए जाने हेतु 16 बिन्दुओं पर आधारित अतिरिक्त जानकारी की रिपोर्ट

- 9.10.1. पीठासीन अधिकारी मतदान, मतदान केन्द्र पर मतदान समाप्ति तक हुई अन्य घटनाओं के बारे में एक निर्धारित प्रपत्र में 16 बिन्दुओं पर आधारित एक अतिरिक्त रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे वे निर्वाचन क्षेत्र प्रेक्षक/रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपेंगे। 16 बिन्दुओं वाली यह रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट संग्रहण केन्द्र पर भी जमा की जाएगी (16 बिन्दु रिपोर्ट का निर्धारित प्रपत्र **अनुलग्नक 13** पर है)। ध्यान रहे कि यदि आप अन्य दस्तावेजों के साथ यह 16 बिन्दु रिपोर्ट, संग्रहण केन्द्र में जमा करवाने में असफल रहते हैं, तो आपको मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य से मुक्त नहीं किया जाएगा।

9.11. मतदान केन्द्र में बैज इत्यादि को लगाये रखना

- 9.11.1. मतदान केन्द्र के भीतर या उसके 100 मीटर के भीतर किसी भी व्यक्ति को अभ्यर्थियों या राजनीतिक नेताओं के नाम और/या उनके प्रतीकों या उनके चित्रात्मक प्रतिनिधित्व वाले बैजों इत्यादि को लगाये रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का प्रचार माना जाएगा। (464/अनुदेश/2014-ईपीएस दिनांक 9 अप्रैल, 2014)

- 9.11.2. मतदान के दिन मतदान केन्द्र में किसी राजनैतिक दल के नाम, प्रतीक अथवा नारा लिखी हुई टोपी अथवा शॉल आदि पहन कर आने की अनुमति नहीं होगी।
- 9.11.3. तथापि, मतदान अभिकर्ता उस अभ्यर्थी के नाम को दर्शाने वाला बैज लगा सकेंगे, जिसके वे अभिकर्ता हैं, जिससे उनकी तत्काल पहचान की जा सके।

10. मतदान के प्रारम्भ होने से पूर्व ईवीएम एवं वीवीपीएटी की सेटिंग करना

10.1. मतदान पूर्व प्रारंभिक तैयारी

- 10.1.1. रिटर्निंग ऑफिसर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र से नोटा और पिंक पेपर सील (पीपीएस) के साथ बीयू और सीयू को सील करने सहित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की खास संख्या हेतु कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी की सेटिंग द्वारा मतदान केन्द्र में ईवीएम और वीवीपीएटी भेजने से पूर्व अपने कार्यालय में उन्हें तैयार करते हैं। मतदान केन्द्र पर ईवीएम और वीवीपीएटी का वास्तविक उपयोग किए जाने से पूर्व, रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के अतिरिक्त कुछ और तैयारियां मतदान केन्द्र पर की जानी आवश्यक होती हैं। मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व ये तैयारियां पीठासीन अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में की जानी चाहिए।
- 10.1.2. आपको इन प्रारंभिक तैयारियों की शुरुआत मतदान प्रारम्भ होने के नियत समय से एक घंटा पूर्व कर देनी चाहिए ताकि मतदान समय पर आरंभ हो जाए। यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित न हो तो तैयारियों को स्थगित नहीं करना चाहिए। यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है या कोई एक अभिकर्ता भी उपस्थित रहता है तो आप छद्म मतदान आरंभ करने से पूर्व 15 मिनट और प्रतीक्षा कर सकते हैं। यदि कोई मतदान अभिकर्ता देर से आए तो आपको तैयारियों को पुनः शुरू नहीं करना चाहिए। याद रखें कि छद्म मतदान की पुष्टि प्राप्त न होना पीठासीन अधिकारी या वीवीपीएटी सहित ईवीएम की ओर से कोई समस्या होने का सूचक हो सकता है जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।


10.2. बैलेट यूनिट तैयार करना

- 10.2.1. बैलेट यूनिट(टै) रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर पहले से ही सम्यक रूप से तैयार की जाती हैं और मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर इस इकाई के संबंध में और कोई तैयारी अपेक्षित नहीं होती, सिवाय इसके कि इसे जोड़ने वाली केबल को वीवीपीएटी के प्लग में लगाना होता है। कृपया यह देखें कि आपकी अभिरक्षा में किसी भी समय किसी भी तरीके से गुलाबी पेपर सील को कोई क्षति न पहुँचे।
- 10.2.2. अन्य मतदान सामग्री के साथ ईवीएम तथा वीवीपीएटी प्राप्त करते समय आप अध्याय 3 के पैरा 2 में उल्लिखित जाँच पहले ही कर चुके होंगे। उसमें यथा अनुदेशित आपने


यह जांच कर ली होगी कि आपको अपेक्षित संख्या में बैलेट यूनिटें उपलब्ध कराई गई हैं, ऐसी प्रत्येक इकाई पर मतपत्र स्क्रीन के अंदर उचित रूप से लगाए गए हैं और बैलेट पेपर स्क्रीन के अंतर्गत उन्हें उपयुक्त रूप से व्यवस्थित किया गया है और उचित रूप से पंक्तिबद्ध किए गए हैं, प्रत्येक इकाई पर स्लाइड स्विच/थम्बव्हील समुचित स्थिति में सेट किया गया है और प्रत्येक इकाई सम्यक रूप से सील कर ली गई है तथा दायें भाग में सबसे ऊपर और सबसे नीचे दोनों जगह एड्रेस टैग लगे हुए हैं।

10.3. बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी का परस्पर संयोजन

- 10.3.1. जहाँ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 16 (नोटा सहित) से अधिक हो जाती है, वहाँ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर एक से अधिक बैलेट यूनिट प्रयुक्त की जाएंगी। किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की जाने वाली ऐसी समस्त बैलेट यूनिटें परस्पर जुड़ी हुई होंगी और केवल प्रथम बैलेट यूनिट वीवीपीएटी यूनिट से संबद्ध होगी।
- 10.3.2. एम2 ईवीएम में बैलेटिंग इकाइयां इस प्रकार से इंटरलिंक की जाएंगी कि द्वितीय बैलेट यूनिट अर्थात् वह बैलेट यूनिट जिसमें स्लाइड स्विच स्थिति 2 पर सेट किया हुआ है, पहली बैलेट यूनिट, जिसमें स्लाइड स्विच 1 स्थिति पर सेट किया हुआ है, से लिंक होगी। जहाँ तीन बैलेट यूनिट प्रयोग की जानी है वहाँ तीसरी बैलेट यूनिट दूसरी बैलेट यूनिट से लिंक की जाएगी और दूसरी बैलेट यूनिट पहली से लिंक की जाएगी, और जहाँ सभी चारों बैलेट यूनिटों को प्रयोग किया जाना है, वहाँ चौथी इकाई तीसरी से लिंक की जाएगी, तीसरी दूसरी से और दूसरी पहली से। निम्न चित्र में एम2 बैलेट यूनिट के बीच परस्पर संबंध को दर्शाया गया है:



- 10.3.3. एम3 ईवीएम में बैलेट यूनिटों को इस तरह से जोड़ा जाएगा कि दूसरी बैलेट अर्थात् वह बैलेट यूनिट जिसमें थम्ब व्हील स्विच को 2 के रूप में सेट किया गया है पहली बैलेट यूनिट से जिसमें थम्ब व्हील स्विच 1 के रूप में सेट किया गया है, जुड़ा हुआ होगा। जहाँ तीन बैलेट यूनिट हों, वहाँ तीसरा यूनिट दूसरे से जुड़ा होगा और दूसरा बैलेट यूनिट पहले वाले से जुड़ा होगा और जहाँ सभी चौबीसों बैलेट यूनिटों का उपयोग किया जाना है, चौबिसवें बैलेट यूनिट को तेइसवें के साथ, तेइसवें बैलेट यूनिट को बाइसवें से जोड़ा जाएगा, और इसी तरह आगे वाले बैलेट यूनिट को जोड़ा जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में पाँच एम3 बैलेट यूनिट के बीच परस्पर-संबंध को दर्शाया गया है:



- 10.3.4. किसी बैलेट यूनिट को दूसरी से जोड़ने के लिए बैलेट यूनिट के पिछले भाग के कंपार्टमेंट में एक सॉकेट लगा गया है। दूसरी बैलेट यूनिट के इंटर-कनेक्टिंग केबल का कनेक्टर, पहली बैलेट यूनिट के ऊपर उल्लिखित सॉकेट के प्लग में लगाया जाएगा, इसी प्रकार, तीसरी इकाई का केबल दूसरी इकाई के और चौथी इकाई का केबल तीसरी इकाई में लगाया जाएगा।
- 10.3.5. उपर्युक्त उल्लेख के अनुसार केवल पहली बैलेट यूनिट को वीवीपीएटी यूनिट से प्लग किया जाएगा। वीवीपीएटी यूनिट में बैलेट यूनिट के इंटरकनेक्टिंग केबल को प्लग करने हेतु वीवीपीएटी यूनिट पिछले भाग में सबसे ऊपर के कंपार्टमेंट में उपलब्ध कराया गया है।
- 10.3.6. कंट्रोल यूनिट की पिछली तरफ में सबसे ऊपर कंपार्टमेंट में एक 'पावर' स्विच भी होता है और जब इस स्विच को 'ऑन' स्थिति में किया जाता है तो वोटिंग मशीन की बैटरी क्रियाशील हो जाती है और कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट को जब ऊपर वर्णित तरीके से कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है तब उन सब में बिजली सप्लाई होती है।

10.3.7. नोट:

- 10.3.7.1. एम2 ईवीएम में जब एक से अधिक बैलेट यूनिटें उपयोग में लाई जाती हैं तब उन्हें ऊपर उल्लिखित उचित क्रम में इंटरलिंग करना चाहिए। बैलेट यूनिट को गलत प्रकार से जोड़ने से मशीन निष्क्रिय हो जाएगी और कंट्रोल यूनिट के किसी बटन को दबाने पर कंट्रोल यूनिट के डिसप्ले पैनल पर लिंकिंग एरर दिखाते हुए अक्षर 'LE' (Link Error) दिखेगा। लिंकिंग एरर को दूर करने के लिए बैलेट यूनिट को उचित क्रम में परस्पर संबद्ध करना चाहिए।
- 10.3.7.2. इंटर कनेक्टिंग केबल का कनेक्टर, एक मल्टीपिन कनेक्टर है जिसका एक सिरा बैलेट यूनिट से जुड़ा होगा। कनेक्टर, अन्य बैलेट यूनिट या वीवीपीएटी यूनिट के सॉकेट में केवल एक विधि से ही जाता है, जिनक पिनों की स्थिति देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। कनेक्टर की पिनें बहुत नाजुक होती हैं, और कनेक्टर को सॉकेट में इतनी जोर से नहीं डालना चाहिए कि पिन क्षतिग्रस्त हो जाएं या पिनें टेढ़ी हो जाएं। मशीन केवल तभी कार्य करेगी जब कनेक्शन उचित एवं सही ढंग से किया जाए।
- 10.3.8. इंटर-कनेक्टिंग केबल के कनेक्टर को वीवीपीएटी यूनिट से या अन्य बैलेट यूनिट से हुड के दोनों तरफ के स्प्रिंग आकार के क्लिपों को दबाकर और कनेक्टर को बाहर निकालकर अलग किया जा सकता है। इन स्प्रिंग टाइप क्लिपों को जब एक ही समय पर अंदर की ओर दबाया जाता है तो यह सॉकेट से कनेक्टर की पकड़ को छोड़ देगा और तब इस प्रकार से दबाए गए स्प्रिंग टाइप के क्लिपों को सुरक्षित रखते हुए कनेक्टर को बाहर निकाला जाना चाहिए।
- 10.3.9. बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को सही प्रकार से जोड़ने या अलग करने के लिए कुछ अभ्यास अपेक्षित है ताकि मशीन को क्षति होने से बचाया जा सके। इस बात को पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए और आप स्वयं बैलेट यूनिट को वीवीपीएटी यूनिट से एवं वीवीपीएटी यूनिट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे।

10.4. वीवीपीएटी की तैयारी

- 10.4.1. डाटा लोड करते समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट में सेट किए गए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) के अनुसार वीवीपीएटी को भी मतदान कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट के साथ रखा जाएगा। वीएसडीयू (एम2 वीवीपीएटी के मामले में) और पहली बैलेट यूनिट के इंटरकनेक्टिंग केबल्स को पिछली तरफ उपलब्ध कनेक्टर

से जोड़ें। वीवीपीएटी का इंटरकनेक्टिंग केबल कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होना चाहिए। वीवीपीएटी प्रथम बैलेट यूनिट के बायीं ओर रखा जाना चाहिए।

11. कंट्रोल यूनिट की तैयारी

11.1. कंट्रोल यूनिट की जाँच

- 11.1.1. कंट्रोल यूनिट की सुपुर्दगी लेते समय, आपको अध्याय 3 के पैरा 2 में यथा-उल्लिखित कंट्रोल यूनिट की जाँच करनी चाहिए।
- 11.1.2. आप यह भी अवश्य जाँच लें कि कंट्रोल यूनिट का 'कैडीडेट सेट सेक्शन' सम्यक रूप से सील किया हुआ है और इसके साथ एड्रेस टैग मजबूती से लगा हो और यह भी कि उसमें लगी बैटरी पूर्णतः क्रिया-शील है।

11.2. कंट्रोल यूनिट की तैयारी करना

- 11.2.1. मतदान केन्द्र पर ईवीएम और वीवीपीएटी की सुपुर्दगी देते समय रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर, बैटरी लगाने के लिए और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सेट करने के लिए कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी में कुछ तैयारियाँ कर ली जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, पीठासीन अधिकारियों द्वारा मतदान केन्द्र पर कंट्रोल यूनिट के उपयोग से पहले मतदान केन्द्र पर रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर की गई तैयारियों के अतिरिक्त मतदान केन्द्र पर पीठासीन केन्द्र द्वारा कुछ और तैयारियाँ करनी आवश्यक होती हैं।
- 11.2.2. वास्तविक मतदान के लिए कंट्रोल यूनिट तैयार करने की जानकारी अध्याय 12 से 14 में दी गई है।

11.3. बीयू, सीयू और वीवीपीएटी को जोड़ना

- 11.3.1. आपको वीवीपीएटी के इंटर-कनेक्टिंग केबल को कंट्रोल यूनिट के पिछले कंपार्टमेंट में इस हेतु दिए गए सॉकेट में प्लग करना चाहिए। उसके बाद, आपको पहले बैलेट यूनिट की इंटर कनेक्टिंग केबल को वीवीपीएटी के पिछले कंपार्टमेंट पर इस हेतु दिये गये सॉकेट में प्लग करना चाहिए।

11.4. कंट्रोल यूनिट को चालू करना

- 11.4.1. कंट्रोल यूनिट, वीवीपीएटी और बैलेट यूनिट से जोड़े जाने के बाद, आपको पावर स्विच को 'ऑन' स्थिति में रखना चाहिए। जब कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच 'ऑन' की स्थिति में लाया जाएगा तब 'बीप' की आवाज आएगी और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पर 'ऑन' लैम्प हरा जा जाएगा।

11.5. कंट्रोल यूनिट के पिछले कंपार्टमेंट को बंद करना

11.5.1. तत्पश्चात आपको पिछला कंपार्टमेंट बंद करना चाहिए। इसे मजबूती से बंद करने के लिए इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छिद्रों में पतले तार या मोटे धागे का टुकड़ा डाला जाए और तार के अंतिम सिरों को, जैसे स्थिति हो, कुछ बल डाले जाए या गाँठ लगाई जाए। आपको यह ध्यान देना चाहिए कि पिछले कंपार्टमेंट को सील नहीं करना है, क्योंकि मतदान की समाप्ति के पश्चात् पावर का स्विच 'ऑफ' करने के लिए और वीवीपीएटी यूनिट से अलग करने के लिए इसे पुनः खोले जाने की आवश्यकता होगी।


टिप्पणी:

1. बीयू, सीयू, और वीवीपीएटी का कोई भी कनेक्शन या डिसकनेक्शन केवल स्विच ऑफ की स्थिति में ही किया जाएगा।
2. सीयू चालू (ऑन) करने से पहले, सुनिश्चित करें कि सभी कनेक्शन सही हैं और वीवीपीएटी लॉक (वीवीपीएटी के पीछे की तरफ) कार्यशील/अनलॉक मोड में है।

12. छद्म मतदान का आयोजन

12.1. ईवीएम और वीवीपीएटी को 'क्लियर' किये जाने का प्रदर्शन

- 12.1.1. मतदान प्रारंभ होने से पूर्व आपको न केवल स्वयं को बल्कि उपस्थित समस्त मतदान अभिकर्ताओं को भी इस संबंध में सन्तुष्ट करना होगा कि मतदान ईवीएम एवं वीवीपीएटी एकदम चालू हालत में है और मशीन में पहले से कोई भी मत रिकार्ड नहीं हैं।
- 12.1.2. इस प्रकार संतुष्टि के लिए, आपको सबसे पहले उपस्थित समस्त व्यक्तियों को 'क्लियर' बटन दबाकर दिखाना चाहिए कि समस्त गणनांक जीरो पर सेट किए गए हैं। 'क्लियर' बटन कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के कंपार्टमेंट में होता है। यह कंपार्टमेंट एक आन्तरिक कवर और एक बाहरी कवर से ढका होता है। आंतरिक द्वार 'क्लियर बटन' 'रिजल्ट' बटन और 'प्रिंट बटन' वाले कंपार्टमेंट को कवर करता है और बाहरी कवर आंतरिक द्वार के ऊपर होता है और क्लोज बटन वाले कंपार्टमेंट को भी कवर करता है। 'क्लियर बटन' तक पहुँचने के लिए आपको बायीं ओर उपलब्ध खांचे को अंदर की ओर धीरे से दबाकर पहले बाहरी कवर को खोलना चाहिए। तत्पश्चात् 'रिजल्ट' एवं 'प्रिन्ट' बटन के ऊपर दो छिद्रों में अंगूठा और एक ऊंगली डालकर और लैचेज को एक ही समय हल्के से अंदर की ओर दबाकर आन्तरिक द्वार को ऊपर की ओर खोला जा सकता है। किसी भी स्थिति में आन्तरिक द्वार ऊपर वर्णित रीति में लैचेज को रिलीज किए बिना बलपूर्वक नहीं खोलना चाहिए अन्यथा यह अति महत्वपूर्ण कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो जाएगा।
- 12.1.3. जब 'क्लियर' बटन को दबाया जाता है तब कंट्रोल यूनिट के डिस्पले पैनल पर निम्नलिखित जानकारी क्रम-वार प्रदर्शित होनी आरम्भ हो जाएगी:-



- 12.1.4. टिप्पणी: यदि 'क्लियर' बटन दबाने पर डिस्प्ले पैनल INVALID डिस्प्ले करता है तो इसका अर्थ यह होगा कि मशीन को क्लियर करने के लिए आवश्यक आरम्भिक क्रियाओं का निष्पादन नहीं किया गया है। मशीन क्लियर करने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी और कंट्रोल यूनिट को उचित रूप से लिंक कर लिया गया है। 'क्लोज़' बटन के बाद 'रिजल्ट' बटन दबाइए। अब 'क्लियर बटन' को दबाईए, डिस्प्ले पैनल ऊपर इंगित किए गए अनुसार जानकारी प्रदर्शित करना आरम्भ कर देगा।
- 12.1.5. डिस्प्ले पैनल पर उपर्युक्त जानकारी के प्रदर्शन से मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि मशीन में पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किये गए हैं।
- 12.1.6. मतदान अभिकर्ताओं को इस बात की भी पुष्टि करने दी जाएगी कि वीवीपीएटी का ड्रॉप बॉक्स खाली है।

12.2. छद्म मतदान

- 12.2.1. उपर्युक्त अनुसार प्रदर्शन करने के पश्चात् कि ईवीएम में पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किया हुआ नहीं है, आपको प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए रिकार्ड किए गए मतों द्वारा छद्म मतदान आयोजित करना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रतिनिधित्व 'मतदान अभिकर्ता' द्वारा नहीं किया जाता है तब भी आपको ऐसे अभ्यर्थी के लिए कुछ मतों को गिनना चाहिए। तत्पश्चात् कंट्रोल यूनिट में दिखाए गए परिणाम को वीवीपीएटी पेपर स्लिप्स के साथ मिलान करना चाहिए।

- 12.2.2. सामान्यतः छद्म मतदान, मतदान शुरू होने के निर्धारित समय से एक घंटा पहले आयोजित किया जाएगा। निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को पहले से ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए कि छद्म मतदान, मतदान शुरू होने से एक घंटे पहले शुरू होगा और उन्हें यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे अपने मतदान अभिकर्मियों को छद्म मतदान के समय पर उपस्थित रहने को कहें। हालाँकि यदि कम से कम दो अभ्यर्थियों के मतदान एजेंट मौजूद नहीं हैं तो पीठासीन अधिकारी छद्म मतदान करने के लिए 15 मिनट तक इंतजार कर सकता है और यदि अभिकर्ता अभी भी नहीं आते हैं, तो पीठासीन अधिकारी आगे कार्रवाई करते हुए छद्म मतदान शुरू कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि 15 मिनट और इंतजार के बाद यदि मात्र एक मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी को आगे की कार्रवाई करते हुए छद्म मतदान शुरू कर देना चाहिए। ऐसे मामले में इसका मैं मतदान प्रमाण-पत्र में विशिष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
- 12.2.3. छद्म मतदान के लिए, बैलेट यूनिट(टों) और वीवीपीएटी को मतदान कोष्ठ में और कंट्रोल यूनिट तथा वीएसडीयू (एम2 वीवीपीएटी के मामले में) को उस पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी की मेज पर रखा जाना चाहिए जो मशीन को विधिवत् जोड़ने के बाद कंट्रोल यूनिट को प्रचालित करेंगे।
- 12.2.4. एक मतदान अधिकारी मतदान एजेंटों के साथ वोटिंग कम्पार्टमेंट में बैलेट यूनिट/बैलेट यूनिटों और वीवीपीएटी इकाई द्वारा मुद्रित मतपत्र पर्ची के संचालन को देखने के लिए उपस्थित होना चाहिए। यह मतदान अधिकारी डाले गए मतों का रिकार्ड रखेगा।
- 12.2.5. छद्म मतदान प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यादृच्छिक रूप से मतदान करने वाले मतदान एजेंटों के साथ किया जाना चाहिए। छद्म मतदान में कम से कम 50 वोटों का मतदान किया जाना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता की अनुपस्थिति के मामले में, कोई एक मतदान अधिकारी या अन्य मतदान एजेंटों में से कोई एक ऐसे अभ्यर्थियों के लिए वोट रिकार्ड कर सकता है। वोटिंग कम्पार्टमेंट में मौजूद मतदान अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दर्ज मतों को रिकार्ड किया जाना चाहिए। छद्म मतदान के पश्चात् पीठासीन अधिकारी मतदान एजेंटों की उपस्थिति में वीवीपीएटी पेपर स्लिप्स की गणना करेगा और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कंट्रोल यूनिट के परिणामों की घोषणा कर उनकी पुष्टि करेगा।

- 12.2.6. इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित क्रियाओं का निष्पादन कीजिए:-
- 12.2.7. कंट्रोल यूनिट के बैलेट सेक्शन पर 'बैलेट' बटन को दबाइए। 'बैलेट' बटन के दबाने पर डिस्प्ले सेक्शन में 'बिजी' लैम्प लाल रंग का हो जाएगा। इसके साथ-साथ बैलेट यूनिट पर 'रेडी' लैम्प भी हरे रंग का हो जाएगा।
- 12.2.8. किसी भी मतदान अभिकर्ता से उनकी पसन्द के अनुसार बैलेट यूनिट पर किसी भी अभ्यर्थी के नीले बटन को दबाने के लिए कहें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नीला (अनमास्कड) बटन कम से कम एक बार दबाया गया हो ताकि अनमास्कड रह गए बटन की जांच की जा सके और प्रमाणित किया जाए कि वह उचित तरीके से काम कर रहा है।
- 12.2.9. बैलेट यूनिट में अभ्यर्थी का बटन इस प्रकार दबाये जाने पर बैलेट यूनिट पर 'रेडी' लैम्प बुझ जाएगा और बटन के पास अभ्यर्थी का लाल लैम्प चमकने लगेगा। वीवीपीएटी कागज की एक छोटी पर्ची को मुद्रित करेगा जिसमें अभ्यर्थी का प्रतीक, नाम और क्रम संख्या मुद्रित होगा, जो वीवीपीएटी विंडो में सात सेकंड के लिए दिखाई देगा। इसके पश्चात् कागज की पर्ची स्वयं कटकर वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में गिर जायेगी। साथ ही, कंट्रोल यूनिट से 'बीप' की आवाज भी सुनाई देगी। कुछ सेकण्ड पश्चात् अभ्यर्थी लैम्प की लाल बत्ती, 'बिजी' लैम्प की लाल बत्ती और बीप की आवाज बन्द हो जाएगी। यह इस बात का संकेत होगी कि अभ्यर्थी द्वारा जिसका बटन दबाया गया है, उनका मत, कंट्रोल यूनिट में रिकार्ड कर लिया गया है और मशीन अगला मत ग्रहण करने लिए अब तैयार है।
- 12.2.10. शेष रह गए प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक या अधिक मत रिकार्ड करने हेतु पूर्ववर्ती पैरा (क), (ख) और ग में उल्लिखित प्रक्रिया को दोहरायें। प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में इस प्रकार रिकार्ड किए गए मतों का सर्तकता पूर्वक रिकॉर्ड रखें।
- 12.2.11. जब मत इस प्रकार रिकार्ड किए जा रहे हों तब कंट्रोल यूनिट के बैलेट सेक्शन पर 'टोटल' बटन को यह जाँच करने के लिए किसी भी समय दबाएँ कि मशीन में रिकार्ड किए गए कुल मत, उस समय तक डाले गए मतों की संख्या से मेल खाते हैं।
- टिप्पणी: 'टोटल' बटन को किसी अभ्यर्थी के लिए मत रिकार्ड करने के पश्चात् और डिस्प्ले सेक्शन में 'बिजी' लैम्प के बंद होने पर ही दबाया जाना चाहिए।
- 12.2.12. छद्म मतदान की समाप्ति पर रिजल्ट सेक्शन के 'क्लोज' बटन को दबाएं।

टिप्पणी: समय की उपलब्धता होने पर छद्म मतदान में कुछ और मत रिकार्ड करने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अभ्यर्थी की रिकार्ड किए गए मतों की संख्या समान होनी चाहिए परन्तु प्रत्येक अनमास्कड बटन के लिए न्यूनतम एक मत डाले जाने के साथ कम से कम 50 मत डाले जाने चाहिए।

12.2.13. अब रिजल्ट सेक्शन के 'रिजल्ट' बटन को दबाईए। उस बटन को दबाए जाने पर डिस्प्ले पैनल परिणाम दिखाना आरंभ कर देगा।

12.2.14. छद्म मतदान के बाद, कंट्रोल यूनिट में परिणाम प्राप्त करें और मतदान एजेंटों की उपस्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में वीवीपीएटी ड्रॉप स्लिप्स (वीवीपीएटी ड्रॉप बॉक्स से बाहर निकालने के बाद) की गणना करें और सुनिश्चित करें कि परिणाम प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में मतदान किए गए वोटों के साथ मेल खाता है।

12.2.15. इसके बाद, छद्म मतदान के दौरान रिकार्ड किए गए मतों के लेखों को 'क्लियर' बटन दबाकर क्लियर करें। 'क्लियर' बटन को दबाए जाने पर डिस्प्ले पैनल में समस्त गणनांक जीरो दर्शाएंगे। साथ ही, वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से समस्त पर्चियों को हटाकर ड्रॉप बॉक्स को सीलबंद कर लें।

12.2.16. छद्म मतदान का प्रमाणपत्र तैयार करें। (अनुबंध 14)

12.2.17. पीठासीन अधिकारी द्वारा सीयू से समस्त छद्म मतदान डाटा और वीवीपीएटी से सभी वीवीपीएटी पेपर स्लिप्स को हटा देना चाहिए और खाली ड्रॉप बॉक्स को मतदान एजेंटों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये।

12.2.18. छद्म मतदान वीवीपीएटी पेपर स्लिप्स पर पीछे की ओर एक रबर स्टैम्प से, जिस पर 'छद्म मतदान स्लिप' उत्कीर्ण होना चाहिए, सील लगाई जायेगी, उसके बाद इन छद्म मतदान वीवीपीएटी पेपर स्लिप को मोटे काले पेपर से बने लिफाफे में रखा जाएगा और पीठासीन अधिकारी की मुहर लगाकर सील कर दिया जाएगा।

12.2.19. पीठासीन अधिकारी और मतदान एजेंटों को लिफाफे पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। मतदान केन्द्र का नाम तथा क्रमांक और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं मतदान की तारीख और 'छद्म मतदान के वीवीपीएटी पेपर स्लिप' शब्द लिफाफे पर लिखे जाएंगे।

12.2.20. इस लिफाफे को छद्म मतदान के लिए विशेष प्लास्टिक बॉक्स में रखा जाना चाहिए और एक गुलाबी पेपर सील के साथ इस तरह सील कर दिया जाना चाहिए ताकि बॉक्स को खोलने के लिए सील को तोड़ना पड़े।

- 12.2.21. मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रमांक और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक और मतदान की तारीख सहित प्लास्टिक बॉक्स पर लिखी जाएगी।
- 12.2.22. पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंटों को अपने हस्ताक्षर गुलाबी पेपर सील पर करने चाहिए और निर्वाचन से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ बॉक्स को रखना चाहिए।
- 12.2.23. इसके बाद, पीठासीन अधिकारी छद्म मतदान प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और सीयू को सील करेंगे। ईवीएम के कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी के ड्राप बॉक्स की सीलिंग से पहले, कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर दें।
- 12.2.24. वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले वीवीपीएटी के ड्राप बॉक्स को पीठासीन अधिकारी का प्रयोग करते हुए एड्रेस टैग से सील कर दें।
- 12.2.25. पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आधिकारिक मतदान शुरू होने से पहले छद्म मतदान के डाटा को कंट्रोल यूनिट (सीयू) से हटा दिया गया है।
- 12.2.26. यह एक बहुत ही गंभीर चरण है।
- 12.2.27. पीठासीन अधिकारी मतदान एजेंटों और अभ्यर्थियों (और उनकी पार्टियों से संबद्ध) के नामों का उल्लेख करेंगे, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रमाणपत्र पर छद्म मतदान के पूरा होने पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।। (51/8/वीवीपीएटी/2017-ईएमएस दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 और 5 दिसम्बर, 2017)

12.3. ईवीएम के प्रतिस्थापन के मामले में छद्म मतदान

- 12.3.1. यदि वास्तविक निर्वाचन के दौरान सीयू या बीयू ठीक से काम नहीं करते हैं, तो सीयू और बीयू और वीवीपीएटी सहित पूरे ईवीएम का प्रतिस्थापन आवश्यक होगा। हालाँकि ऐसे मामले में नोटा समेत प्रत्येक निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी को छद्म मतदान में केवल एक वोट डालना चाहिए। (51/8/वीवीपीएटी/2017-ईएमएस दिनांक 11.01.2018)
- 12.3.2. छद्म मतदान के बाद पीठासीन अधिकारी मतदान एजेंटों की उपस्थिति में सीयू में परिणाम का पता लगाएंगे, वीवीपीएटी पेपर स्लिप्स की गणना करेंगे और पुष्टि करेंगे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले परिणाम मेल खा रहे हैं।
- 12.3.3. पीठासीन अधिकारी द्वारा सीयू से सभी छद्म मतदान डेटा और वीवीपीएटी से वीवीपीएटी पेपर स्लिप्स को हटा दिया जाना चाहिए और खाली ड्राप बॉक्स को पोलिंग एजेंटों को दिखाकर सत्यापित किया जाना चाहिए।

- 12.3.4. छद्म मतदान वीवीपीएटी पेपर स्लिप्स के पिछली ओर रबर स्टैम्प, जिस पर 'छद्म मतदान स्लिप्स' अंकित होना चाहिए, से सील लगाई जाएगी, उसके बाद इन 'छद्म मतदान वीवीपीएटी पेपर स्लिप्स' को मोटे ब्लैक पेपर से बने लिफाफे में रखा जाएगा और पीठासीन अधिकारी की मुहर लगाकर उसे सील कर दिया जाएगा।
- 12.3.5. पीठासीन अधिकारी और मतदान एजेंटों को लिफाफे पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। “ईवीएम और वीवीपीएटी के सभी सेट पर मतदान केन्द्र, संख्या और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान की तारीख और छद्म मतदान के वीवीपीएटी पेपर स्लिप्स” शब्द लिफाफे पर लिखा जाएगा।
- 12.3.6. इस लिफाफे को छद्म मतदान के लिए विशेष प्लास्टिक बॉक्स में रखा जाना चाहिए और एक गुलाबी पेपर सील के साथ उसे चारों ओर से इस तरह सील करना चाहिए कि बॉक्स को खोलने के लिए सील को तोड़ने की आवश्यकता पड़े। मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रमांक और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक और मतदान की तारीख प्लास्टिक बॉक्स पर लिखी जाएगी।
- 12.3.7. पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंटों को अपने हस्ताक्षर पिंग पेपर सील पर करने चाहिए और निर्वाचन से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ बॉक्स को रखना चाहिए। तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी छद्म मतदान प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और सीयू और वीवीपीएटी को सील करेंगे।
- 12.3.8. वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग से सील किया जाना चाहिए।

12.4. वीवीपीएटी के प्रतिस्थापन की स्थिति में छद्म मतदान

- 12.4.1. यदि वास्तविक मतदान के दौरान वीवीपीएटी ठीक से काम नहीं करती है तो केवल वीवीपीएटी के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। वास्तविक मतदान के दौरान वीवीपीएटी बदलने की स्थिति में कोई छद्म मतदान आयोजित नहीं किया जायेगा।

12.5. मतदान प्रारंभ होने और मतदान समाप्ति की दिनांक व समय को रिकॉर्ड करना

- 12.5.1. पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र में छद्म मतदान की समाप्ति के समय, कंट्रोल यूनिट के डिसप्ले में प्रदर्शित दिनांक व समय और वास्तविक दिनांक व समय के साथ, यदि कोई भिन्नता हो, तो उसे भी छद्म मतदान प्रमाणपत्र और पीठासीन अधिकारी की डायरी में दर्ज करेंगे।

13. कंट्रोल यूनिट में ग्रीन पेपर सील लगाना

13.1. ग्रीन पेपर सील लगाना

- 13.1.1. गोपनीयता मतदान की परम्परागत पद्धति में, जहाँ मतपत्र और मत पेटियां उपयोग में लाई जाती थीं, वहां आयोग द्वारा विशेष रूप से मुद्रित ग्रीन पेपर सील लगाकर मतपेटियों को सीलबंद और सुरक्षित किया जाता था। मतपेटी में एक बार ग्रीन पेपर सील लगा दिए जाने पर पेटी का ढक्कन बंद कर दिया जाता था, पेटी को खोला नहीं जा सकता था और उसमें डाले गए मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी या गणना के लिए तब तक नहीं निकाला जा सकता था जब तक कि ग्रीन पेपर सील को तोड़ नहीं दिया जाता था। इसी प्रकार के सुरक्षा के उपाय वोटिंग मशीन में उपलब्ध कराए गए हैं ताकि एक बार कंट्रोल यूनिट सील किए जाने और मतदान प्रारंभ होने पर कोई भी वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने और सुनिश्चित करने के लिए वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट में उसी ग्रीन पेपर सील को लगाया जाता है जो मतपेटी को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त की जाती थी।
- 13.1.2. पेपर सील लगाने के लिए कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन के आंतरिक कंपार्टमेंट के द्वार के अंदर की ओर एक फ्रेम उपलब्ध कराया गया है। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट के द्वार के अंदर की ओर इस कार्य के लिए उपलब्ध कराए गए फ्रेम में ग्रीन पेपर सील लगाने से पहले आपको पेपर सील की सफेद सतह पर पेपर सील की क्रम संख्या के ठीक नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर करना चाहिए। इस पर ऐसे अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं, जो उपस्थित हों और अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी को सत्यापित करना चाहिए कि पेपर सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, नियुक्ति पत्रों पर उनके हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं।
- 13.1.3. सील इस प्रकार लगाई जानी चाहिए ताकि उसे बाहर से छिद्र में से देखा जा सके और ग्रीन पेपर सील की क्रम संख्या बाहर से दृष्टिगोचर हो। जब ग्रीन पेपर सील वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट पर लगाई जाती है तब वह नीचे दर्शाए गए चित्र जैसी दिखेगी:



13.1.4. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में क्षतिग्रस्त पेपर सील उपयोग में न लायी जाये और यदि सील लगाने के दौरान कोई पेपर सील क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसके अंदरूनी कम्पार्टमेंट के दरवाजे को बंद होने से पूर्व उसी समय बदल दिया जाना चाहिए।

13.1.5. पेपर सील लगाने के पश्चात् अंदरूनी कम्पार्टमेंट के दरवाजे को दबाकर बंद कर दिया जाना चाहिए। इसे इस तरह बंद किया जाना चाहिए कि पेपर सील के दोनों खुले छोर अंदरूनी कम्पार्टमेंट के बाहर निकले हुए हों।

13.2. पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

13.2.1. कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन में अंदरूनी कम्पार्टमेंट के दरवाजे के अंदरूनी तरफ सील लगाने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराए गए फ्रेम में हरी पेपर सील लगाने के पहले आपको पेपर सील की क्रम संख्या के बिल्कुल नीचे सफेद सतह पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर करने चाहिए। इसे ऐसे अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो वहां मौजूद हैं और अपने हस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक हों।

13.3. पेपर सील का लेखा

13.3.1. आपको, मतदान केन्द्र में कंट्रोल यूनिट को सील और सुरक्षित करने के लिए उपलब्ध करवाई गई पेपर सीलों और आपके द्वारा वास्तव में प्रयुक्त पेपर सीलों का सही लेखा रखना चाहिए। निर्वाचन संचालन नियम 1961 के अनुसार प्ररूप 17ग के भाग 1 के मद 10 में आपको यह हिसाब बनाकर रखना चाहिए।

13.3.2. उपस्थित अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता को उपयोग की गई पेपर सील के सीरियल नंबर को लिखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

14. कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपीएटी की सीलिंग और उन्हें सीलबंद करना

14.1. विशेष एड्रेस टैग

- 14.1.1. विशेष एड्रेस टैग 5 सें.मी. X 5 सें.मी. आकार का होता है। इसमें 3 सें.मी. X 1.5 सें.मी. की एक गोल कोने वाली आयताकार खिड़की है और इसकी लंबाई बाएं और दाएं किनारे से 1 सें.मी., शीर्ष किनारे से 1.5 सें.मी. और निचले किनारे से 2 सें.मी. है। इस स्पेशल एड्रेस टैग का उपयोग एम2 और एम3 वाले ईवीएम की कंट्रोल इकाई के लिए किया जाता है।
- 14.1.2. इसकी मोटाई पोस्टकार्ड की मोटाई के बराबर होती है। दोनों किनारों से 0.6 सेमी की न्यूनतम दूरी के साथ ऊपरी किनारे की दाईं ओर धातु की रिंग के साथ एक छेद बना है, ताकि सीलिंग करने के लिए इसके माध्यम से एक धागा आसानी से आर-पार किया जा सके। विशेष टैग के बीच में खुली जगह होती है ताकि जब रिजल्ट सेक्शन के क्लोज़ बटन पर टैग लगाया जाए तो क्लोज़ बटन दिखाई पड़ता रहे, जिससे कि टैग को छेड़े बिना क्लोज़ बटन तक पहुंचा जा सके।
- 14.1.3. विशेष टैग प्रयुक्त करने से पूर्व आप विशेष टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखेंगे।
- 14.1.4. विशेष टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखने के पश्चात् आप विशेष टैग के पीछे की ओर अपना हस्ताक्षर करेंगे। आप मतदान प्रारंभ होने से पूर्व मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों / मतदान अभिकर्ताओं से विशेष टैग के पीछे, यदि वे चाहें, उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे। आप विशेष टैग पर पूर्व-मुद्रित क्रम संख्या को पढ़कर सुनाएंगे और उपस्थित अभ्यर्थियों / मतदान अभिकर्ताओं से जिन्होंने विशेष टैग के पीछे अपने हस्ताक्षर किए हैं, क्रम संख्या नोट करने के लिए कहेंगे।
- 14.1.5. 'क्लियर' बटन और 'रिजल्ट' बटन के ऊपर, आंतरिक डिब्बे को सील करने के लिए विशेष टैग का इस्तेमाल किया जाता है, आपके द्वारा ग्रीन पेपर सील पर हस्ताक्षर

करने और निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर की प्रक्रिया के बाद, और नियंत्रण इकाई के रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक बक्से के ढक्कन के भीतर की तरफ इसे फ्रेम में ठीक से बिठाना और सुरक्षित करना, जिसे पेपर सील को ठीक करने के लिए प्रदान किया गया है। 'क्लियर' बटन और 'रिजल्ट' बटन पर आंतरिक बक्से के ढक्कन को फिट करें और इस तरह से दबाएं कि पेपर सील के दो खुले छोर भीतरी दरवाजे के किनारों से बाहर की ओर दिखाई दे रहें हों। फिर इस आंतरिक ढक्कन को विशेष टैग के साथ सील किया जाना चाहिए। इसके लिए, आपको उच्च गुणवत्ता वाले सुतली धागे (जो आपको इस उद्देश्य के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विशेष रूप से उपलब्ध कराए गए हैं) को आंतरिक ढक्कन में प्रदान किए गए छेदों के माध्यम से और विशेष टैग में प्रदान किए गए छेद के माध्यम से आर-पार डालना चाहिए।

14.1.6. आपके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खराब या टूटे-फुटे विशेष टैग किसी भी स्थिति में उपयोग में नहीं लाए जाने चाहिए। यदि किसी कारण से विशेष टैग खराब हो जाए तो आपको दूसरे टैग का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए "ग्रीन पेपर सीलों" की तरह रिटर्निंग ऑफिसर आपको 3 या 4 "विशेष टैग" देंगे।

14.1.7. यह सब करने के बाद धागे की एक गांठ बनाकर विशेष टैग पर सीलिंग वैक्स लगाकर धागे को सीलबंद कर दें। तत्पश्चात् सील को बिना तोड़े आप विशेष टैग को 'क्लोज़' बटन के कंपार्टमेंट में इस तरह समायोजित करें कि 'क्लोज़' बटन उस छेद से जो कि विशेष टैग के बीच में काटा गया है, से बाहर निकला रहे।



14.2. कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बंद और सील करना

- 14.2.1. कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक कंपार्टमेंट को बंद और सीलबंद करने के पश्चात् रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को, उस सेक्शन को बंद करने के लिए दबाया जाना चाहिए। बाहरी कवर को दबाए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि पेपर सील के दोनों खुले सिरे बाहरी कवर के दोनों किनारों से बाहर की ओर निकले रहें।
- 14.2.2. रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बंद करने के पश्चात् उस कवर को (i) बाहरी कवर की बायीं ओर इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छिद्रों में से एक धागा डालकर, (ii) धागे में गांठ लगाकर और (iii) रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर 'कैंडिडेट सैट सेक्शन' में लगाए गए लेबल (एड्रेस टैग) और पीठासीन अधिकारी की मुहर से सीलबंद किया जाना चाहिए, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है:



14.3. स्ट्रिप सील

- 14.3.1. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के सीलबंद करने संबंधी कार्यों में सुधार लाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने आऊटर पेपर स्ट्रिप सील (जिसे इसमें इसके बाद स्ट्रिप सील कहा जाएगा) से कंट्रोल यूनिट के "रिजल्ट सेक्शन" को पूरी तरह से सीलबंद करने के लिए एक अतिरिक्त बाहरी सील के प्रावधान की शुरुआत की है ताकि कंट्रोल यूनिट का यह हिस्सा मतदान आरंभ होने से लेकर मतगणना तक खोला न जा सके। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि मतदान केन्द्र में मशीन में पहला मत डाले जाने से मशीन की मतगणना मेज पर आने तक, कोई भी व्यक्ति स्ट्रिप सील को बिना नुकसान पहुंचाए, परिणाम कक्ष को नहीं खोल सकता है।
- 14.3.2. तदनुसार, प्रत्येक मतदान केन्द्र, जहां ईवीएम के इस्तेमाल से निर्वाचन का आयोजन किया जा रहा है, कंट्रोल यूनिट को बाहर से स्ट्रिप सील लगाकर पूर्णतः सुरक्षित और

सीलबंद किया जाएगा ताकि स्ट्रिप सील को नुकसान पहुंचाए बिना यह हिस्सा खोला न जा सके। स्ट्रिप सील "रिजल्ट सेक्शन" के बाहरी कवर पर, "क्लोज़" बटन को कवर की हुई रबर कैप के बिल्कुल नीचे इस प्रकार से लगाई जाएगी ताकि "क्लोज़" बटन को कवर की हुई रबर कैप, स्ट्रिप सील से कवर न हो।

14.3.3. स्ट्रिप सील कागज 23.5" (तेईस दशमलव पांच इंच) लंबाई और 1" (एक इंच) चौड़ाई की एक पेपर सील होती है। स्ट्रिप की लम्बाई ऐसी होती है जिससे कि कंट्रोल यूनिट की चौड़ाई पर इसे आसानी से लपेटा जा सकता है ताकि मतदान आरंभ होने से पूर्व और जब अन्य मानक सीलों को कंट्रोल यूनिट पर लगाया जा चुका हो तब कंट्रोल यूनिट को एक बाहरी सील मिल जाए। प्रत्येक स्ट्रिप सील की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। यह स्ट्रिप सील एक ऐसे संस्थान से उपलब्ध कराई जाएगी जिसे कि आयोग ने विधिवत रूप से अनुमोदित किया है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक राज्य के लिए केन्द्रीयकृत रूप से इसे प्राप्त करेगा। स्ट्रिप सील के दोनों सिरों पर चार (4) पूर्व-गोंद लगे पोर्शन होते हैं। इसमें से तीन लगभग एक वर्ग इंच के हैं (जो अक्षर "ए", "बी", "सी") द्वारा पहचाने जाएंगे और चौथा लगभग दो वर्ग इंच का होगा (जो "डी" अक्षर से पहचाना जाएगा)। प्रत्येक गोंद वाला भाग वैक्स पेपर की पट्टी से ढका होगा। बाहरी स्ट्रिप सील की एक आंतरिक परत और एक बाहरी परत होगी। आंतरिक परत के एक छोर पर आमने-सामने दो पहले से गोंद लगे हुए हिस्से होंगे जो "ए" और "बी" अक्षर से चिह्नित होंगे। आंतरिक परत के दूसरे छोर पर लगभग 2" (दो इंच) का पूर्व-गोंद लगा चिह्नित पोर्शन "डी" होगा। स्ट्रिप के बाहरी तरफ केवल एक पूर्व-गोंद लगा हुआ चिह्नित पोर्शन "सी" होगा।

14.3.4. बाहरी और अंदरूनी परत को दर्शाते हुए स्ट्रिप सील की ड्राइंग नीचे दी गई है। क, ख, ग एवं घ, अंदर और बाहर वाली परत पर गोंद लगे हुए भाग हैं।

क	ख	अंदरूनी तरफ	घ
	ग	बाहरी तरफ	

14.3.5. स्ट्रिप सील को परिणाम कक्ष के बाहर से सीलबंद करने के पूर्व, आप पेपर सील की क्रम संख्या के ठीक नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर करेंगे। इस पर ऐसे अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों और अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, के

हस्ताक्षर कराए जाएंगे। आप यह अवश्य सत्यापित करेंगे कि पेपर सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, नियुक्ति पत्रों पर उनके हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं। तब स्ट्रिप सील को "क्लोज" बटन को ढंकने वाले रबर कैप के ठीक नीचे रखा जाएगा।

14.4. स्ट्रिप सील से ईवीएम को सील करने की विधि

14.4.1. ईवीएम को स्ट्रिप सील द्वारा सील करने की विधि के चरण निम्नानुसार हैं।

14.4.2. चरण 1: पहले रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे के निचले भाग से बाहर निकली ग्रीन पेपर सील को मध्य में दो बार मोड़ें ताकि यह सुनिश्चित हो कि सील का हरा वाला हिस्सा बाहर की ओर रहे।

14.4.3. चरण 2: तब रिजल्ट सेक्शन के नीचे वाले हिस्से से बाहर निकल रही ग्रीन पेपर सील के आधार के पास पूर्व-गोंद लगा भाग 'ए' के साथ स्ट्रिप सील को रखे। 'ए' वाले भाग के ऊपर से वैक्स पेपर हटाएं और ग्रीन पेपर सील की अंदर की परत (हरी सतह) को इस गोंद लगे भाग पर चिपका कर दबा दें।



14.4.4. चरण 3: अब, पूर्व-गोंद लगे भाग 'बी' के ऊपर का वैक्स पेपर हटाएं और ग्रीन पेपर सील के फोल्ड किए भाग (पुनः हरी सतह) भाग के ऊपर दबाएं।



14.4.5. चरण 4: पूर्व-गोंद लगे भाग 'बी' को ग्रीन पेपर सील पर चिपकाने पर 'सी' वाला भाग ऊपर की तरफ आ जाएगा। 'सी' के ऊपर का वैक्स पेपर हटाएं और ग्रीन पेपर सील पर दबाएं जोकि बाहरी दरवाजे के ऊपरी हिस्से से बाहर निकल रही है ताकि ग्रीन पेपर सील 'सी' पर पूर्णतः चिपक जाए।



14.4.6. चरण 5: कंट्रोल यूनिट के चारों तरफ स्ट्रिप सील के बचे हुए भाग को बायीं ओर से सावधानी से "क्लोज़" बटन को ढंकने वाली रबर कैप के नीचे से ले जाएं। स्ट्रिप सील के दूसरे सिरे को कंट्रोल यूनिट के दाहिनी ओर से बाहरी दरवाजे के ऊपर लाएं, जहां पूर्व-गोंद लगे हुए भाग 'ए', 'बी' और 'सी' चिपकाए गए होंगे।



14.4.7. चरण 6: पूर्व-गोंद लगे भाग "डी" पर लगे वैक्स पेपर हटा कर उसे ग्रीन पेपर सील के ऊपर से लाकर मजबूती से चिपकाएं, जो दरवाजे के ऊपरी हिस्से से बाहर निकल रही थी और पूर्व-गोंद लगे हुए भाग 'सी' पर चिपकी हुई थी। गोंद लगा हिस्सा 'डी' क्लोज बटन के नीचे स्ट्रिप सील पर आ जाएगा। अब 'डी' भाग वाले हिस्से को स्ट्रिप सील पर अच्छी तरह दबा दें। उपरोक्त प्रक्रिया से बाहरी दरवाजे की दोनों ओर से निकली ग्रीन पेपर सील के दोनों खुले सिरे अच्छी तरह से चिपक जाते हैं और स्ट्रिप सील की पकड़ में आ जाते हैं। साथ ही साथ रिजल्ट सेक्शन के ऊपर बाहरी दरवाजा भी सभी ओर से स्ट्रिप सील से सीलबंद हो जाता है और सील को नुकसान पहुंचाए बिना इस सेक्शन को खोल पाना संभव नहीं होता है।



14.4.8. कंट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील द्वारा सील करने के पश्चात् आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मतदान के दौरान सील न तो नष्ट की गई है, न ही उसमें कोई छेड़छाड़ की गई है और यह सील मतदान केन्द्र में मतदान के दौरान या उसके बाद भी हटाई नहीं जाएगी।

- 14.4.9. निर्धारित समय पर मतदान खत्म हो जाने के पश्चात् आप बिना स्ट्रिप सील को छेड़े, क्लोज़ बटन के ऊपर के रबर कैप को हटाएंगे और मतदान समाप्त करने के लिए "क्लोज़" बटन दबाएंगे एवं रबर कैप वापस लगा देंगे। मतदान समाप्त हो जाने के बाद अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् आप कंट्रोल यूनिट को सावधानी से कैरिंग केस में रखेंगे और कैरिंग केस को एड्रेस टैग से सीलबंद करेंगे। अब सीलबंद बक्से, स्ट्रांग रूम (संग्रहण केन्द्र) में जमा कराए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ स्ट्रांग रूम (संग्रहण केन्द्र) में जमा कर दिए जाएंगे।
- 14.4.10. मतगणना वाले दिन, अक्षुण्ण स्ट्रिप सहित कंट्रोल यूनिट को देखने के लिए मतगणना मेज पर उपस्थित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/मतगणना अभिकर्ताओं को अनुमति दी जाएगी। इसके पश्चात् ही यह ध्यान रखते हुए कि ग्रीन पेपर सील क्षतिग्रस्त न हो, सील हटाई जाएगी। तत्पश्चात् बाहर निकली ग्रीन पेपर सीलों की जांच करने के बाद, कंट्रोल यूनिट के बाहरी दरवाजे पर लगे धागे वाली सील खोली जाएगी।

14.5. स्ट्रिप सील से सीलबंद करने के दौरान सावधानी बरतना

- 14.5.1. यह स्ट्रिप सील इस तरह से लगाई जाएगी कि रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे पर "क्लोज़" बटन कैप को ढकने वाली रबर कैप के नीचे का भाग ढक जाए। इस स्ट्रिप सील को चिपकाते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि "क्लोज़" बटन को ढकने वाली रबर कैप को साफ छोड़ दिया गया है एवं इसके किसी भी भाग को ढका नहीं है ताकि आवश्यकता पड़ने पर रबर कैप को बिना किसी कठिनाई के निकाला जा सके एवं "क्लोज़" बटन का इस्तेमाल किया जा सके।
- 14.5.2. स्ट्रिप सील स्थाई रूप से लगाई जाएगी और खुली नहीं छोड़ी जाएगी।
- 14.5.3. किसी भी परिस्थिति में टूटी हुई स्ट्रिप सील इस्तेमाल नहीं की जाएगी।
- 14.5.4. प्रत्येक मतदान केन्द्र को ग्रीन पेपर सील की तरह, चार (4) स्ट्रिप सीलें दी जाएंगी।
- 14.5.5. आप, हर स्ट्रिप सील, जो कि निर्वाचन के संचालन के लिए मतदान केन्द्र पर उपयोग हेतु दी गई है, का लेखा पीठासीन अधिकारी की डायरी में रखेंगे।

14.5.6. आप ऐसी प्रत्येक स्ट्रिप सील, जो कि इस्तेमाल में नहीं लाई गई है (उन पट्टियों या उनके टुकड़ों सहित, जो आकस्मिक रूप से खराब हो गए हों) को रिटर्निंग ऑफिसर के पास लौटा देंगे। किसी भी समय, किसी अनधिकृत व्यक्ति के हाथों में कोई स्ट्रिप सील पाई जाने की स्थिति में आप उत्तरदायी ठहराए जाएंगे।

14.5.7. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध कराई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या का रिकार्ड रखेंगे। इसी तरह प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक मतदान केन्द्र को आपूर्ति की गई स्ट्रिप सीलों का रिकार्ड रखेंगे।

14.5.8. आयोग, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के लिए आपके राज्य को स्ट्रिप सीलों के नमूने जारी करेगा। स्ट्रिप सील के इन नमूनों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। प्रशिक्षण अथवा प्रदर्शन, जैसी भी स्थिति हो, के लिए स्ट्रिप सील का प्रयोग हो जाने के पश्चात् उसे बारीक टुकड़ों में काटकर नष्ट किया जाएगा।

14.6. वास्तविक मतदान के पूर्व के वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग का प्रयोग करते हुए धागे से सीलबंद करना

14.6.1. वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पहले वीवीपीएटी यूनिट के निचले भाग को धागे एवं एड्रेस टैग से सील किया जाना होता है।



14.7. वास्तविक मतदान के लिए तैयार वोटिंग मशीन तथा वीवीपीएटी

14.7.1. अब वोटिंग मशीन तथा वीवीपीएटी सभी तरह से वास्तविक मतदान के लिए तैयार हैं।

15. मतदान का प्रारंभ

15.1. मतदान का प्रारंभ

15.1.1. मतदान नियत समय पर प्रारंभ हो जाना चाहिए। तब तक सभी प्रारंभिक तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। यदि आप किन्हीं अप्रत्याशित कारणों से मतदान प्रारंभ होने के नियत समय तक प्रारंभिक तैयारियां पूरी नहीं कर पाएं हैं तो आप पीठासीन अधिकारी की डायरी में देरी संबंधी कारणों को स्पष्ट करेंगे। यह सुनिश्चित करें कि छद्म मतदान के परिणाम को ईवीएम से क्लीयर करें तथा छद्म मतदान में डाले गए मतों की सभी पेपर पर्चियों को वीवीपीएटी से निकाल दें।

15.2. मतदान की गोपनीयता के बारे में चेतावनी

15.2.1. मतदान प्रारंभ करने के पूर्व आपको मतदान केन्द्र में उपस्थित निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं को मत की गोपनीयता को बनाए रखने संबंधी उनके कर्तव्य और उसके उल्लंघन के संबंध में अधिनियम की धारा 128 (अनुबंध-1) के अंतर्गत दंड के उपबंधों को स्पष्ट करना चाहिए।

15.3. अमिट स्याही के लिए सावधानियाँ

15.3.1. अमिट स्याही के प्रभारी मतदान अधिकारी से पर्याप्त पूर्व सावधानियाँ बरतने को कहा जाए कि अमिट स्याही वाली शीशी इस तरह से रखी जाए कि मतदान के दौरान यह एक तरफ झुके और फैले नहीं। इस प्रयोजनार्थ रेत या मिट्टी लेकर इसे उपलब्ध कराए गए कप या खाली टिन या किसी चौड़ी पेंदी वाले बर्तन के बीचों-बीच शीशी को, उसकी लम्बाई के तीन चौथाई हिस्से तक मिट्टी में डाल दें ताकि यह बालू या मिट्टी में मजबूती से खड़ी रहे। यह भी सुनिश्चित कर लें कि कार्क से जुड़ी हुई प्लास्टिक रॉड शीशी में रहे और निर्वाचक की तर्जनी को चिन्हित करने के प्रयोजन के अलावा निकाली नहीं जाए। राड का चिन्हित हिस्सा सदैव नीचे की ओर करके रखा जाएगा। अन्यथा, राड से कुछ स्याही टपक जाएगी और इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति की ऊंगलियाँ खराब कर देगी।

15.4. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति

15.4.1. मतदान प्रारंभ करने के पूर्व, आप मतदान केन्द्र पर उपस्थित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों / मतदान अभिकर्ताओं और उपस्थित अन्य को यह भी दिखाएं कि चिन्हित प्रति के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति (निर्वाचक नामावली की प्रति जिसमें उन निर्वाचकों के नाम चिन्हित किए जाएंगे जिन्हें मत डालने की अनुमति दी गई होगी) में, उन मतदाताओं, जिन्हें डाक मतपत्र जारी किए गए हैं, EDC यदि कोई हो, के लिए इस्तेमाल किए गए संकेतों के अतिरिक्त कोई भी चिन्ह मौजूद नहीं है। अनुपूरकों में किये गये विलोपनों, यदि कोई हो, तो वह नामावली की मूल प्रति (मदर रोल) में संबंधित निर्वाचक विवरण बॉक्स में बड़े अक्षरों में "D E L E T E D" शब्द लिखा हुआ होगा।

15.4.2. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह भी दर्शित करें कि निर्वाचक रजिस्टर (प्ररूप 17क), (जिसमें मतदाताओं के संबंध में प्रविष्टियां की जाएंगी), में किसी निर्वाचक के संबंध में पहले से कोई प्रविष्टि मौजूद नहीं है।

15.5. मतदान केन्द्र में मतदाताओं के प्रवेश का विनियमन

15.5.1. पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए पृथक-पृथक पंक्तियां होनी चाहिए। पंक्तियां लगाने वाले व्यक्ति, मतदान केन्द्र में एक बार में तीन या चार मतदाताओं को प्रवेश देंगे या जैसा आप निर्देश दें प्रतीक्षारत अन्य निर्वाचक बाहर पंक्ति में खड़े रहेंगे। अशक्त मतदाताओं और गोद में बच्चा लिए महिला मतदाताओं को पंक्ति के अन्य मतदाताओं की तुलना में प्राथमिकता दी जाए। मतदान केन्द्र में प्रवेश के संबंध में एक पुरुष निर्वाचक के बाद दो महिला मतदाताओं को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। पुरुष मतदाताओं या महिला मतदाताओं के लिए भी एक से अधिक पंक्ति बनाए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

- 15.5.2. यह सुनिश्चित कर लें कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर प्रवेश देने में प्राथमिकता दी जाए ताकि उनको अन्य निर्वाचकों के साथ पंक्ति में न खड़ा होना पड़े। उन्हें मतदान केन्द्र पर आवश्यकतानुसार सभी आवश्यक सहायता, प्रदान की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, यदि संभव हो सके तो इस प्रकार के लोगों के लिए अलग कतार बनवाने की आवश्यक व्यवस्था की जाए।
- 15.5.3. यह सुनिश्चित कर लें कि इस प्रकार के मतदाताओं को उनकी व्हील चेयर पर मतदान केन्द्र के अंदर जाने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। आपके मतदान केन्द्र में, यदि स्थाई रैम्प नहीं है तो लकड़ी के अस्थायी रैंप की व्यवस्था करनी चाहिए।
- 15.5.4. मूक एवं बधिर निर्वाचकों को भी अन्य असक्षम मतदाताओं की तरह ही विशेष सुविधा दी जानी चाहिए।

15.6. मतदान केन्द्र के भीतर व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति देना

15.6.1. आपको मतदान केन्द्र में केवल निम्नलिखित लोगों को ही आने की अनुमति देनी चाहिए-

15.6.1.1. निर्वाचक;

15.6.1.2. निर्वाचक अधिकारी;

15.6.1.3. एक समय पर, निर्वाचन लड़ रहा अभ्यर्थी; उसका निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता में से कोई एक;

15.6.1.4. आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अर्थात् वे व्यक्ति जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केन्द्र में प्रवेश संबंधी प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं, जैसे प्राधिकार पत्रों के साथ मीडियाकर्मी;

15.6.1.5. इयूटी पर लोक सेवक;

15.6.1.6. निर्वाचक के साथ गोद में बच्चा;

15.6.1.7. ऐसे नेत्रहीन या अशक्त मतदाता, जो सहायता के बिना न तो चल सकता हो या मत डाल सकता हो, के सहयोगी; तथा

15.6.1.8. बीएलओ या ऐसे लोग, जिन्हें आप मतदान के दौरान समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने या आपकी सहायता करने के लिए प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करें।

16. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिये सुरक्षा के उपाय

16.1. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं

16.1.1. आपसे मतदान प्रारंभ होने के पूर्व अनुलग्नक-5 भाग-I में विहित घोषणा पढ़कर सुनाने की अपेक्षा की जाती है। वोटिंग मशीन के प्रदर्शन, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति और मतदाताओं का रजिस्टर और ग्रीन पेपर सील पर निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करना तथा उन्हें उनकी क्रम संख्या नोट करने की अनुमति प्रदान करना, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित किए जाने के लिये आवश्यक सुरक्षा के उपाय हैं, के संबंध में पिछले अध्यायों में अंतर्विष्ट अनुदेशों का आपके द्वारा सम्यक् अनुपालन कर लिया गया है। ऐसा, मतदान की गोपनीयता बनाये रखने संबंधी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के अनुलग्नक को पढ़कर सुनाये जाने के तत्काल पश्चात् किया जाना चाहिए। आपको मतदान केन्द्र पर उपस्थित समस्त व्यक्तियों को सुनाने के लिए घोषणा जोर से पढ़नी चाहिए और घोषणा पर हस्ताक्षर करने चाहिए तथा उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने चाहिए जो उपस्थित हों आपको उस पर उन मतदान अभिकर्ताओं के नाम भी रिकार्ड करने चाहिए जो घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इंकार करते हैं।

16.2. नई वोटिंग मशीन के उपयोग के समय पालन की जाने वाली प्रक्रिया

16.2.1. मतदान के दौरान यदि बाध्यकारी परिस्थितियों के अधीन नई वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी का उपयोग किया जाना आवश्यक हो जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में, आपसे अनुलग्नक-5 के भाग II में विहित एक और घोषणा पढ़ने की भी अपेक्षा की जाती है।

16.2.2. वास्तविक मतदान के समय मतपत्र (बीयू) या नियंत्रण इकाई (सीयू) के सही ढंग से कार्य न करने की दशा में सीयू, बीयू और वीवीपीएटी सहित पूरा ईवीएम बदला जाएगा। नये ईवीएम के छद्म मतदान हेतु केवल एक वोट प्रत्येक अभ्यर्थी नोटा सहित के पक्ष में डाला जाएगा। छद्म मतदान के पश्चात् मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सीयू

के परिणाम को सुनिश्चित एवं पुष्ट करने के लिए पीठासीन अधिकारी वीवीपीएटी के पेपर स्लिप की गणना करेंगे तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परिणाम का मिलान करेंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा छद्म मतदान के डाटा को सीयू से हटा दिया जाना चाहिए तथा वीवीपीएटी के पेपर स्लिप को निकालकर वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को खाली कर मतदान अभिकर्ताओं को अवलोकन कराकर सत्यापन कराना चाहिए। छद्म मतदान में वीवीपीएटी से प्राप्त पेपर स्लिप के पीछे रबर स्टाम्प से छद्म मतदान स्लिप अंकित कर इसे काले लिफाफे में रखकर पीठासीन अधिकारी की सील से सीलबंद किया जाना चाहिए। लिफाफे पर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। लिफाफे के ऊपर मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम, विधान सभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम मतदान की तिथि सहित अक्षरों में “ईवीएम तथा वीवीपीएटी के सम्पूर्ण सेट के बदले जाने के कारण छद्म मतदान से संबंधित वीवीपीएटी के पेपर स्लिप” लिखा जाएगा। इस लिफाफे को मॉक पोल के लिए विशेष प्लास्टिक बॉक्स में रखकर पिंक पेपर सील से इस प्रकार सील किया जाएगा कि सील को तोड़े बगैर प्लास्टिक बॉक्स को खोला न जा सके। प्लास्टिक बॉक्स पर मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक, विधान सभा क्षेत्र का नाम व क्रमांक तथा मतदान की तिथि अंकित की जाएगी। पिंक पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर करेंगे और इस बॉक्स को निर्वाचन संबंधी अन्य दस्तावेजों के साथ रखेंगे। तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी छद्म मतदान के एक और प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे तथा सीयू और वीवीपीएटी को सील करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग से पीठासीन अधिकारी की सील करके सील किया जाए और उसके बाद ही वास्तविक मतदान प्रारंभ करें।

- 16.2.3. वास्तविक पोल के दौरान केवल वीवीपीएटी को बदलने की स्थिति में छद्म मतदान नहीं किया जाएगा। (51/8/वीवीपीएटी/2017-EMS दिनांक 11-01-2018)
- 16.2.4. मतदान के अंत में, आपको आगामी घोषणा **अनुलग्नक-5** के भाग III में उसी रीति से ही रिकॉर्ड करनी है। मतदान समाप्ति के पश्चात् घोषणा को पृथक पैकेट में रखकर, फार्म 17ग में रिकार्ड किए मतों के विवरण एवं पेपर सील के विवरण के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दें।

17. मतदान केन्द्र में और इसके आस-पास निर्वाचन विधि का प्रवर्तन

17.1. निष्पक्षता एवं मर्यादा बनाये रखना

- 17.1.1. सभी दलों और अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार करें और प्रत्येक विवादास्पद बिन्दु पर उचित रूप से और न्यायसंगतता से विनिश्चय करें। आपकी कार्यकुशलता, दृढ़ता और निष्पक्षता शान्ति भंग करने के किसी भी प्रयास के प्रति सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न तो आपको और न ही आपके मतदान केन्द्र पर किसी और अधिकारी को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसका अर्थ निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार से सहायक हो।
- 17.1.2. आप और आपके दल के अन्य सदस्य जब इयूटी पर हों, मतदान केन्द्र पर मर्यादित एवं शालीन व्यवहार का आचरण करें। न तो आप और न ही आपके मतदान दल का कोई अधिकारी किसी अनुचित गतिविधि में शामिल हो जो इयूटी पर तैनात किसी अधिकारी के लिए अशोभनीय हो जैसे किसी वीआईपी और सेलिब्रेटी के आने पर उसके साथ हाथ मिलाना या फोटो खिंचवाना, जब कोई सेलिब्रेटी मतदान केन्द्र पर वोट डालने आता/आती है, फिर भी प्रत्येक निर्वाचक के साथ सामान्य शिष्टाचार दिखाना आपके कर्तव्य का भाग है।

17.2. प्रचार पर रोक

- 17.2.1. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना निर्वाचन कानून के तहत अपराध है। कोई भी व्यक्ति, जो ऐसा करता है, पुलिस द्वारा वारन्ट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अनुलग्नक 1 देखिए) की धारा 130 के अधीन अभियोजित किया जा सकता है।

17.3. अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ

- 17.3.1. निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के चुनाव बूथ, यदि कोई हों, किन्तु मतदान केन्द्र से 200 मीटर के भीतर नहीं हो सकते हैं। इससे अभ्यर्थी, मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर मतदाताओं को अशासकीय पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए, अपने अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए, धूप/वर्षा से उन्हें बचाने के लिए, उनके सिर के ऊपर एक छतरी या तिरपाल के एक टुकड़े के साथ एक मेज और दो कुर्सियां उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसी मेजों के आसपास भीड़ एकत्रित किया जाना निषिद्ध

है। यदि आयोग के पूर्वोक्त अनुदेशों के भंग होने की घटना को आपके ध्यान में लाया जाता है तो आपको आपके मतदान केन्द्र के आस-पास कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिये उत्तरदायी सैक्टर मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी को उनके द्वारा आवश्यक औपचारिक कार्रवाई के लिये मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए।

17.4. मतदान केन्द्र में या इसके निकट विच्छृंखल आचरण

17.4.1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131 (अनुलग्नक 1 देखिए) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के तहत, यदि कोई व्यक्ति विच्छृंखल तरीके से व्यवहार करता है तो आप उसी समय उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करवा सकते हैं और उसे अभियोजित करवा सकते हैं। पुलिस के पास ऐसे कदम उठाने और ऐसा बल प्रयोग करने की शक्ति है जो ऐसे व्यवहार को रोकने के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है। तथापि, ऐसी शक्तियों का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब उसे समझाना और चेतावनी देना प्रभावहीन साबित हो जाये। यदि किसी मेगाफोन या लाउडस्पीकर के उपयोग से मतदान केन्द्र का कार्य बाधित होता हो तो आपको इनके उपयोग को रोकने के लिये कदम उठाने चाहिए। यह धारा में दूरी की कोई सीमा विहित नहीं की गई है। यह निर्णय आप पर छोड़ दिया गया है कि क्या मतदान केन्द्र की कार्यवाहियों को बाधित करने के लिए यह शोर काफी निकट या काफी तेज है।

17.5. उपद्रवियों को हटाना

17.5.1. कोई भी व्यक्ति जो मतदान के दौरान स्वयं दुर्व्यवहार करता है या आपके विधिपूर्ण निर्देशों की अवहेलना करता है, तो उसे आपके आदेश पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या आपके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा (धारा 132, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-अनुलग्नक 1 देखिए)।

17.6. मतदाताओं के परिवहन के लिए वाहनों को अवैध रूप से भाड़े पर देना/लेना

17.6.1. यदि आपके पास मतदाताओं के अवैध परिवहन को मतदान केन्द्र से उनके घर से आने-जाने को रोकने के लिए कोई शिकायत की जाती है तो आप शिकायतकर्ता से कहें कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 के अधीन अपराधी को अभियोजित करने या सम्यक् अनुक्रम में अपराधी अभ्यर्थी के विरुद्ध निर्वाचन याचिका दायर करने के आधार के रूप में तथ्य का उपयोग करने की कार्यवाही कर सकता है। आपके समक्ष फाईल की गयी किसी शिकायत को सब-डिवीजनल या अन्य मजिस्ट्रेट, जिसे ऐसे मामलों में व्यवहार करने की अधिकारिता है, को ऐसी टिप्पणियों के साथ अग्रेषित करें जो आप अपने स्वयं के संप्रेक्षण और व्यक्तिगत ज्ञान से कर सकते हैं।

आप इसे जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट के ध्यान में भी ला सकते हैं जब वे आपके बूथ का दौरा करें।

17.7. मतदान केन्द्र से वोटिंग मशीन को हटाया जाना एक अपराध

17.7.1. कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र से वोटिंग मशीन को कपटपूर्वक या अप्राधिकृत रूप से ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है या ऐसे किसी कार्य को करने में जानबूझकर सहायता या दुष्प्रेरण करता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय संज्ञेय अपराध करता है। इस संबंध में धारा 61क के स्पष्टीकरण के साथ पठित धारा 135, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को देखा जा सकता है।

17.8. निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पदीय कर्तव्यों की अवहेलना

17.8.1. आपका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जो यह उपबंधित करता है कि यदि कोई पीठासीन या मतदान अधिकारी, उचित कारण के बिना, अपने पदीय कर्तव्य की अवहेलना संबंधी कोई कार्य करने या किसी कार्य का लोप का दोषी है तो वह संज्ञेय अपराध करता है।

17.9. मतदान केन्द्र में या इसके निकट सशस्त्र जाने पर प्रतिबंध

17.9.1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134ख के उपबंधों के अनुसार कोई व्यक्ति (रिटर्निंग ऑफीसर, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और मतदान केन्द्र पर शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिये नियुक्त कोई अन्य अधिकारी जो मतदान केन्द्र पर ड्यूटी पर है, से भिन्न) मतदान के दिन, आयुध अधिनियम, 1959 में यथा-परिभाषित किसी भी प्रकार के शस्त्र से सुसज्जित होकर किसी मतदान केन्द्र के आसपास नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह ऐसी अवधि का कारावास, जो दो वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित होने योग्य है। यह अपराध संज्ञेय है।

17.10. मतदान केन्द्र में सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट्स आदि का प्रतिबन्ध

17.10.1. आयोग के स्थायी निर्देशों के अनुसार, मतदान केंद्रों के अंदर किसी भी सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि की अनुमति नहीं है और मतदान केन्द्र से 100 मीटर तक की परिधि को मतदान केन्द्र की परिभाषित सीमा (पोलिंग स्टेशन नेबरहुड) कहा गया है।

18. चुनौती के मामले में निर्वाचक की पहचान का सत्यापन और प्रक्रिया

18.1. निर्वाचक की पहचान का सत्यापन

18.1.1. आयोग ने निर्वाचक की पहचान के लिए दस्तावेजी पहचान अनिवार्य की है। निर्वाचक को अपना इलेक्टोरल फोटो परिचय-पत्र (ईपीआईसी) अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करना है या आयोग द्वारा अनुमोदित वैकल्पिक परिचय पत्र, यदि कोई हो तो, प्रस्तुत करना है। आयोग प्रत्येक निर्वाचन में इस दिशा में आदेश जारी करेगा। आपको आयोग द्वारा जारी आदेश को संदर्भित करना चाहिए और इसके अनुपालन को लागू करना चाहिए। पहचान के लिये प्रभारी मतदान अधिकारी ईपीआईसी अथवा वैकल्पिक दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत निर्वाचक के पहचान के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर ले, तथा किसी प्रकार के संशय की स्थिति में निर्वाचक को आप अपने समक्ष प्रस्तुत होने हेतु आदेशित करें। आप निर्वाचक की पहचान के संबंध में स्वयं जाँच कर संतुष्ट हों। किसी व्यक्ति के प्रतिरूपक पाए जाने पर आप लिखित में शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दें।

18.1.2. मतदान के समय से प्रतिरूपण रोकने के लिए आयोग ने निम्नांकित प्रक्रिया निर्देशित की है -

18.1.2.1. प्रत्येक मतदान केंद्र के अनुसार एसडी मतदाताओं की पृथक सूची तैयार की जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के पास एक पृथक अनुपस्थित, स्थानान्तरित तथा मृत मतदाताओं की सूची (एसडी सूची) उपलब्ध हो।

18.1.2.2. मतदान के दिन मत देने आए ऐसे निर्वाचक जिसका नाम इस तरह की सूची में हो, को अपनी पहचान बताने के लिए ईपीआईसी या आयोग द्वारा अनुमति होने की दशा में अन्य कोई वैकल्पिक फोटो परिचय दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। पीठासीन अधिकारी पहचान दस्तावेज को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करेगा और मतदान अधिकारी द्वारा प्ररूप 17क में मतदाताओं के रजिस्टर में संबंधित विवरण ठीक से दर्ज किया जाएगा।

18.1.2.3. प्रथम मतदान अधिकारी मतदान के लिए आए एसडी निर्वाचक का नाम जोर से पुकार कर मतदान अभिकर्ताओं को सूचित करेगा।

- 18.1.2.4 मतदाताओं का रजिस्टर (फार्म 17क) के स्तंभ "हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान" में ऐसे निर्वाचकों से अंगूठे का निशान लिया जाना चाहिए। निर्वाचक यदि साक्षर हो तथा हस्ताक्षर कर सकता हो, तो भी हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान ले लिया जाना चाहिए।
- 18.1.2.5. एसडी निर्वाचकों से **अनुलग्नक 16** में दिए गए प्ररूप में एक घोषणा लेनी चाहिए।
- 18.1.2.6. अनुपस्थित तथा स्थानान्तरित निर्वाचकों की सूची की जांच के उपरांत जिन मतदाताओं को मतदान की अनुमति दी गई है उनका रिकार्ड पीठासीन अधिकारी रखेंगे तथा मतदान समाप्ति पर (जांच के लिए फार्म 17क के साथ रखा जाना चाहिए) एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
- 18.1.2.7. यदि मतदान केंद्र में वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की जा रही हो तो ऐसे निर्वाचकों की फोटो ली जानी चाहिए तथा उनका रिकार्ड रखा जाना चाहिए।
- 18.1.2.8. उपस्थित माइक्रो आब्जर्वर यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुपस्थित, स्थानान्तरित और मृत निर्वाचकों से संबंधित इन निर्देशों का पालन सतर्कतापूर्वक किया गया है तथा इसका उल्लेख वे अपनी रिपोर्ट में करेंगे।
- 18.1.2.9. पीठासीन अधिकारी को मतदान केंद्रों में अपनाई जाने वाली अनुपस्थित, स्थानान्तरित, और मृत निर्वाचकों की सूची से संबंधित इन प्रक्रियाओं को विशेष तौर पर ब्रीफ किया जाएगा।
- 18.1.2.10. निर्वाचन आयोग ने निर्देशित किया है कि मतदान के समय मतदान केंद्रों में विदेशी निर्वाचकों की पहचान उनके द्वारा प्रस्तुत मूल पासपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी। (464/अनुदेश/2014/ईपीएस दिनांक 4 अप्रैल, 2014)
- 18.1.3. जैसा कि अध्याय 8 में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास पहुँचेगा जो कि निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का प्रभारी होगा और निर्वाचकों की पहचान के लिए जिम्मेदार होगा। मतदान अधिकारी को उसकी पहचान का समुचित रूप से सत्यापन करना चाहिए जैसा कि ऊपर वर्णित है। यह भी ध्यान रखा जाये कि निर्वाचक के पास यदि अशासकीय पहचान पर्ची है तो वह पहचान का आधार नहीं होगा और साथ ही मतदान अधिकारी का ये उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसे निर्वाचक की पहचान भी सुनिश्चित करने का प्रयास करें।

- 18.1.4. यदि कोई व्यक्ति ईपीआईसी लेकर आता है किन्तु उसका नाम निर्वाचक सूची में नहीं है तो वह मतदान नहीं कर सकता/सकती।
- 18.1.5. राजनीतिक दलों / अभ्यर्थियों ने भी मतदाताओं को पहचान पर्ची दी होगी। आयोग के निर्देशों के अनुसार, यह पर्ची सादे सफेद कागज पर होनी चाहिए और उसमें निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या तथा मतदान केन्द्र की संख्या और नाम हो सकता है जहाँ उसे अपना मत देना है। इस पर्ची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और/या दल या उसको आबंटित प्रतीक चिह्न की प्रतिकृति अन्तर्विष्ट नहीं होनी चाहिए (जिससे किसी प्रकार का कोई चुनाव प्रचार हो)। आपके सामने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसके दल द्वारा जारी की गयी कोई पर्ची आयोग के इन अनुदेशों का उल्लंघन करती है और मतदान केन्द्र में लायी जाती है तो आपको ऐसे उल्लंघन को तत्काल रोकने के लिए उसे सम्बन्धित अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के ध्यान में लाना चाहिए। यह जान लें कि अभ्यर्थी/राजनैतिक दल द्वारा दी गई स्लिप मतदाता की पहचान के लिए अनुमोदित दस्तावेज नहीं है।
- 18.1.6. महिला निर्वाचक विशेषकर 'पर्दानशीन' महिलाएं अधिक संख्या में होने पर अध्याय 6 में यथा-अनुदेशित किसी पृथक कक्ष में उपरोक्त कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए किसी महिला मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।

18.2. मृत, अनुपस्थित और अभिकथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची

- 18.2.1. यह आशा की जाती है कि मतदान अभिकर्ता अपने साथ मृत, अनुपस्थित और अभिकथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची लायेंगे। यह संभव है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसका दल ऐसी ही सूची आपको भी दे सकते हैं। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अन्य निर्वाचन सामग्री में एएमडी सूची आपको भी उपलब्ध करवाई हुई हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक होने का दावा करे जिसका नाम उस सूची में उल्लेखित है तो आप उस व्यक्ति की पहचान फोटो परिचय-पत्र (ईपीआईसी) से या आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों द्वारा कड़ाई से जाँच करेंगे। ऐसा करना किसी प्रकार की औपचारिक चुनौती का मामला नहीं माना जायेगा।

18.3. चुनौती युक्त मत

- 18.3.1. मतदान अभिकर्ता, उस व्यक्ति को, जो स्वयं को विशेष निर्वाचक होने का दावा करता है, की पहचान को 2 रुपये की राशि जमा करके चुनौती दे सकता है। आप इस चुनौती की संक्षिप्त जाँच करेंगे। जाँच में चुनौती सही नहीं पाये जाने पर उस व्यक्ति को

मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। यदि आप समझते हैं कि चुनौती सही पाई जाती है तो आप उस व्यक्ति को मतदान से वंचित कर उसे पुलिस को लिखित में शिकायत करके सौंप दिया जाएगा।

18.4. निर्वाचक की पहचान को चुनौती

18.4.1. प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है और आयोग के आदेश के अनुसार स्वयं की पहचान की पुष्टि होने पर निर्वाचन में मत देने का हकदार है। जब तक कि किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन या मतदान अभिकर्ताओं द्वारा कोई चुनौती नहीं दी जाये या जब तक कि आपको यह स्पष्ट न हो जाये कि वह एक जाली निर्वाचक है तब तक सामान्य रूप से यह माना जाना चाहिए कि निर्वाचक होने का दावा करने वाला और नाम तथा अन्य सही ब्यौरे देने वाला व्यक्ति ही वास्तविक निर्वाचक है। यदि कोई चुनौती हो या आपको उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आस-पास की परिस्थितियों से कोई भी युक्तियुक्त सन्देह हो तो आपको एक संक्षिप्त जाँच करनी चाहिए और इस संदेह को दूर करना चाहिए।

18.5. चुनौती फीस

18.5.1. आपको, किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता द्वारा, किसी निर्वाचक की पहचान की कोई चुनौती तब तक ग्रहण नहीं करनी चाहिए जब तक कि चुनौतीकर्ता नकद में दो रुपये जमा न कर दें। रकम जमा किये जाने के पश्चात् **अनुलग्नक-8** में विहित प्ररूप में चुनौतीकर्ता को इसकी एक रसीद देंगे। आप चुनौती दिये गये व्यक्ति को प्रतिरूपण के लिए दण्ड के बारे में सावधान कर देंगे, निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि को पूरा पढ़ेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या वह वही व्यक्ति है जिसे कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया है, तब चुनौती दिये गये मतों की सूची (प्ररूप-14) में उसका नाम और पता लिखेंगे और उसे उस पर हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने के लिए कहेंगे। यदि वह ऐसा करने से इंकार कर दे तो आप उसे मत देने की अनुमति नहीं देंगे।

18.6. संक्षिप्त जाँच

18.6.1. सबसे पहले आप चुनौतीकर्ता को यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहेंगे कि वह व्यक्ति जिसके बारे में चुनौती दी गयी है, असली निर्वाचक नहीं है जैसा कि वह दावा करता है। यदि चुनौतीकर्ता अपनी चुनौती के पक्ष में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आप चुनौती को नहीं मानेंगे और चुनौती दिये गये

ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नगत निर्वाचक नहीं है तो आप पश्चात्कथित चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे अर्थात् यह सिद्ध करना कि वह वही निर्वाचक है जिसका वह दावा करता है। यदि वह ऐसे साक्ष्य द्वारा अपना दावा सिद्ध कर देता है तो आप उसे मत देने की अनुमति दे देंगे। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो आप यह मान लेंगे कि चुनौती सिद्ध हो गयी है। जाँच के दौरान, आप ग्राम अधिकारी, प्रश्नगत निर्वाचक के पड़ोसियों और उपस्थित किसी भी अन्य व्यक्ति से सही तथ्य अभिनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं। साक्ष्य लेने के दौरान, आप चुनौती दिये गये व्यक्ति को या साक्ष्य देने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिलवायेंगे। यदि चुनौती सिद्ध हो गयी तो आप उस व्यक्ति को इयूटी पर उपस्थित पुलिसकर्मी को सौंप देंगे तथा इसके साथ ही आपके मतदान केन्द्र की अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के थानाधिकारी को **अनुलग्नक-6** में एक शिकायत लिखकर दे देंगे।

18.7. चुनौती फीस का लौटाया जाना या उसका जब्त किया जाना

18.7.1. जाँच की समाप्ति के तुरंत पश्चात उस दशा को छोड़कर जिसमें आपकी यह राय हो कि चुनौती तुच्छ है या सद्भावनापूर्वक नहीं की गयी है, प्रत्येक मामले में दो रुपये की चुनौती फीस चुनौतीकर्ता को उससे प्ररूप-14 'चुनौती युक्त मतों का सूची' के स्तम्भ 10 में तथा रसीद बुक में सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर उसकी प्राप्ति रसीद लेने के पश्चात लौटा दीजिए। दूसरी स्थिति में आप चुनौती फीस सरकार के पक्ष में जब्त कर लीजिए और उसे चुनौतीकर्ता को नहीं लौटाईये तथा प्ररूप 14 के स्तम्भ 10 में और रसीद बुक में सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेने के बजाय शब्द 'जब्त' लिख दीजिए।

18.8. नामावली में लिपिकीय और मुद्रण संबंधी गलतियों की अनदेखी करना

18.8.1. कभी-कभी निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक के संबंध में यथा प्रविष्ट विशिष्टियां उदाहरण के लिए निर्वाचक की सही उम्र के बारे में, निर्वाचक की वास्तविक आयु की प्रविष्टि अशुद्ध छप जाती है या पुरानी हो जाती है। यदि आप निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि अन्य विशिष्टियों के अनुसार अमुक निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में संतुष्ट हों तो आप निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक के संबंध में किसी प्रविष्टि में केवल लिपिकीय या मुद्रण संबंधी गलतियों की अनदेखी कर दें। यदि निर्वाचक नामावली एक से अधिक भाषा में तैयारी की गयी हो और किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में सम्मिलित नहीं किया गया हो और उसका

नाम उसी क्षेत्र के लिए अन्य भाषा में तैयार की गयी निर्वाचक नामावली में दिया गया हो तो उस व्यक्ति को मत देने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे प्रत्येक निर्वाचक के संबंध में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्टियां आपके द्वारा स्वयं स्याही से नोट कर दी जानी चाहिए।

18.9. किसी निर्वाचक की पात्रता के संबंध में आपत्ति नहीं उठाई जाए

18.9.1. जब किसी निर्वाचक की पहचान आपकी जाँच से स्थापित हो जाये तो वह मत देने का अधिकारी हो जाता है। मतदान केन्द्र में ऐसे व्यक्ति के निर्वाचक होने की पात्रता के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उदाहरण स्वरूप आप को इस प्रश्न के बारे में किसी प्रकार की जाँच पड़ताल करने का अधिकार नहीं है कि क्या वह 18 वर्ष से अधिक आयु का है या वह उस निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवास करता है या नहीं।

18.10. निर्वाचक की अपनी आयु के बारे में घोषणा

18.10.1. ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में जिसको आप 18 वर्ष की आयु से नीचे मानते हैं, तो उसके निर्वाचक होने के दावे के बारे में आपके द्वारा निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर समाधान होना चाहिए।

18.10.2. यदि आप उसकी पहचान और निर्वाचक नामावली में उसके नाम के सम्मिलित किये जाने के तथ्य के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं किन्तु उसको निर्धारित मतदान योग्य आयु से नीचे मानते हैं तो आप उस निर्वाचक से उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उसकी आयु जिसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गयी थी, के संदर्भ में **अनुलग्नक 7** में घोषणा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने के पूर्व, आपको मिथ्या घोषणा (धारा 31 के उद्धरण अनुलग्नक 1 में दिये गये हैं) करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में दंड के अनुलग्नक की उसे सूचना देनी चाहिए।

18.10.3. आपको उन मतदाताओं, जिनसे आपने **अनुलग्नक 9** के भाग 1 में ऐसी घोषणाएं प्राप्त की हैं, की एक सूची भी तैयार करनी चाहिए। आपके द्वारा उन मतदाताओं की उपर्युक्त **अनुलग्नक 9** के भाग 2 में एक सूची भी रखनी चाहिए जिन्होंने उपर्युक्त घोषणा देने से इंकार कर दिया है और जो अपना मत डाले बिना ही चले गये हैं। मतदान बंद होने के पश्चात ऊपर उल्लेखित सूची और घोषणाएं एक पृथक लिफाफे में रखी जानी चाहिए।

19. निर्वाचक के मत देने की अनुमति देने से पूर्व अमिट स्याही लगाना और उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेना

19.1. निर्वाचक की बायीं तर्जनी का निरीक्षण और अमिट स्याही का लगाया जाना

- 19.1.1. प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा किसी निर्वाचक की पहचान सत्यापित किये जाने के पश्चात और यदि उस निर्वाचक की पहचान के बारे में कोई चुनौती नहीं दी गयी है, तो यथाशीघ्र द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा उसकी बायीं तर्जनी को अमिट स्याही से चिन्हित किया जायेगा। यदि तर्जनी पर कोई चिह्न दिखाई न दे तो अध्याय 8 के पैरा 3.1 अनुसार द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही इस प्रकार लगाई जाए कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ के बीच में फैल जाए और चिह्न स्पष्ट दिखे। यदि कोई निर्वाचक अनुदेशों के अनुसार अपनी बायीं तर्जनी का निरीक्षण या चिन्हित करवाने से इंकार करे या उसकी बायीं तर्जनी पर ऐसा कोई चिह्न पहले से ही हो या स्याही को हटाने की दृष्टि से कोई भी कृत्य करे तो उसे मत नहीं देने दिया जायेगा।
- 19.1.2. यदि किसी निर्वाचक ने अपनी उंगली पर लगाये जाने वाले अमिट स्याही के को प्रभावहीन करने के लिए अपनी उंगली पर कोई तैलीय या चिकनाईयुक्त पदार्थ लगा लिया है तो उस निर्वाचक की उंगली पर अमिट स्याही का चिह्न लगाने के पूर्व कपड़े के टुकड़े की सहायता से ऐसा तैलीय या चिकनाईयुक्त पदार्थ मतदान अधिकारी द्वारा पोंछा जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी की किट में कपड़े का टुकड़ा या रग उपलब्ध कराया जाएगा।
- 19.1.3. ऐसी अमिट स्याही का चिह्न निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्ररूप-17क में मतदाताओं के रजिस्टर में अभिप्राप्त करने के पूर्व लगाया जाना है ताकि जब तक निर्वाचक अपना मत देने के पश्चात मतदान केन्द्र छोड़े तब तक अमिट स्याही को सूखने और एक सुस्पष्ट अमिट चिह्न बनने के लिये पर्याप्त समय मिल जाये।

19.2. नये सिरे से मतदान (पुनःमतदान)/प्रत्यादिष्ट मतदान में अमिट स्याही का प्रयोग

19.2.1. यह स्पष्ट किया जाता है कि नये सिरे से मतदान (पुनःमतदान)/प्रत्यादिष्ट मतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही से लगाये गये चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और निर्वाचक के बायीं उंगली के नाखून की जड़ में अमिट स्याही से नया चिन्ह इस प्रकार लगाया जाये कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ के बीच में फैल जाये और एक स्पष्ट चिन्ह रह जाये।

19.3. निर्वाचक की बायीं तर्जनी न होने की स्थिति में अमिट स्याही का लगाया जाना

19.3.1. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि निर्वाचक की बायीं तर्जनी न हो तो अमिट स्याही उसकी ऐसी किसी भी उंगली पर लगायी जानी चाहिए जो उसके बायें हाथ में हो। यदि उसके बायें हाथ में कोई भी उंगली न हो तो स्याही उसकी दायीं तर्जनी पर लगायी जानी चाहिए और यदि उसके दायीं तर्जनी भी न हो तो उसकी दायीं तर्जनी से प्रारंभ करते हुए उसके दायें हाथ की किसी भी अन्य अंगुली पर स्याही लगायी जानी चाहिए। यदि उसके किसी भी हाथ पर कोई भी उंगली न हो तो स्याही उसके बायें या दायें हाथ के ऐसे सिरे (ठूठ) पर, जो भी हो, लगायी जानी चाहिए।

19.4. मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचकों की निर्वाचक नामावली संख्या का अभिलेख

19.4.1. पूर्ववर्ती पैरा में स्पष्ट की गई रीति से द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की बायीं तर्जनी को चिन्हांकित करने के पश्चात उसे 'मतदाताओं के रजिस्टर' (प्ररूप 17क) में ऐसे निर्वाचक का अभिलेख रखना चाहिए और उस रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करना चाहिए।

19.4.2. ऐसा अभिलेख मतदाताओं के रजिस्टर में, द्वितीय मतदान अधिकारी, द्वारा निम्नलिखित रीति में रखा जायेगा:-

19.4.2.1. मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में द्वितीय मतदान अधिकारी, क्रम संख्या 1 से प्रारम्भ करते हुए निर्वाचकों की क्रम संख्या क्रमवार लिखेगा। (आम तौर पर, निर्वाचकों की रजिस्टर में क्रम संख्या पहले से ही क्रमानुगत रूप से मुद्रित होती है।) रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ में 10 क्रम संख्या होती हैं। मतदान के प्रारम्भ के समय वह कुछ पृष्ठों पर पहले ही से ऐसी क्रम संख्याएं लिख सकता है। यदि स्तम्भ (1) में पहले से ही क्रमांक मुद्रित न हों तो वह

एडवांस में हाथ से ऐसी संख्याएं मतदान प्रारंभ होने पर हाथ से लिख सकता है।

19.4.2.2. उक्त रजिस्टर के स्तम्भ (2) में, द्वितीय मतदान अधिकारी, निर्वाचक की निर्वाचक नामावली संख्या (अर्थात क्रम संख्या) लिखेगा जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में दर्ज है। उदाहरण के लिए, यदि प्रथम निर्वाचक का नाम, जो मतदान प्रारंभ होने के समय मतदान केन्द्र पर मत डालने आया है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में क्रम संख्या 756 पर दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी, मतदाताओं से रजिस्टर के प्रथम स्तम्भ में क्रम संख्या 1 और द्वितीय स्तम्भ में क्रम संख्या 756 लिखेगा। इसी तरह यदि द्वितीय निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या 138 पर दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी रजिस्टर के स्तम्भ (1) में क्रम संख्या (2) और द्वितीय स्तम्भ में क्रम संख्या 138 लिखेगा और इसी तरह आगे भी।

19.4.2.3. प्ररूप 17क (मतदाताओं का रजिस्टर) के कॉलम (3) में पहचान संबंधी दस्तावेज के आखिरी चार अंकों को अंकित किया जाना चाहिए। यदि निर्वाचक एपिक के आधार पर मतदान करते हैं, उनके लिए ईपी (ईपीआईसी के आशय हेतु) सम्बंधित कॉलम में अंकित किया जाना पर्याप्त होगा और ईपीआईसी का क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, जो लोग किसी वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर वोट करते हैं, उनके मामले में, दस्तावेज के अंतिम चार अंकों को नोट करने के निर्देश लागू होते रहेंगे। पहचान के लिये प्रस्तुत दस्तावेज को इस प्रकार अंकित करना होगा।

(ईसीआई संख्या 3/4/ID/2019/SDR/VOL.I दिनांक 28.02.2019)

19.4.3. ऊपर वर्णित रीति में, किसी निर्वाचक के संबंध में रजिस्टर के स्तम्भ (1), (2) और (3) भर लेने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी, रजिस्टर के स्तम्भ (4) में, उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करेगा।

19.5. निर्वाचक के हस्ताक्षर की परिभाषा

19.5.1. हस्ताक्षर से अभिप्राय है किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति का नाम उस दस्तावेज को अभिप्रमाणित करने के आशय से लिखा जाना। किसी साक्षर व्यक्ति से, मतदाताओं के

रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय उससे यह अपेक्षा की जाती है कि उसका नाम अर्थात् उसका पूरा नाम या नामों और उपनाम दोनों ही या किसी भी दशा में उसका पूरा उपनाम या नाम या तो पूरा अथवा उस नाम या नामों के लघु हस्ताक्षर लिखे। यदि कोई साक्षर व्यक्ति साधारणतः कोई चिन्ह लगा दे और स्वयं को एक साक्षर व्यक्ति होने का दावा करते हुए उस चिह्न को ही हस्ताक्षर मान लेने पर जोर देता रहे तो उस चिन्ह को हस्ताक्षर नहीं माना जा सकता जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, साक्षर व्यक्ति के मामले में हस्ताक्षर से अभिप्राय है, स्वयं उस व्यक्ति द्वारा अपना नाम, दस्तावेज जिस पर वह अपना नाम लिखता है, को अधिप्रमाण स्वरूप लिखना है। ऐसी दशा में यदि वह ऊपर दर्शाए गए अनुसार अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो उस स्थिति में उसके अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि वह अपने अंगूठे का निशान लगाने से भी इंकार कर दे तो उसे मत डालने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

19.6. निर्वाचक के अंगूठे का निशान

- 19.6.1. यदि कोई निर्वाचक अपने नाम के हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाताओं के रजिस्टर पर उसके बायें हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यह बात नोट करे लें कि आपके लिए या मतदान अधिकारी के लिए रजिस्टर पर ऐसे अंगूठे के निशान को प्रमाणित करना आवश्यक होना चाहिए।
- 19.6.2. निर्वाचकों का संचालन नियम, 1961 के नियम 37(4) में अमिट स्याही लगाने के बारे में दिये गये निर्देश के अनुरूप यदि निर्वाचक का बायां अंगूठा न हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि दोनों हाथों के अंगूठे न हों तो बायें हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करते हुए किसी भी उंगली का निशान लगाना चाहिए। यदि बायें हाथ में कोई भी उंगली न हो तो दायें हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करते हुए किसी भी उंगली पर निशान लेना चाहिए। यदि कोई भी उंगली न हों तो स्वभावतः उस स्थिति में निर्वाचक स्वयं अपना मत रिकार्ड करने में असमर्थ हो जायेगा और उसे उक्त नियमों के नियम 49ड के अधीन आवश्यक रूप से किसी साथी की सहायता लेनी होगी। ऐसे मामले में उस साथी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान मतदाताओं के रजिस्टर पर लेना चाहिए तथा इस आशय की टिप्पणी मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 5 में की जानी चाहिए।
- 19.6.3. यह आवश्यक है कि मतदाताओं के रजिस्टर पर अंगूठे का स्पष्ट निशान होना चाहिए। स्टाम्प पैड से निर्वाचक के अंगूठे पर स्याही इतनी हल्की नहीं लगानी चाहिए कि यह केवल धुंधला-सा या अस्पष्ट निशान ही बन पाये। न ही अंगूठे पर इतनी अधिक स्याही

लगानी चाहिए कि यह रजिस्टर पर एक स्पष्ट अंगूठे के निशान के बजाय एक धब्बा ही बन जाये।

19.7. दृष्टिबाधित या अशक्त या कुष्ठ रोगी निर्वाचकों द्वारा मतदाताओं के पंजीकरण पर हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

19.7.1. किसी दृष्टिबाधित या अशक्त निर्वाचक या कुष्ठ रोग से पीड़ित निर्वाचक जो अशिक्षित हैं, लेकिन अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, के अंगूठे का निशान, मतदाताओं के रजिस्टर पर अभिप्राप्त किया जाना चाहिए। यदि ऐसा निर्वाचक साक्षर है तो उसे अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति दी जा सकेगी। अशक्त निर्वाचक के मामले में जो अपना कोई भी हाथ काम में नहीं ला सकते हो तो उस स्थिति में उसका साथी रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगायेगा। उस साथी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के संबंध में रजिस्टर में ऐसी प्रविष्टि के सामने एक नोट लिखा जाना चाहिए कि वह हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान उनके साथी का है। अंगूठे का निशान लेने के पश्चात् निर्वाचक के अंगूठे की स्याही गीले कपड़े की सहायता से मिटा देनी चाहिए।

19.8. निर्वाचक को निर्वाचक पर्ची जारी किया जाना

19.8.1. किसी निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने और मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि करने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पश्चात् द्वितीय मतदान अधिकारी उस निर्वाचक के लिए एक निर्वाचक पर्ची निम्नलिखित रूप में तैयार करेगा:-

मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या

निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर

19.8.2. रिटर्निंग आफिसर द्वारा ये निर्वाचक पर्चियां पोस्ट कार्ड के आधे आकार के कागज पर मुद्रित करायी जायेंगी और आपके मतदान केन्द्र को समानुदेशित निर्वाचकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, सौ पर्चियों और/या पचास पर्चियों को स्टिच किया हुआ प्रत्येक बंडल मतदान सामग्री की किसी मद के रूप में आपको विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

19.8.3. अनुच्छेद 19.8.1 के पैरा के अधीन प्रत्येक निर्वाचक के संबंध में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा तैयार की गई निर्वाचक पर्चियां उसके द्वारा उस निर्वाचक को दी

जाएगी और निर्वाचक को तृतीय मतदान अधिकारी, जो वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी हो, के पास जाने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

- 19.8.4. मतदाताओं से एकत्रित इन निर्वाचक पर्चियों को क्रमवार तरीके से नत्थी किया जाना चाहिए और मतदान की समाप्ति के पश्चात इन्हें, इस कार्य के संबंध में दिए गए अलग लिफाफे में रखा जाएगा।

20. मतों की रिकार्डिंग एवं मतदान प्रक्रिया

20.1. मत की रिकार्डिंग

- 20.1.1. निर्वाचक को दूसरे मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक पर्ची जारी करने के पश्चात निर्वाचक निर्वाचक पर्ची के साथ मतदान मशीन को कंट्रोल यूनिट के मतदान अधिकारी के पास आयेगा। निर्वाचक को निर्वाचक पर्ची के आधार पर ही उसे मत डालने की अनुमति दी जायेगी।
- 20.1.2. यह अत्यंत आवश्यक है कि निर्वाचक वोटिंग मशीन में अपने मत रिकार्ड करने मतदान कंपार्टमेंट में जाते हैं, तो वे अपना मत उसी क्रम में रिकार्ड करायें जिस क्रम में वे मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किये गये हैं, आपको या कंट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी को, मतदान पर्ची में उल्लेखित क्रम संख्या के अनुसार ही निर्वाचक कक्ष में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- 20.1.3. यदि किसी असाधारण परिस्थिति या अकल्पित या अपरिहार्य कारण से किसी निर्वाचक के बारे में ऐसी निश्चित क्रम संख्या का अनुसरण करना सम्भव न हो तो वही क्रम संख्या, जिस पर वह मत डाल चुका है, दर्शाने वाली एक उपयुक्त प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर के अभ्यंकित स्तम्भ में संबंधित व्यक्ति के सामने रिकार्ड की जायेगी। पश्चवर्ती मतदाता, जिसका क्रम उसके कारण से उलट-पुलट हो गया है, के सम्बंध में समरूप प्रविष्टि भी की जानी चाहिए।

20.2. मत रिकार्ड करने के लिए निर्वाचक को अनुमति देना

- 20.2.1. जैसे ही निर्वाचक, निर्वाचक पर्ची के साथ कंट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी के पास आये तो निर्वाचक पर्ची उससे ले ली जायेगी और उसे मत डालने के लिए अनुमति दी जाएगी।
- 20.2.2. निर्वाचकों से संगृहीत समस्त निर्वाचक पर्चियाँ सावधानीपूर्वक संरक्षित की जायेंगी और मतदान के अन्त में एक पृथक लिफाफे में रखी जायेंगी। रिटर्निंग ऑफिसर उस प्रयोजन के लिए एक विशेष कवर उपलब्ध करायेगा जो अध्याय-32 में यथानिर्दिष्ट रीति से सील किया जायेगा और सुरक्षित रखा जायेगा।
- 20.2.3. निर्वाचक से निर्वाचक पर्ची संगृहीत कर लेने के पश्चात उसकी बायीं तर्जनी की आपके द्वारा/कंट्रोल यूनिट के तृतीय प्रभारी मतदान अधिकारी द्वारा जाँच की जायेगी। यदि

उस पर लगी हुई अमिट स्याही अस्पष्ट है या हटा दी गई है तो उसे दोबारा इस प्रकार लगाया जायेगा जिससे कि एक स्पष्ट अमिट चिन्ह बने।

20.2.4. तत्पश्चात् निर्वाचक को अपना मत रिकार्ड करने के लिए मतदान कोष्ठ में जाने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

20.3. मतदान प्रक्रिया

20.3.1. निर्वाचक अपना मत रिकार्ड कर सके, इसके लिए मतदान कोष्ठ में रखे गये बैलेट यूनिट(टों) को सक्रिय करना होगा। इस प्रयोजन के लिए कंट्रोल यूनिट का "बैलेट" बटन, आपके द्वारा/उस यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा दबाया जायेगा। बैलेट बटन दबाये जाने पर कंट्रोल यूनिट की "बिजी" बत्ती लाल हो जायेगी और साथ ही साथ मतदान कोष्ठ में बैलेट यूनिट पर की "रेडी" बत्ती हरी हो जायेगी। यह इंगित करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बैलेट यूनिट निर्वाचक के चयन अनुसार मतदान के लिए तैयार है।

20.3.2. निर्वाचक, मतदान कोष्ठ में बैलेट यूनिट पर, अपनी पसन्द के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के नाम, फोटोग्राफ और प्रतीक के सामने उपलब्ध "नीले बटन" को दबाकर अपना मत रिकार्ड करेगा। जैसे ही वह बटन दबायेगा बैलेट यूनिट पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के नाम फोटोग्राफ और प्रतीक के सामने स्थित लाल बत्ती जल जायेगी और बैलेट यूनिट की हरी बत्ती बुझ जायेगी। वीवीपीएटी कागज की एक छोटी सी पर्ची मुद्रित करेगा जिस पर उस अभ्यर्थी का नाम, क्रमांक तथा प्रतीक चिन्ह होगा, जिसे मत दिया गया है, यह पर्ची वीवीपीएटी विंडो में 7 सेकण्ड तक दिखाई देगी। उसके बाद यह स्वतः कटकर वीवीपीएटी के ड्राप बॉक्स में गिर जाएगी। साथ ही कंट्रोल यूनिट से बीप ध्वनि भी सुनायी देगी। कुछ ही क्षणों पश्चात बीप ध्वनि और बैलेट यूनिट पर अभ्यर्थी लैम्प की लाल बत्ती और कंट्रोल यूनिट की "बिजी" लैम्प की लाल बत्ती भी बन्द हो जायेगी।

20.3.3. यदि मतदान के समय पर बैलेट यूनिट के कैंडिडेट लैंप के संबंध में कोई शिकायत है तो ईवीएम को वीवीपीएटी सहित तत्काल बदला जाना होगा और मामले की सूचना आयोग को दी जाएगी।

20.3.4. ये दृश्य और श्रव्य संकेत इस बात के द्योतक हैं कि मतदान कोष्ठ में निर्वाचक अपना मत दे चुका है। निर्वाचक को तत्काल मतदान कोष्ठ के बाहर आ जाना चाहिए और मतदान केन्द्र छोड़ देना चाहिए।

- 20.3.5. उपर्युक्त प्रक्रिया सभी निर्वाचकों के संबंध में दोहराई जायेगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान कोष्ठ में मत डालने के लिए एक समय में केवल एक ही निर्वाचक जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन अगले निर्वाचक के लिए तभी दबाया जाये जब पूर्व निर्वाचक मतदान कोष्ठ के बाहर आ जाये।
- 20.3.6. जहाँ वीवीपीएटी का उपयोग किया जा रहा हो वहाँ यदि कोई निर्वाचक नियम 49ए के अधीन अपना मत रिकार्ड कर लेने के बाद यह आरोप लगाता है कि वीवीपीएटी द्वारा सृजित कागज की पर्ची में उस अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक दिखाई नहीं पडा है, जिसके लिए उसने मत डाला था, तब पीठासीन अधिकारी आरोप के संबंध में निर्वाचक से एक लिखित घोषणा (**अनुलग्नक 15**) प्राप्त करेंगे और निर्वाचक को झूठी घोषणा करने के परिणाम की चेतावनी भी देंगे। यदि निर्वाचक उप-नियम (1) में संदर्भित लिखित घोषणा सौंप देता है तब पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में उक्त निर्वाचक के संबंध में एक दूसरी प्रविष्टि करेंगे और निर्वाचक को अपनी तथा अभ्यर्थियों अथवा मतदान अभिकर्ताओं, जो भी उस समय मतदान केन्द्र में उपस्थित हों, की उपस्थिति में वोटिंग मशीन में एक परीक्षण मत डालने की अनुमति देंगे और वीवीपीएटी से निकलने वाली पर्ची को देखेंगे। यदि आरोप सत्य पाया जाता है तब पीठासीन अधिकारी तत्काल रिटर्निंग ऑफिसर को तथ्यों की सूचना देंगे और उस मशीन से आगे मतदान रोक देंगे एवं रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे।
- 20.3.7. तथापि, यदि आरोप झूठा पाया जाता है और उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार से सृजित कागज पर्ची का मिलान निर्वाचक द्वारा डाले गए उप नियम (2) के अधीन परीक्षण मत से हो जाता है, तब पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में उक्त निर्वाचक से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के सामने उस अभ्यर्थी की क्रम संख्या और नाम का उल्लेख करेंगे जिसके पक्ष में परीक्षण मत डाला गया था और उन टिप्पणियों के सामने निर्वाचक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करेंगे और प्ररूप 17ग के भाग-1 की मद 5 में उक्त परीक्षण मत के बारे में आवश्यक प्रविष्टियां करेंगे।

20.4. डाले गये मतों की संख्या का आवाधिक रूप से मिलान करना

- 20.4.1. किसी भी समय, यदि उस समय तक डाले गये मतों की कुल संख्या अभिनिश्चित की जानी हो तो कंट्रोल यूनिट का “टोटल” बटन दबाया जाना चाहिए। तब कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले (प्रदर्शन) पैनल उस समय तक डाले गये कुल मतों की संख्या दर्शायेगा। ऐसा आवाधिक रूप से किया जाना चाहिए और उसका मिलान मतदाताओं के रजिस्टर में यथा प्रदर्शित उस समय तक मत देने के लिए अनुमति प्राप्त निर्वाचकों की संख्या से करना चाहिए।

20.4.2. किसी भी स्थिति में, आपको प्रत्येक दो घण्टे के अन्तराल के दौरान डाले गए मतों की संख्या का पता लगाना चाहिए तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी के संबंधित स्तम्भों में, डाले गये मतों की संख्या अभिलिखित करनी चाहिए। 'टोटल' बटन को केवल तभी दबाना चाहिए जब "बिजी" बत्ती चालू न हो अर्थात् केवल, मत देने के लिए अनुमत निर्वाचक के द्वारा अपना मत रिकार्ड कर देने की अनुमति दे दी गई हो पश्चात और अगले निर्वाचक का बैलेट बटन दबाकर मत देने के लिए अनुमति देने के पूर्व। अन्यथा 'डिस्प्ले पैनेल' पर उस समय तक डाले गये मतों की कुल संख्या नहीं दिखेगी।

20.5. मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में पीठासीन अधिकारी को प्रवेश करने का अधिकार

20.5.1. जब कभी आपको इस बारे में कोई संदेह हो या यह संदेह करने का कारण हो कि पर्दायुक्त मतदान कोष्ठ में रखी गई बैलेट यूनिट ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है, या निर्वाचक जिसने मतदान कोष्ठ में प्रवेश किया है, बैलेट यूनिट से छेड़छाड़ कर रहा है, या चिन्ह/नाम/बैलेट बटन पर कागज या टेप चिपका रहा है या अनुचित रूप से लम्बी अवधि तक मतदान कोष्ठ में रुका हुआ है तो आपको ऐसे मामलों में नियम 49त के अधीन बैलेट यूनिट (मतपत्र इकाई) के निरीक्षण के लिए मतदान कोष्ठ में प्रवेश करने और ऐसे कदम उठाने का अधिकार है जो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जा सकता है कि बैलेट यूनिट से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है या उसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है और मतदान निर्बाध गति से और व्यवस्थित रूप से चल रहा है। परन्तु आपको इस संबंध में सावधान रहना होगा कि जब आप यह ध्यान रखें कि मतदान कोष्ठ में प्रवेश करते हैं आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में करना चाहिए।

20.5.2. हालाँकि, अशिक्षित मतदाताओं को ईवीएम का उपयोग करने के बारे में समझाने के लिए मतदान के समय आप मतदान कोष्ठ में प्रवेश न करें। जिला निर्वाचन अधिकारियों को अनुदेश दिया गया है कि वे एक कार्डबोर्ड (वास्तविक आकार) पर ईवीएम बैलेटिंग यूनिट के मुद्रित नमूने पीठासीन अधिकारी को अन्य मतदान सामग्रियों के साथ डिस्पैच करते समय मुहैया कराएं। इस प्रकार की मॉडल बैलेट यूनिट प्रिंट करते समय वह ध्यान रखेगा कि केवल 'डमी नाम' एवं 'डमी प्रतीक' जो कि उपयोग में न हो वही अंकित होना चाहिए तथा वास्तविक नाम एवं प्रतीक का उपयोग न हो। इन्हें रंगों में मुद्रित किया जाएगा ताकि "नीला बटन", "हरी बत्ती" और "लाल बत्ती" आदि स्पष्ट रूप से दिखें। जब भी कोई निर्वाचक मदद मांगता है या ईवीएम का उपयोग करके मत देने में असमर्थता व्यक्त करता है, तो आप उसे ईवीएम बैलेट यूनिट के कार्डबोर्ड मॉडल

का उपयोग करके मतदान प्रक्रिया को इस तरह से समझा सकते हैं कि निर्वाचक समझने में सक्षम हो। यह प्रक्रिया मतदान कोष्ठ के बाहर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में समझायें न कि मतदान कोष्ठ के अंदर। आप या आपके मतदान दल का कर्मी बार-बार मतदान कोष्ठ में प्रवेश न करें इससे शिकायत का मौका मिल सकता है।

21. निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना

21.1. मतदान प्रक्रिया का कड़ाई से निरीक्षण करना

21.1.1. ऐसा प्रत्येक निर्वाचक जिसे मत देने की अनुमति दी गई है, से मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। उसे अध्याय 20 में उल्लेखित मतदान प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

21.2. मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इंकार

21.2.1. यदि कोई निर्वाचक आपके द्वारा चेतावनी देने के पश्चात भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इंकार करे तो आप या आपके निर्देशाधीन कोई मतदान अधिकारी ऐसे निर्वाचक को, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम-49ड के अधीन मत देने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। यदि उस निर्वाचक को निर्वाचक पर्ची पहले से ही जारी कर दी गई हो तो ऐसी पर्ची उससे वापस ले लेनी चाहिए और रद्द कर देनी चाहिए।

21.2.2. जहाँ किसी निर्वाचक को मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन करने के कारण मत देने की अनुमति न दी गई हो वहाँ आपके द्वारा, निर्वाचक रजिस्टर (प्ररूप 17क) में 'टिप्पणी स्तम्भ' में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने इस आशय की एक टिप्पणी की जाएगी कि 'मत डालने की अनुमति नहीं दी गई - मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है।' ("Not allowed to vote - Voting procedure violated") आप उस टिप्पणी के नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर भी करेंगे। तथापि, निर्वाचक रजिस्टर के स्तम्भ (1) में उस निर्वाचक या उसके बाद वाले निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा।

22. दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान

- 22.1. यदि आपको लगे कि दृष्टिबाधिता या अन्य शारीरिक विकलांगता के कारण कोई मतदाता, बैलेट यूनिट पर प्रतीक को पहचानने में असमर्थ है या किसी शारीरिक अक्षमता के कारण बिना सहायता के सी यू पर अपनी इच्छानुसार बटन को दबाकर अपना मत रिकार्ड करने में असमर्थ है तो आप, उस निर्वाचक को उसके इच्छानुसार मत रिकार्ड करने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु के किसी सहयोगी को मतदान कोष्ठ में अपने साथ ले जाने के लिए नियम 49ड के अधीन अनुमति दे दें।
- 22.2. स्वयं वोट डालने में अशक्त निर्वाचक जो ईवीएम की बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के अभ्यर्थी का बटन दबाकर मतदान करने में सक्षम हैं, के सहायक को केवल मतदान कोष्ठ तक साथ देने की अनुमति दी जायेगी, मतदान कोष्ठ में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह उन मामलों में लागू होगा जिसमें निर्वाचक को सहायक की आवश्यकता वोट डालने के लिए न होकर मात्र चलने-फिरने के लिये हो। पीठासीन अधिकारी को ऐसे मामले में अपने विवेक से निर्णय लेना होगा।
- 22.3. किसी व्यक्ति को एक ही दिन में किसी भी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के सहयोगी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 22.4. नियम 49ड के उप नियम (1) के अनुसार एक व्यक्ति को एक से अधिक अशक्त निर्वाचकों के सहायक होने का अधिकार नहीं है। मतदान अधिकारियों के द्वारा इस प्रावधान का पालन करने के लिये सहायक को भी अमिट स्याही दाएं हाथ के तर्जनी में लगानी चाहिए। दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही पहले से ही लगी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति को मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सहायक के रूप में अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 22.5. निर्वाचक के अपने सहायक के साथ मतदान कोष्ठ में जाने के पूर्व सहायक की दायें हाथ की तर्जनी की जाँच कर लेनी चाहिए कि कहीं उस पर पहले से स्याही का निशान तो नहीं है। यदि पहले से ही कोई निशान बना हो तो नियम 49ड के तहत ऐसे व्यक्ति को सहायक बनने की अनुमति न दें।
- 22.6. किसी व्यक्ति को सहयोगी के रूप में अनुमति दिए जाने के पूर्व उससे यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह उस निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा रिकार्ड किए जाने वाले मत को गोपनीय रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी अन्य मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है। आप उस सहयोगी से ऐसी घोषणा, **अनुबंध 10** द्वारा उस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा विहित प्ररूप में प्राप्त करेंगे।

- 22.7. नियम 49ड के उप नियम (2) में प्रावधान है कि ऐसे निर्वाचकों जिन्होंने सहयोगी की सहायता से मतदान किया है, से संबंधित प्रकरणों का रिकार्ड प्ररूप 14क में पीठासीन अधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा। ऐसे समस्त प्रकरण जिसमें निर्वाचक के साथ सहयोगी ने भी मतदान कोष्ठ में प्रवेश किया है, उनको रिकार्ड किया जायेगा। ऐसे मामले जिनमें सहायकों ने मतदान कोष्ठ में प्रवेश नहीं किया केवल निर्वाचक को चलते फिरते मतदान कोष्ठ तक पहुँचाने में सहायता की है, उन्हें प्ररूप 14क में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- 22.8. पीठासीन अधिकारी प्ररूप 14-क में ऐसे समस्त मामलों का एक रिकार्ड भी रखेंगे। प्ररूप 14क में दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं के इस रिकार्ड को एक पैकेट जिस पर 'असांविधिक कवर' लिखा होगा, में रखेंगे एवं उसे कलेक्शन सेन्टर में मतदान समाप्ति के बाद जमा कर देंगे।
- 22.9. आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपका कोई भी मतदानकर्मी किसी भी नेत्रहीन निर्वाचक के सहयोगी के रूप में उसकी ओर से मत रिकार्ड नहीं करें।
- 22.10. यह सुनिश्चित करें कि अशक्त/नेत्रहीन निर्वाचक की सहायता कार्य के तुरंत बाद सहायक मतदान केन्द्र से चला जाये।

23. निर्वाचकों का मत न देने का निर्णय

- 23.1. यदि कोई निर्वाचक, निर्वाचक रजिस्टर (प्ररूप 17क) में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या की विधिवत प्रविष्टि करने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगवाने के पश्चात् अपना मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय करता है तो उसी का मत रिकार्ड करने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जायेगा या उसे अपना मत रिकार्ड करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।
- 23.2. निर्वाचक रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने रिमार्क के स्तम्भ में आपके द्वारा इस आशय से एक टिप्पणी लिखी जाएगी कि “मतदान करने से मना किया”। टिप्पणी के नीचे आप अपने पूरे हस्ताक्षर भी करेंगे। नियम 49ण में मद 3 के स्थान पर प्ररूप 17ग के भाग-1 में उन निर्वाचकों के लिए 'मत डाले बिना चले गए या मत डालने से मना किया' लिखा जाएगा जो प्ररूप 17क में हस्ताक्षर करने के बाद मत डाले बिना जाना चाहते हैं।
- 23.3. ऐसी टिप्पणी के सामने निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान भी अभिप्राप्त किया जायेगा।
- 23.4. तथापि, यह आवश्यक नहीं होगा कि निर्वाचक रजिस्टर के स्तम्भ (1) में उस निर्वाचक या किसी अगले निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई भी परिवर्तन किया जाए।
- 23.5. यदि किसी निर्वाचक द्वारा मत डाले जाने के लिए बैलेट यूनिट तैयार करने के लिए कंट्रोल यूनिट का 'बैलेट' बटन दब जाए किन्तु वह मत देने से इंकार करे, तो आप या तृतीय मतदान अधिकारी, जो भी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी तुरन्त ऊपर 23.2 में दिये निर्देशानुसार प्ररूप 17-क में रिमार्क दर्ज कर अगली आवश्यक टिप्पणी को मत देने के लिए मतदान कोष्ठ में जाने का निर्देश दें।
- 23.6. यदि आखिरी निर्वाचक के लिए बैलेट यूनिट (मतपत्र इकाई) तैयार करने हेतु कंट्रोल यूनिट (नियंत्रण इकाई) का 'बैलेट' बटन दबा देने के बाद वह मत देने से इंकार कर दे तो इस स्थिति में आप/तृतीय मतदान अधिकारी, जो भी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी हो, वह कंट्रोल यूनिट के पीछे वाले खण्ड के 'पावर' स्विच को 'ऑफ' (बंद) स्थिति में लाए और वीवीपीएटी को कंट्रोल यूनिट से अलग कर दे। दूसरे चरण में, वीवीपीएटी को कंट्रोल यूनिट से अलग करने के बाद 'पावर' स्विच को पुनः चालू (ऑन) करे। अब 'बिज़ी' लैम्प बंद हो जायेगा और मतदान बंद करने के लिए 'क्लोज' बटन क्रियाशील हो जायेगा और यदि इस पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता तो 'क्लोज' बटन काम नहीं करेगा और कंट्रोल यूनिट को बंद किये बिना परिणाम नहीं मिलेगा क्योंकि 'रिजल्ट बटन' तभी काम करेगा जब 'क्लोज' बटन को दबाया जायेगा।

24. निर्वाचन इयूटी पर रहने वाले लोक सेवकों द्वारा मतदान

- 24.1. आयोग ने नीतिगत रूप में यह निर्णय लिया है कि किसी भी व्यक्ति को उस विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचन केन्द्र में मतदान इयूटी नहीं दी जायेगी जिसमें वह पदस्थ है, अथवा जिसमें वह निवासरत है या वह निर्वाचन क्षेत्र उसका गृह नगर है। निर्वाचन इयूटी पर पदस्थ अन्य सभी लोक सेवकों का डाक मतपत्र प्रणाली से वोट देने का विकल्प है। इस प्रयोजनार्थ उन्हें प्ररूप 12 में रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन करना होगा।
- 24.2. जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति करते हुए दो प्रतियों में आदेश जारी करेंगे और; इस आदेश के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर आपको प्ररूप 12 की पर्याप्त प्रतियाँ भेजेंगे ताकि आप तथा मतदान अधिकारी डाक मतपत्र हेतु आवेदन कर सकें।
- 24.3. आपको नियुक्ति आदेश की दूसरी प्रति के साथ आवेदन पत्र (प्ररूप 12) तत्काल भरकर भेजना होगा इसे रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगा। प्ररूप 12 मतदान स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं के समय भी जमा करवाया जा सकता है। मतदान स्टाफ के लिए डाक मतपत्र जारी करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर उनके मतदान हेतु सहायता करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण केन्द्र पर ही मत पत्र जमा करने की व्यवस्था करेंगे ताकि आपको डाकघर में उन्हें पोस्ट करने हेतु न जाना पड़े। प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षण कक्षाओं में सुविधा केन्द्रों पर मतदान हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। फिर भी, कुछ प्रकरणों में महिला मतदान अधिकारियों की इयूटी उनके गृह निर्वाचन क्षेत्रों में हो सकती है (जहाँ वे निर्वाचक के रूप में दर्ज हैं)। उस स्थिति में इन्हें ईडीसी (निर्वाचन इयूटी प्रमाण-पत्र) जारी किया जाएगा। उनके मामले में वे उस मतदान केन्द्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करेंगी जहाँ वे निर्वाचन इयूटी पर तैनात होंगी। यदि किसी अन्य कारणवश, उनकी मतदान में इयूटी/रिजर्व इयूटी निरस्त की जाती है/लगने के बाद नहीं होती है तो निर्वाचन इयूटी प्रमाण-पत्र निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उनके नाम के विरुद्ध बनाई जाएगी, उन्हें मतदान करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति निर्वाचन इयूटी पर तैनात चाहे कोई भी निर्वाचन अधिकारी हो या अन्य कोई लोकसेवक, जिसके नाम निर्वाचन इयूटी प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, को अपना मत किसी भी मतदान केन्द्र पर, देने का अधिकार है, एक ऐसे मतदान केन्द्र को छोड़कर जिसमें उसे निर्वाचन इयूटी प्रमाण-पत्र जारी किया गया है परंतु उस मतदान केन्द्र को सम्मिलित करते हुए जिसमें वह मूलतः इयूटी हेतु तैनात था/थी।

24.4. ऐसे ही, आपके पास अपना मत अंकित करने तथा उसे रिटर्निंग ऑफिसर के पास मतगणना के पर्याप्त समय पूर्व वापस करने के लिए समय न हो। विधि अनुसार निर्वाचन इयूटी पर डाक मतपत्र से मत देने हेतु आवेदन, निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के कम से कम सात दिनों पूर्व या ऐसी कम समयावधि, जैसा कि रिटर्निंग ऑफिसर, के भीतर किया जाना अपेक्षित है।

25. परोक्षी द्वारा मतदान

- 25.1. सेवा मतदाताओं की कुछ श्रेणियों को उनके द्वारा नियुक्त परोक्षी के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी गई है। वे सेवा निर्वाचक जिन्होंने परोक्षी निर्वाचक नियुक्त किये हैं, का श्रेणीकरण 'वर्गीकृत सेवा मतदाता' (सीएसवी) के रूप में किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर आपके मतदान केन्द्र के लिए आपको 'वर्गीकृत सेवा मतदाता' की एक सूची यदि ऐसी कोई है, उपलब्ध कराएंगे जिनके लिए उनके द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी आपके केन्द्र में मतदान करेंगे। सी एस वी की इस सूची को आपके मतदान केन्द्र हेतु निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का भाग माना जाएगा।
- 25.2. प्रॉक्सी, वर्गीकृत सेवा मतदाता की ओर से मत उसी प्रकार देंगे जैसा कि अन्य निर्वाचक मतदान केन्द्र पर करते हैं। प्रॉक्सी के मामले में पहचान आदि की प्रक्रिया भी लागू होगी और वह अन्य सामान्य निर्वाचन के मामले में उनके परोक्षी के समान होगी। यद्यपि, यह ध्यान में रखा जाए कि परोक्षी के मामले में, परोक्षी के बायें हाथ की माध्यमा उंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। परोक्षी जिसका नाम पंजीकृत निर्वाचक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र में सामान्यतः दर्ज है, वर्गीकृत सेवा मतदाता की ओर से मतदाता की ओर से मत देने के अतिरिक्त स्वयं के नाम से भी मतदान देने का हकदार होगा।
- 25.3. परोक्षी मतदाताओं के संबंध में निर्वाचकों के रजिस्टर (प्ररूप 17क) के द्वितीय स्तम्भ में दर्ज निर्वाचक का क्रमांक आपके मतदान केन्द्र पर वर्गीकृत सेवा निर्वाचक की उप-सूची में दिए गए परोक्षी निर्वाचक के संबंध में दिया गया क्रमांक होगा। फिर भी निर्वाचक नामावली की मुख्य चिह्नित प्रति में क्रमांक का अंतर मालूम करने हेतु शब्द 'पीवी' ('परोक्षी मतदाता' के लिए) कोष्टक में दर्ज कर दिया जाए। उदाहरणार्थ, वर्गीकृत निर्वाचक की उपसूची के क्रमांक 1 के समक्ष परोक्षी निर्वाचक को प्रदर्शित करने हेतु, रजिस्टर प्ररूप 17क के स्तम्भ 2 में क्रमांक '1 (पीवी)' होगा, वर्गीकृत सेवा निर्वाचक की उपसूची से क्रमांक 5 का प्रॉक्सी निर्वाचक 5 (पीवी) आदि होगा।

26. निविदत्त मत

26.1 निविदत्त मत

26.1.1. ऐसा संभव है कि कोई भी व्यक्ति अपने आपको कोई विशेष निर्वाचक में बताते हुए मत देने हेतु मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो और आपको यह पता चले कि उस मतदाता का मत पूर्व में ही कोई व्यक्ति डालकर जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप संबंधित निर्वाचक की पहचान के बारे में स्वयं पुष्टि करेंगे। यदि आप उससे उसकी पहचान के बारे में पूछे गए प्रश्नों के जवाब और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से संतुष्ट हैं तो आप संबंधित निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने की अनुमति देंगे न कि वोटिंग मशीन द्वारा। इस प्रकार के मत को निविदत्त मत कहा जाता है।

26.2 निविदत्त मत पत्र का डिजाइन

26.2.1. नियम 49(ड) के अंतर्गत निर्वाचन आयोग ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि निविदत्त मतपत्र का डिजाइन मतपत्र के समान होगा, जो मतदान केन्द्र पर वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट पर प्रदर्शन हेतु प्रयोग किया जाएगा।

26.2.2. इसलिए, रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक मतदान केन्द्र को 20 अतिरिक्त निविदत्त मतपत्र उपलब्ध कराएगा, जिसे उसने मतदान मशीनों की बैलेट यूनिट में उपयोग के लिए मुद्रित किया है, जिसका उपयोग निविदत्त मतपत्र के रूप में किया जाना है। यदि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किसी मतदान केन्द्र को कोई अतिरिक्त मतपत्र उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाये (अर्थात् यदि निविदत्त मत की संख्या 20 से अधिक है) तो उन्हें संबंधित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उस मतदान केन्द्र के जोनल प्रभारी अधिकारी के माध्यम से, उपलब्ध करवा जाएगा।

26.2.3. उस निर्वाचक को निविदत्त मत पत्र सौंपने से पहले, जिसने खुद को आपके मतदान केंद्र पर वास्तविक निर्वाचक के रूप में प्रस्तुत किया है, पीठासीन अधिकारी इन मतपत्रों के पीछे 'निविदत्त मतपत्र' शब्द लिखा जाना चाहिए। यदि ये शब्द वहाँ पहले से ही मुद्रित नहीं हो, और उन्हें यदि आवश्यक हो, निविदत्त मतपत्रों के रूप में जारी करेंगे।

26.3. निविदत्त मत पत्रों का लेखा

26.3.1. आप प्ररूप 17ग के भाग 1 के मद 9 में - (i) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग के लिए प्राप्त किये गये, (ii) निर्वाचकों को उस रूप में जारी किये गये, और (iii) अप्रयुक्त और लौटाये गये ऐसे समस्त मतपत्रों का सही लेखा-जोखा रखेंगे।

26.4. उन मतदाताओं का रिकॉर्ड जिन्हें निविदत्त मत पत्र जारी किये गये

26.4.1. आप उन निर्वाचकों का भी पूरा रिकार्ड रखेंगे जिन्हें प्रारूप 17ख में निविदत्त मतपत्र जारी किये गये हैं। आप निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र देने के पूर्व उस प्ररूप के स्तम्भ (5) में उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी अभिप्राप्त करेंगे।

26.4.2. निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र देते समय उसे स्याही लगी हुई एरो क्रास मार्क रबर की स्टाम्प भी दी जायेगी। यह मुहर वैसी ही है जो परम्परागत पद्धति के मतपत्रों और मतपेटियों के उपयोग में मतपत्रों पर चिन्ह लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। यह स्टाम्प मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए मतदान सामग्री के साथ दी जायेगी।

26.4.3. निविदत्त मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात संबंधित मतदाता, मतदान कोष्ठ में उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके पास में जिसमें वह मत देने का आशय रखता है एरो क्रास मार्क रबर की मुहर से क्रास मार्क करके अपने मत को चिन्हित करेगा।

26.4.4. तब निर्वाचक निविदत्त मतपत्र को मोड़ेगा और मतदान कोष्ठ से बाहर आने के पश्चात आपको सौंप देगा।

26.4.5. आप समस्त निविदत्त मतपत्रों को उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कराये गये कवर में (प्रारूप 17ख में तैयार) की गई सूची के साथ रखेंगे और मतदान सम्पन्न होने पर कवर को सील कर देंगे।

26.4.6. यदि नेत्रहीन या अशक्त निर्वाचक बिना सहायता के अपना मत रिकार्ड करने में असमर्थ हो तो पीठासीन अधिकारी, अध्याय-22 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार उसे अपने साथ एक साथी को ले जाने की अनुमति देगा।

27. दंगे, बूथ पर कब्जे इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन/रोका जाना

27.1. दंगे इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन

27.1.1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 57(1) के अधीन किसी मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी को निम्नलिखित कारणों से मतदान को स्थगित करने का अधिकार दिया जाता है:-

27.1.1.1. किसी प्राकृतिक विपत्ति जैसे बाढ़, भारी हिमपात, भीषण तूफान और इसी प्रकार के अन्य विपदा, या

27.1.1.2. आवश्यक मतदान सामग्री जैसे मतदान मशीन, निर्वाचक नामावली की अभिप्रमाणित प्रति और इसी तरह की अन्य सामग्री का प्राप्त न होना, खो जाना या नष्ट हो जाना, या

27.1.1.3. मतदान केन्द्र पर शान्ति भंग होना, जिससे मतदान करवाना असंभव हो जाये; या

27.1.1.4. मतदान दल के रास्ते में बाधा या गंभीर कठिनाई आने के कारण मतदान दल का मतदान केन्द्र पर नहीं पहुँचना; या

27.1.1.5. कोई अन्य पर्याप्त कारण।

27.1.2. यदि कोई दंगा हो जाए या हिंसा भड़काने का कोई प्रयास किया जाये, तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस बल का उपयोग करें। तथापि, यदि उसे नियंत्रण न किया जा सके और मतदान को जारी रखना असंभव हो, तो आपको मतदान स्थगित कर देना चाहिए। जैसा की ऊपर बताया गया है, यदि किसी प्राकृतिक विपत्ति या अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना असंभव हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी मतदान स्थगित कर दिया जाना चाहिए। वर्षा की हल्की फुल्की बौछारें या तेज आंधी सामान्यतः मतदान को स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होंगे। मतदान स्थगित करने का जो विशेषाधिकार आपको दिया गया है उसका प्रयोग आप और केवल उन्ही मामलों में करें जहाँ मतदान कराना वस्तुतः असंभव हो गया है। आयोग ने हालाँकि यह निश्चय किया है कि मतदान का स्थगन उन मतदान केन्द्रों पर हो सकता है जहाँ प्रथम दो घण्टों में मतदान शुरू नहीं हो पाया है।

- 27.1.3. मतदान स्थगन के प्रत्येक मामले में आप रिटर्निंग ऑफिसर को संपूर्ण तथ्यों के बारे में तत्काल रिपोर्ट करें। जहाँ-कहीं मतदान स्थगित हो गया हो वहाँ आप सभी उपस्थित व्यक्तियों को औपचारिक रूप से घोषणा करके सूचित कर दें कि मतदान के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा बाद में अधिसूचित किया जायेगा।
- 27.1.4. आप मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वोटिंग मशीन की दोनों यूनिटों, वीवीपीएटी और समस्त निर्वाचन पत्रों को सील कर दें तथा सुरक्षित रख दें मानों कि मतदान सामान्य रूप से सम्पन्न हो गया हो।

27.2. स्थगित मतदान को पूर्ण किया जाना

- 27.2.1. लो.प्र. अधिनियम 1951 की धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन, जहाँ किसी मतदान केन्द्र पर मतदान स्थगित हो चुका है वहाँ स्थगित मतदान जिस स्तर पर स्थगन से ठीक पूर्व छोड़ गया था उससे आगे निर्वाचन आयोग द्वारा नियत तारीख और समय पर पुनः करवाया जायेगा अर्थात् जिन निर्वाचकों ने स्थगित मतदान के पूर्व मतदान नहीं किया है उन्हें ही स्थगित मतदान में मत देने की अनुमति दी जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर, उस मतदान केन्द्र जहाँ ऐसा स्थगित मतदान होना है, के पीठासीन अधिकारी को निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से युक्त सीलबंद पैकेट और प्रारूप 17क में मतदाताओं का रजिस्टर जो उस मतदान केन्द्र पर पूर्व में प्रयुक्त हुये थे तथा एक नयी वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी प्रदान करेगा।
- 27.2.2. स्थगित मतदान पुनः प्रारम्भ कराये जाने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से युक्त सीलबंद पैकेट और मतदाताओं का रजिस्टर, वहाँ उपस्थित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं, के समक्ष पुनः खोला जाना चाहिए और निर्वाचक नामावली की उसी चिन्हित प्रति और मतदाताओं के रजिस्टर का स्थगित मतदान में प्रयोग किया जाना चाहिए।
- 27.2.3. नियम 28 और 49क से 49प तक के अनुलग्नक, किसी स्थगित मतदान के संचालन पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे इस प्रकार स्थगित होने के पूर्व के मतदान पर लागू थे।
- 27.2.4. जहाँ मतदान दल के नहीं पहुँचने या अन्य कारणों से मतदान प्रारम्भ नहीं किया जा सका हो वहाँ ऊपर उल्लेखित नियमों के उपबन्ध, प्रत्येक ऐसे स्थगित मतदान पर वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे मूल मतदान पर लागू होते हैं।

27.3. ईवीएम खराब होने, बूथ पर कब्जा करने इत्यादि के कारण मतदान को रोका जाना

- 27.3.1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 और 58क के अधीन निर्वाचन आयोग को किसी मतदान केन्द्र पर मतदान को अमान्य घोषित करने और नये मतदान का निदेश देने के लिए शक्ति दी गई है, यदि उस मतदान केन्द्र पर -
- 27.3.1.1. कोई अनधिकृत व्यक्ति अवैध रूप से किसी वोटिंग मशीन को उठाकर ले जाये, या
 - 27.3.1.2. कोई भी वोटिंग मशीन दुर्घटनावश या साशय नष्ट कर दी गई हो या खो गयी हो या क्षतिग्रस्त हो गयी हो या उसमें छेड़-छाड़ कर दी गयी हो और उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम उस कारणवश अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, या
 - 27.3.1.3. किसी वोटिंग मशीन में मतों को रिकार्ड करते समय कोई तकनीकी खराबी आ गयी हो, या
 - 27.3.1.4. प्रक्रिया में कोई ऐसी भूल या अनियमितता हो गयी हो, जिससे मतदान के विकृत होने की संभावना हो, या
 - 27.3.1.5. बूथ पर कब्जा हो गया हो (उक्त अधिनियम की धारा 135क में यथा-परिभाषित)।
- 27.3.2. यदि ऐसी कोई घटना आपके मतदान केन्द्र पर घटित हुई हो तो आपको इसके पूरे तथ्यों की रिपोर्ट तत्काल रिटर्निंग ऑफिसर को देनी चाहिए जो तत्काल इस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को इसके निदेशों के लिए भेज देगा।
- 27.3.3. यदि आयोग समस्त तात्त्विक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात किसी मतदान केन्द्र पर नये मतदान कराये जाने का निदेश दे तो ऐसा नया मतदान उसी रीति से कराया जायेगा जैसे मूल मतदान हुआ है। आपको इस संबंध में आरओ से निर्देश मिलेंगे।
- 27.3.4. प्रश्नगत मतदान केन्द्र पर मत देने हेतु पात्र सभी निर्वाचक, नये मतदान पर पुनः मत देने हेतु पात्र होंगे। मूल मतदान में लगाए गए अमिट स्याही के चिन्ह पर नये मतदान के समय ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। आयोग ने निदेश दिया है कि नये मतदान के समय अमिट स्याही के चिह्न के निर्वाचक के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली पर लगाया जाना चाहिए ताकि नये मतदान के समय लगाए गए चिन्ह और मूल मतदान के समय पहले से लगे चिन्ह में भेद किया जा सके।

27.4. बूथ पर कब्जा करने पर मतदान मशीन को बंद किया जाना

- 27.4.1. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 49व में यह उपबन्ध है कि जहाँ किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि मतदान केन्द्र के बूथ पर कब्जा किया जा रहा है तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे और मत रिकार्ड नहीं किये जा सकें, वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट को तत्काल बंद कर देगा और वह कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट (यूनिटों) को अलग कर देगा।
- 27.4.2. आपको उपर्युक्तानुसार वोटिंग मशीन बन्द किये जाने की कार्यवाही केवल तभी करनी चाहिए जब आपको यह निश्चित हो जाये कि बूथ पर कब्जा किया जा रहा है केवल बूथ पर कब्जे की संभावना की आशंका या संदेह होने पर क्लोज बटन नहीं दबाना है। यह इसलिए है क्योंकि जब एक बार 'क्लोज' बटन दबाकर कंट्रोल यूनिट को बन्द कर दिया जाता है तो मतदान मशीन आगे कोई ओर मत रिकार्ड नहीं करेगी और मतदान या तो उस दिन के लिए या उस मतदान केन्द्र पर मतदान हेतु आपको नयी मशीन उपलब्ध करवाए जाने तक अस्थायी रूप से अनिवार्यतः स्थगित हो जाएगा।
- 27.4.3. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49व के अधीन आपके द्वारा वोटिंग मशीन बन्द करने के पश्चात् जितनी जल्दी संभव हो आपको पूरे तथ्यों सहित मामले की सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को करनी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे मामले के पूरे तथ्यों की रिपोर्ट संचार के सबसे तीव्र उपलब्ध माध्यम से निर्वाचन आयोग को देगा।
- 27.4.4. निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और समस्त तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए-
- 27.4.4.1. या तो नयी वोटिंग मशीन उपलब्ध कराते हुए स्थगित मतदान को उस स्तर, जिस पर इसे स्थगित किया गया था, से पूर्ण करवाने का निश्चय कर सकता है यदि यह समाधान हो जाये कि मतदान उस स्तर तक बाधित नहीं हुआ था।
- 27.4.4.2. उस मतदान केन्द्र पर मतदान को अमान्य घोषित कर सकता है और उस मतदान केन्द्र पर नये मतदान का निदेश दे सकता है यदि यह समाधान हो जाये कि मतदान दूषित हो गया था।
- 27.4.5. जहाँ मतदान, ऊपर पैरा 27.4.1 के अधीन वोटिंग मशीन बन्द करके उस दिन के लिए स्थगित/रोक दिया है वहाँ वोटिंग मशीन और समस्त निर्वाचन दस्तावेज उसी रीति से मुहर बन्द और सुरक्षित रखे जायेंगे जैसे मतदान के समापन पर।

27.4.6. आयोग के निर्देशानुसार स्थगित मतदान को पूर्ण कराने या, यथास्थिति, नया मतदान कराने के लिए अग्रिम कदम पहले से ही उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार उठाए जाएंगे।

28. मतदान की समाप्ति

28.1. मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान

- 28.1.1. मतदान इस प्रयोजन के लिए नियत समय पर बन्द कर दिया जाना चाहिए चाहे वह किसी अपरिहार्य कारण से मतदान प्रारम्भ होने के नियत समय से कुछ समय पश्चात ही क्यों न प्रारंभ हुआ हो। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के बाद किसी निर्वाचक को अपना मत नहीं डालने दिया जाएगा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि मतदान बन्द करने के लिये नियत समय पर मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी निर्वाचकों को अपना मत देने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे मामले में, मतदान नियत समाप्ति समय के बाद भी कुछ समय के लिए तब तक जारी रखना है जब तक कि सभी द्वारा मतदान न कर दिया जाए।
- 28.1.2. मतदान समाप्त करने के लिए नियत समय के कुछ मिनट पूर्व उन सभी व्यक्तियों के समक्ष जो मत देने के लिए मतदान केन्द्र की सीमा के अन्दर प्रतीक्षा कर रहे हों, आप यह घोषणा कर दें कि उन्हें बारी-बारी से अपना मत दर्ज करने की अनुज्ञा दी जायेगी। ऐसे समस्त निर्वाचकों को आप अपने द्वारा पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित पर्ची वितरित कर दें जो उस समय पंक्ति में खड़े निर्वाचकों की संख्या के अनुसार क्रम संख्या 1 से आगे क्रमवार संख्यांकित होनी चाहिए। मतदान समाप्ति के नियत समय के पश्चात भी आप मतदान तब तक जारी रखें जब तक कि ऐसे समस्त निर्वाचक अपना मत न दे दें। नियत समाप्ति समय के पश्चात् कोई भी व्यक्ति पंक्ति में सम्मिलित न हो जाये, इस बात की देखरेख के लिए पुलिस या अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर दें। यह कार्य प्रभावी ढंग से तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जबकि ऐसे समस्त निर्वाचकों को, जो कतार में खड़े हैं, पर्चियाँ (स्लिप) अंतिम निर्वाचक से बांटना प्रारंभ करते हुए पंक्ति की शुरुआत तक बाँट दी जायें।

28.2. मतदान समाप्त करना

- 28.2.1. मतदान समाप्त करने के लिए नियत समय पर मतदान केन्द्र में उपस्थित समस्त निर्वाचकों द्वारा पूर्ववर्ती पैरा के अनुसार मत दिए जाने के पश्चात् आपको मतदान की समाप्ति की औपचारिक घोषणा कर देनी चाहिए और तदुपरांत किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को मत देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- 28.2.2. सभी पीठासीन अधिकारी मतदान की समाप्ति पर वहाँ उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में 'क्लोज' बटन दबाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद करेंगे। जब

‘क्लोज’ बटन दबाया जाता है तब कंट्रोल यूनिट पर का डिस्प्ले पैनल, मतदान के अंत तक वोटिंग मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या (परंतु अभ्यर्थी-वार गणना नहीं) प्रदर्शित करेगा। मशीन में रिकार्ड मतों की कुल संख्या प्ररूप 17ग के भाग 1 की मद 6 में तत्काल नोट की जानी चाहिए। ‘क्लोज’ बटन कम्पार्टमेंट में उसके बाहरी आवरण की बायीं तरफ रबर कैप के नीचे रिजल्ट सेक्शन के कम्पार्टमेंट में उपलब्ध है और रबर कैप को खींचने मात्र से इस तक पहुँचा जा सकता है। रबर कैप को, ‘क्लोज’ बटन दबाये जाने और मतदान बंद किए जाने के पश्चात बदल दिया जाना चाहिए।



- 28.2.3. ‘क्लोज’ बटन को एक बार दबाये जाने के पश्चात् वोटिंग मशीन आगे और कोई मत स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए ‘क्लोज’ बटन दबाने के पूर्व आपको इस बात के प्रति अत्यन्त सावधान और पूरी तरफ निश्चित होना चाहिए कि मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय पर उपस्थित कोई भी निर्वाचक, मत देने से वंचित नहीं रह जाए।
- 28.2.4. आपको यह भी नोट करना चाहिए कि ‘क्लोज’ बटन केवल तभी कार्य करेगा जब कंट्रोल यूनिट पर ‘बिजी’ लैम्प चालू न हो, अर्थात् मत देने के लिए अनुज्ञात अन्तिम निर्वाचक द्वारा अपना मत रिकार्ड कर लिया हो (बैलेटिंग यूनिट पर नीले बटन को दबाकर)। अन्तिम निर्वाचक द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात भूलवश ‘बैलेट’ बटन दबाये जाने के कारण या ऐसे अंतिम निर्वाचक द्वारा ‘बैलेट’ बटन दबाये जाने के पश्चात् अपना मत रिकार्ड कराने से इंकार करने के कारण यदि ‘बिजी’ लैम्प चालू (ऑन) हो जाता है तो ‘बिजी’ लैम्प को कंट्रोल यूनिट के पिछले कम्पार्टमेंट के ‘पावर’ स्विच को बंद करके और कंट्रोल यूनिट से वीवीपीएटी का संबंध विच्छेद करके बंद किया जा सकता है। कंट्रोल यूनिट से वीवीपीएटी का संबंध विच्छेद करने के पश्चात ‘पावर’ को दोबारा चालू (ऑन) पर सेट किया जाना चाहिए। अब ‘बिजी’ लैम्प बुझ जायेगा और ‘क्लोज’ बटन क्रियाशील हो जायेगा।
- 28.2.5. मतदान की समाप्ति के समय पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति की तिथि एवं समय, जो कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित हो, पीठासीन अधिकारी की डायरी में नोट करेगा।

28.2.6. उसके बाद आपको कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को बंद (ऑफ) स्थिति में करना है तथा वीवीपीएटी को कंट्रोल यूनिट से डिस्कनेक्ट करना है।



28.2.7. बैलेटिंग यूनिट (यूनिटों) और वीएसडीयू (यदि वीवीपीएटी से संबंध है) को भी वीवीपीएटी से डिस्कनेक्ट करना।

28.2.8. पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में अंतिम प्रविष्टि के बाद मतदान की समाप्ति पर एक सीधी रेखा खींच देंगे और उसके बाद अपना हस्ताक्षरित विवरण कि 'प्रारूप 17क में अंतिम प्रविष्टि की क्रम संख्याहै', रिकार्ड करेंगे तथा इस विवरण के नीचे वहाँ उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेंगे।

29. रिकार्ड किये गये मतों का लेखा

29.1. रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करना

- 29.1.1. मतदान की समाप्ति के पश्चात् आपसे निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49भ के अधीन वोटिंग मशीन में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा, डुप्लीकेट प्रति में, तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। आपके द्वारा ऐसा लेखा प्ररूप 17ग के भाग 1 में तैयार किया जाएगा।
- 29.1.2. जैसा कि पूर्ववर्ती अध्याय में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है मतदान की समाप्ति पर वोटिंग मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या 'क्लोज' बटन दबाकर अभिनिश्चित की जायेगी। यदि आवश्यक हो तो अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए उस बटन को दोबारा दबाया जा सकता है।
- 29.1.3. आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि वोटिंग मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या, निर्वाचक रजिस्टर (प्ररूप 17क) के स्तम्भ (I) के अनुसार पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या घटा उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया (उस रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तम्भ के अनुसार) और घटा मतदान की गोपनीयता/अभ्युक्ति का उल्लंघन करने पर आपके द्वारा मत देने की अनुमति नहीं दिये गये मतदाताओं की संख्या (उक्त रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तम्भ के अनुसार) के समान अवश्य होनी चाहिए। परीक्षण वोट यदि डाले गए हों तो नियम 49दक (घ) के अनुसार प्ररूप 17ग के भाग - I की क्रम सं.5 में उल्लेखित करना आवश्यक है।
- 29.1.4. प्ररूप 17ग **अनुलग्नक 11** पर आपके मार्गदर्शनार्थ दिया गया है।
- 29.1.5. प्ररूप 17ग में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा, आपके द्वारा एक पृथक लिफाफे में जिसके ऊपर इसमें 'रिकार्ड किये गये मतों का लेखा' शब्द लिखे गए हों, में रखा जाना चाहिए।

29.2. मतदान अभिकर्ताओं को रिकार्ड किये गये मतों के लेखे की अनुप्रमाणित प्रतियों का दिया जाना

- 29.2.1. आपसे उक्त नियम 49भ के अधीन, मतदान की समाप्ति पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को, प्ररूप 17ग में आपके द्वारा तैयार किये गये अभिलिखित (रिकार्ड) मतों के लेखे की अनुप्रमाणित सत्य प्रति, उन मतदान अभिकर्ताओं से पावती प्राप्त करने के पश्चात्, देने की भी अपेक्षा की जाती है। उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को, यहाँ

तक कि उसके द्वारा बिना कहे जाने पर भी, लेखे की प्रति दी जानी चाहिए। प्ररूप 17ग की मूल प्रति वोटिंग मशीन के साथ संग्रहण केन्द्र (स्ट्रॉग रूम) में जमा की जानी चाहिए। प्ररूप 17ग की डुप्लीकेट प्रति भी संग्रहण केंद्र पर जमा करनी होगी।

29.2.2. प्ररूप 17ग में रिकार्ड किये गये मतों के लेखे की अपेक्षित संख्या में प्रतियां तैयार करने में आपको समर्थ बनाने के लिए आपको मुद्रित प्ररूप (प्ररूप 17ग) की उतनी प्रतियां जितने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है, के साथ मूल लेखे के लिए एक या दो और प्रतियां जोड़कर दी जायेंगी। यदि संभव हो तो मूल लेखे में प्रविष्टियां भरते समय आपके द्वारा कार्बन पेपर की सहायता से अपेक्षित संख्या में प्रतियां तैयार की जानी चाहिए ताकि मतदान अभिकर्ताओं को दी गयी ऐसी समस्त प्रतियां और मूल लेखे की प्रति सभी दृष्टियों से एक समान हों।

29.2.3. लोकसभा एवं विधानसभा राज्य के निर्वाचन साथ-साथ होने की दशा में यह नोट किया जाना चाहिए कि प्ररूप 17ग में रिकार्ड किए गए वोटों का लेखा संसदीय लोकसभा एवं विधानसभा राज्य निर्वाचनों के लिए अलग-अलग तैयार किए जाएं। लोकसभा निर्वाचन के लिए प्ररूप 17ग की प्रतियाँ केवल लोकसभा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं तथा विधानसभा निर्वाचन के लिए प्ररूप 17ग की प्रतियाँ केवल विधानसभा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं को दी जानी चाहिए।

29.3. मतदान की समाप्ति पर की जानी वाली घोषणा

29.3.1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान अभिकर्ताओं को रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखे की प्रतियाँ देने हेतु नियम 49भ की ऊपर उल्लिखित सभी अपेक्षाएँ आपके द्वारा पूरी कर दी गई हैं, मैं आपके द्वारा मतदान की समाप्ति पर भाग III (अनुलग्नक 5) में एक घोषणा की जानी चाहिए।

30. मतदान की समाप्ति के पश्चात ईवीएम एवं वीवीपीएटी का सीलबंद किया जाना

30.1. ईवीएम एवं वीवीपीएटी को सीलबंद करना

- 30.1.1. मतदान समाप्ति और वोटिंग मशीन में 'रिकार्ड किये गये मतों का लेखा' प्रारूप 17ग में तैयार किए जाने तथा उसकी प्रतियां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को दिए जाने के पश्चात वोटिंग मशीन एवं वीवीपीएटी को, सीलबंद एवं सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि इसे मतगणना/संग्रहण केन्द्र तक ले जाया जा सके।
- 30.1.2. वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी को सीलबंद और सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को बंद किया जाना चाहिए और उसके बाद बैलेटिंग यूनिट (यूनिटों), कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपीएटी को डिस्कनेक्ट किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में अंतर्विष्ट पेपर पर्ची अक्षुण्ण रहे। बैलेटिंग यूनिट (यूनिटों), कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को अब वापस उनके संबंधित वहन (केरिड्ग) बक्सों में रख देना चाहिए।
- 30.1.3. तब प्रत्येक वहन (केरिड्ग) बक्से को, ऐसे वहन (केरिड्ग) बक्से के दोनों तरफ इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये दो छिद्रों में से एक धागा गुजार कर, और निर्वाचन, मतदान केन्द्र तथा उसमें अन्तर्विष्ट यूनिट की विशिष्टियां दर्शाते वाले एड्रेस टैग और उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, तारीख एवं मुहर के साथ प्रविष्ट करते हुए दोनों सिरों पर सीलबंद किया जाना चाहिए।



- 30.1.4. कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट और वीवीपीएटी के ऊपर एड्रेस टैग पर की विशिष्टियां वैसी ही होंगी जैसी अध्याय 3 के पैरा 3.2.1 में उल्लिखित हैं। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता जो मतदान केन्द्र में उपस्थित हों और एड्रेस टैग पर अपनी मुहर लगाने के इच्छुक हों, को भी ऐसा करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए।
- 30.1.5. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं, जिन्होंने बैलेट यूनिट(टों), कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी यूनिट के वहन (करिडॉग) बक्सों के एड्रेस टैग पर अपनी मुहर लगायी है, के नाम भी आपके द्वारा उस घोषणा में नोट किए जाने चाहिए, जो आपको मतदान की समाप्ति पर **अनुलग्नक 5** के भाग 4 के IV द्वारा करनी है।

31. निर्वाचन दस्तावेजों का सीलबंद किया जाना

31.1. निर्वाचन दस्तावेजों का पैकेटों में सीलबंद किया जाना

- 31.1.1. मतदान की समाप्ति के पश्चात मतदान से संबंधित सभी निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को नियम 49य निर्वाचन का संचालन, नियम 1961 (अनुलग्नक 2 देखें) द्वारा अपेक्षित पृथक-पृथक पैकेटों में सीलबंद किया जायेगा।
- 31.1.2. मुहरबन्द किये गये सभी पैकेटों को सिवाए उन पैकेटों के जिनमें निम्नलिखित वस्तुएं हो: (i) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सील लेखा (प्ररूप 17ग), (ii) पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के पश्चात की गई घोषणाएं (अनुलग्नक 5), (iii) पीठासीन अधिकारी की डायरी, (iv) दौरा शीट एवं 16 बिन्दु पर्यवेक्षक रिपोर्ट को चार बड़े पैकेट्स में रखा जाए जैसा कि नीचे अनुच्छेद 31.1.3 में दिया गया है तथा रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाए।
- 31.1.3. उन लिफाफों को, जिनमें निम्नलिखित वस्तुएं हो, (i) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सील लेखा, (ii) पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा; और (iii) पीठासीन अधिकारी की डायरी, (iv) दौरा शीट तथा पर्यवेक्षक की 16 बिन्दु का प्रतिवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्र पर वोटिंग मशीन के साथ अलग से प्राप्ति केन्द्र को भेजना चाहिए।
- 31.1.4. आपको ऐसे प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके मतदान अभिकर्ता को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, निम्नलिखित दस्तावेजों से युक्त लिफाफों और पैकेटों पर उनकी मुहर लगाने के लिए अनुज्ञात करना चाहिए:
- 31.1.4.1. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति;
 - 31.1.4.2. मतदाताओं का रजिस्टर;
 - 31.1.4.3. निर्वाचक पर्ची;
 - 31.1.4.4. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 17ख में निविदत्त मतों की सूची;
 - 31.1.4.5. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र;
 - 31.1.4.6. चुनौतीपूर्ण मतों की सूची;
 - 31.1.4.7. बिना प्रयुक्त तथा खराब पेपर सील, यदि कोई हो;
 - 31.1.4.8. मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र; और
 - 31.1.4.9. कोई अन्य पत्र जिन्हें किसी मुहरबन्द पैकेट में रखने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्देश दिया हो।

31.2. सांविधिक, असांविधिक लिफाफों और निर्वाचन सामग्रियों की पैकिंग

31.2.1 सीलबन्द वोटिंग मशीन, वीवीपीएटी, निर्वाचन कागज-पत्रों और अन्य सभी सामग्री को जमा कराने के स्थान पर असुविधा से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप लिफाफों और अन्य सामग्री को नीचे स्पष्ट किये गये अनुसार चार अलग-अलग बड़े पैकेटों में पैक करें और उन्हें उनकी प्राप्ति के लिए नियत स्थान पर सौंप दें।

31.2.2. पहले पैकेट (हरे रंग का) जिसमें अधोलिखित सीलबंद लिफाफे अंतर्विष्ट होने चाहिए और जिनके ऊपर 'सांविधिक लिफाफे' लिखा जाना चाहिए:

31.2.2.1. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति वाला सीलबंद लिफाफा;

31.2.2.2. मतदाता रजिस्टर वाला सीलबंद लिफाफा;

31.2.2.3. मतदाता पर्चियों वाला सीलबंद लिफाफा;

31.2.2.4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा;

31.2.2.5. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्ररूप 17ख की सूची का सीलबंद लिफाफा।

31.2.3. ऊपर वर्णित किसी लिफाफे में रखे जाने के लिए कोई भी विवरण या अभिलेख के 'शून्य' होने की स्थिति में एक पर्ची, जिस पर यह टिप्पणी की जाए कि विवरण या अभिलेख 'शून्य' है, लिफाफे में रखी जाए और इस प्रकार कुल मिलाकर पांच लिफाफे तैयार किए जाएं ताकि प्राप्ति केन्द्र पर प्राप्तिकर्ता अधिकारी को उसके द्वारा प्राप्त सीलबंद लिफाफों में से किसी एक के भी प्रस्तुत नहीं किये जाने के बारे में जाँच करने की आवश्यकता न पड़े।

31.2.4. द्वितीय पैकेट (पीले रंग के) में निम्नलिखित लिफाफे होने चाहिए और उस पर 'असांविधिक लिफाफे' लिखा होना चाहिए:-

31.2.4.1. निर्वाचक नामावली (चिह्नित प्रति से इतर) की प्रति या प्रतियों वाला लिफाफा;

31.2.4.2. प्ररूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों वाला लिफाफा;

31.2.4.3. प्ररूप 12-ख में निर्वाचन इयूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा;

31.2.4.4. प्ररूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची वाला मुहरबंद लिफाफा;

31.2.4.5. प्ररूप 14-क में दृष्टिहीन और अशक्त निर्वाचकों की सूची और साथियों की घोषणाओं वाला लिफाफा;

- 31.2.4.6. निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची वाला लिफाफा;
- 31.2.4.7. अभ्याक्षेपित के संबंध में रसीद बही और नकदी, यदि कोई हो, वाला लिफाफा;
- 31.2.4.8. अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील वाला लिफाफा;
- 31.2.4.9. अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों वाला लिफाफा;
- 31.2.4.10. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग वाला लिफाफा; और
- 31.2.4.11. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील वाला लिफाफा;
- 31.2.5. तीसरे पैकेट (भूरे रंग के) में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए:
 - 31.2.5.1. पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका;
 - 31.2.5.2. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन और वीवीपीएटी मैनुअल;
 - 31.2.5.3. अमिट स्याही सेट प्रत्येक शीशी पर कारगर रूप से पिघली हुई मोमबत्ती या मोम लगाए जाने के साथ उस शीशी पर स्टॉपर कस कर लगाए जाने के साथ ताकि रिसाव या वाष्पण को रोका जा सका;
 - 31.2.5.4. सेल्फ-इंकिंग पैड;
 - 31.2.5.5. पीठासीन अधिकारी की मेटल मुहर;
 - 31.2.5.6. निविदत्त मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए एरो क्रास-मार्क रबर स्टाम्प;
 - 31.2.5.7. अमिट स्याही रखने के लिए कप;
- 31.2.6. अन्य समस्त वस्तुएं, यदि कोई हों, चौथे पैकेट (नीले रंग के) में चैक की जानी चाहिए।

31.3. लिफाफों को सीलबंद करना

- 31.3.1. अपेक्षाकृत छोटे पांच लिफाफों/पैकेटों में से प्रत्येक को, जिसे "सांविधिक लिफाफे" के रूप में चिह्नित पहले पैकेट में शामिल किया जाना है, सीलबंद किया जाना चाहिए। चिह्नित 'असांविधिक लिफाफे' वाले दूसरे, तीसरे और चौथे पैकेटों में सम्मिलित किये जाने वाले विभिन्न असांविधिक कागज-पत्रों और निर्वाचन सामग्री की वस्तुओं वाले अन्य छोटे लिफाफों/पैकेटों को पृथक रूप से तैयार किया जा सकता है किन्तु उन्हें सीलबंद किए जाने की जरूरत नहीं है (प्ररूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची वाले लिफाफे के सिवाय) ताकि समय बचाया जा सके। ये सभी गैर-सीलबंद लिफाफे और प्ररूप 14 में

अभ्याक्षेपित वाली सूची, आपके द्वारा हस्ताक्षरित चैक मेमो के साथ संबंधित केवल अपेक्षाकृत बड़े लिफाफे में रखी जानी चाहिए। इन तीन अपेक्षाकृत बड़े पैकेटों को सीलबंद किए जाने की आवश्यकता नहीं है; लेकिन इन्हें पिन या धागे से अच्छी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि प्राप्ति केन्द्रों में इनमें रखी गई सामग्री की जाँच की जा सके। तथापि, पहला पैकेट, जो 'सांविधिक लिफाफे' के रूप में चिह्नित होता है, को आपके द्वारा प्राप्ति केन्द्र में उसकी अंतर्वस्तुओं की जांच किए जाने के पश्चात् सीलबंद किया जाना चाहिए।

32. डायरी तैयार करना और प्राप्ति केन्द्रों पर मतदान मशीनों तथा निर्वाचन कागज-पत्रों को सुपुर्द करना

32.1. डायरी तैयार करना

- 32.1.1. आपको, मतदान केन्द्र में हुए मतदान से संबंधित कार्यवाही का इस प्रयोजन के लिए रखी गई डायरी में दर्ज करना चाहिए। डायरी का प्रोफार्मा **अनुलग्नक 12** में प्रस्तुत किया गया है। तथापि, आपको डायरी का सम्यक रूप से संख्यांकित प्रोफार्मा दिया जायेगा और आपको केवल वही प्रोफार्मा उपयोग में लाना चाहिए।
- 32.1.2. ज्यों-ज्यों संगत घटनाएं घटती जाएं वैसे-वैसे आप उन्हें डायरी में लिखते जायें। आपको उसमें सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए। डायरी में घटनाएँ लिखते समय आपको सावधान रहना चाहिये। यदि मतदान केन्द्र में कोई ऐसी घटना घटती है जो आपके द्वारा सूचित नहीं की गई किन्तु अन्य स्रोत द्वारा सूचित की गई है, तो निर्वाचन आयोग निश्चित रूप से मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा। यह आपके लिए बहुत ही लज्जाजनक तथा गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी। निर्वाचन आयोग आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर भी विचार कर सकता है।
- 32.1.3. नियमित अन्तरालों पर या यथा-निर्धारित समय-समय पर डायरी के संगत स्तम्भों में, प्रविष्टियां करते रहें। कई मामलों में यह देखा गया है कि पीठासीन अधिकारी डायरी के सुसंगत स्तम्भों में नियमित अंतराल पर या यथा-निर्धारित समय-समय पर प्रविष्टियाँ नहीं करते हैं और मतदान की समाप्ति पर ही सभी प्रविष्टियां भरते हैं और अपनी डायरी पूरी करते हैं। यह अति आपत्तिजनक है। यह नोट किया जाना चाहिए कि मतदान की प्रक्रिया के दौरान सभी समय-बिन्दुओं पर डायरी का ठीक तरीके से रखरखाव करने में आपकी ओर से की गई किसी भी चूक को आयोग द्वारा अति गम्भीरता से लिया जायेगा।

32.2. रिटर्निंग ऑफिसर को ईवीएम, वीवीपीएटी और निर्वाचन पत्रों का सम्प्रेषण

- 32.2.1. मतदान समाप्त होने के बाद आपके द्वारा ईवीएम एवं वीवीपीएटी तथा सभी निर्वाचन कागज-पत्र सील करने और सुरक्षित किए जाने के बाद आपके द्वारा अध्याय 30 तथा 32 में वर्णित रीति के अनुसार आपको उन्हें ऐसे स्थान (क्लेशन सेन्टर) पर सुपुर्द करना या करवाना होगा जैसा कि रिटर्निंग ऑफिसर निदेश दें तथा व्यवस्थाओं के अनुसार जैसा कि रिटर्निंग ऑफिसर बनावें।

- 32.2.2. वोटिंग मशीन, वीवीपीएटी और निर्वाचन कागज-पत्रों को संग्रहण केन्द्र पर अविलम्ब सुपुर्द करना या करवाना चाहिए। इस निमित्त किये गये किसी भी विलम्ब को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा और सभी संबंधितों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- 32.3. आप संग्रहण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को निर्वाचन अभिलेखों और सामग्री की निम्नलिखित मदें सौंपेंगे और रसीद प्राप्त करेंगे:
- 32.3.1. अपने-अपने संबंधित वहन (कैरिंग) बक्सों में सम्यक रूप से मुहरबंद कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट और वीवीपीएटी;
- 32.3.2. रिकार्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सील लेखा वाला लिफाफा;
- 32.3.3. पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं वाला लिफाफा;
- 32.3.4. पीठासीन अधिकारी की डायरी वाला लिफाफा;
- 32.3.5. दौरा शीट (विजिट शीट);
- 32.3.6. सोलह बिन्दुओं की प्रेक्षक की रिपोर्ट;
- 32.3.7. पहला पैकेट जिसके ऊपर 'सांविधिक लिफाफा' लिखा गया पहला पैकेट हो (5 लिफाफों वाला);
- 32.3.8. दूसरा पैकेट जिस पर 'असांविधिक लिफाफा' लिखा गया हो (11 लिफाफों से वाला);
- 32.3.9. निर्वाचन सामग्री की 7 मदों वाला तीसरा पैकेट;
- 32.3.10. वोटिंग कम्पार्टमेंट के लिए सामग्री;
- 32.3.11. लालटेन, यदि दी गई हो;
- 32.3.12. बेकार कागजों के लिए टोकरी;
- 32.3.13. मतदान सामग्री ले जाने के लिए पॉलीथीन का थैला/जूट थैला; और
- 32.3.14. अन्य समस्त मदों, यदि कोई हों, वाला चौथा पैकेट
- 32.4. पैरा 32.3.2, 32.3.3 और 32.3.4 में उल्लिखित वस्तुएं पैरा 32.3.1 में उल्लिखित मदों के साथ इन्हें जमा कराने हेतु विशेष रूप से बनाए गये काउंटर में ही जमा करनी चाहिए।

32.5. उपर्युक्त सभी मदें संग्रहण केन्द्र में प्राप्ति अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा आपकी उपस्थिति में अनुमोदित की जाएगी और तत्पश्चात् आपको कार्यमुक्त किया जाएगा।

33. पीठासीन अधिकारियों/मतदान अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन

- 33.1 यह अध्याय पुस्तिका का सार-रूप प्रस्तुत करता है जो पीठासीन अधिकारी के रूप में आपके कर्तव्यों को दुहराने में आपको सक्षम बनाता है। अपने मतदान दल के सदस्यों के साथ निकट संबंध बनाये रखें। टीम वर्क आपके कार्य को अपेक्षाकृत अधिक सरल एवं आनंदायक बनाता है।
- 33.2 यह सुनिश्चित कर लें कि -
- 33.2.1 आपको कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी युक्त वोटिंग मशीन की बैलेटिंग यूनिट अपेक्षित संख्या में उपलब्ध कराई गई हों और उन्हें आपके मतदान केन्द्र के लिए आबंटित किया गया हो और वहां प्रयुक्त किए जाने के निमित्त हो और इनका आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग किया जाना है।
 - 33.2.2 प्रत्येक बैलेटिंग यूनिट पर उपयुक्त मतपत्र सम्यक रूप से लगा दिया गया है और उचित रूप से पंक्तिबद्ध कर दिया गया है;
 - 33.2.3 प्रत्येक बैलेटिंग यूनिट पर 'स्लाइड स्विच/थम्ब व्हील स्विच समुचित स्थिति में सेट कर दिया गया है;
 - 33.2.4 कंट्रोल यूनिट के 'कैंडीडेट सेट सेक्शन' को और प्रत्येक बैलेटिंग यूनिट को सम्यक रूप से मुहरबंद कर दिया गया है और उसमें से प्रत्येक पर एड्रेस टैग अच्छी तरह से लगा दिये गये हैं।
 - 33.2.5 वीवीपीएटी का पेपर रोल कम्पार्टमेंट रिटर्निंग अधिकारी के सील से उचित ढंग से सीलबंद कर दिया गया है।
 - 33.2.6 कंट्रोल यूनिट तथा बैलेटिंग यूनिट दोनों गुलाबी पेपर सील (पीपीएस) के साथ भली-भांति सीलबंद किया गया है तथा उस पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों/अभ्यर्थियों और विनिर्माण यूनिट के इंजीनियरों के हस्ताक्षर हैं।
 - 33.2.7 आपको समस्त मतदान सामग्री दे दी गई है।
- 33.3 विशेष रूप से मतदाता रजिस्टर, मतदाता स्लिप, निविदत्त मतों के लिए उपयोग में लिए जाने वाले मतपत्र, निविदत्त मतों को चिह्नित करने के लिए ऐरोक्रास मार्क रबर

की स्टाम्प, ग्रीन पेपर सील, मुहरबंद करने के लिए मोम, अमिट स्याही, काले लिफाफे आदि की जांच कर लें।

- 33.4 निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के साथ अन्य प्रतियों का मिलान करें और यह देखें कि समस्त प्रतियाँ एक समान हैं और यह कि निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में 'पीबी' तथा 'ईडीसी' से इतर कोई चिन्ह न हो।
- 33.5 यह देखें कि -
- 33.5.1 अनुपूरक के अनुसार हटाये गये नाम और संशोधन निर्वाचक नामावली की समस्त प्रतियों में समाविष्ट कर दिए गए हैं;
- 33.5.2 निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ क्रम से संख्यांकित हैं;
- 33.5.3 मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या को स्याही से सुधारा नहीं गया है और नई संख्या मैनुअली प्रतिस्थापित नहीं की गई है।
- 33.6 यथासाध्य, मॉडल ले आउट के अनुसार ही मतदान केन्द्र स्थापित करें।
- 33.7 मतदान केन्द्र में मतदाताओं के प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक-पृथक द्वार सुनिश्चित करें।
- 33.8 मतदान के दिन मतदान केन्द्र के बाहर अग्रलिखित प्रदर्शित करें--
- 33.9 मतदान क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने वाले नोटिस सहित सभी पोस्टर, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति।
- 33.10 यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो स्थानीय रूप से कोई मतदान अधिकारी नियुक्त कर लें।
- 33.11 छद्म मतदान के संचालन सहित ईवीएम और वीवीपीएटी की तैयारी, मतदान प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से कम से कम एक घण्टा पूर्व करें।
- 33.12 छद्म मतदान के पूर्व बैलेटिंग यूनिट (यूनिटों) तथा वीवीपीएटी को मतदान कोष्ठ में रखें। कंट्रोल यूनिट तथा वीएसडीयू (एम2 वीवीपीएटी के मामले में) को अपनी मेज अथवा तीसरे मतदान अधिकारी जिन्हें भी कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी दी गई है, की मेज पर रखें।
- 33.13 बैलेटिंग यूनिटों, वीवीपीएटी, वीएसडीयू और कंट्रोल यूनिट को यूनिट को परस्पर जोड़ें।
- 33.14 कंट्रोल यूनिट के पिछले कक्ष में 'पावर स्विच' को चालू कर दें।

- 33.15 कन्ट्रोल यूनिट के पिछले कक्ष को एक पतले तार से बांधकर और उसमें कुछ गांठें लगाकर सुरक्षित कर लें।
- 33.16 उपस्थित समस्त मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखा दें कि मतदान मशीन और वीवीपीएटी क्लीयर हैं और उसमें पहले से ही कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है।
- 33.17 मतदान अधिकारियों/प्रत्याशियों/मतदान अभिकर्ताओं आदि की मदद से प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कुछ मत रिकार्ड करवाकर छद्म मतदान का संचालन कराएँ। छद्म मतदान के पश्चात सीयू में परिणाम सुनिश्चित करें, वीवीपीएटी पेपर पर्चियों को मतदान अभिकर्ताओं के सामने गिनकर पुष्टि करें कि परिणाम प्रत्येक अभ्यर्थी से मेल खा रहा है।
- 33.18 'क्लीयर' बटन दबाकर सीयू से मॉक पोल के आंकड़ों को हटाएं और वीवीपीएटी ड्रॉप बाक्स से वीवीपीएटी पेपर स्लिप हटाकर मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष वीवीपीएटी का खाली ड्रॉप बाक्स प्रस्तुत करें। छद्म मतदान के वीवीपीएटी पेपर स्लिप के पीछे 'छद्म मतदान स्लिप' की सील लगाकर काले लिफाफे को अच्छी तरह से सील करें। लिफाफे को सील से सीलबंद करें और लिफाफे पर अपने तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाएं। लिफाफे के ऊपर मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या नाम, मतदान तिथि तथा शब्द 'छद्म मतदान की वीवीपीएटी पेपर स्लिप' लिखें। लिफाफे को प्लास्टिक के बक्से में रखें और गुलाबी पेपर स्लिप से ऐसे सील करें कि बिना सील को तोड़े बक्से को खोलना असंभव हो। प्लास्टिक बॉक्स के ऊपर मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या एवं न व मतदान की तिथि लिखें। अपने तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर गुलाबी पेपर सील पर कराएं और बक्से को मतदान संबंधी अन्य दस्तावेजों के साथ रखें।
- 33.19 कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे पर चौखट में हरा पेपर सील लगा दें।
- 33.20 रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष को इस प्रकार बंद करें कि पेपर सील के दोनों छोर आन्तरिक कक्ष के किनारों से बाहर की तरफ रहें।
- 33.21 मुद्रित क्रम संख्या के नीचे हरे पेपर सील की सफेद खाली जगह पर आप अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें।
- 33.22 उन उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से जो मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, पेपर सील पर हस्ताक्षर अभिप्राप्त कर लें। उन्हें पेपर सील की क्रम संख्या नोट करने के लिए अनुज्ञात करें।

- 33.23 कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे को विशेष टैग से सील करें।
- 33.24 कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द कर दें और सील कर दें। उस पर एक एड्रेस टैग अच्छी तरह लगा दें।
- 33.25 स्ट्रिप सील के साथ कंट्रोल यूनिट को बाहर से सुरक्षित रूप से सील कर दें।
- 33.26 मतदान अभिकर्ताओं को भी कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें। एड्रेस टैग के साथ वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स को सुरक्षित और सील करें।
- 33.27 परस्पर जुड़ी हुई केबल को इस प्रकार से लगाएं कि मतदान केन्द्र में जाते और आते समय उनकी आवाजाही में व्यवधान न पड़े, किन्तु केबल की पूरी लंबाई दिखाई देनी चाहिये तथा किसी भी स्थिति में कपड़े या मेज के नीचे छिपी नहीं होनी चाहिये।
- 33.28 उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखायें कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में पीबी तथा ईडीसी से भिन्न कोई प्रविष्टि अन्तर्विष्ट नहीं है।
- 33.29 यह भी दिखाएं कि मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) में पहले से कोई प्रविष्टि नहीं हो।
- 33.30 मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व घोषणा को पढ़ें और हस्ताक्षर करें।
- 33.31 नियत समय पर मतदान अवश्य प्रारम्भ करें।
- 33.32 मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 को ऊंजी आवाज में प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति जो मतदान केंद्र पर मौजूद है, को चेतावनी दें।
- 33.33 दिये गये किसी भी समय में मतदान केन्द्र के भीतर किसी अभ्यर्थी का केवल एक मतदान अभिकर्ता को ही अनुज्ञात करें।
- 33.34 स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करें।
- 33.35 आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक को सम्यक शिष्टाचार दिखायें और सम्मान दें तथा उसके द्वारा अपेक्षित सारी जानकारी उसे दें। अपने मतदान केन्द्र पर उपस्थित सूक्ष्म पर्यवेक्षक को भी सम्यक शिष्टाचार और सम्मान दें।
- 33.36 मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर निर्वाचन प्रचार करना एक अपराध है। मतदान केन्द्र के भीतर मोबाईल फोन का उपयोग वर्जित है। आप पीठासीन अधिकारी

के रूप में या आपका प्रथम मतदान अधिकारी इसका उपयोग केवल एसएमएस/व्हाट्सएप द्वारा रिपोर्ट देने के लिए कर सकते हैं।

- 33.37 मतदान केन्द्र में धूम्रपान निषेध है। यह ध्यान रखें कि ना ही आप और ना ही आपके मतदान अधिकारी ना ही मतदान अभिकर्ता सहित मतदान केंद्र में कोई और, मतदान केन्द्र के अंदर धूम्रपान करे।
- 33.38 किसी भी वी.आई.पी. व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति जो मतदान करने आए हैं, को विशेष व्यवहार या महत्व न दें।
- 33.39 जहाँ एक पीठासीन अधिकारी व तीन मतदान अधिकारी हों वहाँ मतदान अधिकारियों के कर्तव्य निम्नलिखित हैं:- पहला मतदान अधिकारी, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति रखेगा और निर्वाचकों की पहचान के लिए जिम्मेदार होगा। नामावली में मुद्रण संबंधी और लिपिकीय भूलों पर उसके द्वारा ध्यान नहीं दिया जायेगा। दूसरा मतदान अधिकारी अमिट स्याही और मतदाताओं का रजिस्टर रखेगा। वह निर्वाचक की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा, रजिस्टर के स्तम्भ (2) में मतदाताओं के रजिस्टर पर निर्वाचकों की भाग संख्या और क्रम संख्या को दर्ज करेगा और पहचान दस्तावेज का नाम लिखेगा। तब वह निर्वाचक को मतदाता पर्ची जारी करने के पहले मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करेगा। तीसरा मतदान अधिकारी, कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। वह निर्वाचक से मतदाता स्लिप लेगा, उसकी बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही की जाँच करेगा और कंट्रोल यूनिट पर के 'बैलेट' बटन को दबाकर वोटिंग कम्पार्टमेंट के भीतर रखें बैलिटिंग यूनिट को तैयार रखेगा तथा निर्वाचक को निर्देशित करेगा कि वह मतदान कम्पार्टमेंट के अंदर जाए तथा बैलिटिंग यूनिट पर नीले बटन को दबाकर अपनी पसंद का मत डाले।
- 33.40 एक साथ चल रहे चुनावों में मतदान अधिकारियों की इयूटी, जब मतदान दल एक पीठासीन अधिकारी तथा पाँच मतदान अधिकारियों से बने हों, निम्नानुसार है: प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचकों को पहचानने के लिए जिम्मेदार होगा तथा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही तथा मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होगा। तृतीय मतदान अधिकारी मतदाता पर्ची का प्रभारी होगा। चतुर्थ मतदान अधिकारी लोकसभा निर्वाचनों के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। पाँचवां मतदान अधिकारी राज्य विधानसभा निर्वाचन के लिए कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा।

- 33.41 निर्वाचक को अपना मत उसी क्रम में रिकार्ड करने की अनुमति दें जिसमें उन्हें मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है। उन्हें मत देने के लिए तब तक अनुमति न दें जब तक कि उन्होंने मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान न लगा दिया हो।
- 33.42 किसी निर्वाचक की पहचान की चुनौती पर तब तक कोई कार्रवाई न करें जब तक कि चुनौती देने वाला व्यक्ति दो रुपये की नकद चुनौती फीस न चुका दे। प्ररूप 14 में ऐसे अभ्याक्षेपित मतों का रिकार्ड रखें। यदि चुनौती स्थापित हो जाती है तो प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति को, लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दें।
- 33.43 अन्धे और अशक्त निर्वाचकों के मामले में, ऐसे अन्धे और अशक्त निर्वाचकों के साथी से अपेक्षित घोषणा अभिप्राप्त करें। साथ ही, प्ररूप 14 में ऐसे मतदाताओं का रिकार्ड बनाए रखें।
- 33.44 यदि आप किसी निर्वाचक को मतदान की आयु अर्थात् 18 वर्ष से बहुत कम का मानते हैं किन्तु उसकी पहचान के बारे में अन्यथा समाधान हो जाता है तो उसकी आयु के संबंध में उससे एक घोषणा अभिप्राप्त करें। उसकी पात्रता पर कोई प्रश्न न करें।
- 33.45 किसी भी निर्वाचक पर उस परिस्थिति में कोई दबाव न डालें या उसे बाध्य नहीं करें जब वह मतदाता रजिस्टर में उसकी विशिष्टियां नोट किये जाने के पश्चात् मत नहीं देने का विनिश्चय करे। रजिस्टर में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति स्तम्भ में उस आशय की प्रविष्टि करें।
- 33.46 किसी निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय करने के कारण रजिस्टर के स्तम्भ 1 में कोई भी क्रम संख्या को परिवर्तित नहीं करें।
- 33.47 किसी निर्वाचक को निविदत मतपत्र के द्वारा मत देने के लिए तभी अनुज्ञात करें जब उसके नाम से किसी दूसरे के द्वारा पहले से ही मत दिए जाने के पश्चात् वह उस मतदान केन्द्र पर उपस्थित हुआ हो और उसकी पहचान के बारे में आप संतुष्ट हो गए हों। उसे मतदान मशीन में अपना मत रिकार्ड करने की अनुमति नहीं दें।
- 33.48 ऐसे निर्वाचक का रिकार्ड रखें जिन्हें निविदत मतपत्र जारी किए गए हैं। ऐसा रिकार्ड प्ररूप 17ख बनाए रखा जाएगा। निविदत मतपत्र और प्ररूप 17ख की सूची पृथक लिफाफे में रखें।

- 33.49 किसी निर्वाचक को उस परिस्थिति में मत देने के लिए अनुमति न दें जब आपके द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात भी वह मतदान की गोपनीयता बनाये रखने की विहित मतदान प्रक्रिया को मानने से इंकार करें।
- 33.50 मतदाता रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने 'अभियुक्ति' स्तम्भ में इस आशय की एक प्रविष्टि करें। ऐसे निर्वाचक के कारण उस रजिस्टर के स्तम्भ 1 में किसी भी क्रम संख्या को परिवर्तित न करें।
- 33.51 यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो निर्वाचक मतदान समाप्ति के लिए नियत समय पर पंक्ति में खड़े हों वे अपना मत रिकार्ड कर सकें, आप मतदान समाप्ति के कुछ मिनट पूर्व अपने द्वारा हस्ताक्षर युक्त क्रम-संख्यांकित पर्चियां सभी पंक्तिबद्ध मतदाताओं को पंक्ति के आखिर से आगे तक आते हुए, वितरित करें।
- 33.52 ऐसे समस्त व्यक्तियों को मत देने के लिए अनुज्ञात करें जिन्हें ऐसी पर्चियाँ (स्लिप) जारी की गई है, चाहे मतदान को नियत समाप्ति समय के पश्चात भी क्यों न जारी रखना पड़े।
- 33.53 प्ररूप 17ख (मतदाता रजिस्टर) में मतों की संख्या का मिलान करने के लिए टोटल बटन दबाएं और कंट्रोल यूनिट में दर्ज वोटों की संख्या को नोट करें।
- 33.54 ऐसे अन्तिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान बन्द किये जाने की औपचारिक घोषणा करें।
- 33.55 'क्लोज' बटन को कवर करने वाले रबर कैप को हटाएं और कंट्रोल यूनिट पर लगे 'क्लोज' बटन को दबाकर मतदान मशीन बन्द कर दें। इसके इस प्रकार दबाये जाने के पश्चात् 'क्लोज' बटन के ऊपर रबर कैप को प्रतिस्थित करें।
- 33.56 प्ररूप 17ख में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करें।
- 33.57 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं में से प्रत्येक को रिकार्ड किये गये मतों के लेखे की अनुप्रमाणित प्रतियां दें। उस आशय की घोषणा विहित घोषणा प्ररूप में करें।
- 33.58 मतदान समाप्ति के पश्चात कंट्रोल यूनिट के पिछले कक्ष में 'पावर स्विच' को बंद कर दें और बैलेटिंग यूनिट(टॉ), वीवीपीएटी और कंट्रोल यूनिट को डिस्कनेक्ट कर दें।
- 33.59 कन्ट्रोल यूनिट, वीवीपीएटी और बैलेटिंग यूनिट (टॉ) को उनके अपने-अपने वहन बक्सों में रखें।

- 33.60 प्रत्येक वहन बक्से पर एट्रैस टैग को अच्छी तरह से लगाकर वहन बक्सों को दोनों ओर से सीलबंद कर दें।
- 33.61 निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं जो मतदान केन्द्र में उपस्थित हों और ऐसा करने के इच्छुक हों, को इन वहन बक्सों पर अपनी सील लगाने की अनुमति दें।
- 33.62 सभी निर्वाचन कागज-पत्रों और सामग्री को अलग-अलग पैकेटों में सीलबंद करें।
- 33.63 निम्नलिखित से युक्त लिफाफों पर आप अपनी सील लगायें: (1) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, (2) मतदाता रजिस्टर, (3) मतदाता पर्ची, (4) प्रयुक्त निविदत मतपत्र और प्ररूप 17ख में सूची, और (5) अप्रयुक्त निविदत मतपत्र।
- 33.64 निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को इन लिफाफों पर भी अपनी सील लगाने की अनुमति दें, यदि वे चाहें तो।
- 33.65 निर्वाचन कागज-पत्रों और सामग्री के समस्त पैकेटों को अपेक्षाकृत चार बड़े पैकेटों में रखें। 'सांविधिक लिफाफे' (हरे रंग के) लिखे गये पहले मुहरबंद पैकेट में पाँच मुहरबंद लिफाफे होने चाहिए। 'असांविधिक लिफाफे' लिखे गये दूसरे पैकेट (पीले रंग के) में ग्यारह लिफाफे होने चाहिए। तीसरे पैकेट (भूरे रंग का) में सात मर्दे होनी चाहिए। समस्त अन्य मर्दे चौथे पैकेट (नीले रंग का) में बंद करनी चाहिए।
- 33.66 (1) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा (प्ररूप 17ग), (2) मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व और मतदान समाप्त होने के पश्चात आपके द्वारा की गई घोषणाएं, और (3) पीठासीन अधिकारी की डायरी तीन अलग-अलग लिफाफों में रखी जाएगी और ऊपर बताए गए चार बड़े लिफाफों में से किसी में भी नहीं रखी जाएगी। (4) प्रेक्षक की 16 सूत्री रिपोर्ट, (5) आगमन (विजिट) शीट रखें। ध्यान रखें कि 16 सूत्री प्रेक्षक की रिपोर्ट कलेक्शन सेन्टर पर सौंपी जाए। यदि यह रिपोर्ट संग्रहण स्थल पर जमा नहीं होगी, तो उस दिन आपको आपकी इयूटी से कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
- 33.67 वीवीपीएटी के साथ मतदान मशीन पैरा 33.66 में उल्लिखित तीन पैकेटों, 16 बिन्दु की प्रेक्षक की रिपोर्ट तथा आगमन शीट, पैरा 33.65 में उल्लिखित और चार अपेक्षाकृत बड़े पैकेट मतदान के तत्काल पश्चात अविलम्ब, संग्रहण केन्द्र के सुपुर्द कर दें।

- 33.68 मतदान केन्द्र की घटनाओं का पूर्ण और ठीक-ठीक लेखा रखने हेतु पीठासीन अधिकारी की डायरी को सभी दृष्टियों से पूर्ण करके रखें। जब कभी भी कोई घटना घटित हो उसमें प्रविष्टियां पूर्ण कर लें न कि मतदान की समाप्ति पर।
- 33.69 यदि मतदान केन्द्र पर कोई हिंसा या दंगा होता है तो मतदान स्थगित कर दें। रिटर्निंग ऑफिसर को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करें।
- 33.70 यदि कोई बूथ कैप्चरिंग होती है या कोई मतदान मशीन या निर्वाचन सामग्री जैसे मतदाता रजिस्टर, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति इत्यादि आपकी अभिरक्षा से अप्राधिकृत रूप से ले जायी जाती है या क्षतिग्रस्त कर दी जाती है या उनमें हेरफेर की जाती है तो मतदान बंद कर दें। रिटर्निंग ऑफिसर को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्टिंग करें।

अनुबंध 1

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से उद्धरण

[अध्याय 1, पैरा 1.1]

26. मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति

- (1) जिला निर्वाचन अधिकारी हर एक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और ऐसे मतदान अधिकारियों और ऐसे मतदान अधिकारियों को, जैसे वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है :

परन्तु यदि मतदान केन्द्र से मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न, जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र में उपस्थित है, पूर्व कथित अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान मतदान अधिकारी होने के लिए नियुक्त कर सकेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी को तदनुसार सूचना देगा :

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की कोई भी बात जिला निर्वाचन अधिकारी को एक ही व्यक्ति को एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से निवारित न करेगी।

- (2) यदि मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए तो वह इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के अधीन पीठासीन अधिकारी के सभी या, किसी कार्य का पालन करेगा।
- (3) यदि पीठासीन अधिकारी रुग्णता या अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से स्वयं अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाए तो उसके कार्यों का पालन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कार्यों के पालन के लिए पहले से ही प्राधिकृत किया है।

(4) इस अधिनियम में पीठासीन अधिकारी के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी कार्य को करने वाला कोई व्यक्ति जिसे कार्य का पालन करने के लिए, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत किया गया है, शामिल माना जाएगा।

27. पीठासीन अधिकारी का साधारण कर्तव्य:- मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्र में मतदान निष्पक्षता से हो, पीठासीन अधिकारी का साधारण कर्तव्य होगा।

28. मतदान अधिकारी के कर्तव्य

मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे केन्द्र के पीठासीन अधिकारी की उसके कार्यों के पालन में सहायता करें।

28क. रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त पर मानना

किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस अधिकारी, उस अवधि के लिए, जो ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त पर समझे जाएंगे और तदनुसार ऐसे अधिकारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

46. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति

निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता इतनी संख्या में अभिकर्ता और अवमुक्ति अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा जितनी धारा 25 के अधीन उपबंधित हर एक मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान में ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए विहित की जाए।

48. मतदान अभिकर्ताओं या मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु

- (1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई भी प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को वह ऐसे अधिकारी के पास, जैसा विहित किया जाए, दाखिल किया गया है और मतदान के बंद होने से पूर्व ऐसे प्रतिसंहरण की या मतदान अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान बन्द होने से पूर्व किसी भी समय दूसरा मतदान अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की सूचना विहित रीति में ऐसे अधिकारी को तत्क्षण देगा जैसा विहित किया जाए।
- (2) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई भी प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को वह रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिला किया गया है और मतों की गणना के प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसे प्रतिसंहरण की या गणन अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी समय दूसरा गणन अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को विहित रीति में तत्क्षण देगा।

49. मतदान अभिकर्ताओं और मतगणना अभिकर्ताओं के कार्य

- (1) मतदान अभिकर्ता मतदान से संबंधित ऐसे कार्यों का पालन कर सकेगा जिनका मतदान अभिकर्ता द्वारा पालन किया जाना इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत है।
- (2) मतगणना अभिकर्ता मतों की गणना से संबंधित ऐसे कार्यों का पालन कर सकेगा जिनका गणना अभिकर्ता द्वारा पालन किया जाना इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत है।

50. निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की मतदान केन्द्रों में हाजिरी और मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के कार्यों का उसके द्वारा पालन

- (1) हर ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है ऐसे निर्वाचन में हर एक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता का यह अधिकार होगा कि वह मतदान के लिए

धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी भी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत किसी भी स्थान में उपस्थित रहे।

- (2) निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता स्वयं वह कार्य या बात कर सकेगा जिसे यदि ऐसा निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या कोई मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता नियुक्त किया गया होता तो वह उसे करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत होता या ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के किसी भी मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता की किसी ऐसे कार्य या बात करने में सहायता कर सकेगा।

51. मतदान या मतगणना अभिकर्ताओं की गैर-हाजिरी

जहाँ कि कोई कार्य या बात मतदान या मतगणना अभिकर्ता की उपस्थिति में किए जाने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है, वहाँ उस प्रयोजन के लिए नियत समय और स्थान पर किसी ऐसे अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की गैर-हाजिरी उस किए गए कार्य या बात को, यदि वह कार्य या बात अन्यथा सम्यक् रूप से की गई हो, अविधिमान्य नहीं करेगी।

57. आपात में मतदान का स्थगन

- (1) यदि निर्वाचन में धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान में कार्यवाहियों में उपद्रव या खुली हिंसा के द्वारा विघ्न या बाधा पड़ जाए या यदि निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र या ऐसे स्थान में किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से मतदान होना संभव नहीं है, तो, यथास्थिति, ऐसे मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी या ऐसे स्थान में पीठासीन रिटर्निंग ऑफिसर मतदान को ऐसी तारीख तक के लिए स्थगित किए जाने का अख्यापन करेगा जो तत्पश्चात् अधिसूचित की जाएगी और जहाँ कि मतदान पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे स्थगित किया जाता है, वहाँ वह संयुक्त रिटर्निंग ऑफिसर को तत्क्षण सूचना देगा।
- (2) जब कभी मतदान उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया जाए तब रिटर्निंग ऑफिसर परिस्थितियों की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी और निर्वाचन आयोग को अविलम्ब करेगा और वह निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से यथाशक्य शीघ्र वह दिन नियत करेगा जिसको

मतदान पुनः प्रारम्भ होगा और वह मतदान केन्द्र या स्थान जहाँ, और वह समय जिसके भीतर मतदान होगा, नियत करेगा और ऐसे निर्वाचन में दिए गए मतों की गणना तब तक न करेगा जब तक ऐसा स्थगित मतदान पूरा न हो गया हो।

- (3) रिटर्निंग ऑफिसर यथापूर्वोक्त हर मामले में, मतदान के लिए वह तारीख, स्थान और समय, जो उपधारा (2) के अधीन नियत की गई या किया गया है, ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

61क. निर्वाचनों में मतदान मशीनें

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, मतदान मशीनों से ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, मत देना और अभिलिखित करना ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों में अंगीकार किया जा सकेगा जो निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट करें।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए "मतदान मशीन" से अभिप्रेत है मत देने या अभिलिखित करने के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या साधित्र, चाहे वह इलैक्ट्रॉनिकी द्वारा या अन्यथा प्रचालित हों और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए, नियमों में मतपेटी या मतपत्र के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस प्रकार लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत जहाँ कहीं ऐसी मतदान मशीन का किसी निर्वाचन में प्रयोग होता है, ऐसी मतदान मशीन के प्रति निर्देश है।

62. मत देने का अधिकार

- (1) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट नहीं है उस निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने का हकदार न होगा और हर व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट है इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टतः उपबंधित के सिवाय उस निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने का हकदार होगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन में मत न देगा यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में निर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के अध्याधीन है।

- (3) कोई भी व्यक्ति साधारण निर्वाचन में एक ही वर्ग के एक निर्वाचन-क्षेत्र से अधिक में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में मत दे, तो ऐसे सब निर्वाचन-क्षेत्रों में उसके मत शून्य होंगे।
- (4) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी, मत नहीं देगा कि उसका नाम निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है और यदि ऐसा है, तो उस निर्वाचन-क्षेत्र में उसके सब मत शून्य होंगे।
- (5) कोई भी व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह कारावास या निर्वासन के दण्डावेश के अधीन या अन्यथा कारावास में परिरुद्ध है या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यधीन व्यक्ति को लागू न होगी।

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जा चुका है, इस उपधारा के अधीन मत देने पर प्रतिषेध के कारण, मतदाता होने से प्रविरत नहीं होगा।

- (6) उपधारा (3) और उपधारा (4) में निहित प्रावधान किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी मतदाता की ओर से, जहाँ तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना

- (1) ऐसा हर अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

परंतु इस उपधारा के उपबंध ऐसे अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को, जो राज्य सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए किसी निर्वाचन में ऐसे किसी कर्तव्य का पालन करता है, लागू नहीं होंगे।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

129. निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे

(1) जो कोई जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी है या ऐसा अधिकारी है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को बढ़ाने के लिए न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य -

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का; या

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का, या

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति से असर डालने का प्रयास नहीं करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

130. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध

(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की

दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य न करेगा, अर्थात् :-

- (क) मतों के लिए संयाचना; या
 - (ख) किसी निर्वाचन से उनके मत को याचना करना; या
 - (ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचन को मनाना; या
 - (घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए निर्वाचक को मनाना; या
 - (ङ) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।
- (2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

131. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति

- (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, -
- (क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्र मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा; या
 - (ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे नहीं चिल्लाएगा या विच्छृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य नहीं करेगा, कि जिससे मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्तव्यारूढ़ अधिकारों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

- (2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- (3) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस अधिकारी को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे और पुलिस अधिकारी ऐसे निदेश पर उसे गिरफ्तार करेगा।
- (4) कोई पुलिस अधिकारी ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उपधारा (1) के उपबंधों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधित्र को अभिगृहीत कर सकेगा।

132. मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्ति

- (1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निदेशों के अनुपालन में असफल रहता है, उसे पीठासीन अधिकारी या कर्तव्यारूढ़ कोई पुलिस अधिकारी या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा एतन्निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।
- (2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां ऐसे प्रयुक्त न की जाएंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाए।
- (3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- (4) उपधारा (3) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

132क. मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति

यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।

133. निर्वाचनों में वाहन का अवैध रूप से भाड़े पर लेने या प्राप्त करने के लिए शास्ति

यदि कोई व्यक्ति, निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है जो धारा 123 के खंड (5) में विनिर्दिष्ट है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

134. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य उल्लंघन

(1) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्तव्य के उल्लंघन में किसी कार्य या लोप का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(1क) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत क्षतिपूर्ति के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(3) वे व्यक्ति, जिन पर यह धारा लागू है या हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा "पदीय कर्तव्य" पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्तव्य शामिल न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित है।

134क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति

यदि सरकार की सेवा में कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

134ख. मतदान केन्द्र में या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध

- (1) रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी और किसी पुलिस अधिकारी से तथा मतदान केन्द्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर कर्तव्यारूढ़ है, भिन्न कोई व्यक्ति, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस-पास आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर नहीं जाएगा।
- (2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।
- (3) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहाँ उक्त अधिनियम में परिभाषित ऐसे आयुध, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, जब्त कर लिए जाएंगे और ऐसे आयुधों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहत की गई समझी जाएगी।
- (4) उपधारा (2) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा

- (1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र अप्राधिकृत रूप से बाहर ले जाएगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।
- (2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को निदेश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा :

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास मिले किसी मतपत्र को पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा या जहां तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा ली गई हो वहां उसे ऐसा अधिकारी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135क. बूथ के बलात् ग्रहण (कैप्चरिंग) का अपराध

(1) जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण (कैप्चरिंग) का अपराध करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा और जहाँ ऐसा अपराध सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वहाँ वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा और धारा 20ख के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप हैं, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यो को उसके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना;

(ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीड़ित करना या अभित्रस्त करना या धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए

नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

- (घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;
- (ङ) सरकार की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को बढ़ाने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

(2) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां

(1) कोई व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा, अगर किसी भी निर्वाचन में, वह-

- (क) कोई नामनिर्देशन-पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा
- (ख) रिटर्निंग ऑफिसर के प्राधिकरण के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा, अथवा
- (ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर शासकीय चिह्न या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक-मतपत्र द्वारा मत देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा
- (घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकरण के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा; अथवा
- (ङ) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा; अथवा
- (च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति :-

(क) यदि वह रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर या मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु "पदीय कर्तव्य" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

अनुलग्नक 2

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से उद्धरण (अध्याय 1, पैरा 1.1)

13. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति

- (1) जितने मतदान अभिकर्ता धारा 46 के अधीन नियुक्त किए जा सकेंगे, वे एक अभिकर्ता और दो अवमुक्ति अभिकर्ता होंगे।
- (2) हर ऐसी नियुक्ति प्रारूप 10 में की जाएगी और, यथास्थिति, मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान में पेश की जाने के लिए मतदान अभिकर्ता को दे दी जाएगी।
- (3) जब तक कि किसी मतदान अभिकर्ता ने पीठासीन अधिकारी के उपनियम (2) के अधीन वाली अपनी नियुक्ति की लिखित, उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा को पीठासीन अधिकारी के समक्ष सम्यक् रूप से पूर्ण हस्ताक्षरित करने के पश्चात् परिदत्त न कर दी हो उसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान में प्रवेश न करने दिया जाएगा।

14. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

- (1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिसंहरण प्रारूप 11 में किया जाएगा और पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।
- (2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में नई नियुक्ति मतदान बन्द होने के पहले किसी भी समय नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति से कर सकेगा और हर ऐसे अभिकर्ता को उस नियम के उपबन्ध लागू होंगे।

16. **मत प्रसामान्यतः स्वयं दिए जाएंगे:--** यथा एतस्मिन्पश्चात् उपबन्धित के सिवाय निर्वाचन में मत देने वाले सब निर्वाचक, यथास्थिति, धारा 25 के अधीन अपने लिए उपबन्धित किए गए मतदान केन्द्र में या धारा 29 के अधीन नियत मतदान के स्थान पर स्वयं मत देंगे।

डाक मतपत्र

17. परिभाषाएं: - इस भाग में-

- (क) "सेवा नियोजित मतदाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 60 के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट है किन्तु इसके अंतर्गत नियम 27ड में परिभाषित "अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता" नहीं है;
- (ख) "विशेष मतदाता" से ऐसे पद का धारक कोई व्यक्ति जिस पद की बाबत यह घोषणा की गई है कि उसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 20 की उपधारा (4) के उपबंध लागू हैं या ऐसे व्यक्ति की पत्नी अभिप्रेत है, यदि वह व्यक्ति या उसकी पत्नी उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन किए गए कथन के आधार पर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (ग) "निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता" से मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी या अन्य लोक सेवक अभिप्रेत है जो निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक है और निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ होने के कारण उस मतदान केन्द्र से मत देने में असमर्थ है जहाँ कि वह मत देने का हकदार है।

18. डाक द्वारा मत देने के हकदार व्यक्ति

एतस्मिन्पश्चात् विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करने के अध्यक्षीन रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति, अर्थात् -

- (क) संसदीय या विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन में-
- (i) विशेष मतदाता;
 - (ii) सेवा नियोजित मतदाता;
 - (iii) निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता; तथा
 - (iv) निवारक निरोध के अध्यक्षीन निर्वाचक;
- (ख) परिषद् निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन में-
- (i) निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता;

- (ii) निवारक निरोध के अध्यक्षीन निर्वाचक; तथा
- (iii) निर्वाचन-क्षेत्र के संपूर्ण या किन्हीं विनिर्दिष्ट भागों में निर्वाचक उस सूरत में जिसमें कि नियम 68 के खंड (ख) के अधीन इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हों;

(ग) सभी सदस्यों द्वारा किसी निर्वाचन में-

- (i) निवारक निरोध के अध्यक्षीन निर्वाचक; तथा
- (ii) सब निर्वाचक उस दशा में, जिसमें कि नियम 68 के खंड (क) के अधीन इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हों,

20. निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाताओं द्वारा प्रज्ञापना

- (1) जो निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है वह रिटर्निंग ऑफिसर को प्रारूप 12 में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम सात दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि से जैसी रिटर्निंग ऑफिसर अनुज्ञात करें, पहले उसके पास पहुंच जाए, और यदि रिटर्निंग ऑफिसर को समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता है तो वह उसे एक डाक-मतपत्र जारी कर देगा।
- (2) जहाँ कि ऐसा मतदाता, उस निर्वाचन-क्षेत्र में जिसका वह निर्वाचक है, निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी या अन्य लोक सेवक होते हुए संसदीय या विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन में स्वयं, न कि डाक द्वारा मत देना चाहता है, वहाँ वह रिटर्निंग ऑफिसर को प्रारूप 12क में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम चार दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि से, जैसी रिटर्निंग ऑफिसर अनुज्ञात करे पहले उसके पास पहुंच जाए, और यदि रिटर्निंग ऑफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक उस निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ ऐसा लोक सेवक और मतदाता है तो वह-
 - (क) आवेदक को प्रारूप 12ख में निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाणपत्र जारी कर देगा;
 - (ख) निर्वाचन नामावली की चिह्नित प्रति में उसके नाम के सामने "नि.क.प्र." यह उपदर्शित करने के लिए अंकित करेगा कि उसे निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, तथा
 - (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह उस मतदान केन्द्र पर, जिस पर वह मत देने के लिए अन्यथा हकदार होता, मत देने के लिए अनुज्ञात न किया जाए।

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1992

एस.ओ. 230(ई) - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्र सरकार निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के उपरांत, निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 में आगे संशोधन करने के लिए, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. इन नियमों को निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1992 कहा जाएगा।
 2. ये सरकार के राजपत्र में, उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में (इसमें इसके बाद मूल नियमों के तौर पर संदर्भित)
 - (क) भाग-IV में शीर्षक के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
“अध्याय-I मतपत्र द्वारा मतदान”;
 - (ख) नियम 28 में, “इस भाग में” शब्दों के स्थान पर शब्द “इस अध्याय तथा अध्याय II में” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ग) नियम 49 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

49ग. मतदान केन्द्रों में इंतजाम

- (1) प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा -
 - (क) उस मतदान क्षेत्र को, जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए हकदार हैं, और जबकि मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं तब ऐसे हकदार निर्वाचकों की विशिष्टियां, विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना, तथा
 - (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति, प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

- (2) हर एक मतदान केन्द्र में एक या अधिक मतदान कोष्ठ स्थापित किए जाएंगे जिनमें निर्वाचक संप्रेक्षित हुए बिना अपने मत दे सकेंगे।
- (3) रिटर्निंग ऑफिसर हर एक मतदान केन्द्र पर एक मतदान मशीन और निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियाँ और ऐसी अन्य निर्वाचन सामग्री जो मतदान कराने के लिए आवश्यक हो, की व्यवस्था करेगा।
- (4) निर्वाचन अधिकारी, उप-नियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से एक ही परिसर में अवस्थित दो या अधिक मतदान केन्द्रों के लिए एक सामान्य मतदान मशीन की व्यवस्था करेगा।

49घ. मतदान केन्द्रों में प्रवेश

पीठासीन अधिकारी निर्वाचकों की उस संख्या को विनियमित करेगा जिस संख्या में वे मतदान केन्द्र के अन्दर एक ही समय प्रवेश कर सकेंगे, तथा

- (क) मतदान अधिकारी के;
- (ख) निर्वाचन के संबंध में कार्यरत लोक सेवकों के;
- (ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के;
- (घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और नियम 13 के उपबंधों के अधीन रहते हुए हर एक अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता के;
- (ङ) निर्वाचक के साथ गोद वाले बालक के;
- (च) अंधे या अशक्त निर्वाचक के, जो सहायता के बिना चल-फिर नहीं सकता, साथ वाले व्यक्ति के; तथा
- (छ) ऐसे अन्य व्यक्तियों के जिन्हें, रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी नियम 49छ के उपनियम (2) या नियम 49ज के उपनियम (1) के अधीन नियोजित करे।

49ड. मतदान के लिए मतदान मशीन को तैयार किया जाना

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त प्रत्येक मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट पर और कागज पुच्छ के लिए प्रिंटर पर जहां प्रयुक्त हो एक ऐसा लेबल लगा होगा जिस पर -

- (क) यदि निर्वाचन-क्षेत्र का कोई क्रम संख्यांक हो तो वह और उसका नाम;
 - (ख) यथास्थिति, मतदान केन्द्र या केन्द्रों का क्रम संख्यांक और नाम;
 - (ग) यूनिट का क्रम संख्यांक; और
 - (घ) मतदान की तारीख।
- (2) मतदान के प्रारम्भ होने से ठीक पहले, पीठासीन अधिकारी उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्ति को यह निर्देशित करेगा कि मतदान मशीन में कोई मत पहले से ही दर्ज नहीं है, और उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लेबल लगा है, और जहाँ पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है, वहां प्रिंटर का ड्रॉप बॉक्स खाली है।
- (3) जहाँ तक कि मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद कराने के लिए पेपर सील का उपयोग किया जाता है, वहाँ पीठासीन अधिकारी पत्र-मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा और उन पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से ऐसों के हस्ताक्षर कराएगा जो उन्हें अंकित करने की इच्छा रखते हों।
- (4) पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात इस प्रकार हस्ताक्षरित पेपर सील को मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में लगाएगा और उसे सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित करेगा।
- (5) नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए उपयोग में लाई गई सील ऐसी रीति से लगाई जाएंगी कि यूनिट को मुद्रांकित किए जाने के पश्चात् सील को तोड़े बिना "परिणाम बटन" को दबाना संभव न हो।
- (6) नियंत्रण यूनिट सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित किया जाएगा और इस प्रकार रखा जाएगा कि वह पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं के पूर्ण रूपेण दृष्टिगोचर रहे और मतदान यूनिट को मतदान कोष्ठ में रखा जाएगा।

- (7) जहाँ पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है, वहाँ मतदान कोष्ठ में मतदान यूनिट के साथ ही प्रिंटर भी रखा जाएगा, और तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जोड़ा जाएगा जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए।

49च. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति

मतदान के प्रारंभ से ठीक पूर्व, पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित लोगों को यह भी निर्देशित करेगा कि मतदान के दौरान काम में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में-

- (क) नियम 20 के उप-नियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में की गई प्रविष्टि से भिन्न कोई प्रविष्टि; और (ईडीसी - निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र)
- (ख) नियम 23 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में किए गए चिह्न से भिन्न कोई चिह्न, अंतर्विष्ट नहीं है। (पीबी - डाक मतपत्र)

49छ. महिला मतदाताओं के लिए सुविधाएं

- (1) जहाँ कि मतदान केन्द्र मतदाताओं और महिला मतदाताओं दोनों के लिए है वहाँ पीठासीन अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी-बारी से पृथक-पृथक टुकड़ियों में घुसने दिया जाएगा।
- (2) रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी किसी स्त्री को मतदात्रियों की सहायता करने के लिए और मतदात्रियों की बाबत मतदान करने में साधारणतया पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः किसी मतदात्री को उस दशा में हटाने में मदद करने के लिए, जब कि वह आवश्यक हो, परिचारिका के रूप में किसी मतदान केन्द्र में सेवा करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

49ज. निर्वाचकों की पहचान

- (1) पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को, जैसा वह ठीक समझे मतदान केन्द्र में निर्वाचकों के अभिज्ञान करने में अपनी मदद करने के लिए या अन्यथा मतदान में अपनी सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।

- (2) जैसे-जैसे हर एक निर्वाचक मतदान केन्द्र में प्रवेश करे वैसे-वैसे पीठासीन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी निर्वाचक के नाम और अन्य विशिष्टियों को निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि से मिलाएगा और तब निर्वाचक का क्रम संख्यांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़ कर सुनाएगा।
- (3) जहाँ मतदान केन्द्र ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में अवस्थित है जिसके निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन अभिज्ञान-पत्र दिए गए हैं, वहाँ पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी के समक्ष निर्वाचक अपना पहचान-पत्र पेश करेगा।
- (4) किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार का विनिश्चय करने में, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि में लिपिकीय या मुद्रण संबंधी अशुद्धियों की उस दशा में अनदेखी करेगा जिसमें कि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वही निर्वाचक है जिससे कि ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है।

49ज़. निर्वाचन कार्यरत लोक सेवकों के लिए सुविधाएं

- (1) नियम 49ज के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू न होंगे जो मतदान केन्द्र में प्ररूप 12ख में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र पेश कर देता है और उस मतदान केन्द्र में अपना मत देने की अनुज्ञा दिए जाने की मांग करता है भले ही वह मत केन्द्र उस केन्द्र से भिन्न हो जहां मत देने का वह हकदार है।
- (2) ऐसे प्रमाणपत्र के पेश किए जाने पर पीठासीन अधिकारी-
 - (क) उस पर उसे पेश करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा;
 - (ख) उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो प्रमाणपत्र में वर्णित है, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के अंत में प्रविष्ट करेगा; तथा
 - (ग) मत देने की अनुज्ञा उसी रीति से देगा जैसी उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार किसी निर्वाचक को देता है।

49अ. पहचान को चुनौती देना

- (1) कोई मतदान अभिकर्ता विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की पहचान के संबंध में अभ्याक्षेप हर एक ऐसे अभ्याक्षेप के लिए पीठासीन अधिकारी के पास नकद दो रुपए की राशि पहले जब्त करके कर सकेगा।
- (2) पीठासीन अधिकारी ऐसा निक्षेप किए जाने पर-
 - (क) उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, प्रतिरूपण के लिए शास्ति की चेतावनी देगा;
 - (ख) निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है;
 - (ग) चुनौती वाले मतों की प्ररूप 14 वाली सूची में उसका नाम और पता प्रविष्टि करेगा;
 - (घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने की उससे अपेक्षा करेगा।
- (3) पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् उस चुनौती के संबंध में संक्षिप्त जाँच करेगा और उस प्रयोजन के लिए -
 - (क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत के साक्ष्य दें और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी पहचान के सबूत में साक्ष्य दें;
 - (ख) जिस व्यक्ति की बाबत चुनौती किया गया है उसकी अनन्यता स्थापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा; और
 - (ग) जिस व्यक्ति की बाबत चुनौती किया गया है उसको और साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा।
- (4) यदि जाँच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी का विचार हो कि अभ्याक्षेप सत्य साबित नहीं हुआ है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को अनुज्ञा देगा कि वह मत दे, और यदि उसका विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा।

- (5) यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छ है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो वह यह निदेश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप सरकार के पक्ष में सम्पन्न कर लिया जाए और किसी अन्य दशा में जांच समाप्ति पर अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा दिया जाए।

49ट. प्रतिरूपण के खिलाफ उपाय

- (1) हर ऐसा निर्वाचक, जिसकी अनन्यता की बाबत, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो गया है, अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को करने देगा, और उस पर अमिट स्याही का चिह्न लगाने देगा।
- (2) यदि कोई निर्वाचक-
- (क) अपनी बाईं तर्जनी के उपनियम (1) के अनुसार निरीक्षित या चिह्नित कराने से इंकार करता है या उसकी अपनी बाईं तर्जनी पर ऐसा चिह्न पहले से है या ऐसे स्याही चिह्न को हटाने की दृष्टि से कोई कार्य करता है, अथवा
- (ख) नियम 49ज के उपनियम (3) द्वारा यथापेक्षित रूप में अपना अभिज्ञान-पत्र पेश करने में असफल होता है या पेश करने से इंकार करता है, तो उसे मतदान नहीं करने दिया जाएगा।
- (3) जहाँ कि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान साथ-साथ हो वहाँ उस निर्वाचक को, जिसकी बाईं तर्जनी ऐसे एक निर्वाचन में, अमिट स्याही से चिह्नित कर दी गई है या जिसने अपना अभिज्ञान-पत्र ऐसे एक निर्वाचन में पेश कर दिया है, उप-नियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दूसरे निर्वाचन के लिए मतदान नहीं करने दिया जाएगा।
- (4) इस नियम में निर्वाचक की बायीं तर्जनी के प्रति किसी निर्देश का उस दशा में जिसमें निर्वाचक की बाईं तर्जनी नहीं है ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी ऐसी उंगली के प्रति निर्देश है और जहाँ कि उसके बाएं हाथ की सब उंगलियां न हों वहाँ ऐसे अर्थ लगाया जाएगा कि मानो वह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहाँ कि उसके दोनों हाथों की सब उंगलियां नहीं हैं वहाँ ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसकी बाईं या दाहिनी भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश हो जैसा कि उसका है।

49ठ. मतदान मशीनों द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया-

(1) किसी निर्वाचक को मतदान करने की अनुज्ञा देने के पूर्व, मतदान अधिकारी-

- (क) निर्वाचक का निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 17क में निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में प्रविष्ट है, अभिलिखित करेगा।
- (ख) उक्त मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा, और
- (ग) निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में यह उपदर्शित करने के लिए चिन्हित करेगा कि उसको मतदान करने की अनुज्ञा दी गई है;
- (घ) अपनी पहचान के सबूत में निर्वाचक द्वारा उत्पादित दस्तावेज का विवरण दें;

परन्तु यह कि किसी निर्वाचक को तब तक मतदान नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उसने मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर न किए हों या अंगूठे की छाप न लगाई हो।

(2) नियम 2 के उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के अंगूठे की छाप को अनुप्रमाणित करें।

49ड. निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया

- (1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम 49ठ के अधीन मत देने लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए इसके पश्चात् अभिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।
- (2) मतदान करने के लिये अनुज्ञात किए जाने पर तत्काल निर्वाचक पीठासीन अधिकारी के पास या मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट के भारसाधक मतदान अधिकारी के पास जाएगा जो, नियंत्रण यूनिट पर समुचित बटन दबाकर, निर्वाचक का मत अभिलिखित करने के लिए मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा।

(3) निर्वाचक उसके पश्चात् तत्काल -

(क) मतदान कोष्ठ में जाएगा;

(ख) उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने जिसको वह मत देने का आशय रखता है, मतदान यूनिट का बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा, और

(ग) मतदान कोष्ठ से बाहर जाएगा तथा मतदान केन्द्र से बाहर चला जायेगा।

परंतु जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है, खंड (ख) में यथानिर्दिष्ट बटन दबाकर मतदान करने पर निर्वाचक मतदान कोष्ठ के अन्दर मतदान यूनिट के साथ रखे प्रिंटर की पारदर्शी खिड़की से प्रिंटर के ड्रापबॉक्स में ऐसी कागज की पर्ची कटकर गिरने के पूर्व उस अभ्यर्थी का क्रम संख्यांक, नाम और चिह्न, जिसे उसने अपना मत दिया है, दर्शित करने वाली मुद्रा कागज की पर्ची देखने में समर्थ होगा।

(4) हर निर्वाचक असम्यक् विलंब के बिना मत देगा।

(5) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने दिया जाएगा।

(6) यदि कोई निर्वाचक, जिसे नियम 49ठ या 49त के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त नियमों के उप-नियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी इंकार करें, तो पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के निर्देश से मतदान अधिकारी ऐसे निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

(7) जहाँ उप-नियम (6) के अधीन निर्वाचक का मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर से मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचक के नाम के सामने प्ररूप 17क में इस आशय का टिप्पणी लिखेगा कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है।

49डक. कागज की पर्ची पर मुद्रित विशिष्टियों के बारे में आरोप की दशा में प्रक्रिया-

(1) जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर प्रयुक्त किया जाता है, यदि नियम 49ड के अधीन अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् निर्वाचक यह आरोप लगाता है कि प्रिंटर से निकली हुई कागज

की पर्ची में उस अभ्यर्थी से भिन्न अभ्यर्थी का नाम और चिह्न दर्शाया गया है जिसे उसने मत दिया था, तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को झूठी घोषणा करने के परिणाम के बारे में चेतावनी देने के पश्चात, निर्वाचक से आरोप के संबंध में लिखित घोषणा प्राप्त करेगा।

- (2) यदि निर्वाचक उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट लिखित घोषणा देता है तो पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में उस निर्वाचक से संबंधित दूसरी प्रविष्टि करेगा, अपनी उपस्थिति में तथा अभ्यर्थियों या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में, जो मतदान केन्द्र में उपस्थित रह सकेंगे तथा प्रिंटर द्वारा निकाली गई कागज की पर्ची का प्रेक्षण करेंगे, निर्वाचक को मतदान मशीन में एक परीक्षण मतदान अभिलिखित करने की अनुज्ञा देगा।
- (3) यदि आरोप सत्य पाया जाता है तो, पीठासीन अधिकारी तथ्यों की रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को करेगा, उस मतदान मशीन में और मत अभिलिखित करना बन्द कर देगा तथा उन निदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिए जाएं।
- (4) तथापि, यदि आरोप मिथ्या पाया जाता है और उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निकाली हुई कागज की पर्ची उप नियम (2) के अधीन निर्वाचक द्वारा अभिलिखित परीक्षण मत से मेल खाती है तो पीठासीन अधिकारी-
 - (i) प्ररूप 17(क) में उस अभ्यर्थी का क्रम संख्यांक और नाम जिसके लिए ऐसा परीक्षण मत अभिलिखित किया गया है, वर्णित करते हुए उस निर्वाचक से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के सामने उस प्रभाव की टिप्पणी करेगा;
 - (ii) ऐसी टिप्पणियों के सामने उस निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लेगा; और
 - (iii) प्ररूप 17ग के भाग-1 के मद 5 में ऐसे परीक्षण मत के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा।

49थ. अंधे या अशक्त निर्वाचकों के मतों का अभिलेखन-

- (1) यदि पीठासीन अधिकारी का समाधान हो जाता है कि अंधेपन या अन्य अशक्तता के कारण कोई निर्वाचक मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीक को पहचानने में या सहायता के बिना उसका समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी, निर्वाचक को अपनी ओर से अपनी इच्छाओं के अनुसार मत

अभिलिखित करने के लिए अपने साथ अठारह वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा;

परंतु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

परंतु यह और भी कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के तौर पर कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसके उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथी के तौर पर पहले कार्य नहीं किया है।

- (2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन के सभी मामलों का प्ररूप 14क में अभिलेख रखेगा।

49ण. निर्वाचक का मत न देने के लिए विनिश्चय करना

यदि कोई निर्वाचक, उसका निर्वाचक नामावली संख्यांक मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 17क में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किए जाने और नियम 49थ के उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित रूप से उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे की छाप लगाने के पश्चात मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करता है तो उस आशय की एक टिप्पणी पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में उक्त प्रविष्टि के सामने लिखेगा और निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त करेगा।

49न. निविदत्त मत

- (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसका मतदान किसी अन्य निर्वाचक द्वारा पहले किया जा चुका है, स्वयं को असली निर्वाचक के रूप में प्रमाणित करता है, तो उसे, पीठासीन अधिकारी द्वारा उसकी पहचान से संबंधित ऐसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने पर बैलेटिंग यूनिट के माध्यम से वोट देने की बजाय निविदत्त मत-पत्र के साथ आपूर्ति किए गए

मतपत्र में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी, जिसका डिजाइन निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार भाषा या भाषाओं में होगा।

- (2) हर ऐसा व्यक्ति निविदत मतपत्र का प्रदाय किये जाने के पहले अपना नाम प्ररूप 17ख से संबंधित प्रविष्टि के सामने लिखेगा।
- (3) मतपत्र प्राप्त करने पर वह तत्क्षण -
 - (क) मतदान कोष्ठ में जायेगा;
 - (ख) अपना मत मतदान पत्र पर उस प्रयोजन के लिए उसे दिये गये उपकरण या वस्तु से उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, यह क्रॉस चिन्ह (x) लगाकर अभिलिखित करेगा;
 - (ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाये;
 - (घ) पीठासीन अधिकारी को, यदि अपेक्षित हो तो, मतपत्र पर लगा विशेष चिन्ह दर्शित करेगा;
 - (ङ) उसे पीठासीन अधिकारी को देगा, जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा; और
 - (च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जायेगा।
- (4) यदि अंधेपन या अशक्तता के कारण ऐसा निर्वाचक सहायता के बिना अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन रखते हुए नियम 49ड में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् एक साथी अपने साथ ले जाने की अनुज्ञा देगा।

49थ. मतदान के दौरान कोष्ठ में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश करना-

- (1) जब कभी पीठासीन अधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझे, तब वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि उसमें की मतदान यूनिट में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ या हस्तक्षेप न किया जाए।
- (2) यदि पीठासीन अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि कोई निर्वाचक जिसने मतदान कोष्ठ में प्रवेश किया है, किसी मतदान यूनिट में गड़बड़ कर रहा है या अन्यथा

उसमें हस्तक्षेप कर रहा है या मतदान कोष्ठ में असम्यक देरी तक बना रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जैसे मतदान की निर्विघ्न और व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

- (3) जब कभी पीठासीन अधिकारी मतदान कोष्ठ में इस नियम के अधीन प्रवेश करे तब वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसी इच्छा करें तो अपने साथ जाने देगा।

49द. मतदान बंद करना

- (1) पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र को धारा 56 के अधीन निश्चित समय पर बंद कर देगा और तत्पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने देगा:
परंतु मतदान केन्द्र के बंद किए जाने के पूर्व उसमें उपस्थित सब निर्वाचक अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे।
- (2) यदि कोई प्रश्न इस बाबत पैदा होता है कि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र बंद किए जाने के पूर्व वहाँ उपस्थित था या नहीं, तो उसका विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उनका विनिश्चय अंतिम होगा।

49ध. अभिलिखित मतों का लेखा

- (1) पीठासीन ऑफिसर मतदान के बन्द होने पर प्ररूप 17ग मतों का लेखा तैयार करेगा और उसे पृथक लिफाफे में परिवेष्टित कर उस पर 'अभिलिखित मतों का लेखा' शब्द लिखेगा।-
- (2) पीठासीन ऑफिसर मतदान के बन्द होने पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 17ग में की गई प्रविष्टियों की एक सही प्रति उस मतदान अभिकर्ता से उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात देगा और उसे सही प्रति के रूप में अनुप्रमाणित करेगा।

49न. मतदान के पश्चात मतदान मशीन को सील किया जाना

- (1) मतदान के बन्द होने के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से, पीठासीन ऑफिसर यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और मतों का अभिलेखन न किया जा सके नियंत्रण यूनिट को बन्द कर देगा और मतदान यूनिट को नियंत्रण और प्रिंटर से जहां प्रिंटर प्रयुक्त होता है, से पृथक कर देगा, किन्तु इस प्रकार की प्रिंटर के ड्रापबॉक्स में अंतर्विष्ट कागज की पर्चियां अक्षुण्ण रहेंगी।

- (2) नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट और प्रिंटर को उसके पश्चात अलग-अलग रूप से उस रीति से जैसा कि निर्वाचन आयोग निर्देशित करे सील बंद और सुरक्षित किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा इस प्रकार लगाई जाएगी कि बिना सील को तोड़े यूनिटों का खोलना संभव नहीं होगा।
- (3) मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता, जो उनकी सील लगाने की इच्छा करे, को भी ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

49प. अन्य पैकेटों को मुहरबंद करना

- (1) पीठासीन अधिकारी:
 - (क) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के;
 - (ख) प्ररूप 17क में मतदाता रजिस्टर के;
 - (ग) निविदत मतपत्रों को अंतर्विष्ट रखने वाले लिफाफे और प्ररूप 17ख में सूची के;
 - (घ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची में; और
 - (ङ) किन्हीं अन्य ऐसे कागज-पत्रों के, जिनकी बाबत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि वे मुद्राबंद पैकेट में रखे जाएं, पृथक पैकेट बनाएगा।
- (2) ऐसे हर पैकेट पीठासीन अधिकारी की ओर से या तो अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचक अभिकर्ता अथवा उसके मतदान अभिकर्ता को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो और उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहे, मुद्रा से मुद्रांकित किया जाएगा।

49र. वोटिंग मशीन आदि रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपना

- (1) पीठासीन अधिकारी तब इन्हें रिटर्निंग ऑफिसर को सुपुर्द करेगा, या सुपुर्द करने की व्यवस्था करेगा, ऐसे निर्धारित स्थान पर जहाँ रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्देशित किया गया हो।
 - (क) मतदान मशीन;

- (ख) प्ररूप 17ग में अभिलिखित मतों का लेखा;
 - (ग) नियम 49य में निर्दिष्ट सील पैकेट; और
 - (घ) मतदान में उपयोग में लगाए गए सब अन्य कागज-पत्र
- (2) रिटर्निंग ऑफिसर मतदान मशीन, पैकेटों और अन्य कागज-पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारंभ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए यथायोग्य इंतजाम करेगा।

49ल. मतदान के स्थगन से संबंधित प्रक्रिया

- (1) यदि मतदान किसी मतदान केन्द्र में धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया जाता है तो नियम 49म से 49ल तक के उपबंध यथासाध्य ऐसे लागू होंगे मानों मतदान का समापन का समाधान धारा 56 के अधीन इस निमित्त तय समय पर हुआ हो।
- (2) जब स्थगित मतदान धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन पुनः प्रारंभ हुआ है तब उन निर्वाचकों को जिन्होंने ऐसे स्थगित मतदान में पहले ही मत दिया था पुनः मत देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (3) रिटर्निंग ऑफिसर उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को, जहां मतदान स्थगित होता है सील जिसमें निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति अंतर्विष्ट है, प्ररूप 17क में निर्वाचक रजिस्टर वाला एक सीलबंद पैकेट और एक नई उपलब्ध करवाएगा।
- (4) पीठासीन अधिकारी उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं, की मौजूदगी में सीलबंद पैकेट को खोलेगा और मतदान स्थगन के लिए मत देने के लिए अनुमति प्राप्त निर्वाचकों का नाम चिह्नित करने के लिए निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का उपयोग करेगा।
- (5) नियम 28 और नियम 49क से 49ल तक के उपबंध स्थगित मतदान के संचालन के संबंध में ऐसे स्थगन से पूर्व किए जाने वाले मतदान की तरह लागू होंगे।

49व. बूथ पर कब्जा करने की दशा में वोटिंग मशीन का बंद किया जाना

जहाँ पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत किसी स्थान पर बूथ कैपचरिंग किया जा रहा है, वहाँ वह मतदान रोकने के लिए मशीन के कंट्रोल यूनिट को तुरंत बंद कर देगा कि कोई और मत न डाले जाएं तथा मतदान यूनिट को कंट्रोल यूनिट से अलग कर देगा।

अनुलग्नक 3

(अध्याय 1, पैरा 1.5)

पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा

- I. नियुक्त होने पर।
- II. मतदान के दिन से एक दिन पहले को मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर।
- III. मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर।
- IV. मतदान के समय के दौरान।
- V. मतदान की समाप्ति के बाद।

I. नियुक्ति होने पर

- 1.1. जब आप अपना नियुक्ति आदेश प्राप्त कर लें, तब आप कृपया निम्नलिखित बातों की सावधानीपूर्वक जाँच और परीक्षण कर लें:-

- (क) अपने मतदान केन्द्र का नाम और उसका संख्यांक;
- (ख) उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जिसके भीतर वह मतदान केन्द्र स्थित है;
- (ग) अपने मतदान केन्द्र का सही स्थान।

यह सूचना आपको अपने नियुक्ति आदेश में ही मिल जायेगी। आपको अपने मतदान अधिकारियों के नाम भी उसी आदेश में मिल जाएंगे, आप उनसे सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न करें और उनके घर के तथा कार्यालय के पते अपने पास रख लें और अपने घर का तथा कार्यालय का पता उनको दे दें।

आप अधिक से अधिक प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित हों ताकि आप ईवीएम और वीवीपीएटी के प्रचालन से पूर्ण रूप से सुपरिचित हो जायें। आप अपनी स्मरण शक्ति और पूर्व अनुभवों पर कदापि निर्भर न रहें क्योंकि इससे आपको धोखा हो सकता है। अनुदेशों में समय-समय पर बहुत परिवर्तन होते रहते हैं।

- 1.2. निम्नलिखित पैम्फलेटों और पुस्तिकाओं को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ लें:-
 - (क) पीठासीन अधिकारियों के लिये पुस्तिका;
 - (ख) ईवीएम और वीवीपीएटी की नियमावली;
 - (ग) रिटर्निंग ऑफिसर का पीठासीन अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए पत्र।
- 1.3 आप मतदान सामग्री की मदों से परिचित हो जायें।
- 1.4 आप कंट्रोल यूनिट बीयू, वीएसडीयू और वीवीपीएटी को परस्पर जोड़ने और अलग करने तथा कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को बंद करने और सीलबंद करने की विधि का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।
- 1.5 आप विभिन्न प्रकार के सांविधिक और गैर-सांविधिक प्ररूपों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें।
- 1.6 आप अनुलग्नक 1 में दिए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 की सुसंगत धाराओं और अनुलग्नक 2 में दिए गए निर्वाचन के संचालन नियम, 1961 के सुसंगत नियमों को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ लें। यदि आपको कोई भी संदेह हो तो आप अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सम्पर्क करें और संदेह का निराकरण कर लें। आप कभी किसी बात के बारे में भ्रम की स्थिति में न रहें।

II. मतदान के दिन से एक दिन पहले का दिन

- 2.1 मतदान के दिन से एक दिन पूर्व के दिन को आपसे कहा जायेगा कि आप मतदान केन्द्र पर उपयोग में आने वाली सामग्री ले लें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि:
 - (क) आपको दी गई कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों) और वीवीपीएटी आपके मतदान केन्द्र से ही संबंधित है।
 - (ख) कंट्रोल यूनिट का 'कैंडिडेट सेट सेक्शन' सम्यक् रूप से सीलबंद है और एड्रेस टैग उससे मजबूती से लगा हुआ है।
 - (ग) कंट्रोल यूनिट की बैटरी पूर्ण रूप से प्रचालनात्मक है।
 - (घ) बैलट यूनिट (यूनिटों) के सिरे और तल दोनों के दाहिने भाग को सम्यक् रूप से सीलबंद कर दिया गया है और एड्रेस टैग मजबूती से लगा दिये गये हैं;

- (ड) समुचित मतपत्र प्रत्येक मतदान यूनिट पर लगा दिया गया है और मतपत्र स्क्रीन के नीचे उचित रूप से पंक्तिबद्ध कर दिया गया है।
- (च) स्लाइड / थम्ब व्हील को प्रत्येक मतदान में समुचित स्थिति में सेट कर दिया गया है;
- (छ) अनुलग्नक 19 में उल्लिखित मतदान सामग्री की सभी वस्तुएं अपेक्षित मात्रा में आपको दे दी गई हैं,
- (ज) पेपर सीलों की क्रम संख्याओं की जाँच कर लें;
- (झ) निर्वाचक नामावली की जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए कर लें कि:-
- (1) अनुपूरक सूचियों की प्रतियाँ दे दी गयी हैं;
 - (2) निर्वाचक नामावली और अनुपूरक सूचियों पर भाग संख्या सही दी गई है;
 - (3) निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रतियों में पृष्ठ संख्या क्रमबद्ध रूप से दी गयी है;
 - (4) मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्याओं में शुद्धियां नहीं की हुई हैं और न ही उनके स्थान पर वैकल्पिक नई संख्या दी गई है;
 - (5) अनुपूरक सूचियों के अनुसार नामों को हटा दिया गया है और लिपिकीय या अन्य प्रकार की गलतियों को ठीक कर दिया गया है।
- (ञ) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और अभ्यर्थी की सूची की जो प्रति आपको दी गयी है उसकी जाँच कर लें/सूची में दिये गये अभ्यर्थियों के नामों और प्रतीकों का मिलान करना चाहिए और उसका क्रम भी मतदान यूनिट पर लगे मतपत्र के क्रम के अनुरूप होना चाहिए। यह भी जाँच लें कि आपको निम्न सूची प्राप्त हो गयी हो:
1. मतदान केन्द्र के क्षेत्र के चित्रण से संबंधित नोटिस
 2. एसडी, एआईएस और सीएसवी सूची
- (ट) इस बात की जाँच कर लें कि आपको अमिट स्याही की जो शीशी दी गयी है उसमें अमिट स्याही की पर्याप्त मात्रा है और उनकी डाट ठीक तरह से सील की हुई है; यदि ऐसा न हो तो मोमबत्ती मोम से उसे पुनः सीलबंद कर दें।
- (ठ) ऐरो क्रॉस मार्क रबर की मुहर और अपनी पीतल की मुहर की जाँच कर लें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि दोनों तरफ ऐरोक्रास मार्क रबर की मुहरें चिपकी हुई हैं और स्टाम्प

पैड सूखे नहीं हैं। यदि आपके मतदान केन्द्र को किसी अस्थायी संरचना में (Temporary Structure) अवस्थित होने का प्रस्ताव हो तो आप निर्वाचन पत्रों को रखने के लिए पर्याप्त आकार के लोहे का सन्दूक प्राप्त कर लें।

(ड) यदि आपको अपने आने-जाने के कार्यक्रम, मतदान केन्द्र पर पहुंचने के मार्ग के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह हो, तो आप उसकी पुष्टि कर लें और केन्द्र पर पहुंचने का समय प्रस्थान करने का स्थान और जाने के लिए वाहन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें।

2.2 (क) आप अपने मतदान केन्द्र पर मतदान के दिन से पूर्व के दिन, अधिक से अधिक 4 बजे सायं तक, पहुंच जाएं और यह सुनिश्चित कर लें कि -

- (i) मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं को प्रतीक्षा करने के लिए और पुरुष और महिला मतदाताओं की अलग-अलग पंक्तियों के लिये पर्याप्त स्थान हैं;
- (ii) मतदाताओं के प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए पृथक-पृथक रास्ते हैं;
- (iii) मतदान क्षेत्र और उसके मतदाताओं के बारे में ब्यौरे दर्शाने वाली सूचना विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है;
- (iv) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है;

(ख) महिला सहायक सहित ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें जिनकी सहायता की जरूरत आपको मतदाताओं की पहचान करने के लिए होगी।

(ग) वह स्थान नियत कर लें जहाँ आप, आपका मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता बैठेंगे और वोटिंग मशीनकी कंट्रोल यूनिट रखी जायेगी।

(घ) किसी राजनैतिक दल के किसी नेता का कोई भी फोटो मतदान केन्द्र पर टंगा हो तो उसे हटा दें या पूर्णतया ढक दें।

2.3 आपको सौंपी गई मतदान मशीन, वीवीपीएटी और मतदान सामग्री तब तक आपकी अभिरक्षा में रहनी चाहिए, जब तक मतदान समाप्त न हो जाये तथा मतदान मशीन, वीवीपीएटी और मतदान सामग्री आपके द्वारा वापस न सौंप दी जाये। मतदान केन्द्र पर आपके पहुंचने के क्षण से ही आप या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारियों में से कोई एक मतदान केन्द्र पर मतदान मशीन, वीवीपीएटी और मतदान सामग्री का प्रभारी रहना चाहिए। मतदान मशीन, वीवीपीएटी और मतदान सामग्री की आप वीवीपीएटी स्वयं या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारी के अलावा मतदान केन्द्र पर कार्यरत पुलिस गार्ड या किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

III. मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर

- 3.1 आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप और आपके मतदान दल के अन्य सदस्य मतदान आरंभ होने के मतदान दिवस से एक दिन पूर्व मतदान केन्द्र पर पहुंच जायें। आप वोटिंग मशीन और मतदान सामग्री प्राप्त होने पर उनकी जाँच कर लें।
- 3.2 मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों की जाँच कर लें और उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंध समझा दें। उनके बैठने की जगह नियत कर दें, और उन्हें आने-जाने के लिए प्रवेश-पत्र जारी कर दें। अध्याय 16 में यथानिर्दिष्ट घोषणा पढ़कर सुना दें।
- 3.3 यदि आपके मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी नहीं आया हो तो आप उसके स्थान पर एक मतदान अधिकारी की नियुक्ति करने की व्यवस्था करें।
- 3.4 मतदान के आरंभ के लिए नियत समय से एक घण्टे पूर्व छद्म मतदान (मॉक पोल) के संचालन सहित वोटिंग मशीन तैयार करना प्रारंभ कर दें।
- 3.5 छद्म मतदान संचालित करने के पश्चात वोटिंग मशीन से छद्म मतदान डाटा हटा दें और सीयू और वीवीपीएटी को सील करने के पहले, वीवीपीएटी की पेपर पर्ची और बीयू के डाटा को क्लीयर कर दें। मतदान केन्द्र में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर लेने के बाद, छद्म मतदान प्रमाण पत्र तैयार करें। साथ ही ही आरओ को छद्म मतदान के दौरान सभी मतदान अभिकर्ताओं की गैर मौजूदगी या केवल एक अभिकर्ता की मौजूदगी की रिपोर्ट करें।
- 3.6 ग्रीन पेपर सील लगा दें और कंट्रोल यूनिट के परिणाम भाग को बंद तथा सीलबंद कर दें। वीवीपीएटी के ड्राप बॉक्स को सील करें।
- 3.7 अमिट स्याही की शीशी इस तरीके से रखें जिससे स्याही फैलने न पाये।

IV. मतदान अवधि के दौरान

- 4.1. आप यह सुनिश्चित कर लें कि मतदान ठीक नियत समय पर ही प्रारंभ हो। यद्यपि सारी औपचारिकताएं पूरी न भी हुई हों तो भी नियत समय पर कुछ मतदाताओं को मतदान केन्द्र के अंदर आ जाने दें।
- 4.2 मतदान के दौरान असाधारण प्रकृति के अनेक जटिल मामले उत्पन्न होने की संभावना रहती है। आप ऐसे मामलों को स्वयं निपटारें और मतदान अधिकारियों को अपना सामान्य कार्य करने दें। ऐसे मामले निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं:-

- (क) किसी निर्वाचक के बारे में अभ्याक्षेपण (चैलेंज) (अध्याय 18);
- (ख) अवयस्कों द्वारा मतदान (अध्याय 18);
- (ग) नेत्रहीन या अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान (अध्याय 22);
- (घ) मत नहीं देने का विनिश्चय करने वाले निर्वाचक (अध्याय 23);
- (ङ) निविदत्त मत (अध्याय 26);
- (च) मतदान की गोपनीयता भंग करना (अध्याय 21);
- (छ) बूथ पर उपद्रवी आचरण और उपद्रवी व्यक्तियों का वहाँ से हटाया जाना (अध्याय 17);
- (ज) उपद्रव या किसी अन्य कारण से मतदान का स्थगन (अध्याय 27);
- (झ) वीवीपीएटी पेपर स्लिप पर मुद्रित विवरण के संबंध में शिकायत। (अध्याय 20)

- 4.3. प्रत्येक दो घंटे बाद मतदान से संबंधित आंकड़ों की सूचना अपनी डायरी की मद 19 के संकलन के लिए इकट्ठी करें। साथ ही ब्रेल मत का उपयोग करने वाले निर्वाचक की जानकारी रखें।
- 4.4. नियत समय पर मतदान बंद करा दें भले ही मतदान कुछ देर से प्रारंभ किया गया हो। उस समय जो व्यक्ति पंक्ति में खड़े हो, उनको आप अपने हस्ताक्षर करके पर्चियाँ बटवा दें। यह सुनिश्चित कर लें कि नियत समय के पश्चात् कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति उस पंक्ति में न आ पाये।

V. मतदान पूरा होने के पश्चात्

- 5.1. अध्याय 28 और 30 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी को बंद और सीलबंद कर दें।
- 5.2. उन महिला मतदाताओं तथा वे मतदाता जिन्होंने एपिक के बिना वैकल्पिक दस्तावेज के साथ, जिन्होंने ब्रेल का उपयोग करके अथवा एसडी सूची के अनुसार मत दिया है, की संख्या अभिनिश्चित करें।

- 5.3. प्ररूप 17ग (दर्ज किये गये मतों का लेखा और पेपर सील लेखा) पूरा कर लें। मतदान के बंद होने पर वहाँ उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 17ग की एक अनुप्रमाणित मूल प्रति, अध्याय 29 में यथानिर्दिष्ट घोषणा प्ररूप पर उनसे उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात् दे दें। उसके पश्चात् उस घोषणा के अन्य विवरणों को पूरा कर लें।
- 5.4. पीठासीन अधिकारी की अपनी डायरी पूरी तरह से भर लें।
- 5.5. अध्याय 31 में अनुदेशों के अनुसार सभी निर्वाचन पत्रों को सीलबंद कर दें।
- 5.6. पांच सांविधिक लिफाफों का प्रथम पैकेट तैयार कर लें।
- 5.7. ग्यारह असांविधिक लिफाफों का द्वितीय पैकेट तैयार कर लें।
- 5.8. सात मदों (items) का तृतीय पैकेट तैयार कर लें।
- 5.9. सभी अन्य वस्तुओं का चतुर्थ पैकेट तैयार कर लें।
- 5.10. सीलबंद मतदान मशीन, वीवीपीएटी और निर्वाचन पत्रों के सीलबंद पैकेट संग्रहण केन्द्र में जमा कराने के लिए वापसी यात्रा के कार्यक्रम का अनुसरण करें। संग्रहण केन्द्र पर मतदान मशीन, वीवीपीएटी और अन्य पैकेटों को अक्षुण्ण स्थिति में जमा कराने और उनकी रसीद प्राप्त करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से आपकी है। यह देख लें कि आपने आठ भिन्न-भिन्न वस्तुएं सौंप दी हैं, अर्थात्:-
 1. ईवीएम और वीवीपीएटी;
 2. रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सील लेखों का लिफाफा;
 3. पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं का लिफाफा;
 4. पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा;
 5. निरीक्षण पत्रक वाला लिफाफा;
 6. प्रथम पैकेट "सांविधिक लिफाफे" जिसमें पांच लिफाफे हों;
 7. द्वितीय पैकेट "असांविधिक लिफाफे" जिसमें ग्यारह लिफाफे हों;
 8. तृतीय पैकेट जिसमें मतदान सामग्री की सात वस्तुएं हैं, और
 9. चौथा पैकेट जिसमें सभी अन्य वस्तुएं, यदि कोई हों।

अनुलग्नक 4

प्ररूप 21- मतदान के पश्चात निर्वाचन रिकार्ड एवं सामग्रियों की वापसी की रसीद (दो प्रतियों में तैयार करें)

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक मतदान केन्द्र क्रमांक के पीठासीन अधिकारी के द्वारा उपयोग पश्चात् सौंपे गये वोटिंग मशीन(मशीनों), सीलबंद लिफाफे तथा अन्य सामग्रियों को दिखाने वाली विशिष्टियों का ब्यौरा।

I.	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन(मशीनें)	
	(i) सीलबंद इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन (मशीनों)	: संख्या
	(ii) अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (मशीनों)	: संख्या
II.	पेपर सील के लेखा वाले लिफाफे	: संख्या
III.	पीठासीन अधिकारी के घोषणा पत्र का लिफाफा	: संख्या
IV.	पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा	: संख्या
V.	मतदान कर्मचारियों के टी.ए. का प्रेषण रोल	: संख्या
VI.	पैकट:-	

(क) पैकेट-1 सांविधिक लिफाफे

- (1) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति वाला सीलबंद लिफाफा
- (2) मतदाताओं के रजिस्टर का सीलबंद लिफाफा (प्ररूप 17क)
- (3) निर्वाचक पर्चियों का सीलबंद लिफाफा
- (4) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का सीलबंद लिफाफा

(5) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्ररूप 17ख की सूची का सीलबंद लिफाफा।

(ख) पैकेट II - असांविधिक लिफाफे

- (1) निर्वाचक नामावली (चिन्हित प्रति से भिन्न) की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा
- (2) प्ररूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा;
- (3) प्ररूप 12ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र से युक्त लिफाफा;
- (4) प्ररूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची से युक्त सीलबंद लिफाफा;
- (5) प्ररूप 14क में नेत्रहीन या अशक्त निर्वाचकों की सूची और उसके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा;
- (6) निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची से युक्त लिफाफा;
- (7) अभ्याक्षेपित मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नकद, यदि कोई हो, से युक्त लिफाफा;
- (8) अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा;
- (9) अप्रयुक्त निर्वाचक स्लिपों से युक्त लिफाफा
- (10) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा; और
- (11) उप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा।

(ग) पैकेट III - निम्नलिखित मदों से युक्त

- (1) पीठासीन अधिकारी 2018 के लिए पुस्तिका
- (2) ईवीएम और वीवीपीएटी की नियम पुस्तिका
- (3) अमिट स्याही सैट
- (4) स्टाम्प पैड
- (5) पीठासीन अधिकारी की पीतल की मुहर
- (6) निविदत्त मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरोक्रॉस मार्क रबर स्टाम्प
- (7) अमिट स्याही रखने के लिए कप

(घ) पैकेट नम्बर IV निम्नलिखित मदों से युक्त

- (1) अप्रयुक्त कैनवा थैला/कपड़ा

- (2) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सीलबंद पैकेट में रखे जाने हेतु निर्देशित कोई अन्य कागजात जिन्हें सीलबंद पैकेट में रखा जाना हो से युक्त लिफाफा
- (3) अन्य समस्त मर्दे यदि कोई हो, चौथे पैकेट में रखी जानी चाहिए।

VII. मतदान कोष्ठ

: संख्या

सौंपा गया

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्राप्त किया गया/प्राप्त करने वाले

अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र क्रमांक.....

अनुलग्नक 5

(अध्याय 16, पैरा 16.2)

पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

भाग-I

मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

..... संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम.....

मतदान की तारीख.....

मैं, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ :

(1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को -

(क) छद्म मतदान आयोजित कर के यह प्रदर्शित कर दिया है कि वोटिंग मशीनपूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है;

(ख) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन झूटी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है;

(ग) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है;

(2) कि मैंने वोटिंग मशीन के कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिये प्रयुक्त पेपर सील(लों) पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

- (3) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर कन्ट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं। अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिये हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
- (4) मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
- (5) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या पढ़ दी है और उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर.....

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर:

- 1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 4. (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
5..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 6. (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
7..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 8. (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
9..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इंकार किया:

- 1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 4..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

दिनांक.....

भाग II

पीठासीन अधिकारी द्वारा तदनन्तर वोटिंग मशीन के उपयोग, यदि कोई हो, के समय घोषणा

..... संसदीय / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम.....

मतदान की तारीख.....

मैं, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :

(1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को प्रदर्शित कर दिया है कि-

(क) छद्म मतदान आयोजित प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं है;

(ख) यह कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्रों और निर्वाचन इयूटी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उपयोग में लाए गए चिन्हों के अलावा कोई अन्य चिन्ह नहीं है;

(ग) यह कि मतदान के समय उपयोग में लाए जाने वाले निर्वाचक रजिस्टर (प्ररूप 17क) पर किसी अन्य निर्वाचक के संबंध में प्रविष्टि नहीं है;

(2) यह कि मैंने पेपर सील (लों) जो वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन को सुरक्षित रखती है, पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(3) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिये हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(4) यह कि मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

- (5) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या पढ़ दी है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों / मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है।

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर:

- 1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 4. (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
5..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 6. (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
7..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 8. (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
9..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इंकार किया:

- 1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 4..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

दिनांक.....

भाग III

मतदान के अन्त में घोषणा

मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान समाप्त होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ध (2) के अधीन यथा-अपेक्षित प्रारूप 17ग के भाग-I 'रिकार्ड किये गये मतों का लेखा' में प्रत्येक प्रविष्टि की एक-एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है।

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

तिथि.....

समय.....

.....

रिकार्ड किये गये मतों के लेखों (प्रारूप 17ग का भाग-I) में की गयी प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर:

- 1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
- 3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 4. (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
- 5..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 6. (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
- 7..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 8. (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
- 9..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने जो मतदान समाप्त होने के समय उपस्थित थे, प्रारूप 17ग के भाग-I की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इंकार कर दिया है। अतः उन्हें उक्त रूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गयी है।

- | | |
|--|--|
| 1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) | 2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) |
| 3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) | 4..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) |
| 5..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) | 6..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) |
| 7..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) | 8..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) |
| 9..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) | |

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

दिनांक.....

समय.....

भाग IV

वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात घोषणा

वोटिंग मशीन की कन्ट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने अपनी मुहर लगा दी है, और उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान के अन्त में मतदान केन्द्र में उपस्थित थे, उनकी सील लगाने की अनुज्ञा दे दी है।

पीठासीन अधिकारी के
हस्ताक्षर

दिनांक.....

समय.....

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी सील लगा दी है।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर:

- 1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
- 3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 4. (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
- 5..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 6. (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने सील लगाने से इंकार कर दिया या सील लगानी नहीं चाही:

- 1..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 2..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)
- 3..... (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता) 4. (अभ्यर्थी..... का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

तिथि.....

अनुलग्नक 6

(अध्याय 18, पैरा 18.6.1)

थाना अधिकारी को शिकायती पत्र

सेवा में

थाना अधिकारी,

.....

.....

विषय: संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधान
सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन-मतदान केन्द्र (संख्या..... और नाम
.....) में प्रतिरूपण

मतदान की तारीख

महोदय,

मुझे यह सूचित करना है कि श्री पुत्र श्री
और निवासी ने उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आक्षेप किया है जिसे
..... के सुपुर्द किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने श्री होने
का दावा किया है जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग
सं. में क्रम सं. पर दर्शित है। वह व्यक्ति यह
साबित नहीं कर सका है कि वह वही निर्वाचक है। मेरे विचार में वह छद्मवेशी है। अतः आपसे निवेदन
है कि आप भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-एफ के अधीन यथा-अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करें।

स्थान.....

भवदीय,

हस्ताक्षर, पीठासीन अधिकारी

तिथि.....

.....

प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और*..... को प्रेषित।

प्रति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और*..... को प्रेषित।

हस्ताक्षर, पीठासीन अधिकारी

पावती

उक्त पत्र तथा उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा (तारीख) को
..... बजे (समय) मेरे सुपुर्द किए गए।

* यहाँ संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर का पदेन पदनाम लिखें।

अनुलग्नक 7

(अध्याय 18, पैरा 18.10.2)

निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में घोषणा प्ररूप

मैं, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि सन् 20..... की प्रथम जनवरी को अर्थात् अर्हता की उस तारीख के जिसके प्रतिनिर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गयी थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक की थी।

मुझे, निर्वाचक नामावली या निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने संबंधी किसी मिथ्या घोषणा के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के दण्डात्मक उपबंधों के बारे में जानकारी है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप.....

पिता/माता/पति का नाम

निर्वाचक नामावली की भाग संख्या

निर्वाचक की क्रम संख्या

तारीख.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा की घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किए।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर.....

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम.....

तारीख.....

अनुलग्नक 8

(अध्याय 18, पैरा 18.5.1)

रसीद पुस्तिका

अनुलग्नक VIII

(अध्याय XVIII पैरा 5)

<p>आपति शुल्क (चैलेंज फीस) के लिए रसीद</p> <p>बुक नं. पृष्ठ सं.</p> <p>श्री..... अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता से 2 (दो रुपये मात्र) रुपये नकद, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 36 के अधीन आपति की डिपोजिट निक्षिप्त राशि के रूप में प्राप्त किए।</p> <p>तारीख.....</p> <p>मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं.</p>	<p>सरकार द्वारा जन्त</p> <p>पीठासीन अधिकारी निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 36(5) के अधीन राशि रु. 2.00 (दो रुपये मात्र) वापस प्राप्त की।</p> <p>दिनांक</p> <p>अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता का नाम और हस्ताक्षर।</p>	<p>आपति शुल्क (चैलेंज फीस) के लिए रसीद</p> <p>बुक नं. पृष्ठ सं.</p> <p>कार्यालय पीठासीन अधिकारी, संसदीय/ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदान केंद्र सं.....</p> <p>श्री</p> <p>अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता से 2 (दो रुपये मात्र) रुपये नकद, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 36 के अधीन आपति की निक्षिप्त राशि के रूप में प्राप्त किए।</p> <p>मतदान केन्द्र</p> <p>तारीख..... पीठासीन अधिकारी</p>
--	--	--

अनुलग्नक 9

(अध्याय 18, पैरा 18.10.3)

निर्धारित आयु से कम आयु वाले निर्वाचकों की सूची

..... (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) से के लिए निर्वाचन,
मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम

भाग I

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के संबंध
में घोषणाएं प्राप्त की गयीं हैं

क्र.सं.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित आयु
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				

भाग II

उन निर्वाचकों की सूची, जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में
घोषणाएं करने से इंकार कर दिया है

क्र.सं.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा- निर्धारित आयु
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

दिनांक:

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक 10

(अध्याय 22, पैरा 22.6)

नेत्रहीन अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा

.....विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (.....लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
के अंतर्गत)
मतदान केन्द्र का क्रम संख्या और नाम
मैं पुत्र श्री
आयु वर्ष, *पूरा पता का निवासी एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:-
(क) मैंने आज तारीख को किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य
निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(ख) मैं,की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त
रखूंगा/रखूंगी।

साथी के हस्ताक्षर

*पूरा पता दिया जाए

अनुलग्नक 11

(अध्याय 29, पैरा 29.1.4)

प्ररूप 17ग

[नियम 49(ध) और 56ग (2) देखिए]

भाग I - रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा

..... निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा / राज्य / संघ राज्य
क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम:

मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या:

कन्ट्रोल यूनिट

बैलेटिंग यूनिट.....

वीवीपीएटी

1. मतदान केन्द्र को नियत (असाइन्ड) निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाताओं के लिये रजिस्टर (प्ररूप 17क) में यथा-प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या।
3. नियम 49-ण के अधीन मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या।
4. नियम 49ड के अधीन मतदान के लिये अनुज्ञात नहीं किये गये मतदाताओं की संख्या।
5. नियम 49डक(घ) के अधीन रिकार्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी-
(क) घटाये जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या:

कुल संख्या

प्रपत्र 17क में मतदाताओं की क्रम संख्या

.....

.....

(ख) अभ्यर्थी, जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए:

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	मतों की संख्या
---------	-----------------	----------------

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. वोटिंग मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या
7. क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या, मद 2 के - सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या माइनस - मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या माइनस -मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिये अनुज्ञात नहीं किये गये मतदाताओं की संख्या (अर्थात् 2-3-4) से मेल करती है, अथवा कोई त्रुटि देखने में आई है।
8. उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत्त मत पत्र नियम 49त के अधीन जारी किये गये।
9. निविदत्त मतपत्रों की संख्या:

क्र.सं.

कुल

कब से

कब तक

(क) प्रयोग के लिए प्राप्त

.....

(ख) निर्वाचकों को जारी किये गए

.....

(ग) अप्रयुक्त और वापिस किये गए

.....

10. पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

1. प्रदाय की गई पेपर सील: कुल संख्या 1.....

क्र.सं. से तक

2. प्रयुक्त की गई पेपर सील: कुल संख्या 2.....

क्र.सं. से तक

3. रिटर्निंग ऑफिसर को वापिस की गई अप्रयुक्त पेपर सील

रिटर्निंग ऑफिसर: कुल संख्या 3.....

क्र.सं. से तक

4. क्षतिग्रस्त पेपर सील की, यदि कोई हो, की कुल संख्या 4.....

क्र.सं. से तक 5.....

6.....

तिथि

स्थान

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र संख्या

भाग II - मतगणना का परिणाम

अभ्यर्थी की क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित मतों की संख्या	भाग I की मद 5 के अनुसार घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या	वैध मतों की कुल संख्या (3-4)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
N.	नोटा			
कुल				

क्या उपर्युक्त दर्शित मतों की कुल संख्या भाग I की मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या से मेल खाती है या दोनों के बीच कोई विसंगति देखने में आयी है।

स्थान

तिथि

मतगणना सुपरवाइजर के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता का नाम

पूर्ण हस्ताक्षर

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

स्थान

तिथि

रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर

अनुलग्नक 12

(अध्याय 32, पैरा 32.1.1)

पीठासीन अधिकारी की डायरी

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):
2. मतदान की तारीख:
3. मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम
मतदान केन्द्र निम्नलिखित में से कहां स्थित है-
 - (i) शासकीय या अर्द्ध-शासकीय भवन;
 - (ii) निजी भवन;
 - (iii) अस्थायी संरचना;
4. स्थानीय रूप से भर्ती किये गये मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हों:
5. सम्यक् रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी, यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति के कारण:
6. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-
 - (i) उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या:
 - (ii) उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या:
 - (iii) उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या:
 - (iv) उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या:
7.
 - (i) उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या:
 - (ii) उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या:
- 7क.
 - (i) प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या:
 - (ii) प्रदाय किए गए विशेष टैग का क्रम संख्यांक:

- (iii) उपयोग में लाये गये विशेष टैग की संख्या:
- (iv) उपयोग में लाये गये विशेष टैग का क्रम संख्यांक:
- (v) अप्रयुक्त के रूप में वापस किये गये विशेष टैग की क्रम संख्या:

- 7ख. (i) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या:
(ii) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील का क्रम संख्यांक:
(iii) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या:
(iv) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील का क्रम संख्यांक:
(v) अप्रयुक्तके रूप में वापस की गई स्ट्रिप सील का क्रम संख्यांक:

7ग. जिन मतदान केन्द्रों में वीवीपीएटी सिस्टम का उपयोग हुआ है उन पर लागू

- (i) प्रयुक्त किये गये प्रिन्टर की संख्या:
- (ii) प्रिन्टर का क्रमांक:

8. ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे:

9.

- (i) मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या:
- (ii) अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हों:
- (iii) मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या:

10.

- (i) मतदान केन्द्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या:
- (ii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिये अनुज्ञात किये गये निर्वाचकों की संख्या:
- (iii) मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) में यथाप्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या:
- (iv) वोटिंग मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की संख्या:
- (v) मतदाताओं जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, की संख्या:

प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी मतदान रजिस्टर

11. निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिये -

पुरुष

महिला

थर्ड जेन्डर

कुल

12. अभ्याक्षेपित (चैलेंज्ड) मत -

स्वीकृत संख्या

अस्वीकृत संख्या

जब्त की गयी रकम रु.....

13. उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यटी प्रमाण-पत्र (ईडीसी) प्रस्तुत करने पर मत दिये:

13क. मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या:

14. ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए:

15. परोक्षी द्वारा दिये गये मतों की संख्या:

16. निविदत्त मतों की संख्या

17. निर्वाचकों की संख्या -

(क) जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई

(ख) जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इन्कार किया.....

18. क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन के कारण:

19. प्रत्येक दो घंटे में डाले गये मतों की संख्या -

7 बजे पूर्वाह्न से 9 पूर्वाह्न तक

9 बजे पूर्वाह्न से 11 पूर्वाह्न तक

11 बजे पूर्वाह्न से 1 अपराह्न तक

1 बजे अपराह्न से 3 अपराह्न तक

3 बजे अपराह्न से 5 अपराह्न तक

(मतदान के प्रारम्भ और समापन के नियत समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं)

20.

(क) मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गयी पर्चियों की संख्या:

(ख) ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का वास्तविक समय:

21. निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण:

निम्नलिखित मामलों की संख्या -

(क) मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के अन्दर मत प्रचार:

(ख) मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना:

(ग) मतदान केन्द्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को छल कपट से बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना:

(घ) मतदाताओं को रिश्वत देना:

(ङ) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना:

(च) मतदान केन्द्र पर कब्जा करना:

22. क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई:-

(1) उपद्रव:

(2) खुली हिंसा:

(3) प्राकृतिक विपदा:

(4) बूथ पर कब्जा:

(5) वोटिंग मशीन का विफल होना:

(6) कोई अन्य कारण:

कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें।

23. क्या मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई गयी किसी भी वोटिंग मशीन कों:-

(क) पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर:

(ख) आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके:

(ग) नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया:

कृपया ब्यौरा दें।

24. अभ्यर्थियों / अभिकर्ताओं द्वारा की गयी गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हो:

25. विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या:

26. मतदान केन्द्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, यदि कोई हो:

27. क्या मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व, और यदि आवश्यक हो, मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाता है तथा मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणाएं की गई हैं:

स्थान:

तिथि:

पीठासीन अधिकारी

यह डायरी, मतदान मशीन, विजिट शीट, प्रेक्षक की 16-पाइंट रिपोर्ट, और अन्य सील पेपरों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जानी चाहिए।

अनुलग्नक 13

(अध्याय 9, पैरा 9.10.1)

पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त रिपोर्ट का प्रपत्र

1	मतदान केन्द्र क्रमांक
2	सी.पी.एफ. की नियुक्ति हां/नहीं
3	माईक्रो प्रेक्षक की नियुक्ति हां/नहीं
4	वीडियो कैमरा व्यवस्था
5	कुल मतदाता
6	कुल डाले गये मत
7	डाले गए मतों का प्रतिशत
8	कुल अभ्यर्थियों की संख्या
9	अभ्यर्थियों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ताओं द्वारा किया गया
10	मतदाओं की संख्या जिन्होंने ईपीआईसी के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया
11	क्या नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया? हां/नहीं
12	क्या छद्म मतदान क्लीयर किया गया? हां/नहीं
13	क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद एवं सीलबंद किया गया?
14	क्या अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात उन्हें 17ग दिया गया ?
15	ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान समाप्ति के समय सायं 5 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया
16	क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई? हां/नहीं

अनुलग्नक 14

(अध्याय 12, पैरा 12.2)

छद्म मतदान (छद्म मतदान) प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मैंनेपीठासीन अधिकारी के.....विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अथवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मतदान केन्द्र संख्या.....में.....के अधीनविधान सभा खंड.....ने आज दिनांकबजे..... छद्म मतदान का संचालन किया -

सीयू की क्रम संख्या (सीयू के पीछे मुद्रित है)

बीयू की क्रम संख्या (बीयू के पीछे मुद्रित है)

वीवीपीएटी की क्रम संख्या (वीवीपीएटी के पीछे मुद्रित है)

.....

1. नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दिए गए वोटों की कुल संख्या है।
2. यह प्रमाणित किया गया था कि सही अभ्यर्थी/नोटा का बटन दबाए जाने पर एलईडी जल रही थी तथा बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज भी अच्छी तरह सुनाई दे रही थी।
3. छद्म मतदान के दौरान दिए गए वोटों का अभ्यर्थीवार विवरण एवं परिणाम निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	छद्म मतदान के दौरान डाले गए वोटों की संख्या	सीयू द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या	गणना की गई प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या (यदि वीवीपीएटी प्रयुक्त हुई हो)	डाले गए वोट, दिखाया गया परिणाम, प्रिंटेड पेपर स्लिप (यदि वीवीपीएटी प्रयुक्त हुई हो) की गिनती एक दूसरे से मेल खाती है।

					(हाँ/नहीं)
1.					
2.					
	नोटा				
	कुल				

4. छद्म मतदान के पश्चात मैंने सावधानी से ईवीएम की मेमोरी साफ कर दी है तथा वीवीपीएटी के पेपर स्लिप्स भी हटा लिए हैं और टोटल बटन दबाकर तथा टोटल के उत्तर में शून्य ('0') देखकर यह भी सुनिश्चित किया है कि मेमोरी पूरी तरह से साफ हो गई है।
5. छद्म मतदान के समय निम्नांकित अभ्यर्थियों के अभिकर्ता, जिनके नाम अधोलिखित हैं, उपस्थित थे, मैंने उनके हस्ताक्षर ले लिए हैं।
6. वास्तविक मतदान की शुरुआत में सीयू में दिखाई गई मतदान की दिनांक व समय.....

क्र.सं.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

छद्म मतदान के लिए निर्धारित समय में कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था/ केवल एक अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था। पंद्रह मिनट प्रतीक्षा करने के पश्चात मैंने अन्य मतदान कर्मचारियों के साथ पूर्वाहन बजे छद्म मतदान का संचालन किया।

माइक्रो प्रेक्षक के हस्ताक्षर (यदि मतदान केन्द्र में नियुक्त हों)

दिनांक:

समय:

पीठासीन अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र क्रमांक

मतदान केन्द्र का नाम

अनुलग्नक 15

(अध्याय 20, पैरा 20.3.6)

नियम 49डक के तहत घोषणा

..... का साधारण/उप निर्वाचन
संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र. सं. एवं नाम.....
मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम.....

निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49डक के तहत निर्वाचकों द्वारा घोषणा करने का प्ररूप

1. निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49डक के उपनियम (1) के तहत मैं सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता/करती हूँ कि बैलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर द्वारा उत्पन्न पेपर स्लिप में दर्शाया गया अभ्यर्थी का नाम और/या चिन्ह उस अभ्यर्थी से भिन्न है, जिसके लिए मैंने संबंधित नीला बटन दबाकर अपना मतदान किया था। मेरा यह आरोप सत्य एवं प्रामाणिक है, यह सिद्ध करने के लिए मैं दोबारा परीक्षण मत देने हेतु तैयार हूँ।
- (2). मुझे ज्ञात है कि आईपीसी के दंडात्मक प्रावधानों की धारा 177 के तहत दण्डित होने, जिसमें कारावास जिसकी अवधि छः माह तक बढ़ायी जा सकती है, अथवा अर्थदण्ड जिसकी राशि रूप 1000 तक बढ़ायी जा सकती है, अथवा दोनों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी, यदि उक्त पैरा 1 में मेरे द्वारा की गई घोषणा गलत पायी जाती है जो कि पीठासीन अधिकारी को दी गई है, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 26 के अधीन नियुक्त किया गया है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अङ्गूठे का निशान:-

निर्वाचक का नाम.....

पिता/माता/पति का नाम.....

निर्वाचक नामावली की भाग संख्या.....
उक्त भाग में निर्वाचक का क्रमांक.....
निर्वाचक रजिस्टर में क्रमांक (फार्म 17क)

तिथि

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित निर्वाचक द्वारा उक्त घोषणा मेरे समक्ष की गई है।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

तिथि.....

अनुलग्नक 16

(अध्याय 18, पैरा 18.1.2.5)

**निर्वाचक का घोषणापत्र, जिनका नाम अनुपस्थित / स्थानांतरित /
मृत सूची में है**

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं वही व्यक्ति/महिला हूँ जिसका नाम..... निर्वाचन क्षेत्रकी मौजूदा तैयार/संशोधित निर्वाचक नामावली सूची वर्ष..... की जनवरी माह कि प्रथम अर्हक तिथि 20..... के भाग क्रमांक में दर्ज है, मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण भारतीय दंड संहिता की धारा 171घ के तहत निर्वाचन अपराध है।

.....
निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

निर्वाचक का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित निर्वाचक द्वारा उपरोक्त घोषणा मेरे सामने की गई है।

.....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

.....
मतदान केन्द्र की संख्या और नाम
तिथि

अनुलग्नक 17

(अध्याय 9, पैरा 9.4.3)

मतदान अभिकर्ता/स्थानापन्न अभिकर्ता गतिविधि शीट

क्र.सं.	संसदीय विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम	विधान सभा खण्ड का क्रमांक व नाम	अभ्यर्थी का नाम	राजनैतिक दल का नाम	मतदान अभिकर्ता / स्थानापन्न अभिकर्ता का नाम	प्रवेश समय	हस्ताक्षर	निकास का समय	हस्ताक्षर
1.									
2.									
3.									

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक 18

सीयू-बीयू-वीवीपीएटी की विफलताओं का प्रबंधन/मतदान की तैयारी के दौरान मतदान अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रबंधन हेतु सुझाव

मतदान प्रक्रिया के दौरान कुछ आकस्मिकताएं उत्पन्न हो सकती हैं जिनके लिए कुछ निश्चित कार्य करने की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार हैं -

- क. सीयू तथा बीयू के सही तरह से काम न करने की स्थिति में: (i) सीयू का स्विच ऑफ कर दें और दोबारा ऑन न करें। (ii) ईवीएम तथा वीवीपीएटी के पूरे सेट को अन्य बीयू, सीयू तथा वीवीपीएटी से बदल दें। (iii) हालांकि, ऐसी स्थिति में छद्म मतदान के दौरान नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक वोट दिया जाना चाहिए। (iv) छद्म मतदान के डेटा तथा वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से पेपर स्लिप हटा देने के बाद नए ईवीएम सेट से आगे मतदान जारी रखिए।
- ख. सीयू के पैनल में "लिंग एरर" दिखाए जाने की स्थिति में: (i) देखकर जाँच कीजिए कि केबल सही तरह से कनेक्टेड है कनेक्टरों को निकालकर, दोबारा नहीं जोड़िए); (ii) यदि "लिंग एरर" अभी भी दिखाई दे रही हो, तो ईवीएम तथा वीवीपीएटी का पूरा सेट बदल दीजिए।
- ग. वीवीपीएटी स्थिति प्रदर्शन इकाई (वीएसडीयू) में "एरर कोड-1 रिप्लेस बैटरी" दिखाए जाने की स्थिति में:- सीयू को स्विच ऑफ कर दें और वीवीपीएटी प्रिंटर का पावर पैक बदल दें। यह ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में सीयू को स्विच ऑफ किए बगैर पावर पैक को न बदला जाए।
- घ. वीएसडीयू में "एरर कोड-2 रिप्लेस प्रिंटर" दिखाए जाने की स्थिति में तथा जब पीठासीन अधिकारी ने बीयू को एनेबल करने का बटन न दबाया हो: सीयू को स्विच ऑफ करें तथा दोषपूर्ण वीवीपीएटी को नए वीवीपीएटी यूनिट से बदल दें। यह सुनिश्चित किया जाए कि कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ किए बगैर वीवीपीएटी यूनिट को बदला न जाए।
- ङ. यदि पीठासीन अधिकारी ने बीयू का एनेबल बटन दबा दिया हो, निर्वाचक ने बीयू का अभ्यर्थी बटन दबा दिया हो और यह शिकायत कर रहा हो कि पेपर स्लिप प्रिंट नहीं हुआ है अथवा प्रिंट हो गया है, परंतु वीवीपीएटी यूनिट से कटकर अलग नहीं हुआ है और डिस्प्ले विंडो के सामने झूल रहा है तब: (i) यदि सीयू का बिजी लैंप नहीं जल रहा हो और वीएसडीयू में कोई

संदेश/एरर नहीं दिखाई दे रही हो, तो शिकायत आधारहीन मानी जानी चाहिए और अस्वीकृत कर दी जानी चाहिए; (ii) यदि सीयू का बिजी लैंप जल रहा हो और वीएसडीयू में कोई संदेश/एरर नहीं दिखाई दे रही हो, तो निर्वाचक से दोबारा मतदान कोष्ठ में जाकर अपनी पसंद के अभ्यर्थी का बटन दबाने का अनुरोध करना चाहिए; (iii) यदि सीयू और वीएसडीयू दोनों लैम्प चमक रहे हों किन्तु वीएसडीयू में कोई संदेश दिखाई न दे रहा हो, सीयू को स्विच ऑफ कर दें और वीवीपीएटी यूनिट को बदल दें। (iv) अंतिम निर्वाचक जिसका वीवीपीएटी से पेपर स्लिप प्रिंट न हुआ हो अथवा अलग न हुआ हो, उसे वीवीपीएटी को बदलने के बाद अपना वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए।

कृपया ध्यान रखें, कि कंट्रोल इकाई में वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से तब तक दर्ज होता है, जब तक कि पेपर पर्ची प्रिंट नहीं हुई हो, और वीवीपीएटी द्वारा इसे नहीं काट दिया गया हो। यदि वीवीपीएटी ने पेपर पर्ची प्रिंट नहीं किया है, या प्रिंटेड पेपर पर्ची नहीं काटा गया है, तो आखिरी निर्वाचक जिसकी पेपर पर्ची वीवीपीएटी द्वारा प्रिंट नहीं की गई है, या नहीं काटी गई है, वीवीपीएटी इकाई को प्रतिस्थापित किए जाने के बाद उसे मत डालने की अनुमति दी जानी चाहिए।

च. यदि पेपर स्लिप अलग न हुआ हो और पेपर रोल से बाहर झूल रहा हो -प्रिंटर बदल दें, परंतु इसे ड्रॉप बॉक्स में गिराने का प्रयास न करें। इसे झूलते रहने दें, ताकि बैलेट स्लिप की गणना के समय इसकी गिनती न की जा सके। इस प्रकार की घटना का ब्यौरा निश्चित तौर पर पीठासीन की डायरी में निम्नांकित फॉर्मेट में दर्ज किया जाना चाहिए-

- i. घटना की तारीख व समय
- ii. वीवीपीएटी को बदलने के बाद अपना वोट डालने वाले निर्वाचक का नाम तथा निर्वाचक नामावली में उसकी भाग संख्या एवं सरल क्रमांक।
- iii. वीवीपीएटी को बदलने के बाद निर्वाचक ने वोट दिया अथवा बिना वोट दिए ही चला गया।
- iv. घटना के पूर्व दिए गए वोटों की कुल संख्या।

छ. यदि निर्वाचक यह आरोप लगाता है कि प्रिंटर द्वारा उत्पन्न स्लिप में छपा हुआ अभ्यर्थी का नाम/चिन्ह उसके द्वारा दिए गए वोट से भिन्न है: निर्वाचन संचालन नियम, 2013 (संशोधित) के नियम 49डक के अनुसार कार्यवाही की जाए:

- (i) शिकायतकर्ता से उसके हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान लगा हुआ घोषणा पत्र प्राप्त करें;
- (ii) उसी समय में शिकायतकर्ता के साथ एवं मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदान कोष्ठ की ओर बढ़ें;
- (iii) निर्वाचक से किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में एक परीक्षण वोट डालने और फॉर्म 17क (रजिस्टर) में उस निर्वाचक से संबंधित दूसरी प्रविष्टि करने के लिए कहा जाएगा;
- (iv) ध्यान से देखें कि प्रिंटर ने पेपर पर्ची को सही ढंग से प्रिंट किया है अथवा नहीं;
- (v) यदि निर्वाचक की शिकायत सही पाई जाती है, तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को तत्काल तथ्यों की रिपोर्ट करेगा तथा मतदान केन्द्र में आगे मतदान रोक देगा;
- (vi) यदि मतदाता की शिकायत झूठी पाई जाती है, तो फॉर्म 17क में अभ्यर्थी का नाम व क्रम संख्या, जिसके लिए परीक्षण वोट दिया गया है, का उल्लेख करते हुए निर्वाचक से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के सामने उस पर टिप्पणी करें तथा इस टिप्पणी के सामने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करें। इसके बाद फॉर्म 17ग के भाग-I की 5 मदों में ऐसे परीक्षण वोट के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां करें।

अनुलग्नक 19

किसी मतदान केन्द्र के लिए मतदान सामग्रियों की सूची जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपीएटी को उपयोग में लाया गया है

क्रमांक	मद	संख्या
1	नियंत्रण यूनिट	1
2	मतदान यूनिट	1 अथवा अधिक, अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर (नोटा सहित)
3	वीवीपीएटी	1
4	मतदाताओं के लिए रजिस्टर (प्ररूप 17क)	1 / वास्तविक आवश्यकता के अनुसार
5	मतदाताओं की पर्चियाँ	आवश्यकता के अनुसार
6	निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति	1
7	निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रति	3
8	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति (प्ररूप 7क)	1
9	मतपत्र (निविदत्त)	20
10	सीएसवी की सूची, यदि कोई हो	1
11	अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर की फोटोकॉपी	1
12	अमिट स्याही	10 सीसी की 2 शीशी
13	बैलेट इकाई, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी के लिए सामान्य एड्रेस टैग	14
14	स्पेशल टैग	3
15	ईवीएम के लिए ग्रीन पेपर सील	3

16	स्ट्रिप सील	3
17	एरोक्रास मार्क वाली रबर स्टाम्प	1
18	स्टाम्प पैड (बैंगनी रंग)	1
19	पीठासीन अधिकारियों के लिए धातु की मुहर	1
20	माचिस	1
21	पीठासीन अधिकारी की डायरी	1
22	सुभिन्नक चिन्ह वाली रबर स्टैम्प	1
23	निर्वाचक की पहचान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज का आयोग का आदेश	1
24	फार्म	
i.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	1
ii.	अभ्याक्षेपित मतों की सूची (प्ररूप 14)	2
iii.	नेत्रहीन अथवा निशक्त मतदाताओं की सूची (प्ररूप 14क)	2
iv.	निविदित मतों की सूची (प्ररूप 17ग)	2
v.	रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा	10
vi.	प्रयुक्त पेपर सील का रिकार्ड	2
vii.	अभ्याक्षेपित मतपत्रों की रसीद बुक	1
viii.	एसएचओ के लिए पत्र	4
ix.	पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र मतदान प्रारंभ होने के पूर्व व पश्चात् (पार्ट I से IV)	2
x.	अपनी उम्र के बारे में निर्वाचक द्वारा घोषणा	2
xi.	ऐसे निर्वाचकों की सूची जिन्होंने घोषणा के पश्चात् मत दिया/देने से इंकार कर दिया	4/4
xii.	घोषणा पत्र नेत्रहीन अथवा निशक्त मतदाताओं के साथी द्वारा	10
xiii.	मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट) के प्रवेश पत्र	आवश्यकता के अनुसार
xiv.	प्रपत्र पीठासीन अधिकारी की अतिरिक्त 16-बिन्दुओं वाली रिपोर्ट के लिए, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर/निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक को दिया	2

	जाना है	
xv.	विजिट शीट	2
xvi.	निर्वाचन रिकार्ड व मतदान सामग्रियों की मतदान के पश्चात वापसी की रसीद	2
25	लिफाफे	
i.	पहला पैकेट छोटे लिफाफे के लिए (सांविधिक लिफाफे) (एसई-8)	1
ii.	निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के लिए (एसई-8)	1
iii.	निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों के लिए (एसई-8)	1
iv.	निविदत मतपत्र एवं निविदत मतदाताओं की सूची के लिए	1
v.	पीठासीन अधिकारी की मतदान प्रारंभ तथा मतदान समाप्ति पर घोषणाओं के लिए	1
vi.	रिकार्ड किये गये मतों के लेखा के लिए (प्रपत्र 17ग) (एसई-5)	1
vii.	अभ्याक्षेपित मतों की सूची के लिये (एसई-5)	1
viii.	अप्रयुक्त और अनुपयोगी पेपर सील के लिए (एसई-5)	1
ix.	मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र के लिए (एसई-6)	1
x.	नेत्रहीन अथवा निशक्त मतदाताओं की सूची के लिए (एसई-5)	1
xi.	पीठासीन अधिकारी की डायरी रिपोर्ट के लिए (एसई-6)	1
xii.	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिए (एसई-5)	1
xiii.	रसीद पुस्तक व कैश जब्लि के लिए (एसई-6)	1
xiv.	सहयोगी के घोषणा पत्र के लिए (एसई-5)	1
xv.	छोटे लिफाफों के लिए (अन्य) (एसई-7)	1
xvi.	निर्वाचक रजिस्टर जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर हों (प्ररूप 17क) (एसई-8)	1
xvii.	अन्य संबंधित कागजात के लिए (एसई-5)	1
xviii.	छोटे लिफाफों के लिए (एसई-8)	1
xix.	पीठासीन अधिकारी के रिकॉर्ड हेतु नियम 40 के तहत कवर (एसई-6)	1

xx.	सादे लिफाफे (एसई-7)	2
xxi.	सादे लिफाफे (एसई-8)	3
xxii.	अप्रयुक्त मत पत्रों के लिए लिफाफा (एसई-7)	1
xxiii.	अन्य कागजों के लिए लिफाफा जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने सील्ड कवर में रखने का निर्णय लें	1
xxiv.	अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के लिए कवर (एसई-7)	1
xxv.	अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील के लिए कवर (एसई-7)	1
26	साइन बोर्ड	
	पीठासीन अधिकारी	
	मतदान अधिकारी	
	प्रवेश	
	निर्गम	
	मतदान अभिकर्ता	
	नियम 30(1)(क) के द्वारा अपेक्षित क्षेत्र इत्यादि बताने के लिए विविध सूचना	
27	लेखन सामग्री	
i.	सामान्य पेंसिल	1
ii.	बॉल पेन	3 नीले + 1 लाल
iii.	कोरा कागज	8 पन्ने
iv.	पिन्ने	25 नग
v.	सीलिंग वैक्स	6 नग
vi.	मतदान कोष्ठ की सामग्री	आवश्यकतानुसार
vii.	गोंद/लेइ	1
viii.	ब्लेड	1
ix.	मोमबत्ती	4

x.	पतला टवाईन धागा	20 मीटर
xi.	लोहे का स्केल (मेटल रूल)	1
xii.	कार्बन पेपर	3
xiii.	तेल आदि पोछने के लिए कपड़ा या रैग	3
xiv.	पैकिंग पेपर शीट	3
xv.	अमिट स्याही की बोतल रखने के लिए कप / खाली डिब्बा / प्लास्टिक बॉक्स	1
xvi.	ड्राइंग पिन	24 नग
xvii.	चेक लिस्ट	2
xviii.	रबर बैंड	20
xix.	सेलो टेप	1

ऐसी सामग्री की सूची जो पीठासीन अधिकारी द्वारा क्षेत्र सेक्टर को लौटानी होगी जिसे वे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के स्टोर में जमा करवाएंगे।

क्रमांक	मर्दे
1	एरो मार्क वाली रबर स्टैम्प
2	पीठासीन अधिकारी की धातु की सील
3	दस्तावेज युक्त स्टेशनरी बैग
(i)	सेल्फ-इंकिंग पैड
(ii)	वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाने की सामग्री
(iii)	लोहे का स्केल (मेटल रूल)
(iv)	अमिट स्याही की बोतल रखने के लिए डिब्बा
(v)	अन्य सभी अप्रयुक्त सामग्री

पोलिंग पार्टी को वीवीपीएटी के साथ दी गई अतिरिक्त मतदान सामग्री

क्रमांक	मद	मात्रा
1	मोटे काले कागज से बना लिफाफा (छद्म मतदान के मुद्रित पेपर पर्चियों को सील करने के लिए)	2
2	काले कागज के लिफाफे को सील करने के लिए प्लास्टिक का डिब्बा	1
3	प्लास्टिक डिब्बे को सील करने के लिए गुलाबी पेपर सील	2
4	नियम 49डक के तहत निर्वाचक के लिए घोषणा पत्र का प्ररूप	10
5	वीवीपीएटी की परिचालन नियम पुस्तिका	1
6	छद्म मतदान स्लिप मुहर	1
7	ईवीएम और वीवीपीएटी पर मतदान कैसे करें, विषय पर पोस्टर	1
8	ईवीएम और वीवीपीएटी के उपयोग पर पीठासीन अधिकारी के लिए विवरणिका	1
9	ईवीएम और वीवीपीएटी के उपयोग में आने वाली परेशानी को दूर करना	1

अनुलग्नक 20

पीठासीन अधिकारियों के लिए चैक मैमो

मद	कार्य जो किया जाना है	अभ्युक्ति
1	रिटर्निंग ऑफिसर से समस्त सुसंगत अनुदेशों को प्राप्त करना और कब्जे में रखना।	क्या प्राप्त कर रख ली है?
2	मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय करना और उनके साथ निकट का सम्पर्क बनाये रखना।	क्या ऐसा कर लिया है?
3	निर्वाचन सामग्री एकत्रित करना, एएसडी मतदाताओं की सूची, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निर्वाचकों की सूची।	क्या सुनिश्चित कर लिया है कि समस्त निर्वाचन सामग्री जो प्राप्त की गयी है पर्याप्त मात्रा एवं संख्या में है?
4	वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट और कंट्रोल यूनिट, वीवीपीएटी, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियाँ, ऐरोक्रास मार्क रबर स्टाम्प, ग्रीन पेपर सील, मतदाताओं के रजिस्टर, मतदाताओं की पर्चियाँ, इत्यादि की जाँच कर ली है।	क्या ऐसा कर लिया है?
5	मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिये प्रवेश और निकास अलग-अलग है।	क्या ऐसा सुनिश्चित कर लिया है?
6	नोटिस में मतदान क्षेत्र और नियत निर्वाचकों की संख्या विनिर्दिष्ट कर प्रदर्शित करना तथा साथ में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति भी प्रदर्शित करना।	क्या ऐसा कर लिया है?
7	कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिटों वीएसडीयू (जो केवल एम2 वीवीपीएटी के साथ दिया जायेगा) वीवीपीएटी और बैलेट यूनिटों को कोष्ट में रखने के बाद कंट्रोल यूनिट व वीवीपीएटी को आपस में जोड़ना। कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को चालू करना।	क्या ऐसा कर लिया है?
8	छद्म मतदान का संचालन करना। कंट्रोल यूनिट के परिणाम का वीवीपीएटी पेपर पर्ची से मिलान करना।	क्या ऐसा कर लिया है?

	'क्लीयर' बटन दबाकर परिणाम मिटाना। वीवीपीएटी पेपर पर्ची को काले लिफाफे में और प्लास्टिक बॉक्स में डालना और 'छद्म मतदान स्लिप' का मुहर लगाने के पश्चात छद्म मतदान घोषणा पत्र तैयार करना।	
9	कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन पर ग्रीन पेपर सील लगाना। मतदान अभिकर्ताओं को ग्रीन पेपर सील का क्रमांक नोट करने को कहना।	क्या ऐसा कर लिया है?
10	कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन को एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, व स्ट्रिप सील की मदद से सील करें। वीवीपीएटी ड्राप बॉक्स को भी एड्रेस टैग से सील करें।	क्या ऐसा कर लिया है?
11	मतदान के प्रारंभ पर की जाने वाली घोषणा।	क्या ऐसा कर लिया है?
12	मतदान के प्रारंभ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा गोपनीयता के बारे में लो.प्र. अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंधों को पढ़ कर सुनाना।	क्या ऐसा कर लिया है?
13	मतदान अभिकर्ताओं को मतदान यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट व वीवीपीएटी की क्रम संख्या नोट करने के लिए अनुज्ञात करना।	क्या अनुज्ञात किया है?
14	बांयी हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से चिह्न लगाना और मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) पर हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप प्राप्त करना।	क्या ऐसा उचित रूप से कर लिया है?
15	अवयस्क (अंडर एज्ड) निर्वाचकों से घोषणा।	क्या प्राप्त कर ली गई है?
16	पीठासीन अधिकारी की डायरी का संधारण/रखरखाव	क्या समय-समय पर घटनाओं का जब और जिस प्रकार वे घटित हुई, अभिलेखन किया गया है?
17	निरीक्षण पत्रक का संधारण	क्या संधारण किया है?
18	नियत समय पर मतदान को बंद करना	क्या ऐसा कर लिया है?
19	क्या प्ररूप 17ग में रिकार्ड किये गये मतों के लेखों की प्रति मतदान अभिकर्ताओं को दे दी गई है।	क्या ऐसा कर लिया है?
20	मतदान की समाप्ति पर की गई घोषणा	क्या ऐसा किया गया है?
21	वोटिंग मशीन एवं वीवीपीएटी और निर्वाचन पत्रों को	क्या अनुदेशों के अनुसार ऐसा कर

	सीलबंद करना	दिया है?
--	-------------	----------



"कोई भी निर्वाचक पीछे न रहे"

अक्टूबर 2018 - संस्करण 1



भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली -110001

 www.eci.gov.in  <https://www.facebook.com/ECI/>
 <https://www.youtube.com/c/ECIVoterEducation>

यह दस्तावेज निर्वाचन आयोग की वेबसाइट <https://eci.gov.in> पर भी उपलब्ध है